राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] ग्यारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या : 7

सोमवार;

5 अप्रेल, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा; अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-134

श्री अध्यक्ष। श्रीमती सुमित्रा सिंह।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री फतेह सिंह।

जिला बांसवाड़ा का छात्रावास प्रकरण

135. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ राजकीय महाविद्यालय के बालक/बालिकाओं हेतु छात्रावास का भवन निर्माण कराया जा रहा है? अब तक उक्त भवन निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि कब स्वीकृत की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त निर्माण कार्य किसी संस्था को दिया गया? यदि हां; तो किसे? छात्रावास निर्माण में देरी का क्या कारण रहा और अब कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (डा. जितेन्द्र सिंह) : (1) जी हां। उक्त भवनों के निर्माण हेतु जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग; उदयपुर के द्वारा निम्न प्रकार राशि स्वीकृत की गई है :-

छात्र--छात्रावास-40.00 लाख, वर्ष 1994-95।

छात्रा-छात्रावास-26.57 लाख, वर्ष 1995-96।

(2) जी हां। इन छात्रावासों के निर्माण का कार्य आवास विकास संस्थान; डूंगरपुर को दिया गया है। संस्था द्वारा

(डा. जितेन्द्र सिंह)

राशि, विद्युत कनेक्शन एवं पानी के समय पर उपलब्ध नहीं कराने के कारण छात्रावास निर्माण में देरी हुई है। इन दोनों छात्रावासों को शीघ्र ही पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अब तक निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिये जाते रहे हैं, लेकिन इन छात्रावासों का निर्माण कार्य आवास विकास संस्थान को किन कारणों से दिया गया है, एक तो मेरा प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न यह है कि 1994-95 में दोनों छात्रावासों के लिये पैसा दिया गया। इसके बाद भी अब तक ये कार्य अधूरे रहे, इसका क्या कारण रहा। तीसरी बात यह कि अब तक इन निर्माण कार्यों के ऊपर कितना पैसा खर्च किया गया। चौथा मेरा क्वश्चन यह है कि उन निर्माण कार्यों के मैटीरियल और मजदूरों के पेमेण्ट आज तक नहीं हुए, वे क्यों नहीं हुए ? ये 3-4 प्रश्न आपके सामने हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह : कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया है कि पूर्व में दूसरी एजेंसियों के माध्यम से ये निर्माण कार्य होते थे, हास्टल के। तो प्रथम बार ये आवास विकास संस्थान, डूंगरपुर को दिये गये। गत सरकार द्वारा यह समझ कर दिया गया कि यह एजेंसी अच्छा कार्य करेगी। लेकिन यह एजंसी इस कार्य को करने में टोटली फेल्योर रही। अतः इस एजेंसी को ही सरकार ने बंद कर दिया, इस पूरे आवास विकास संस्थान को ही बंद कर दिया गया है। अब इस पर विचार किया जा रहा है कि इस पूरे संस्थान के वर्क किसको हेण्ड-ओवर किये जाएं, नम्बर एक। नम्बर दो, आपने पूछा है, इसके लिये मैं आपको शोर्ट के अन्दर बता दूं।

श्री अमराराम (धोद) : विस्तृत में बताओ साहब। 5 साल में पूरा नहीं हुआ और आप शोर्ट में बताएंगे ?

डा. जितेन्द्र सिंह : विस्तृत में बता दूंगा। मैं लम्बा कर दूंगा।

श्री अमराराम (धोद) : आप तो पूरा करा दो।

डा. जितेन्द्र सिंह : छात्रावासों को पूरा करा दूंगा, यह कमिटमेंट है। छात्रा-छात्रावास का निर्माण कार्य 75 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इसमें केवल विद्युत फिटिंग, टॉयलेट, इसका कार्य बाकी है। ब्वायज छात्रावास के अन्दर उन्होंने मात्र नींव लेवल तक ही कार्य किया है। यह तो वर्तमान स्थिति है, माननीय सदस्य। और मैं आपको यही विश्वास दिला सकता हूं कि यह कार्य अतिशीघ्र पूरा करा दिया जाएगा और इसके अन्दर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और जिसने भी इसके अन्दर गलती की है, उसके लिये मैं शीघ्र जांच बिठवा दूंगा to see that who is responsible for all these faults. यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता था, आपने जवाब में जो उत्तर दिया है कि कार्य हो चुका है, कुछ कार्य बाकी है। मेरा यह मानना है, मैंने स्वयं यह देखा है कि छात्राओं की जो बिल्डिंग है, वह तो छत लेवल तक कर दी तथा उसका पेमेन्ट हुआ नहीं है। जो छात्र हास्टल बन रहा है, उसकी नींव ही खुदी हुई है। उसके अलावा आगे काम हुआ नहीं है। इसलिए अब इतने साल गुजरने के बाद भी, अब तक उस काम को नहीं किया गया। फिर आप बता रहे हैं कि उस संस्थान को हमने फेल कर दिया। तो उनके समय में जो काम हुआ है, उसका पेमेंट कौन करेगा? और आगे आप उस बिल्डिंग को किसके मार्फत, कब तक पूरा कराएंगे। उस पर अब तक कितना खर्चा हुआ है, यह तो आपने बताया नहीं है।

श्री जीतमल (बागीदोरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कुशलगढ़ विधायक महोदय ने यह तो मात्र एक उदाहरण पेश किया है। इसी तरीके से पूरे बांसवाड़ा जिले के अंदर समाज कल्याण छात्रावास भी आवास विकास संस्थान को दिया हुआ है। बांसवाड़ा कालेज; महाविद्यालय का भी यही हाल है। लम्बे समय से ये कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। बार-बार इस संस्थान का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और लम्बे समय से हमारे जनजाति छात्र इसका लाभ लेने से वंचित रह गये।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में पूछिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : यह तो आपने ही दिया है।

श्री नन्दलाल मीणा : हां, इसीलिए पूछ रहा हूं।

श्री शंकर लाल अहारी : और पूरा नहीं करा पाए।

श्री नन्दलाल मीणा : पैसा दे दिया पूरा। पूरा नहीं करा पाए तो मैं कोई कारीगर नहीं हूं जो वहां पत्थर ठोकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कुशलगढ़ के महाविद्यालय के लिये, जनजाति के कन्या छात्रावास और बालक छात्रावास को जो पैसा आवास विकास संस्थान को स्थानान्तरित किया, साल भर पहले मैं वहां मौके पर गया था और आवास विकास संस्थान के आन्तरिक आर्थिक कलह की वजह से पिछले एक वर्ष से आवास विकास संस्थान का कार्य सारे ट्राइबल प्लान एरिया में शिथिल पड़ा हुआ है, बिलकुल नहीं हो रहा है। आवास विकास संस्थान को जनजातिय विकास विभाग द्वारा दिया गया पैसा, जो भवन निर्माण के लिये था, उस पैसे को किस तरह से रिकवर करके सार्वजनिक निर्माण विभाग या ब्रिज कार्पोरेशन आफ राजस्थान

(श्री नन्दलाल मीणा)

को किस तरह से राज्य सरकार स्थानांतरित करेगी। और जिन शर्तों के आधार पर यह निर्माण कार्य आवास विकास संस्थान को दिया गया था, उनकी आज दिन तक पूर्ति नहीं हुई तथा कुशलगढ़ में इन दोनों छात्रावासों में जो निर्माण हुआ है, इसमें भी अब तक कुल कितना पैसा आवास विकास में खर्च कर दिया है।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य; जो आपने फरमाया है, अभी आवास विकास संस्थान को बंद किया गया; इस पर सरकार निर्णय कर रही है कि क्या इसको हाउसिंग बोर्ड को दिया जाए ताकि इसकी जो सारी लायबिलिटी होगी, आवास विकास संस्थान की, वह लायबिलिटी हाउसिंग बोर्ड टेक ओवर करेगा। इस पर निर्णय किया जा रहा है।

नम्बर दो, इसके लिये आपने कहा है कि एक माध्यम; यह निश्चित रूप से एक बड़ा सोचनीय प्रश्न है कि सरकार की गाढ़ी कमाई के पैसे को वेस्ट नहीं किया जाए। इसके लिये जो राइट एजेंसीज हैं, उसमें पी.डब्ल्यू.डी. हो सकती है, ब्रिज कार्पोरेशन आफ राजस्थान भी हो सकता है। इन एजेंसीज को यह दिया जाए और जो एक बार एक्सपरीमेंट हो चुका है, इस आवास विकास संस्थान द्वारा वह टोटल फैल्योर रहा है तो मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह के जो संस्थान है उनके निर्माण कार्य के लिये जो सक्षम एजेंसीज हैं, उन्हीं को ये राइट्स दिये जाएं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय; मैंने सीधा सवाल किया है कि पिछले सत्र में भी...

श्री फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि किसी भी एजेंसी से आप काम को पूरा कराएं, कितने समय में इसको पूरा करा देंगे; और जिन मजदूरों का पेमेंट बाकी है उनको कितने समय में पेमेंट करा देंगे ?

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य, मैं आपको यही विश्वास दिला सकता हूं कि 6 माह के अन्दर यह कार्य पूर्ण करा दिये जाएंगे और जो भी मजदूरों का पेमेंट बकाया रहा है, उसकी पूरी राशि दिलवाई जाएगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने इसमें एक सवाल का जवाब दिया कि बिजली, पानी का कनेक्शन नहीं होने के कारण से विलम्ब हुआ। मैं आपकी जानकारी के लिये कहता हूं कि आपके विभाग ने आपको क्या उत्तर देकर के संतुष्ट करने का प्रयास किया, मैं नहीं समझ पाया हूं। अभी एक की तो नींव ही नहीं भरी गयी है और दूसरे की छत ही नहीं पड़ी तो बिजली और पानी की कहां आवश्यकता पड़ गयी, किसके कारण से पड़ गयी। मतलब, यह दोनों अलग-अलग चीजें हैं। आप ही सवाल के जवाब में एक तरफ आप कह रहे हैं कि काम बिलकुल प्रारम्भ ही नहीं हुआ तो बिजली पानी के कनेक्शन के कारण से देरी होना,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

यह किस तरह से प्रमाणित हो रहा है। आप इससे कैसे संतुष्ट हो गये ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सवाल मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आवास विकास संस्थान ने इनके निर्माण का काम हाथ में लिया, राशि जो स्वीकृत हुई थी, मंत्रीजी, जरा सुनिये आप। जो राशि स्वीकृत हुई वह आवास विकास संस्थान के कर्मचारियों के वेतन में बांट दी गयी। तो क्या सरकार इन छात्रावास के निर्माण के लिये प्रतिरिक्त संसाधन जुटाने की बात कहती है ? नम्बर–एक।

नम्बर दो, अध्यक्ष महोदय, निविदाएं, अब आवास विकास ने दो तरह से काम किया, एक तो उसने विभागीय काम किया और दूसरा उसने निविदाएं आमंत्रित कीं। निविदाओं का स्पेसिफिक टाइम था। उस स्पेसिफिक टाइम में जिन ठेकेदारों ने काम पूरा नहीं किया, क्या उन्हें ब्लेक लिस्टेड करने की आप मंशा रखते हैं ?

मेरे दो सवाल हैं, मैं फिर से निवेदन कर दूं। पहली बात तो आवास विकास संस्थान....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप रिपीट मत कीजिए। दोनों सवाल हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : पहले इनका उत्तर आने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पैसा कहां है ?

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य, जैसा कि आपने कहा कि एजेन्सी को यह वर्क दिया गया, रूरल एरिया प्लान, आवास विकास संस्थान को, यह डाइरेक्ट ट्राइबल डवलपमैंट कारपोरेशन है, उसने दिया है और इसके अन्दर अपने स्टेण्डर्ड से बिना निविदाएं लिए सीधी दे देती है, इनको उस माध्यम से दिया गया। जो वर्क दिया गया है, सीधा दे दिया गया, उसमें कोई निविदाएं आमंत्रित नहीं की गईं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पैसा तो है ही नहीं। पैसा है नहीं, पैसे से तो तनख्वाह दी गयी। पैसा तो तनख्वाह में खर्च कर दिया। अब आप कैसे बनाओगे। आप हाउस में कैसे कह रहे हो कि हम इसको छह महीने में सारा पूरा करा देंगे। आपके पास वित्तीय संसाधन कहां है ? दूसरा आपने कहा कि बिजली और पानी, जहां पर नींव ही नहीं खुदी वहां पर बिजली और पानी कहां लग गया ? (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह : ऐसा है श्रीमान, 19-1-98 में एक तो पैसा ही वक्त पर ठेकेदार को नहीं मिला। ठेकेदार को डेढ़ वर्ष बाद पैसा मिला।

नम्बर दो, आवास विकास संस्थान, डूंगरपुर ने विद्युत कनेक्शन हेतु विभाग

(डा. जितेन्द्र सिंह)

को 19-1-98 को राशि जमा करायी थी। यह सिस्टम सारा डिले होता चला गया। ठेकेदार को पैसा लेट मिला।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मंत्री महोदय, आप मुझे बताइये कि जब बिजली पानी की आवश्यकता ही बाद में थी, वहां पर यह जब बना ही नहीं था, बना नहीं था तो बिजली पानी की व्यवस्था की वजह से कहां पर डिले हुआ ? (व्यवधान)

श्री जीतमल : मंत्री महोदय, इसमें दो केस हैं। आपको मैं बताऊं, छात्राएं छात्रावास है...(व्यवधान)...

डा. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, छात्राएं, छात्रावास का निर्माण 75 परसेंट कम्प्लीट हो चुका है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि इसमें केवल टायलेट और बिजली की फिटिंग का कार्य बाकी है। यह 75 परसेंट पूरा हो चुका है। इसको हम पहले कम्प्लीट करें...(व्यवधान)...

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि अगर बिजली का कनेक्शन हो जाता तो रात को भी काम कराकर के जल्दी पूरा करा देते।

एक माननीय सदस्य : नहीं-नहीं, यह कोई कारण नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : आप बारबार कह रहे हैं कि 75 परसेंट कम्प्लीट हो गया। और आप कह रहे हैं कि वहां पर छत नहीं हुई। तो क्या वे बिजली फिटिंग कराएंगे। क्या आप इसकी जांच करवाएंगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिना पैसे काम पूरा कैसे होगा ? पैसा नहीं है। पैसे से तो तनख्वाह बंट गई, अब कैसे पूरा करवाएंगे ?

श्री जीतमल : आवास विकास संस्थान द्वारा पैसा ..(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सब एरिया ट्राइबल प्लान का जो पैसा था, वह तो तनख्वाह में बंट गया। आवास विकास संस्थान ने दे दिया, आवास विकास संस्थान ने वहां पर तनख्वाह में बांट दिया।

श्री जीतमल : आवास विकास संस्थान भी डूब गया और हमारी उस क्षेत्र की जितनी भी योजनाएं थीं, वे भी लेकर के डूब गया। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, 1998-99 में जो जनजाति विकास विभाग से आश्रम छात्रावास बालक/बालिकाओं के लिए खोले गये, आवास विकास संस्थान को उनके निर्माण के लिए आर्डर नहीं दिया। ब्रिज कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ राजस्थान को दिया। उसके पीछे हेतु यही था कि आवास विकास

(श्री नन्दलाल मीणा)

संस्थान समय पर एग्रीमेंट के हिसाब से काम नहीं कर रहा है और उसकी माली हालत खराब है ।

मंत्री महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब साल भर पहले इस बात का फैसला ले लिया गया था तो आज की तारीख में आवास विकास संस्थान को छात्रावास निर्माण के लिए पैसा स्थानांतरित कर दिया गया है और वहां पर काम नहीं के बराबर हुआ है । यह केवल कुशलगढ़ का ही मामला नहीं है, पूरे ट्राइबल सब-प्लान एरिया का मामला है । क्या राज्य सरकार आवास विकास संस्थान से उन छात्रावासों का, जिनका अंश मात्र भी निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया है, वह पैसा अन्य विभाग को स्थानांतरित कर उसका निर्माण कराना चाहती है ताकि आदिवासी क्षेत्र में बालक और बालिकाओं को इससे लाभ मिल सके । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिया ।

डा. जितेन्द्र सिंह : सरकार की निश्चित रूप से यह मंशा है कि ट्राइबल बेल्ट के जो अधूरे कार्य हैं, उनको पूर्ण कराये जाएं और उसकी राशि भी विभाग के माध्यम से..(व्यवधान)...

श्री सांवर लाल : पैसा कहां से आएगा ?

डा. जितेन्द्र सिंह : यह हाउसिंग बोर्ड के, अभी सरकार निर्णय कर रही है कि इसको हाउसिंग बोर्ड को दिया जाए, आवास विकास संस्थान को, तो इसकी सोल रेस्पांसिबिलिटी हाउसिंग बोर्ड की होगी । और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ट्राइबल बेल्ट के कोई भी कार्य के लिए सरकार कोई कोताही नहीं करेगी और गम्भीरतापूर्वक इसको जितना शीघ्र होगा, पूर्ण करेगी ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री बाबूलाल नागर ।

मोरीजा फ्लड प्रोटेक्शन योजना, दूदू का निर्माण प्रकरण

136. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू के मोरीजा फ्लड प्रोटेक्शन पर कुल कितनी राशि व्यय हुई ? विवरण मय तकमीने की प्रति के सदन की मेज पर रखें । उक्त योजना द्वारा कुल कितने कार्यों का निर्माण किस–किस ठेकेदार द्वारा कितनी-कितनी राशि से कराया गया ? क्या उक्त कार्य कोई मानदंड के अनुसार कराये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार को उक्त निर्माण कार्यों में अनियमितता बाबत कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

सिंचाई मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) चौमूं तहसील के मोरीजा फ्लड प्रोटेक्शन हेतु 1994 में कुल रुपये 207 लाख स्वीकृत हुए थे। इनमें से रुपये 152.79 लाख मार्च, 1998 तक खर्च, हो चुके हैं।

उक्त स्कीम पर किये गये कार्यों, ठेकेदार का नाम एवं उनके द्वारा किये गये कार्यों की राशि का विवरण एवं तखमीने की प्रति परिशिष्ट "अ' एवं "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

कार्य की गुणवत्ता एवं मापदंडों की बाबत वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में पत्र सूचना द्वारा अन्वेषण ब्यूरो में दो केस नंबर पी-102-3/ 98 दर्ज हुआ जिस पर अन्वेषण ब्यूरो जांच कर रहा है। विभाग द्वारा ब्यूरो की मांग पर 1998 से एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित कर रखी है जो ब्यूरो का निरन्तर सहयोग कर रही है। विभागीय कार्यों में उपयोगिता प्रमाण–पत्र देने का प्रावधान नहीं है।

(2) जी, हां। अन्वेषण ब्यूरो में ही केस दर्ज हुए हैं और इस स्कीम में संबंधित कार्य नंबर दो व तीन का तकनीकी एवं लेखा से संबन्धित अभिलेख राज्य अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर द्वारा जांच हेतु विभाग से लिये गये हैं एवं अन्वेषण ब्यूरो द्वारा केस संख्या पी-102-3/98 रजिस्टर करके इस कार्य की जांच अन्वेषण ब्यूरो द्वारा करायी जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अभी आपने जवाब में कहा है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की मांग पर एक विभागीय तकनीकी कमेटी बनायी गयी।

मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि इस तकनीकी कमेटी ने, जो गोबियन वियर चैन 60 का जो कार्य हुआ है, इस तकनीकी कमेटी के चेयरमैन सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर एस.पी.जैन साहब थे। इन्होंने 10-2-99 को अपनी कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि इस कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, क्या कमेटी ने उक्त रिपोर्ट में कोई घोटाला बताया है? और घोटाला बताया है, तो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, तो अपने स्तर पर कार्यवाही करेगा ही, लेकिन क्या सिंचाई विभाग, अगर घोटाला बताया है तो उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सिंचाई विभाग ने क्या कार्यवाही की? उक्त कमेटी ने..

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री बाबूलाल नागर : एक मिनट। उक्त कमेटी की रिपोर्ट 13-6-98 तक प्रस्तुत करनी थी और प्रस्तुत की गई है 10-2-99 को। क्या विभाग के अधिकारियों की पदोन्नति जो हुई है, उसमें कोई बाधा नहीं आ जाए, इस वजह से जानबूझकर देरी की गयी है?

(श्री बाबूलाल नागर)

अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक प्रश्न और है। मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि दो करोड़ के अवधि का यह कार्य है। एक करोड़ 52 लाख के आस-पास आपने खर्च कर दिये हैं। एक तो यह कार्य विभागीय मापदण्डों के अनुसार नहीं हुआ है और इस कार्य की क्या उपयोगिता थी, कोई फ्लड नहीं आयी। जब राजस्थान अन्वेषण ब्यूरो जांच करने गया तो मौके पर कार्य उपलब्ध नहीं है। इस कार्य में पचास तरह की खामियां बरती गयी हैं। लोहा जिस हिसाब से लाया गया था, उस हिसाब से लोहा नहीं लगाया गया है। खुदाई उस हिसाब से नहीं की गयी है तो मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करें कि इस कार्य की क्या उपयोगिता थी और विभाग ने कोई उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिया है क्या? और अगर दिया हो तो कृपया, सदन में रखें।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, उपयोगिता के दो अर्थ हैं। एक तो इसका वास्तव में क्या उपयोग था, जिसके कारण से यह बनाया गया और एक उपयोगिता प्रमाण–पत्र, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। उपयोगिता तो यह थी कि यह जो नाला चल रहा है, जयपुर के आस-पास के निवासी माननीय सदस्य भी हैं, उनको जानकारी है कि चौमूं क्षेत्र में महामाया को जो एक बड़ा पहाड़ है, उसके पीछे, उसके पानी से यह नाला चल रहा है और सामोद के इधर की तरफ से चलता हुआ पीछे की तरफ मोरीजा तक जाता है।

यह नाला अपना रास्ता बदल न दे और ज्यादा चौड़ा न हो जाए, उसकी रोकथाम के लिये जगह-जगह पर यह चैक डेम्स टाइप चीजें बनाने की व्यवस्था करने के लिये ही यह शुरू किया गया था। तो उपयोगिता तो यह थी। और जहां तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का सवाल है, मैं बता चुकी हूं कि यह डी.आर.डी.ए. के कामों में यू.सी. जारी करने का प्रावधान है, विभागीय कामों में यूटिलाइजेशन सर्टि–फिकेट जारी करने का कोई प्रावधान नहीं होता। जहां तक माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि वह तकनीकी समिति तो रिपोर्ट दे चुकी है तो आपने कार्यवाही क्यों नहीं की है। और उसकी रिपोर्ट पहले ही आनी चाहिये थी 98 में, और अभी 99 तक में आपने नहीं मंगायी है और 99 में आयी है। मैं आपको स्पष्ट लिख चुकी हूं और बता रही हूं, और लिखा हुआ नहीं है तो अभी जो मैंने पढ़ा है, उसमें साफ मैंने बताया है कि हमने उच्चस्तरीय तकनीकी समिति अन्वेषण ब्यूरो का सहयोग करने के लिये उनकी मांग पर उनके काम के लिये हमने कायम की थी। विभाग की तरफ से कोई कमेटी कायम नहीं है। यह सिर्फ अन्वेषण ब्यूरो चाहता था कि तक-नीकी कमेटी हमें अपनी जांच में मदद करे। इसलिए उनको सहयोग करने के लिये यह कमेटी बनायी गयी है। उन्होंने जो भी रिपोर्ट दी है, वह अन्वेषण ब्यूरो ने मांगी होगी, अन्वेषण ब्यूरो को दी होगी। अन्वे–षण ब्यूरो ही उसका लाभ लेगा अपनी रिपोर्ट बनाने में। विभाग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः मंत्री महोदया को निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग के अधिकारियों की कमेटी बनायी थी। यह बात सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने इस बात की मांग की थी। लेकिन आपके विभाग के अधिकारीगण ही उक्त कमेटी के सदस्य थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि ....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप बेवजह अनावश्यक प्रश्न कर रहे हैं। जिस रिपोर्ट का, जिस कमेटी के कार्य का विभाग से कोई ताल्लुक नहीं है; सिर्फ अन्वेषण ब्यूरो के लिये उसका उपयोग है। फिर आप प्रश्न पूछे जा रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : आप धमकाओ तो मत मंत्री महोदया। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : मंत्री महोदया, यह बात सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की सहायता के लिये बनायी थी कमेटी। लेकिन आपके विभाग के अधिकारियों ने जांच की है तो विभागीय तौर पर क्या आप ही के विभागीय अधिकारियों ने जांच की है..(व्यवधान)

श्रीमती कमला : अन्वेषण ब्यूरो के लिये उन्होंने जांच की हैं; हमारे लिये नहीं की है। न हमने उसको अपने लिये गठित की है। न उसकी रिपोर्ट हमारे लिये है। न उसका उपयोग हमारे लिये है। यह सिर्फ अन्वेषण ब्यूरो के उपयोग के लिये है। कृपया समझिये। और आप पूछ रहे हैं दूदू क्षेत्र में मोरीजा। दूदू क्षेत्र में तो कोई मोरीजा है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप इनको धमकाओ तो मत। एस.सी.क्लास का व्यक्ति है। यह मेरी पार्टी का आदमी है।

श्री बाबूलाल नागर : मैं निवेदन करूं मंत्री महोदया। +++ मैंने दूदू क्षेत्र में कहीं नहीं लिखा है। मेरे प्रश्न की कापी मैं साथ लाया हूं और मैंने इसमें दूदू क्षेत्र का कहीं भी हवाला नहीं किया है। इसमें मैंने लिखा है मोरीजा फ्लड प्रोटेक्शन पर (व्यवधान) कहीं विधान सभा क्षेत्र का नाम नहीं लिखा है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो प्राप्त हुआ है उसमें भाग एक में लिखा है विधान सभा क्षेत्र दूदू के मोरीजा फ्लड प्रोटेक्शन। अगर यह दूदू लिखा होने पर ही कह देते ....(व्यवधान) दूदू में कोई मोरीजा क्षेत्र नहीं है इसलिए इसका जवाब देना उपयुक्त नहीं है। लेकिन यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसका जवाब दिया।

श्री बाबूलाल नागर : माननीय मंत्री महोदया, बड़े अधिकारियों और राजनैतिक

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री बाबूलाल नागर)

लोगों का इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मेरा आपसे आग्रह है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग तो जो कार्यवाही उनको उचित लगेगी, अपने स्तर पर करेगा ही। लेकिन मैं आपसे इतनी जरूर मांग करता हूं कि आप अपने विभागीय स्तर पर, आपने विभाग के दो कामों में जब भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में प्रिलिमिनरी जांच चल रही है तो कम से कम ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, आपके विभाग को उनके खिलाफ आवश्यक रूप से कार्यवाही करनी चाहिये।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्रता से, बड़े संयम से आपसे निवेदन कर रही हूं कि विभाग में न तो कोई शिकायत प्राप्त हुई है, न विभाग ने इसको छेड़ा। सीधे ही पत्र की सूचना से अन्वेषण ब्यूरो ने यह केस दर्ज किये है और अन्वेषण ब्यूरो ही यह काम कर रहा है। अगर हम विभागीय जांच करते होते, तो आज माननीय सदस्य यह कहते कि आप अन्वेषण ब्यूरो से जांच करवाइये। आप तो खुद ही शामिल हैं। तो यह केस खुद ही अन्वेषण ब्यूरो कर रहा है तो एक अच्छी बात है। हम उसमें कहीं भी इन्वाल्व नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : जांच चल रही है। अन्वेषण ब्यूरो जांच कर रहा है। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामगोपाल बैरवा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह मामला चौमूं का है क्या मंत्री महोदया?

श्रीमती कमला : चौमूं क्षेत्र का है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसी लिए यह गड़बड़ी हो रही है।

श्रीमती कमला : इन्होंने यह दूदू का बनाकर पूछा है।

श्री बाबूलाल नागर : मैंने चौमूं का ही पूछा है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामगोपाल बैरवा।

श्री रामगोपाल बैरवा : प्रश्न संख्या-4।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : 4 कहां से आ गया।

श्रीमती कमला : पुराना स्थगित है, इसलिए चार ही है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22 मार्च, 1999)

इटावा व अयाना (कोटा) आंच की वितरिकाएं

4. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(1) क्या यह सही है कि दायीं मुख्य नहर से निकाली गयी इटावा व अयाना ब्रांच की डिस्ट्रीब्यूटरी व वितरिकाओं के अन्तिम छोर पर पानी नहीं पहुंचने से किसानों की फसलें बरबाद हो गयी हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे व विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? अन्तिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने के लिये कौन दोषी है ?

(2) क्या सरकार जिन किसानों की फसल बरबाद हुई, उनकी सिंचाई राशि माफ करने व ऋण वसूली स्थगित करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार उक्त नहरों की पर्याप्त सफाई व रिमोडलिंग का कार्य कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

सिंचाई मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) यह सही है कि टेल के कुछ क्षेत्रों में पानी की पर्याप्त उपलब्धि नहीं होने के कारण फसलों को क्षति हुई है, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(i) नहर में अत्यधिक खरपतवार होने से जल प्रवाह की गति कम हुई है।

(ii) नहर में पाइपिंग होना।

(iii) शीर्ष के कृषकों द्वारा अधिक पानी लेने तथा मोघे लगाने की प्रवृत्ति।

(iv) इस वर्ष अन्तिम छोर के कृषकों द्वारा अधिक पानी वाली फसलों (गेहूं) की बुवाई के कारण।

(v) इस वर्ष रबी की फसल के समय वर्षा का अभाव होने के कारण।

जनवरी, 99 में सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा जन–प्रतिनिधिगणों के साथ क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्रीय विकास आयुक्त, कोटा को नहरों की सफाई की गति बढ़ाने एवं पानी अन्तिम छोर तक पहुंचाने के सख्त निर्देश दिये गये। नहरों की सफाई समय से नहीं होने एवं पानी नहीं पहुचने बाबत जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिये जांच कराने के निर्देश दिये गये हैं।

(2) इस सम्बन्ध में राजस्थान सिंचाई एवं जल विकास नियम, 1955 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) इस कार्य हेतु अतिरिक्त धन उपलब्ध होने पर सफाई एवं रिमोडलिंग का कार्य किया जा सकेगा।

श्री रामगोपाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं खण्ड-एक में पूछा गया था इटावा और अयाना प्रान्त की डिस्ट्रीब्यूटरी और वितरिकाओं के अन्तिम छोर पर पानी नहीं पहुंचा है। आपने अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि अन्तिम छोर के किसानों तक पानी नहीं पहुंचा है और उसके कारण फसलें बरबाद हुई हैं। लेकिन फसल बरबाद होने के पीछे जो कारण

(श्री रामगोपाल बैरवा)

बताए हैं, वह कारण अस्पष्ट हैं । यदि आपका विभाग प्रयास करता, विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्य किया जाता, तो प्रतिवर्ष की जो समस्याएं हैं, जैसे खरपतवार की समस्या है, यह छोटी-छोटी समस्या प्रतिवर्ष आती थीं । इस वर्ष ऐसे कौन-से कारण पैदा हो गये जिसके कारण से किसानों की फसल बरबाद हुई है । खण्ड दो में जो बात पूछी गयी थी, क्या सरकार जिन किसानों की फसल बरबाद हुई है, उन किसानों की सिंचाई राशि माफ करने का और उनसे वसूली स्थगित करने का विचार रखती है ? आपने अपने उत्तर में कहा है कि इस सम्बन्ध में राजस्थान सिंचाई एवं जल विकास नियम, 1955 के तहत कार्यवाही की जा रही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से विशेष निवेदन करना चाहता हूं एक तरफ आपने उत्तर में 1955 का हवाला दिया है । दूसरी तरफ सिंचाई विभाग के पटवारी अपने रेवेन्यू रिकार्ड में जिन किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा और जिन किसानों ने अपना महंगा खाद, बीज डालकर के जो फसल बोई थी, उससे एक तरफ किसान बरबाद हो गया, फसलें सूख गयीं । और आपके पटवारी टीप करते जा रहे हैं कि इनके खेतों में सिंचाई हुई है । आप यहां से आदेश प्रसारित करें और जो पटवारी टीप कर रहे हैं, उन पर रोक लगायें । 1955 के तहत आप कब तक कार्यवाही करते हैं, यदि आपके पटवारी वसूली के कार्य को टीप कर लेते हैं । और दूसरा जो कारण था कि जो जी.एस.एस. की वसूली है या और जो अन्य तरह के बैंकों के ऋण हैं, जिन-जिन क्षेत्रों में किसान बरबाद हो गये हैं । वहां से किसान पलायन करने लगे हैं । क्या वहां पर ऋण वसूली स्थगित करेंगे ?

खण्ड–तीन में बात पूछी गयी थी, क्या नहरों की पर्याप्त सफाई और रिमोडलिंग का कार्य कराने का सरकार विचार रखती है ? मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं, और साथ ही साथ माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि 6 तारीख को आपका जो कोटा का कार्यक्रम था, हाड़ोती के एक-एक किसान ने और हाड़ोती के समस्त जनप्रतिनिधियों ने जो हाड़ोती की ज्वलन्त समस्या है, एक-एक परिवार की रोजी-रोटी इस सिंचाई विभाग से जुड़ी हुई है । वहां के जन प्रतिनिधियों ने माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने भी यह बात रखी है ।

श्री अध्यक्ष : शोर्ट करें । आपने पूछ लिया है ।

श्री रामगोपाल बैरवा : तो क्या वह पर्याप्त बजट, अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाकर ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न के तीनों भागों के सम्बन्ध में आपने काफी प्रश्न पूछ लिये हैं।

श्री रामगोपाल बैरवा : तीन बातों पर मैं निवेदन करना चाहता हूं.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका जवाब दे दूं तो आपका भी समाधान हो जाएगा।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जो मोडे लगाते हैं, क्या पानी टेल पर पहुंचता नहीं हैं ? तो मोडे हटाने की व्यवस्था तो विभाग की है। क्या आप स्टाफ बढ़ाकर मोडे लगाने वाली और लिफ्ट वाली कार्यवाही को रोकने के तुरन्त आदेश करवाएंगे ?

श्रीमती कमला : सही बात है। अध्यक्ष महोदय, जिन कारणों से लगभग 7901 एकड़ भूमि में पानी नहीं पहुंचने से फसलों की खराबी हुई है और जो कारण बताये हैं, वे अपने आप में ऐसे कारण हैं जिनको कि विभाग द्वारा समय–समय पर तत्परता के साथ प्रभावी ढंग से देख कर निराकरण करना चाहिये। जिससे कि न फसलों का इतना नुकसान हो और न किसान बरबाद हों, और न सरकार की तरफ से लापरवाही बरते जाने के आरोप यहां पर प्रस्तुत हों। इसलिए यह जो भी व्यवस्थाएं लागू नहीं की गयीं, जिनसे यह हुआ है इन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए तत्परता से तकाजे कर के इसकी व्यवस्था करायी जाने की कार्यवाही की जायेगी।

दूसरी बात जो आपने बताया कि सारे पटवारी, उनके बुवाई हुई हैं, कोई खेत खाली नहीं था, यह सारा किया जा रहा है, उनको रोका जाय। तीन तारीख को यहां से आदेश जारी किये जा चुके हैं राज्य सरकार की तरफ से, कि इस क्षेत्र में जहां पर टेल पर पानी नहीं पहुंचा है उस पूरे क्षेत्र में कोई भी सिंचाई दर की वसूली नहीं की जाय। यह चिट्ठी भी उन बैंकों को जारी की जा रही है कि इस तरह से इन क्षेत्रों के अन्दर सिंचाई नहीं हुई है। इसलिए चालू फसल का इनका जो ऋण की या उनकी जो बकाया वसूली है, उसको भी वो स्थगित करें। तो माफी का तो आदेश गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जा चुका है। एक असिस्टेंट कमिश्नर इस बात की जांच पर भी लगा दिया गया है कि विस्तृत ब्यौरा तैयार करे कि किन-किन किसानों के खेतों में टेल का पानी नहीं पहुंचा है। एरिया हमने आइडेंटिफाई कर के डिमार्केट कर लिया और उसके हिसाब से उनका माफी का आदेश कर दिया। लेकिन डिटेल में उनको जारी करने के लिए, और उसके लिए बैंक्स को लिखने के लिए भी वह कार्यवाही जारी की जा रही है।

तीसरा, जो खरपतवार है, मेंटीनेन्स की कमी है, इन सारे मामलों का पैसे से भी बहुत ताल्लुक है। पूर्व में पैसे की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हुई लेकिन फिर भी समय–समय पर पैसा दिया गया पर उसका उपयोग समय पर नहीं होने से यह समस्या उत्पन्न हुई। अभी इस वर्ष में हम यह कोशिश करेंगे कि नये बजट के अन्दर जो प्रावधान किये गये हैं, वे समुचित प्रावधान हैं। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को भी इसके लिए धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूं कि आर.एम.सी के रिपेयर और मेंटीनेन्स के लिए 70 लाख है, एल.एम.सी.के लिए 55 लाख हैं और री–मार्डलिंग के लिए आर.

(श्रीमती कमला)

एम.सी. के लिए एक हजार एक लाख है। और डिस्ट्रिब्यूटरीज के लिए 5907 रुपये का प्रावधान किया गया है। उस प्रावधान के तहत में, इस समस्या को बहुत दृढ़ता के साथ में समय रहते पूरा कराने की और व्यवस्था कराने की चेष्टा की जायेगी जिससे आगामी समय में यह समस्या उत्पन्न नहीं हो।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों की सारी फसल सूख गयी है क्या उन किसानों को मुआवजा दिया जायेगा ?

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि जो मुख्य समस्या है पानी नहीं पहुंचने की....(व्यवधान)....

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं—

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यह इसी क्षेत्र का मामला नहीं है, यह पूरे हाड़ौती क्षेत्र में जितनी नहरें हैं सब....

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत पूछ लिये।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, आया नहीं।

श्री हेमन्त कुमार : सिंचाई का जो मुख्य साधन है, टेल पर पानी नहीं पहुंचने का मुख्य कारण है कि पिछली सरकार ने नहरों की सफाई नहीं करवायी। उनमें पेमेंट कर दिया, उनको पैसा दे दिया गया लेकिन नहरों की सफाई नहीं हुई है। मुख्य मंत्री महोदय पहुचे....(व्यवधान)....

श्री मदन दिलावर : मेरे क्षेत्र की सारी नहरों पर 25 प्रतिशत पर भी पानी टेल तक नहीं पहुचा है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हजारों बीघा जमीन पड़ी हुई है।

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान) झालावाड़ क्षेत्र, बारां क्षेत्र में जहां 25 प्रतिशत भी पानी नहीं पहुंचा है.... (व्यवधान)....

श्रीमती ममता शर्मा : मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहती हूं क्या उनको कोई राहत कार्य कर के ऐसी कोई राहत दी जायेगी ? (व्यवधान) जिन किसानों के जेवर बिक चुके हैं, जिनकी महिलाएं बिलकुल बेघर हो गयी हैं और पलायन की स्थिति है.... (व्यवधान)....उनके बच्चों का क्या होगा?

श्री मदन दिलावर : सिंचाई की दरें माफ की जायेंगी ? (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इनके बारे में सरकार क्या कर रही है ? यह मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहती हूं।

श्री हेमन्त कुमार : जो पैसा आया था उसका उपयोग नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मदन दिलावरजी, स्प्रिंग लगी हुई है क्या ?

श्री मदन दिलावर : मेरे क्षेत्र का मामला है। लोग मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने मुआवजे की बात पूछ ली।

श्री मदन दिलावर : मेरा जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती ममता शर्मा।

श्रीमती ममता शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां नहरों की बहुत खराब हालत है और पिछली जो सरकार थी, उसके आठ साल में कुछ भी नहीं हुआ। वहां मोडर्नाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि किसान वहां से माइग्रेट कर रहा है और महिलाओं के जेवर बिक रहे हैं। महिलाएं, बच्चे और किसान बेघर हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगी कि क्या उनके लिए कोई राहत कार्य चलाये जायेंगे ? या किसी तरह से उनको हम रिलीफ दे पायेंगे ? उन किसानों को हमारी सरकार किस तरह से रिलीफ देगी ? उस टेल तक जहां तक पानी नहीं पहुंच रहा है उसके लिए अब क्या प्रावधान किया जा रहा है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, पहला बिंदु यह है कि उनको मुआवजा दिया जायेगा या नहीं। वर्तमान में जो नियम हैं उनमें मुआवजा दिये जाने का प्रावधान नहीं है। सिंचाई दरें माफ करने के और बैंकों के ऋण स्थगित करने का यही प्रावधान है इस तरह की स्थितियों में मुआवजा दिये जाने का प्रावधान करने बाबत चर्चा करने के उपरान्त ही मैं कुछ कह सकती हूं क्योंकि यह अन्य विभागों से भी जुड़ा हुआ मामला है। जहां तक राहत कार्य चलाने का सवाल है, जो डिटेल्ड सर्वे तत्परता के साथ में कराया जा रहा है, उसके आधार पर अकाल राहत विभाग को हम यह कोशिश करेंगे कि वो उनको भी किसी प्रकार से उसमें शामिल करे और आप भी अपनी तरफ से अकाल राहत मंत्रीजी को लिखें कि इस तरह की स्थितियां हैं और कलक्टर और कमिश्नर, कमाण्ड एरिया डवलपमेंट से भी हम कहेंगे कि वो एक रिपोर्ट तैयार कर के हम को भेजे, हम अकाल राहत विभाग को भेजेंगे जिससे कि उनको कुछ राहत कार्य प्रदान किये जा सकें।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक यह निवेदन था कि सी.ए.डी. क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र में भी नहरें हैं, उन क्षेत्रों से जहां पानी नहीं पहुंचा है...

श्री हेमन्त कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि जो बजट आपने स्वीकृत किया है, क्या उसका सदुपयोग हो पायेगा ?

श्री मदन दिलावर : केवल 25 प्रतिशत पानी पहुंचा है 75 प्रतिशत फसलें

(श्री मदन दिलावर)

सूख गयी हैं। क्या उनका भी सिंचाई का शुल्क माफ किया जायेगा ? यह मैं यह मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं।

श्रीमती कमला : आप अलग प्रश्न करेंगे तो मैं जवाब दूंगी।

श्री हेमन्त कुमार : क्योंकि पिछले टाइम में भी मुख्य मंत्रीजी कोटा पधारे थे। उन्होंने 20 लाख रुपये की मन्जूरी की, 20 लाख रुपये का सदुपयोग नहीं हो पाया। क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आपने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका सदुपयोग होगा ?

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, हजारों किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। माननीय मंत्री महोदया किसानों के प्रति गम्भीर नहीं हैं और मेरे प्रश्न का जवाब इस प्रकार से दे रही हैं जैसे कोई किसानों की दुश्मन हो गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हाथ जोड़ कर जानना चाहता हूं कि आखिर उन किसानों का क्या होगा जिनको 25 प्रतिशत...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न इटावा की डिस्ट्रिब्यूटरी के सम्बन्ध में है। आप पूरा हाड़ौती ले रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : हाड़ौती का है पूरा।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन स्पेसिफिक है कोई क्षेत्र के बारे में, इसलिए अब आप इसको व्यापक नहीं बना सकते।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यह तो पूरे सदन की प्रोपर्टी है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री जीतमल जी।

विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के आयुर्वेदिक औषधालय

137. श्री जीतमल (बागीदोरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में कुल कितने औषधालय कहां-कहां पर हैं ?

(2) सरकार के औषधालय खोलने के क्या–क्या मानदण्ड हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब–कब ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको अनुमति दे दी।

विधि मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) (राज्य मंत्री, आयुर्वेद के स्थान पर) : (1) बागीदौरा विधान सभा क्षेत्र में 23

(श्री खेतसिंह राठोड़)

आयुर्वेदिक एवं एक होम्योपैथिक, कुल 24 विभागीय औषधालय संचालित हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 'क' सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) राज्य सरकार द्वारा नवीन औषधालय खोलने का मानदण्ड निम्न प्रकार है :–(I) यथासंभव भवन व्यवस्था उपलब्ध होना आवश्यक है।

(II) अन्य राजकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो।

(III) लाभान्वित होने वाली जन–संख्या कम से कम 2000 हो।

(IV) सबसे आवश्यक बजट प्रावधान उपलब्ध हो।

(3) 1999–2000 का बजट पारित होने के पश्चात एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड में आने के उपरान्त से राज्य सरकार द्वारा नये औषधालय खोलने के निर्णय लिये जायेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री जीतमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो सूची सदन में रखी है, यह आयुर्वेदिक औषधालय जब देश आजाद हुआ होगा तब खुले थे। उसके बाद में अब तक मेरे विधान सभा क्षेत्र, बागीदौरा में एक भी औषधालय नया नहीं खुला है। और जहां आयुर्वेदिक औषधालय खुले हुए हैं वहां सब सेंटर मिल जायेगा, वहां पी. एच. सी. मिल जायेगा, वहां कोई न कोई छोटा–मोटा और औषधालय मिल जायेगा। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से लम्बा–चौड़ा है, वहां पर बिखरी बस्ती है। ऐसी बिखरी बस्ती में जहां अकस्मात् अगर किसी बाई को अपनी प्रसूती के लिए दौड़ कर कहीं जाना पड़ता है तो 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है और अगर वहां पर साधन उप–लब्ध नहीं है, तो उसको रास्ते में अपनी मौत के हवाले होना पड़ता है।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि 45 साल हो गये, बजट इसी तरीके से घटता-बढ़ता जा रहा है लेकिन हमारे इलाके के अन्दर आज भी चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बागीदौरा विधान सभा क्षेत्र में इस बार आप ध्यान रखोगे या नहीं? इसी बात के लिए मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठोड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है बहुत ही गम्भीर परिस्थिति है और आपके यहां पर 50-50 किलोमीटर दूरी में भी व्यवस्था नहीं है। इस बार 150 कुल मिलाकर के आयुर्वेदिक औषधालय और यूनानी औषधालय खोले जायेंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : 153 तो आप ही हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उस वक्त में आप परामर्श करें, और विचार किया जायेगा।

श्री जीतमल : आपसे तो परामर्श करते ही रहेंगे लेकिन आप निश्चित रूप से हमें आश्वस्त करें।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपने औषधालय खोलने के जो मानदण्ड निर्धारित किये हैं जिसमें प्रथम वरीयता इस बात को दी गयी है कि भवन उपलब्ध हो। क्या ट्राइबल सब प्लान एरिया में, आप काफी अनुभव रखते हैं, इस तरह की व्यवस्था संभव है? क्या भवन पहले उपलब्ध हो और उसके बाद औषधालय आप खोलें? और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो क्या यह नहीं माना जायेगा कि राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाना चाहती है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह मानदण्ड जिस वक्त आपकी सरकार थी उसी वक्त के तैयार किये हुए हैं। हम इसमें कुछ सुधार अवश्य करेंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : आप नहीं बदलना चाहते हैं क्या? आप हमारा अनुसरण करना चाहते हैं? अगर आप बदलना चाहते हैं तो ट्राइबल सब प्लान एरिया के लिए आपका मानदण्ड क्या होगा?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने कहा है न। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इनसे निवेदन किया है कि इन मानदण्डों को पिछली सरकार जो बी.जे.पी. की थी, उसी वक्त के हैं। फिर भी जो आपने अभी फरमाया है उसका ध्यान रखा जायेगा।

श्री नन्दलाल मीणा : आप बदलना चाहते हैं या नहीं? क्या हमारा अनुसरण करना चाहते हैं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कहा न हम ध्यान रखेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...(व्यवधान)

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : बदलने में समय तो लगेगा।

श्री नन्दलाल मीणा : आप पुलिंग को स्त्रीलिंग कर रहे हैं क्या?

श्री अध्यक्ष : भवन निर्माण की जो शर्त है वह लाजमी नहीं रखी है। संभवतया। जहां तक संभव हो, ठीक है।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि बांसवाड़ा जिले में, आदिवासी इलाके में जहां आयुर्वेद हास्पीटल्स खुले हुए हैं वहां पर सब सेन्टर हैं और कोई अस्पताल है, और उसी जगह पर वह भी हास्पीटल चल रहा है और नहीं के बराबर है। तो क्या आयुर्वेद हास्पीटल को दूर-दराज के इलाके में; जहां जरूरत है; वहां पर ट्रांसफर करने की मंशा रखते हैं आप?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यदि आपकी क्षेत्रीय जनता इस बात की इजाजत दे कि हमारे यहां पर आयुर्वेदिक औषधालय भी चल रहा है और एलोपैथिक भी चल रहा है या वहां पर पी.एच.सी. है, उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री जगत सिंह दायमा : इसका सर्वे करा लें।

श्री फतेह सिंह : सरकार सर्वे करवा–कर देख ले। सरकार अगर इरादा रखती है तो सरकार को सर्वे कराना पड़ेगा, जनता उसमें क्या देखेगी।

श्री जगत सिंह दायमा : जन प्रतिनिधि ये हैं, इन्हें क्या दिक्कत है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कई जगह ऐसे मामले आये हैं और जब आर्डर होते हैं तो जनता उसे वहां से हटने नहीं देती। जनता कहती है कि हमारे यहां तो दोनों ही रहने दीजिए। आपका प्रभाव है, आप इतने इंफ्लुएंसिव हो तो आप ऐसा प्रस्ताव लाइये इस पर विचार कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री बाबू लाल नागर (दूदू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्राम पंचायत सेवा की ओर..

श्री जगमाल सिंह यादव : जनता ने इनको हटा दिया। वहां से हास्पीटल नहीं हटा सकते।

श्री बाबू लाल नागर : ...आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछली सरकार द्वारा ग्राम पंचायत सेवा में आयुर्वेदिक औषधालय खोला गया था...

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं। प्रश्न केवल बागीदौरा का है। आपका सवाल इरेलेवेन्ट है।

श्री बाबू लाल नागर : मात्र ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। उसको चालू करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री बन्शीलाल गहलोत।

नगरपालिका क्षेत्र राजसमन्द का मास्टर प्लान प्रकरण

138. श्री बंशीलाल गहलोत (राजसमन्द) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगरपालिका क्षेत्र राजसमन्द में सड़कों के निर्माण हेतु पूर्व में मास्टर प्लान बनाने हेते सर्वे करवाया गया था? यदि हां, तो उस सर्वे का आधार क्या था?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सर्वे को लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के कारण उसका मूल आधार ही समाप्त हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व में हुए सर्वे को निरस्त कर नये सिरे से सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री बंशीलाल गहलोत)

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शांति कुमार धारीवाल) : (1) नगरपालिका क्षेत्र राजसमन्द का टाउन मैप बनाने हेतु नगर नियोजन विभाग द्वारा वर्ष 1996 में सर्वेक्षण करवाया गया था। इस सर्वेक्षण में विद्यमान सड़कों का आधार ढांचा यथा-संभव दर्शाया जाकर उक्त मानचित्र तैयार किया गया था। तत्पश्चात उपरोक्त टाउन मैप को ही आधार मानकर राजसमन्द के मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया गया है।

(2) जी नहीं। नगर के मानचित्र का आधार निर्मित सड़कें व अन्य विद्यमान नगरीय गतिविधियां ही थीं। अतः क्षैतिजिक वर्ष 2016 हेतु बनाये गये मास्टर प्लान प्रारूप में उक्त सर्वेक्षण के आधार पर उन सड़कों एवं अन्य गतिविधियों को समायोजित कर ही शहर का प्रारूप, मास्टर प्लान तैयार किया गया। इस प्रकार इस सर्वेक्षण का मूल आधार समाप्त नहीं हुआ है।

श्री बंशीलाल गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आपके जवाब से मैं संतुष्ट हूं। परन्तु पूर्व में जो मास्टर प्लान आया हुआ है, वह हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं है। जिस तरह की आबादी पिछले दस सालों में बढ़ी है, उसके अनुरूप नहीं है। क्या मंत्री महोदय पूर्व के मास्टर प्लान को रदद करते हुए नया मास्टर प्लाने बनाने का मानस रखते है हैं या नहीं ? अगर रखते हैं तो कब तक ?

श्री अध्यक्ष : हां, प्रश्न पूछ लिया। मंत्रीजी।

श्री शांति कुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, 1996 में सर्वे करवाकर टाउन मैप बनवाया गया और 1996 के बाद 30 दिन के लिए, 30 दिन का ऐसा पीरियड रखा जिसमें आब्जेक्शंस और सजेशंस इनवाइट किये जाते हैं। मैं आपके माध्यम से राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य महोदय से कहना चाहता हूं कि 30 दिन के अन्दर-अन्दर जो आब्जेक्शंस आ गये या जो सजेशंस आ गये, उन पर विचार किया जा रहा है। अभी यह अन्तिम रूप से प्रकाशित नहीं हुआ है और लागू भी नहीं हुआ है। वे जो सजेशंस आये हैं उन पर विचार चल रहा है। उन पर विचार खत्म होने के बाद ही उसको लागू करने का सरकार विचार रखती है।

श्री बंशीलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि पीरियड के दौरान अगर प्रपोजल नहीं आये हैं, हम नये प्रपोजल देना चाहेंगे क्या आप उन्हें एड करोगे ?

श्री शांति कुमार धारीवाल : सीमा समाप्त होने के बाद किसी प्रकार के सुझाव पर और किसी प्रकार के आब्जेक्शंस पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री शंकर लाल अहारी : अध्यक्ष महोदय,....

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अहारीजी, पहले आपने हाथ खड़ा किया था क्या ?

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जिन–जिन भी शहरों में मास्टर प्लान लागू है या मास्टर प्लान का प्रारम्भिक स्वरूप जो बनता है उसके बाद एक बार मास्टर प्लान लागू हो जाए और उसके बाद टाउन प्लानिंग वाले....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न राजसमन्द के मास्टर प्लान का है और आप पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं। आप इसी प्रश्न की मर्यादा में रहिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय मेरा यह निवेदन है कि मास्टर प्लान लागु होने के बाद आप कह रहे हैं कि नया प्रपोजल दिया या उसको हम पूरा कर नहीं सकते लेकिन आपके टाउन प्लानिंग वाले समय–समय पर उसको बदल देते हैं। कोई व्यावसायिक जमीन है तो उसको निकाल देते हैं, कोई हास्पीटल की जमीन है, तो उसको निकाल देते हैं। यह सब निकल चुका है, तो फिर आपके पास रहा क्या ?

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आपने पूछ लिया। श्री शंकर लाल अहारी, आप कोई प्रश्न पूछ रहे थे ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है, यह बहुत गम्भीर मामला है पूरे राजस्थान में। मेरा यह निवेदन है कि मास्टर प्लानिंग वाले (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी समझ रहे हैं, आपकी गम्भीरता को वे महसूस कर रहे हैं। एक सप्लीमेंट्री यह पूछ रहे हैं। दोनों का साथ जवाब दे दें। मंत्रीजी को उत्तर देना है।

श्री शंकर लाल अहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वर्ष 1996 में अगर यह मास्टर प्लान बनाने की कार्यवाही की, हमारी यह इच्छा है कि जो पूर्व में मास्टर प्लान तैयार किया गया है, वह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है। हम जहां चाहते थे वहां न तो सड़कें ली हैं और इनके मनमाने ढंग से प्लान अंकित कर दिया गया है। इस लिए क्या माननीय मंत्रीजी पुनः विचार करते हुए क्या हम कुछ हमारा प्रस्ताव आपके सामने रखेंगे, क्या इसमें आप जोड़ेंगे ?

श्री जगत सिंह दायमा : कल इनकी कोई और इच्छा हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी उत्तर दे चुके हैं कि जो समय अवधि थी आपके सजेशंस और आब्जेक्शंस की वह समाप्त हो चुकी है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय. समय निकलने के बाद मास्टर प्लान में परिवर्तन कर रहे हैं।(व्यवधान)

श्री बंशीलाल गहलोत : पहले जो मास्टर प्लान बना वह प्रभावशाली व्यक्तियों की जमीन के आधार पर बन गया। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वे उससे काफी

(श्री बंशीलाल गहलोत)

नुकसान में रहे हैं, और उससे मास्टर प्लान में जो सेकण्ड रोड मिलनी चाहिए राजसमंद को, दूसरी रोड नहीं मिलेगी। केवल एक ही रोड है महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब दे दिया है। श्री चन्द कृपलानी ने जो पूरक प्रश्न पूछा है उसके सम्बन्ध में आप उत्तर देना पसन्द करेंगे ?

श्री बंशीलाल गहलोत : हमारे प्रश्न का जवाब भी दिलवाओ।

श्री अध्यक्ष : व्यापक पूछा है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा से आने वाले सदस्य महोदय ने जो बात कही है कि मास्टर प्लान में वक्त-वक्त पर तब्दीलियां होती रहती हैं। यह सत्य है। मास्टर प्लान में समय के अनुसार भू-उपयोग चेन्ज होता रहता है और उसके लिए एक निर्धारित समिति बनी हुई है और वह समिति ही इस बात का फैसला लेती है। जहां तक राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एग्जिस्टिंग फैसेलिटीज हैं, रोड नेटवर्क है, स्कूल है, एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं, अस्पताल हैं, कोलेजेज हैं और बस्तियां हैं तथा मेन बाजार है, इनके मूलभूत आधार में किसी प्रकार का चेन्ज नये मास्टर प्लान में नहीं किया जाता है। नया मास्टर प्लान सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि बढ़ती हुई आबादी के लिए क्या कुछ अच्छी व्यवस्था जुटाई जा सकती है, उसके भू-उपयोग के लिए नया मास्टर प्लान बनाया जा सकता है।

मैं यह समझता हूं कि माननीय सदस्य महोदय ने जो बात उठाई है वह, मैंन मकसद इस बात का है कि रोड्स, जो स्टेट हाई-वे के ऊपर दोनों तरफ मार्बल प्रोसेसिंग यूनिट्स लगी हुई हैं, उनके लिए नये मास्टर प्लान में एक अलग इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित किया गया है। उनको यह डर है कि हमें यहां से हटाकर के वहां पर ले जाया जाएगा। तो वो तो ले जाया जाएगा अध्यक्ष महोदय, उसका कोई चारा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वश्चन। श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री बंशीलाल गहलोत : मेरा निवेदन डबल रोड से था। एक रोड और देने का था। वह एक रोड नये मास्टर प्लान में है ही नहीं। उसमें एक रोड और देने की बात थी।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न मैंने काल कर लिया है।

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में चेजा पत्थर की खानें

139. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में चेजा पत्थर की खानें कहां कहां हैं ? उक्त खानों की लीज किस किस को कब-कब से दी हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खनिज (श्री हीरालाल इन्दौरा) : विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में चेजा पत्थर के तीन खनन पट्टे दिये हुए हैं जिनके संबंध में वांछित सूचनाएं संलग्न परिशिष्ट "अ" में दी गयी है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खनिज मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र 85 किलोमीटर बाई 60 किलोमीटर क्षेत्र डाइमेंशन में है और उसमें आपने तीन खनन पट्टे दिये हैं चेजा पत्थर के लिए। मेरा निवेदन है कि आज मेरे निर्वाचन क्षेत्र की यह स्थिति है कि आम आदमी को मकान बनाने के लिए पत्थर बहुत दूर दूर से, भरतपुर से और खेड़ली से लाना पड़ता है। और हमारे यहां जो आपने तीन खनन पट्टे लीज पर दिये हैं 100 मीटर बाई 100 मीटर डाइमेंशन के, वह खानें यूजफुल नहीं हैं। उनमें कोई खनन कार्य संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य आवेदकगणों ने जो आवेदन किये हैं, उस पर आपके विभाग ने विचार नहीं किया।

ऐसी स्थिति में फोरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी जो बैलगाड़ियों से और जो ट्रैक्टर ट्राली से किसान और गरीब मजदूर वर्ग और अन्य जो भी व्यक्ति, आम आदमी मकान बनाना चाहता है, वह पत्थर लेने जाता है तो उसको एक हजार रुपये, दो हजार रुपये फोरेस्ट के लोग फाइन करते हैं यह कहकर कि आपने यह पत्थर फोरेस्ट से निकाले हैं। और आये दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं।

ऐसी स्थिति में राजस्थान का माइन्स डिपार्टमेंट, मेरा निर्वाचन क्षेत्र और अन्य सभी जगह ज्यादा से ज्यादा एरिये में पर्याप्त खनन पट्टे वितरित करें ताकि आम आदमी को पूरे राजस्थान में जो रोजाना की रोजाना मकान बनाने के लिए या चेजा पत्थर की जरूरत के लिए खोदने पर मनाही है, उससे जनता का कष्ट दूर हो। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जिन आवेदकगणों ने एप्लाई किया; उनको जल्दी से जल्दी कब खान के पट्टे दे रहे हैं ताकि जिससे कि यह दुविधा सुविधा से बदल सके। इसका जबाब दीजिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मामला उठाया है कि मेरे क्षेत्र में सिर्फ तीन खनन पट्टे दिये हुए हैं और 85×60 किलो मीटर का उनका एरिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रक्रिया है उसमें यह है कि जिसको माइनिंग लीज चाहिए, वह पहाड़ी का नक्शा और एप्लीकेशन विभाग को देता है। और देने के बाद में विभाग उनसे आग्रह करता है कि आप फोरेस्ट की एन.ओ.सी.; रेवेन्यू की एन.ओ.सी. दें। बाद में विभाग

(श्री हीरालाल इन्दोरा)

उनको माइनिंग लीज अलाट करता है और उसका एग्रीमेंट करवाता है।

माननीय सदस्य जिस प्रकार कह रहे हैं माइंस विभाग में एप्लीकेशंस पेण्डिंग हैं, मेरे नोटिस में अभी तक कोई एप्लीकेशन ऐसी नहीं आयी, जो पेण्डिंग है। और पेण्डिंग हैं तो यदि उनकी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, फार्मेलिटीज पूरी हो गयीं, तो उनको अलाट कर दी जाएगी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने मूराकतला, कोलाना, एचएडी. मिवाई और लीलोद इनमें आपका जो माइंस का एरिया है, उसके लिए एप्लीकेशन दे रखी है। पूर्व सरकार के समय में भी वह एप्लीकेशन पेण्डिंग थी और उन एप्लीकेशन्स को डिस्पोज आफ नहीं किया जा रहा है और आम जनता की जो परेशानियां हैं वह लगातार बढ़ रही हैं। आप विश्वास दें कि जो पेण्डिंग एप्लीकेशन्स हैं उनको कब तक डिस्पोज आफ कर दिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न आ गया अब आप बैठिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैंने नाम भी बता दिये कि किस किस एरिया की पेण्डिंग पड़ी हैं।

श्री हीरालाल इन्दोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि एप्लीकेंट मांगता है तब ही उनको माइनिंग लीज देते हैं चेजा पत्थर की। विभाग के द्वारा कोई ऐसा एरिया निर्देशित नहीं है जो कि हम अपनी तरफ से करें। यदि यह कहते हैं माननीय सदस्य कि इतनी पेण्डिंग हैं, किस कारण से वह पेण्डिंग हैं और उन्होंने फोरेस्ट की एन.ओ.सी. दी या नहीं, रेवेन्यू की एन.ओ.सी. दी या नहीं। या तो जितनी फार्मेलिटीज होनी चाहिए थी वह यदि है तो हम उनकी जांच करके उनको निश्चित तौर पर माइनिंग लीज अलाट करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी।

उपखण्ड सिणधरी/गुढ़ामलानी/धोरीमन्ना के काश्तकारों के लंबित कृषि कनेक्शन प्रकरण

140. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के उपखण्ड सिणधरी, गुढ़ामलानी एवं धोरीमन्ना के काश्तकारों की डिमांड राशि जमा होने के बाद भी कृषि कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार अब कब तक उक्त कनेक्शन जारी कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि कई वर्षों से काश्तकारों के उक्त कनेक्शन नहीं किये जाने की वजह से फसल का नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या विद्युत मण्डल

(श्री हेमाराम चौधरी)

उपरोक्त काश्तकारों को मुआवजा देगा और नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) जी नहीं। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के सिणधरी; धोरीमन्ना व गुढ़ामलानी के उपखण्डों में वर्ष 1998-99 में निर्धारित कृषि नीति के अनुसार क्रमश: 130, 80 तथा 153 कृषि कनेक्शन दिये गये हैं। शेष रहे आवेदकों के जिनके मांग पत्र की राशि जमा है, को इस वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता से कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं। विद्युत कनेक्शन वार्षिक नीति एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मण्डल द्वारा दिये जाते रहे हैं। अत: इस सम्बन्ध में मुआवजा देने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा था कि कितने काश्तकारों के डिमांड की राशि जमा हो चुकी है और उनको अब तक कनेक्शन नहीं मिले हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 1998-99 का ही बताया सिर्फ, मैं निवेदन करना चाहूंगा 1994-95 के काश्तकारों के डिमांड के पैसे जमा हैं और उनको अब तक कनेक्शन नहीं मिला है। आप यह बता दें कि सामान्य और नर्सरी, दोनों श्रेणी के काश्तकारों के किस किस साल के कितने-कितने कनेक्शन बकाया हैं ? जिनके डिमांड के पैसे जमा हैं, उनके डिमांड के पैसे जमा होने के बाद आज दिन तक उनको कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया है जब उनको आज दिन तक नहीं दिया गया तो उससे क्या इतने साल, 1994-95 में पैसे जमा करा दिये और आज दिन तक कनेक्शन नहीं हुआ। तो कितने साल की फसल से वह काश्तकार महरूम रहा ? और फसल से महरूम रहा तो उस काश्तकार को क्या हर्जाना नहीं हुआ ? और जब हर्जाना हुआ है तो फिर उसके आप कनेक्शन के मुआवजे के बारे में विचार नहीं करते हैं। ...

(12.00 बजे)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने सवाल किया है, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि सिणधरी क्षेत्र में 31-3-98 तक सामान्य के 8 और विशेष सामान्य के 8, अनुसूचित जाति के 9 और नर्सरी के 1 कनेक्शन के लिए एप्लाई किया गया। 1-4-98 से 28-2-99 तक सामान्य के 68, विशेष सामान्य का कोई नहीं, अनुसूचित जाति के 5 और नर्सरी के 107 इनमें से सामान्य में दिये गये कनेक्शन 27, विशेष सामान्य में 8 में से 7; अनुसूचित जाति में 14 में से 12, नर्सरी में कुल 108 में से 84। कुल मिलाकर 206 में से 130 कनेक्शन दिये जा चुके हैं। गुढ़ामलानी क्षेत्र में जमा मांग-पत्र 21-3-98 तक सामान्य 47 और 1-4-98 से 28-2-99 तक 17, विशेष सामान्य में 14; अनुसूचित जाति में कोई बकाया नहीं है और 1-4-98 से 28-2-99 तक 9 और नर्सरी में पहले का कोई बकाया नहीं है। 1-4-98 से 28-2-99 तक 5।

अध्यक्ष महोदय; इनमें से सामान्य में 6 कनेक्शन दिये गये। विशेष सामान्य में

(डा. चन्द्रभान)

14 में से 12, अनुसूचित जाति के 9 में से 7 दिये गये और नर्सरी के 5 में से 5 दिये गये। कुल मिलाकर 30 कनेक्शन रिलीज हुए, दिये गये। धौरीमन्ना में 31–3–98 तक सामान्य में 109 और 1–4-98 से 28-2-99 तक 276। विशेष सामान्य में 86 और 38, अनुसूचित जाति में 16 और 6, नर्सरी में पहले कोई नहीं बाद में 59, इनमें से सामान्य में केवल 24 कनेक्शन दिये गये। विशेष सामान्य में 58 दिये गये। अनुसूचित जाति के 22 में से 16 दिये गये और नर्सरी के 59 में से 55 दिये गये। कुल मिलाकर 590 में से 153 दिये गये।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जिनसे नर्सरी में, सामान्य में, विशेष सामान्य योजना में डिमांड नोट के पैसे तो जमा कर लिये गये और उन्हें कनेक्शन नहीं दिये जा सके। इसकी वजह यह है, अध्यक्ष महोदय, 1998-99 के लिए 25 हजार कनेक्शन देने की सरकार ने बात कही थी। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूर्व सरकार के वक्त में जब 25 हजार कनेक्शन की व्यवस्था थी तो 60 हजार से ज्यादा लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया जिनके मांग-पत्र जारी कर दिये और बहुतों के मांग-पत्र के पैसे जमा हो गये और आज भी अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति है कि 31 मार्च, 1999 तक हमने जो 25 हजार की संख्या थी उससे भी ज्यादा कनेक्शन किसानों को दे दिये हैं। लेकिन सामान्य श्रेणी में करीब साढ़े चार हजार और नर्सरी में 17 सौ, कहने का मतलब सवा छह हजार कनेक्शन ऐसे हैं जिनको हम कनेक्शन नहीं दे पाये हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि जिन किसानों के डिमांड नोट के पैसे जमा हैं, पहले के जितने बकाया हैं, उन्हें 30 अप्रैल, 1999 तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे। और आगे के लिए भी जो नई कृषि नीति हमने बनायी है, उसमें हमने यह व्यवस्था की है कि अध्यक्ष महोदय, जिस किसी किसान के डिमांड नोट के पैसे जमा हो जायेंगे उसे 60 दिन के अन्दर कनेक्शन देना होगा। नहीं तो सम्बन्धित अधिकारी, ए. ईएन., एक्स. ईएन., एस. ई. है उसकी जिम्मेदारी निश्चित की जायेगी।

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय मैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हो गया। नहीं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : चन्द्रभानजी, जिनके डिमांड नोटिस जमा है अभी किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मैं ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इन्होंने बात कही है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे। प्रश्नकाल समाप्त बहुत पहले हो गया है, 3 मिनट ऊपर चले गये हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : जिनके डिमांड नोटिस जमा हुए है 6-6 महीने हो गये, 4 महीने से एक भी कनेक्शन नहीं हुआ वहां पर।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। प्रश्नकाल समाप्त।

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला झुंझुनूं के कुओं के जल-स्तर में कमी

134. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला झुंझुनूं में गत तीन वर्षों में कुओं का जल स्तर करीब 15 फीट नीचे चला गया है ?

(3) क्या सारे गांवों में कुएं सूखने से मीठा पानी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान में सूखे कुओं को गहरा करने की योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जल स्तर काफी नीचे गया है।

(3) कुएं सूखने से मीठे पानी के मिलने की मात्रा काफी कम हुई है। लेकिन विभाग निरन्तर कुओं को एवं हैण्डपम्पों को गहरा कराने में लगातार प्रयत्नशील है। जहां भी जल स्तर नीचे गया है वहां कुएं एवं हैण्डपम्पों को गहरे किये गये हैं एवं कराये जा रहे हैं। जहां भी ऐसी स्थिति विभाग के समक्ष उपस्थित होती है। विभाग शीघ्र निर्णय करके मीठे पानी की उचित व्यवस्था करने का प्रयास करता है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में राजस्व घाटे की पूर्ति

179. श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1994-95 से 1998–99 तक रखे गए आय-व्ययक अनुमान में कौनसे नये कर लगाए गए एवं किन–किन में घटाए गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कर कम करने से आय में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कमी/वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो किस-किस में कितनी ?

(3) क्या 23 हजार करोड़ के ऋण की पूर्ति हेतु सरकार कोई प्रस्ताव लाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) राजस्थान वाणिज्यिक कर विभाग के अन्तर्गत वर्ष 94-95 से 98-99 तक निम्न प्रकार से नवीन कर लगाये गये घटाये गये :–

अ. लगाये गये नवीन कर निम्न प्रकार है :-

1. राजस्थान विलासिता कर (तम्बाकू एव उसके उत्पाद) अधिनियम 1994 के अन्तर्गत तम्बाकू एवं उसके उत्पाद पर वर्ष 94-95 से नवीन कर लगाये गये ।

2. राजस्थान विलासिता कर (होटल एवं आवास स्थल), अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत वर्ष 97-98 में नवीन कर लगाये गये ।

ब. निम्नलिखित में वर्ष 94-95 से 98-99 तक कर घटाये गये :–

वर्ष 94-95

कृषि :

(क) ज्वार, बाजरा तथा मक्का को पूर्णतया कर मुक्त किया गया ।

(ख) सभी प्रकार के प्रमाणित बीज कर से मुक्त किये गये ।

(ग) चारे के बीजों को भी कर मुक्त किया गया ।

(घ) डीजल इन्जिन/वाटर पम्प (10 हार्स पावर तक) की कर दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया ।

(ङ) चने की कर दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत किया गया ।

(च) मुर्गी पालन के समस्त उत्पाद कर मुक्त किये गये ।

उद्योग:

(क) तेल निर्माण में प्रयुक्त तिलहन को कर से मुक्त किया गया ।

(ख) शत प्रतिशत निर्यात मूलक औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु प्लांट एवं मशीनरी को कर से मुक्त किया गया ।

(ग) दूर संचार एवं इलेक्ट्रोनिक माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल की कर दर को 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया ।

(घ) औद्योगिक विकास एवं अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरणों को कर से मुक्त किया गया ।

(वित्त मंत्री)

(ङ) विक्रय कर प्रोत्साहन/आस्थगन योजनाओं का लाभ सह–उत्पादों के लिये भी दिया गया।

(च) हस्त शिल्प की वस्तुओं की कर मुक्ति की सीमा का 200 रुपये प्रति नग से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति नग किया गया।

(छ) छातों की कर दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया।

(ज) कच्चे माल के रूप में इसबगोल की दर घटाकर 1 प्रतिशत की गई।

(झ) महिला उद्यमियों द्वारा टाईनी सेक्टर में स्थापित नई इकाइयों के उत्पादों को तीन वर्ष के लिये कर से मुक्त किया गया।

जन साधारण :

(क) सभी प्रकार के कागज की दर 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की गई।

(ख) 100 रुपये तक के जूते (चमड़े को छोड़कर) कर मुक्त किये गये।

(ग) 100 रुपये तक की रेडीमेड व होजरी उत्पाद कर मुक्त किये गये।

(घ) कैन्सर निरोधी दवाइयां कर मुक्त।

(ङ) किडनी प्रत्यारोपण में प्रयुक्त दवाईयां कर मुक्त।

(च) सभी प्रकार के बत्ती वाले स्टोव कर मुक्त।

(छ) प्लास्टिक से बने टिफिन बाक्स व पेन्सिल बाक्स कर मुक्त

व्यापार :

(क) सभी प्रकार के मोटर वाहनों की कर दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की गयी।

(ख) सभी प्रकार के दुपहिया मोटर वाहन पर कर की दर 12 से घटाकर 6 प्रतिशत की गयी।

(ग) पीवीसी पाइप्स फिटिंग व प्लास्टिक पाइप की कर दर 12 से घटाकर 10 प्रतिशत की गयी

(घ) इन्सूलेटिंग सामान की कर दर 12 से घटाकर 10 प्रतिशत की गयी।

(ङ) कास्ट आइरन की कर दर 10 से घटाकर 4 प्रतिशत की गयी।

वर्ष 95–96

कृषि :

(क) ईसबगोल को कर मुक्त किया गया।

(ख) गन्ना, जीरा, वाटर पम्प सैट की कर दर 2 प्रतिशत की गयी।

(ग) दूध को अंतर्राज्यिक विक्रय में कर मुक्त किया गया।

(वित्त मंत्री)

उद्योग :

(क) 31 मार्च, 1997 तक स्थापित नये उद्योगों की प्लांट मशीनरी कर मुक्त ।

(ख) कर चुके गेहूं से बने मैदा सूजी कर मुक्त ।

(ग) पैकिंग मैटरियल के लिये विक्रय कर प्रोत्साहन/प्रास्थगन योजनाओं का लाभ

(घ) रसायन तथा नील पर कर की दर 10 से घटाकर 4 प्रतिशत की गयी ।

(ङ) वैल्डिंग इलेक्ट्रोड्स की कर दर 10 से घटाकर 6 प्रतिशत की गयी ।

(च) एच.डी.पी.ई. एवं नान वूवन फैब्रिक की कर दर 10 से घटाकर 6 प्रतिशत की गयी ।

(छ) नेप्था की कर दर 10 से घटाकर 2 प्रतिशत की गयी ।

जन साधारण :

(क) खुली चाय की कर दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया।

(ख) खेल सामग्री एवं सोने चांदी के आभूषण के कर दर को घटाकर 2 प्रतिशत किया गया ।

(ग) सभी प्रकार के आयुर्वेदिक उत्पाद की कर दर को 10/12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया ।

व्यापार :

(क) टेलीफोन, ई.पी.ए.बी.एक्स फैक्स पेजिंग सिस्टम, इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज की कर दर 10 से घटाकर 4 प्रतिशत की गयी ।

(ख) खादी बोर्ड अथवा कमीशन में पंजीकृत व्यवहारियों एवं संस्थाओं का वार्षिक टर्न ओवर 30 लाख तक को कर मुक्त किया गया ।

वर्ष 96-97

कृषि :

(क) टैक्टर के टायर-ट्यूब की कर दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की गई ।

(ख) डीजल एवं वाटर पम्पिंग सैट के पुर्जों की कर दर 10 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गयी ।

(ग) पी.वी.सी. एवं एच.डी.पी.ई. पाईप की कर दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया ।

उद्योग :

(क) खाद्य तेल की कर दर को राज्य में 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया ।

(ख) हस्त औजार की कर दर को 10

(वित्त मंत्री)

प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया।

(ग) सोप स्टोन की कर दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया।

(घ) प्लास्टिक ग्रेन्यूल की कर दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया।

(ङ) अभ्रक को कर मुक्त किया गया।

(च) स्टेनलैस स्टील को आर्टिकल की कर दर को 16 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया।

(छ) खल की अन्तर्राज्यिक कर दर को 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया।

(ज) नमदा की अन्तर्राज्यिक विक्रय की कर दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया।

(झ) अग्निशमन को कर मुक्त किया गया।

(ण) ग्रेनाइट की कर दर 16 से 12 प्रतिशत की गई।

जन साधारण :

(क) बर्फ की कर दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया।

(ख) पानी के नारियल को कर मुक्त किया गया।

(ग) कत्था को कर मुक्त किया गया।

(घ) वाद्ययंत्र भी कर मुक्त किये गये।

(ङ) शिशु आहार की कर दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया।

(च) सिलाई की मशीन की कर दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया।

(छ) कटलरी वस्तुओं की कर दर को 10 से 6 प्रतिशत किया गया।

व्यापार :

(क) मोटर पार्ट की कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया।

(ख) बिजली फिटिंग से सम्बन्धित सॉकेट, किट-किट फ्यूज, बल्ब होल्डर, सिलिंग रोज इत्यादि की कर दर को वर्ष समाप्ति तक 12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया।

(ग) खिलौनों की कर दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया।

(घ) हाइड्रोलिक ऐस्केवेटर, डम्पर व मोबाइल क्रेन की कर दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 किया गया।

(ङ) खादी संस्थाओं की कर मुक्ति की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया गया।

(वित्त मंत्री)

वर्ष 1997-1998

कृषि:

(क) ट्रैक्टर की ट्रोली को कर मुक्त किया गया।

(ख) फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के पार्टस (पाइप को छोड़ कर) जो 6 प्रतिशत से कर योग्य थे, को कर से मुक्त किया गया।

(ग) ग्वार की कर दर को 4 प्रति-शत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया।

(घ) अरण्डी के तेल की कर दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया।

उद्योग :

(क) लोहा एवं इस्पात रोलिंग मिलों के कच्चे माल की कर दर 1.5 प्रतिशत को समाप्त किया गया तथा आईरन एण्ड स्टील की अन्तर्राज्यिक बिक्री कर की दर को 4 प्रतिशत घटाकर 2 प्रतिशत किया गया।

(ख) सोल्वेंट एक्सट्रेक्टेड आयल व अन्य अखाद्य तेल को वनस्पति घी निर्माण के लिए खाद्य तेल के समान कर दर में रियायत दी गई।

(ग) 31 मार्च, 1998 तक उत्पादन आरम्भ करने व 50 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने वाली सूती धागे की नई इकाई को पांच वर्ष तक कपास कर मुक्त करने की सुविधा प्रदान की गई।

(घ) प्लास्टिक पाउडर तथा प्लास्टिक कलर मास्टर बैच की कर दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई।

(ङ) टिन के कनस्तर व डिब्बे बनाने हेतु कच्चे माल के रूप में टिन प्लेट की कर दर को 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रति-शत किया गया।

(च) कच्ची ऊन को वूलन कारपेट यार्न के राज्य में विनिर्माण हेतु कर मुक्त किया गया।

(छ) सभी प्रकार की औद्योगिक गैस; एस.डी.पी.ई. फैब्रिक की कर दर को घटा कर 4 प्रतिशत किया गया।

जन साधारण :

(क) केरोसिन तेल की कर दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया गया।

(ख) माचिस की कर दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की गई।

(ग) बिस्कुट तथा कन्फेक्शनरी की कर दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया गया।

(घ) सभी प्रकार के स्टेशनरी आई-टमों की कर दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया।

(वित्त मंत्री)

(ङ) देशी घी एवं मक्खन की कर दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया।

(च) एक्स-रे फिल्म व डिस्पोजेबल सिरिंज की कर दर को 8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया।

(छ) सभी प्रकार के चश्मों की समान कर दर 4 प्रतिशत की गई।

(ज) आक्सीजन गैस की कर दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया।

(झ) 400 रुपये मूल्य तक की घड़ियों की कर दर समान रूप से 8 प्रतिशत की गई।

(ञ) ऑडियो एवं वीडियो कैसिट की कर दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया।

(ट) चाय की समान रूप से कर दर 6 प्रतिशत की गई।

व्यापार :

(क) फोटोग्राफिक कैमरा, इनके पुर्जे, लैन्स और प्लेट की कर दर 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत की गई।

(ख) लिनोलियम तथा लेमिनेटेड शीट एवं सिन्थेटिक एडहेसिव को 16 से 12 प्रतिशत की कर दर की गयी।

वर्ष 1998-1999

कृषि :

(क) पानी के पम्प सैट में प्रयुक्त होने वाले होज-कालर, साकिट, कनेक्टर, क्लिप, निपिल, फुट-वाल्व तथा डेल्टा स्टार्टर व पार्ट की कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया।

(ख) 10 अश्व शक्ति तक के डीजल इन्जिन तथा सेन्ट्रिफ्यूगल वाटर पम्प तथा इनके पार्ट को कर से मुक्त किया गया।

(ग) कपास की कर दर 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत की गई।

उद्योग :

(क) मार्बल की कर दर 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत वर्ष समाप्ति तक की गई।

(ख) आटोमोबाइल बाडी की कर दर 12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत वर्ष समाप्ति तक की गई।

(ग) रंगाई छपाई में प्रयुक्त डाइज डाई-स्टफ, नील व इमली के बीज के पाउडर की कर दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया।

(घ) कच्चे माल के रूप में बुलियन एम.एम.टी.सी., एस.बी.आई. अथवा अन्य अधिकृत बैंक से क्रय करने पर कर की दर 2 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत की गई।

(वित्त मंत्री)

(ङ) प्लास्टिक स्क्रेप की कर दर 4 प्रतिशत से व प्लास्टिक कम्पाउण्ड की कर दर 12 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई।

(च) वेल्डिंग इलेक्ट्रोड व रोड की कर दर 10 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई।

(छ) खाल व चमड़ा की कर दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया।

(ज) नई शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी व्यापारगम इकाइयों को कच्चा माल कर मुक्त खरीदने की सुविधा 31 मार्च, 1999 का उत्पादन प्रारम्भ करने पर भी देय होगा।

(झ) सभी प्रकार की औद्योगिक गैस, एस.डी.पी.ई. फैब्रिक की कर दर को घटाकर 4 प्रतिशत किया गया।

जन साधारण :

(क) बधाई संदेश, वैवाहिक निमंत्रण एवं सभी प्रकार के मुद्रित कार्ड की कर दर को 12 से घटाकर 4 प्रतिशत की गयी।

(ख) चावल का पोहा की कर दर 12 से घटाकर 4 प्रतिशत की गयी।

(ग) सोंठ, इलायची; लौंग; दालचीनी, इमली तथा औषधी वनस्पति पर कर की दर 12 से घटाकर 4 प्रतिशत की गयी।

(घ) मिर्च, धनिया, सोफ, हल्दी, मैथी, अजवाइन, सुआ, अमचूर व कायोडी की कर दर 6 से घटाकर 4 प्रतिशत की गयी।

(ङ) पानी एवं बिजली के मीटर की कर दर 12 से घटाकर 4 प्रतिशत की गयी।

(च) आई.एस.आई. मार्क केरोसीन स्टोव कर मुक्त।

(छ) फुटवीयर की कर दर 10 से 8 प्रतिशत की गयी।

(ज) रेडीमेड वस्त्र व होजरी उत्पाद की कर दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया।

(झ) लोबान, धूप; शंख, दीपक; रोली व मोली को कर मुक्त।

(ण) मेंहदी अन्तर्राज्यिक बिक्री में कर मुक्त।

(ट) बिजली के पंखे, कूलर, बल्ब; ट्यूब-लाईट; केबिल व तार घरेलु व अन्य उपकरण तथा उनके पार्टस को छोड़कर बिजली के सामान की कर की दर 12 से घटाकर 6 प्रतिशत की गयी।

(ठ) आयुर्वेदिक; यूनानी व होम्योपैथिक औषधि पर कर की दर 8 से 4 प्रतिशत की गयी।

(ड) जीवन रक्षक टीके एम.एम.आर.,

(वित्त मंत्री)

डी.पी.टी.; बी.सी.जी व टेटेनस टोक्साइड को कर मुक्त किया गया।

(ण) डिस्पोजल सिरिंज की निडिल 12 से 6 प्रतिशत कर की दर की गयी।

व्यापार :

(क) सभी प्रकार के बियरिंग की कर दर 6 से 4 प्रतिशत की गयी।

(ख) मोटर पार्टस व ऐसेसरीज की कर दर 8 से 6 प्रतिशत की गयी।

(ग) आर.ई.पी. लाईसेन्स व एक्जिम स्क्रिप को 8 जुलाई, 98 तक कर मुक्त एवं तत्पश्चात 12 से घटाकर 4 प्रतिशत की गयी।

(घ) खादी संस्थाओं की कर मुक्ति की वार्षिक सीमा 2 करोड़ की गयी।

(ङ) सामान्य कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत की गयी।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 से 1998-99 तक रखे गये बजट में लगाये गये नये टेक्स का विवरण निम्न प्रकार है :—

1-वर्ष 1997-98 के बजट में राजस्थान वित्त वित्त विधेयक 1997 के द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की द्वितीय अनुसूची में आर्टिकल 10-ए जोड़कर कम्पनी आर्टिकल आफ ए कम्पनी के संगम अनुच्छेद में संशोधन (अमेण्डमेंट इन जोड़कर निम्न दर से मुद्रांक कर का प्रावधान किया गया है।

(1) यदि अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि से संबंधित है: तो उस पर बढ़ी हुई अधिकृत अंश पूंजी का आधा प्रतिशत मुद्रांक कर देय होगा।

(2) अन्य मामलों में 100 रुपये मुद्रांक कर देय होगा।

2. आर्टिकल 23 के नीचे अंकित स्पष्टीकरण में संशोधित कर पट्टा लाईसेंस कब्जा पत्र व अन्य दस्तावेज जिनके द्वारा अचल सम्पति के कब्जे का हस्तांतरण निष्पादन से पूर्व, निष्पादन के समय या निष्पादन के पश्चात होता हो, इनको भी कन्वेंस के सम्मान कर योग्य बनाया गया है।

उपरोक्त वर्षों में मुद्रांक कर में दी गई छूटों/रियायतों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में दिया गया है।

नगर भूमि एवं भवन कर विभाग वर्ष 1994-95 से 1998-99 तक कोई नया टैक्स न तो लगाया गया है और न ही घटाया गया है। केवल मात्र दरों में वर्ष 1994-95 एवं 97-98 में परिवर्तन किया गया है।

(2) वर्ष 94-95 से 97-98 तक राजस्व प्राप्तियां निम्न प्रकार हैं :—

(वित्त मंत्री)

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	बिक्री कर (मनोरंजन एवं विद्युत कर सहित)	पंजीयन एवं मुद्रांक	भूमि एवं भवन कर
1994–95	1277.67	181.69	16.75
1995–96	1501.99	228.08	12.90
1996–97	1714.41	276.26	32.47
1997–98	1946.62	312.26	33.31

विस्तृत वस्तुवार ब्योरा बाद में उपलब्ध करवाया जायेगा ।

(3) जी नहीं ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम भोडासरी (नागौर) के स्वतन्त्रता सेनानी का पेंशन प्रकरण

180. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिल रही थी उनके स्वर्गवास के बाद उनकी पत्नी को पेंशन दी जा रही है ? यदि हां, तो श्रीमती रामी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री लादूराम स्वतंत्रता सेनानी ग्राम भोडासरी तहसील लाडनूं जिला नागौर को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान सरकार के पास लम्बे समय से विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ? इनको पेंशन अब कब तक प्राप्त हो जायेगी और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार द्वारा इस प्रकार से अनावश्यक विलम्ब स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य नहीं है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कोई कदम उठाये हैं और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ। जिन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिल रही थी उनके स्वर्गवास के बाद उनकी पत्नी को पेंशन दी जाती है। पेंशन स्वीकृत करने के लिए संबंधित जिला कलक्टर सक्षम है। श्रीमती रामी देवी धर्म पत्नी स्वर्गीय लादूराम ग्राम मीठासरी तहसील लाडनूं को 21-3-99 के द्वारा पेंशन अधिकृति जारी कर दी गई है।

(2) जी नहीं। प्रार्थनी का प्रार्थना-पत्र माह मई, 1998 में पेंशन विभाग में प्राप्त हुआ था एवं इसी संदर्भ में विभाग के पत्र दिनांक 13-5-1998 द्वारा जिला कलक्टर, नागौर को आवश्यक पेंशन स्वीकृति मय अन्य प्रलेखों के पेंशन विभाग को भिजवाने हेतु लिख दिया गया था। तत्पश्चात जिला कलक्टर, नागौर के पत्र क्रमांक एफ. 40 (4) सामान्य/स्वतंत्रता/सेनानी पेंशन/95/517 दिनांक 25-2-1999 से पेंशन स्वीकृति आदेश जारी किये गये जो पेंशन विभाग में दिनांक 3-3-1999 को प्राप्त हुए। उक्त स्वीकृति एवं प्रलेखों की आवश्यक जांच-पड़ताल के पश्चात दिनांक 21-3-1999 को श्रीमती रामी देवी को पेंशन अधिकृति जारी कर दी गई है।

स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर उनकी विधवा अथवा आश्रित को स्वतंत्रता सेनानी आश्रित पेंशन स्वीकृति में कोई असुविधा एवं विलम्ब न हो, उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांकःप. 6(220) सा.प्र./I/83पार्ट दिनांक 5-7-93 द्वारा पेंशन स्वीकृति हेतु जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है। अधिसूचना दिनांक 5-7-93 की प्रति परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) राज्य सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की समस्या अविलम्ब निराकरण के लिए सजग है और इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया है। समिति के गठन की प्रक्रिया जारी है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

विधान सभा क्षेत्र खारची में डोडा, पोस्त की निर्धारित विक्रय

181. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में शराब, पोस्त डोडा की कितनी लाइसेंसशुदा दुकानें किन-किन स्थानों पर आवंटित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र में पोस्त डोडा विक्रय हेतु परमिट प्रणाली लागू है? यदि हां, तो कितने लोगों को परमिट जारी किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पोस्त डोडा के विक्रय हेतु कोई दर निर्धारित की गई है? यदि हां,

(श्री केशाराम चौधरी)

तो उक्त क्षेत्र में वर्तमान में किस दर पर पोस्त डोडा विक्रय किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) खारची विधान सभा क्षेत्र में देशी मदिरा की 27 दुकानें, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की 3 दुकानें तथा डोडा पोस्त की 2 दुकानें स्वीकृत हैं; जो निम्नांकित स्थलों पर स्वीकृत होकर संचालित हैं :—

1-देशी मदिरा दुकानात :

1. मारवाडजंक्शन 2. आऊवा रोड न. 2 3. आऊवारोड न. 3 मा.ज. 4. प्राइवेट बस स्टेण्ड न. 4 मा.ज. 5. रेल्वेकोलोनी मा.ज. 6. सिंधी बाजार मा.ज. 7. लेवर कोलोनी मा.ज. 8. जोजावर 9. नटडेरा जोजावर 10. आऊवा 11.बसस्टेण्डआऊवा 12. दुदोड़ 13. सिरीयारी 14. फुलाद 15. राणावास 16. सारण 17. कन्टालिया न.1 18. कन्टालिया न. 2 19. माण्डा 20. करमाल चौराया 21. धनला 22. बोपारी 23. जाडण 24. जाडण न. 1 25. खारड़ा 26. धामला 27. बांता

2-भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर :

1. मारवाड जंक्शन

2. जोजावर

3. जोडण

3-डोडापोस्त दुकानें :

1. मारवाड जंक्शन

2. जोजावर

(2) जी हां। खारची विधान सभा क्षेत्र में पोस्तडोडा विक्रय हेतु परमिट प्रणाली लागू है। जिन लोगों को डोडा-पोस्त प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा परमिट जारी किये गये हैं, उन परमिट धारियों की सूची परिशिष्ट–'क' पर प्रस्तुत है।

(3) अनुज्ञाधारियों द्वारा विक्रय किये जाने वाले डोडापोस्त का विक्रय मूल्य विभाग द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। यदि कोई ठेका नहीं उठता है एवं फैल हो जाता है उस स्थिति में विभाग द्वारा संचालित सरकारी दुकानों पर डोडापोस्त विक्रय का मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में शराब के ठेके

182. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में धार्मिक स्थल, स्कूल एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों से शराब के ठेके हटाने हेतु शिकायतें/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने अब तक

(श्री रामस्वरूप मीणा)

क्या कार्यवाही की ? शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या सरकार उक्त स्थलों के पास से शराब के ठेके हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में धार्मिक स्थल एवं स्कूल एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों के समीप संचालित मदिरा दुकानों बाबत विभाग को कोई शिकायत/ज्ञापन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(2) विभाग को किसी दुकान बाबत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । अतः दुकान हटाने का कोई औचित्य नहीं है । भविष्य में किसी दुकान बाबत कोई शिकायत प्राप्त होती है तो विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

हिण्डोन सिटी (सवाईमाधोपुर) में सार्वजनिक स्थलों के पास स्थित शराब का ठेका प्रकरण

183. श्री भरोसी लाल (हिण्डोन) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के शहर/कस्बों में शराब व भंग, डोडा-पोस्त आदि नशीली दुकानों को खोलने के लिए लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दुकानें शहरी आबादी के बीच एवं मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा ऐसे धार्मिक स्थल एवं विद्यालय, कालेज बस स्टेण्ड आदि के आसपास नहीं खोली जा सकती है ? क्या इस संबंध में कोई नियम भी बने हुए हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या हिण्डोन सिटी (सवाईमाधोपुर) में उक्त दुकानें संचालित हैं ? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर ?

(4) क्या सरकार अब उक्त क्षेत्र के शहरी आबादी के बीच एवं सार्वजनिक स्थलों के आस-पास स्थित दुकानों को तुरन्त हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, इस संदर्भ में राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं उसके अन्तर्गत राजस्थान आबकारी नियम 1956 बने हुए हैं तथा डोडा-पोस्त के लिए राजस्थान एन.डी.पी.एस. नियम 1985 बने हुए हैं, इनके प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र जारी किए जाते हैं ।

(2) जी हां । इस संदर्भ में राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत नियम 75 में अवस्थिति के संबंध में प्रावधान है । राज्य सरकार/आबकारी आयुक्त इन प्राव-

(आबकारी मंत्री)

धारों में शिथिलता प्रदान कर सकते हैं। नई आबकारी नीति अनुसार लोकेशन संबंधी व्यवस्थाएँ निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

1. अनुज्ञाधारी शराब की दुकान अस्पताल, महाविद्यालय एवं सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षण संस्थानों, सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थानों, सिनेमा हाल और नाटक गृह से 200 मीटर की परिधि में नहीं लगा सकेगा, परन्तु एक लाख से अधिक आबादी वाले शहर में धार्मिक स्थानों से दूरी संबंधित प्रतिबंध जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में रखी सूची में उल्लेखित धार्मिक स्थानों पर लागू होगा। महाविद्यालय, सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षा संस्थानों एवं सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य विद्यालयों के निकट की दुकानों के लिए यह प्रतिबन्ध रहेगा कि शिक्षा संस्थान बंद होने के एक घन्टे बाद ही दुकान खोली जा सकेगी।

2. अनुज्ञाधारी, फैक्ट्री अथवा श्रमिक व हरिजन बस्ती से 200 मीटर की परिधि में दुकान नहीं ले सकेगा। हरिजन बस्ती से अभिप्रेत ऐसा नगरपालिका वार्ड होगा जिसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार उस वार्ड की जनसंख्या की 50 प्रतिशत से अधिक है।

3. अनुज्ञाधारी राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से दोनों ओर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तय दूरियों पर विकसित बाजारों में दुकान की अवस्थिति स्वीकृत करा सकेगा, किन्तु जहां ऐसे बाजार नहीं है वहां मार्ग के मध्य से दोनों ओर 150 मीटर की दूरी तक दुकान नहीं लगा सकेगा, किन्तु यह शर्त नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका की अधिकारिता एवं सीमा से गुजरने वाले उक्त मार्ग पर लागू नहीं होगी।

4. दुकानों की अवस्थिति(लोकेशन) बाबत उक्त प्रतिबन्धों में पर्याप्त कारण होने पर आबकारी आयुक्त शिथिलता प्रदान कर सकेंगे।

(3)

देशी मदिरा दुकानात	मा.नि.वि.म. दुकानात व बीयर
1. डेम्पर रोड	1. स्टेशन हिण्डौन सिटी
2. शाहगंज	2. अनाज मण्डी
3. नई मण्डी	3. डेम्प रोड़
4. जाट की सराय	4. सुरोठ
5. डिपो हिण्डौन	
6. मिस्त्री मार्केट	
7. स्टेशन-हिण्डौन	
8. चुंगीनाका बयाना रोड़	
9. बनवारीपुर	
10. पटोदा	

(आबकारी मंत्री)

11. चांदनगांव खेड़ा
12. कोरिया
13. कोटडी
14. क्यारदा
15. घोसला
16. ढ़िढ़ोरा
17. मह् धोसल
18. फेलो का पुरा
19. सरोठ
20. खेड़ा जमालपुर
21. गढ़ी बाधवा

(4) जी नहीं। क्योंकि शहरी आबादी के बीच एवं सार्वजनिक स्थानों के आसपास मदिरा दुकानों की अवस्थिति पर नियमानुसार प्रतिबन्ध नहीं हैं।

श्री गंगानगर में शराब कर से आय

184. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री गंगानगर में सरकार को शराब की बिक्री पर कर से कितनी राशि प्राप्त हुई है ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने उक्त जिले में कितनी नाजायज शराब, डोडा-पोस्त बरामद की है ?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर राजस्व जिले में वर्ष 98-99 में माह जनवरी, 99 तक राज्य सरकार को शराब (देशी मदिरा/विदेशी मदिरा एवं बीयर) की बिक्री से लेखा शीर्षक 0039-राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत रु. 39.06 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

(2) श्री गंगानगर राजस्व जिले में वर्ष 98-99 में माह फरवरी, 99 तक 1656 बोतल नाजायज शराब 11201 लीटर वाश एवं 121 किलो 300 ग्राम डोडा-पोस्त बरामद किया है।

नगर निगम जयपुर का नियम विरुद्ध नियुक्ति प्रकरण

185. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर महापौर ने नियमों को ताक में रखकर अवैध रूप से नियुक्तियां की हैं ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को किस-किस पद पर कब-कब अस्थाई/स्थाई रूप से ? सूची नाम, पते, वेतन, पद के सदन की मेज पर रखें।

(2) किस-किस व्यक्ति को पूर्ण वेतन श्रृंखला में या अस्थाई रूप से कब तक नियुक्त किया गया, उनकी योग्यता क्या है ? क्या उनकी दक्षता परीक्षा हो चुकी है ? क्या सरकार उनकी परीक्षा आयोजित करने का विचार रखती है ?

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(3) नगर निगम जयपुर में वर्तमान में किस-किस संवर्ग के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) नगर निगम जयपुर में कितने पद वेतन श्रृंखला एक से दस तक के कब से रिक्त हैं? रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति देने का विचार है ?

(5) उक्त रिक्त पदों को भरने के क्या मानदण्ड निर्धारित किये हुये हैं ? विवरण सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर निगम जयपुर में कुछ नियुक्तियां अनियमित रूप से की हैं। जिनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में वांछित विवरण भाग संख्या 1 के उत्तर में संलग्न सूची में अंकित है। इनकी कोई दक्षता परीक्षा आयोजित नहीं की गयी है।

(3) नगर निगम जयपुर में निम्नांकित पद रिक्त हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :--

1. सफाई निरीक्षक/स्वास्थ्य निरीक्षक 20 पद

2. नाका निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक 6 पद

3. पर्यवेक्षक का कोई पद स्टाफिंग पेटर्न में स्वीकृत नहीं है।

4. कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक कम टाईपिस्ट का कोई पद रिक्त नहीं है।

5. चतुर्थ श्रेणी (कर्मचारी) चपरासी का कोई पद रिक्त नहीं है।

रिक्त पदों को चुंगी समाप्ति के कारण अधिशेष होने वाले कर्मचारियों से भरने बाबत प्रकरण विचाराधीन है।

(4) वेतन श्रृंखला 1 से 10 तक के रिक्त पदों का विवरण संलग्न है। प्रश्न के शेष भाग का उत्तर भाग सं. 3 में सम्मिलित हैं।

(5) उक्त पदों पर राजस्थान नगरपालिका (अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 के नियम 27 के अन्तर्गत प्रक्रिया निर्धारित है। नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। फिलहाल चुंगी समाप्ति के कारण अधिशेष कर्मचारियों को ही समायोजित कर पद भरने बाबत प्रकरण विचारार्थ है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सुशीलपुरा कालोनी सोड़ाला (जयपुर) का सड़क निर्माण प्रकरण

186. श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुशीलपुरा कालोनी सोड़ाला अजमेर रोड जयपुर में सड़क निर्माण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो अब कब तक सड़क निर्माण करा दी जायेगी और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त कालोनी में सड़क निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में नाली निर्माण कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो इसको कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। नगर निगम के बजट उपलब्धता के आधार पर ही उक्त सड़क निर्माण संबंधी निर्णय उनके द्वारा लिया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। नगर निगम द्वारा सड़क का कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं कराया गया है।

(3) जी नहीं। नगर निगम द्वारा नाली निर्माण का कोई कार्य प्रारम्भ ही नहीं कराया गया है।

श्री गंगानगर की मरम्मत योग्य सड़क

187. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर क्लब से बी.एस.एफ.स्कूल जाने वाली सड़क पर सर्किट हाउस के सामने कई महिनों पहले बना गड्डा अभी तक ठीक नहीं किया गया है ?

(2) क्या उक्त गड्डे को भरने के निर्देश जिला कलक्टर ने संबंधित विभाग को दिए थे ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस गड्डे को भरवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जिला कलेक्टर द्वारा मौखिक आदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिये गये थे। इसलिए आदेश की प्रति सलग्न किया जाना संभव नहीं है।

(3) जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के अनुसार उक्त गड्डा अब अस्थाई रूप से नगरपरिषद द्वारा भरवाया जाना जारी बताया है। सही मरम्मत एवं तारकोल आदि का कार्य गंगानगर शुगर मिल द्वारा

(स्वायत्त शासन मंत्री)

निर्माणाधीन वाटरकोर्स का कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही किया जा सकेगा।

नगर पालिका चूरू व रतन-नगर के अपूर्ण निर्माण कार्य

188. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर पालिका चूरू व रतननगर को वर्ष 1998–99 में अतिवृष्टि के कारण कितनी राशि कब-कब स्वीकृत हुई ? इनकी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति कब जारी की गई उक्त हेतु निविदाए' कब आमंत्रित की गई कितने कार्य कब स्वीकृत किये गये उनमें से कितने कार्य पूर्ण हुए कितने कार्य प्रगति पर हैं और कितने कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर पालिका चूरू में निर्बन्ध योजना, सांसद/विधायक कोटा व 32 जिला 32 काम, स्वर्ण जयन्ती योजना, गरीबी की रेखा से नीचे बसे लोगों के कल्याण की योजना अन्तर्गत कितने कार्य कितनी राशि के कब-कब स्वीकृत हुए कितने पूर्ण हुए कितने अपूर्ण है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नगरपालिका में कितनी सड़कें व नालियां अपूर्ण है ? क्या सरकार अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) उक्त नगरपालिका कितनी राशि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग व राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से किस-किस मद में कब-कब से मांगती है उसमें से कितनी राशि नगर पालिका को प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त नगरपालिका, में नवम्बर, 1998 से 15 मार्च, 1999 तक कितनी ट्यूबलाइट/बल्व खरीदे गये कितने किस-किस वार्ड में लगाये गये ?

(6) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.यू.) अन्तर्गत नगरपालिका चूरू व रतननगर में कितनी राशि कब–कब स्वीकृत हुई ? उसमें से कितनी राशि का विभिन्न निर्माण व अन्य कार्यों में उपयोग हुआ ?

उत्तर

(1) नगरपालिका चूरू व रतननगर को वर्ष 1998-99 में अतिवृष्टि के कारण स्वीकृत की गई राशि इत्यादि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) नगरपालिका, चूरू में निर्बन्ध योजना, सांसद/विधायक कोटा, 32 जिला 32 काम, स्वर्ण जयन्ती योजना, गरीबी की रेखा से नीचे बसे लोगों के कल्याण की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि इत्यादि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) नगरपालिका चूरू में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 20 सड़कों व नालियों

(स्वायत्त शासन मंत्री)

के कार्य अपूर्ण है, जिन्हें वित्तीय वर्ष 1999 2000 तक पूर्ण कराने का प्रयास किया जावेगा।

(4) नगरपालिका चूरू की जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कोई राशि बकाया नहीं है तथा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में दिनांक 31-3-99 तक 15,72,409/-रुपये की राशि बकाया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

1.	भूमि की बकाया राशि	493950/-
2.	चुंगी की राशि	303051/-
3.	गृहकर	519471/-
4.	अन्य (विद्युत बल्ब)	7000/-
5.	तहबाजारी	248937/-
	योग—	1572409/-

(5) उक्त राशि पालिका को प्राप्त नहीं हुई है नगरपालिका चूरू द्वारा माह नवम्बर, 98 से 15 मार्च, 99 तक 600 नग ट्यूब लाईट (ट्यूब राड 4 फुटी 40 वाट) व 300 नग बल्ब (100 वाट व 40 वाट) के खरीदे गये तथा विभिन्न वार्डों में लगाये गये। जिसका विवरण संलग्न है।

(6) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत नगरपालिका चूरू को वर्ष 1995-96 में 55.27 लाख, वर्ष 1996-97 में 44.31 लाख वर्ष 1997-98 में 16-73 लाख कुल 116.31 लाख रुपये प्राप्त हुए, उनमें से कुल 58,91,140/-रु. व्यय हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना नगरपालिका रतननगर में लागू नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

आवासन मण्डल के आवंटित मकानों का ब्याज माफी प्रकरण

189. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि सरकार ने आवासन मण्डल द्वारा आवंटित मकानों की बकाया किश्तों पर शतप्रतिशत ब्याज माफ करने का विचार किया है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आवंटित मकानों की बकाया किश्तों पर शत-प्रतिशत ब्याज माफ करने का विचार नहीं किया गया है और ना ही इस संबंध में मंडल द्वारा कोई आदेश जारी किये गये हैं। मंडल द्वारा आवास निर्माण हेतु विभिन्न वित्त संस्थाओं से ब्याज पर ऋण प्राप्त किया जाता है। आवंटियों से

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

बकाया किश्तों पर शत-प्रतिशत ब्याज माफ किये जाने की स्थिति में मण्डल द्वारा वित्तीय संस्थाओं को ऋण व ब्याज की अदायगी संभव नहीं होगी। मण्डल को राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं होता है। अतः मण्डल द्वारा आवंटित मकानों की बकाया किश्तों पर शत-प्रतिशत ब्याज माफ करने का कोई औचित्य नहीं है।

सांगानेर प्रताप नगर (जयपुर) के मकानों की बकाया किश्त प्रकरण

190. श्री अमराराम चोधरी (पचपदरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान आवासन मंडल की सांगानेर/प्रतापनगर (जयपुर) योजना में कुल कितने मकानों का निर्माण करवाया गया और उनमें से कितने मकानों को आवंटित कर दिया गया है ?

(2) क्या उक्त योजना के सेक्टर 3 व 5 के सभी आवंटित मकानों की किश्त जमा हो रही है ? यदि हां, तो कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किश्त जमा नहीं करवाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या प्रतापनगर के सेक्टर 3 व 5 में शेष बची भूमि अन्य अनावश्यक सुविधाओं के लिए रखी गई है ? यदि हां, तो उक्त शेष बची भूमि पर कब तक निर्माण करवाया जायेगा।

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मंडल की सांगानेर प्रतापनगर (जयपुर) योजना में दिनांक 28–2–99 तक कुल 16,586 मकानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है उनमें से 15,358 मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 1228 मकान निर्माणाधीन है। उक्त योजना में कुल 9937 मकान आवंटित किये जा चुके हैं।

(2) जी नहीं। सैक्टर 3 व 5 के सभी आवंटी किस्तें जमा नहीं करा रहे हैं। प्रथम किस्त 1-8-91 से जमा होनी शुरू की गयी है। दिनांक 31-10-98 तक किस्त जमा कराने वालों (परिशिष्ट "ब") की सूचियां संलग्न है।

(3) जी हां। किश्ते जमा नहीं करवाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार है। मंडल द्वारा किश्त जमा नहीं करवाने वाले आवंटियों को किश्त जमा कराने के लिए नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

(4) जी हां। सेक्टर 3 व 5 में शेष बची भूमि निम्न आवश्यक सुविधाओं हेतु रखी गई है :–

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

सेक्टर 3 प्रताप नगर में विद्युत मंडल हेतु 3800 व.मी., केन्द्रीय विद्यालय हेतु 19001.8 व.मी. एवं अमर जैन चिकित्सालय को 2600 व.मी. भूमि आवंटित की जा चुकी है। इनमें से विद्युत मण्डल द्वारा निर्माण कार्य चालू किया गया है तथा शेष संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य करवाया जाना है। प्राथमिक विद्यालय के लिए 13250 व.मी., उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु 13653 व.मी., धार्मिक संस्थाओं, डाकघर चिकित्सालय, बैंक व अन्य सुविधाओं हेतु 8200 व.मी. एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हेतु 3185 व.मी. भूमि आरक्षित रखी गई है। इन भूमि पर विभिन्न संस्थाओं को आवंटन के पश्चात संस्थाओं द्वारा ही निर्माण कार्य करवाया जायेगा।

सेक्टर 5 प्रताप नगर में ब्लू बेल्स शिक्षा समिति को 2000 व.मी. भूमि आवंटित की जा चुकी है तथा समिति द्वारा स्कूल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। सरकारी प्राथमिक बालिका विद्यालय को 3654व.मी. भूमि आवंटित की जा चुकी है। डाकघर के लिए 700व.मी, पुलिस स्टेशन हेतु 2500 व.मी., स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर हेतु 780 व.मी, श्री दिगम्बर जैन समाज हेतु 1116 व.मी. सदामुखी चेरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल हेतु 2392 व.मी., भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित है। उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु 11734 व.मी. एवं धार्मिक संस्थाओं, चिकित्सालय आदि अन्य सुविधाओं हेतु 4368 व.मी. भूमि आरक्षित रखी गई है। इन भूमि पर विभिन्न संस्थाओं को आवंटन के पश्चात संस्थाओं द्वारा ही निर्माण कार्य करवाया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नगर विकास न्यास बीकानेर के निर्माण कार्यों की जांच

191. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीकानेर नगर विकास न्यास के क्षेत्राधिकार में शहर सीमा में कौन–कौनसी सड़क, मोहल्ले, कालोनी आती है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बीकानेर न्यास क्षेत्र से बाहर नगर परिषद क्षेत्र में अप्रेल, 1997 से फरवरी, 1999 तक न्यास मद से कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किए गए? कार्य मोहल्ले, स्वीकृत राशि के आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नगर परिषद क्षेत्र में न्यास मद से अनाधिकृत रूप से व्यय की गई राशि की जांच करा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बीकानेर की शहर सीमा में नगर

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

विकास न्यास की निम्नांकित योजनाएं और स्वीकृत कच्ची बस्तियां सड़कों सहित आती है :—

(अ) स्वीकृत योजनाएं - (आवासीय) 1-करणीनगर 2-गांधीनगर 3-सार्दुलगंज 4-नागणेचीजी योजना 5-नागणेचीजी विस्तार, 6-जय नारायण व्यास नगर, 7-सूर्य नगर, 8-मुरलीधर व्यास नगर 9- मुरलीधर व्यास नगर विस्तार योजना, 10-जवाहर नगर योजना 11-मघाराम बेद कालोनी, 12-मुक्ताप्रसाद नगर, 13-अन्त्योदय नगर, 14-सार्दुल कालोनी, 15-आदर्श कालोनी

(ब) व्यवसायिक योजना 1-ट्रांसपोर्ट नगर, 2-व्यापार नगर, 3-राव बीकाजी योजना 4. इन्दिरा मार्केट ।

स्वीकृत कच्ची बस्तियां :—1-मोहल्ला पंजाब गिरान, 2-मोहल्ला भूटान, 3-मेघवालान आउट साइड 3-पाबूबारी, 4-नायकान गजनेर रोड, 5-जस्सूसर बास मालियान और मेघवालान, 6-नत्थूसर बास बालियान एवं भूटान, 7-हरिजन आउटसाइड नत्थूसर गेट, 8-हरिजन आउट साइड गोगागेट, 9-अमरसर बेल, 10-रानीसर मालियान, 11-मेघवालान अमरसिहपुरा 12-नियर रेलवे टेंक 13-रानीसर मालियान आउट साइड शीतला गेट, 14- सार्दुलगंज, 15-मोहल्ला पंचमखी हनुमानजी, 16-मोहल्ला गुजरान कब्रिस्तान, 17-मुक्ता प्रसाद योजना (रामपुरा) बंगला नं.10 के पीछे 18-इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, 19-कच्ची बस्ती इन साइड मघाराम 20-जस्सूसरगेट बाहर, 21-सर्वोदय बस्ती नरसिंग सागर, 22-सुभाषपुरा 23-हमाला की बाड़ी मादारियों की बगीची के बाहर, 24-फतेहपुरा मेघवालान, 25-इन्दिरा नगर कच्ची बस्ती, 26-पाबूबारी प्रताप बस्ती हरिजन बस्ती, 27-बंगला नगर

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) बीकानेर न्यास क्षेत्र से बाहर नगर परिषद क्षेत्र में अप्रैल 1997 से फरवरी 1999 तक न्यास मद से निम्नांकित कार्य कराये गए। उनसे संबंधित कार्यादेशों की छाया प्रति संलग्न है :—

(अ) नगर परिषद क्षेत्र में न्यास बीकानेर द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों की सूची :—

क्र.सं.	कार्य का नाम	मोहल्ला	स्वीकृत राशि रु.
1	2	3	4
1.	पणाबाई अस्पताल से लामूजी का कटला एवं रेल्वे क्रासिंग तक नाले की सफाई एवं मरम्मत कार्य	कोटगेट के अन्दर एवम् बाहर	167532.00
2.	लक्ष्मीनाथ मन्दिर की चारदिवारी व दरवाजे लगाने का कार्य	लक्ष्मीनाथ मन्दिर	10838.00
3.	पुष्करणा स्टेडियम के पास नाला निर्माण कार्य	धनपतराय मार्ग	144619.00

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

1	2	3	4
4.	श्री चामुण्डा जी मन्दिर की दीवार का निर्माण कार्य	लक्ष्मीनाथ मन्दिर	260029.00
5.	सुनारों का मोहल्ला सिटी कोतवाली के पास सड़क निर्माण कार्य	सुनारों का मोहल्ला	25149.00
6.	सड़क निर्माण कार्य गजनेर रोड से फड़ बाजार	फड़बाजार	117333.00

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(ब) न्यास क्षेत्र से बाहर न्यास द्वारा सम्पादित कार्यों का विवरण (दिनांक 1-4-97 से 28-2-99)

क्र.सं.	कार्य एवं स्थान का नाम	कार्यादेश दिनांक	कार्यादेश राशि	मोहल्ला
1	2	3	4	5
1.	सार्दुल सिंह सर्किल का सौंदर्यकरण का कार्य ।	9-9-98	372521.00	के.ई.एम.रोड़
2.	राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय से राम ओझा के मकान तक कारपेट कार्य	2-12–98	30492.00	रानी बाजार
3.	बिनोबा बस्ती में खेलकूद हेतु स्टेडियम की चारदीवारी का कार्य	25-1-99	784853.00	विनोबा बस्ती
4.	जूनागढ़ से पार्क गेट तक पत्थर की छतरी मय स्तम्भ लगाने का कार्य	27-2-99	786530.00	जूनागढ सूर सागर के पास

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

1	2	3	4	5
5.	जूनागढ़ के पार्क गेट तक रेलिंग ऊंचाई बढ़ाने व डिवाइडर बनाने का कार्य	27-2-99	537063.00	,, ,, ,, ,,
6.	पूंगलरोड पर कनेक्शन कराने का कार्य	9-12 98	13012.00	पूंगल रोड़
7.	सूरसागर दीवार का कार्य कलवर्ट 12 से 15 तक	21-5-98	121976.00	सूरसागर
8.	सूरसागर नाले के साथ की दीवार की मरम्मत	3-9-98	38010 00	सूरसागर
9.	कल्वर्ट नं. 17 से 21 तक सूरसागर की सफाई	25-6-98	55856.00	,, ,, ,, ,,
10.	सूरसागर सफाई हेतु प्राक्कलन मशीन किराये पर	21-6-97	190740.00	,, ,, ,, ,,

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

1	2	3	4	5
11.	माजीसा का बास चौक अपग्रेडिंग एवं सड़क रिकारपेटिंग का कार्य	2-11-98	48612.00	माजीसा का बास

(3) न्यास बीकानेर द्वारा निर्माण कार्यों की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही राशि व्यय की गई है। निर्माण कार्यों पर राशि रु. 10.00 लाख तक न्यास बीकानेर से तथा इससे अधिक राशि की स्वीकृति श्रीमान संभागीय आयुक्त बीकानेर से प्राप्त करने के पश्चात ही राशि व्यय की जाती है।

न्यास ने नगर परिषद क्षेत्र में नगर परिषद की स्वीकृति के पश्चात 15% नगर परिषद को देय राशि में से कार्य करवाए हैं। इस प्रकार सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही राशि व्यय की गई है। अतः इस कारणवश अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाने की आवश्यकता नहीं है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अधिकारी/कर्मचारियों का अनियमितता प्रकरण

192. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 1995 से 1998 तक कितने गबन-घोटालों के प्रकरण सामने आए ? सूची मय राशि के सदन की मेज पर रखें। उक्त घोटाले में लिप्त अधिकारी/कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने अब तक इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की एवं कितनी राशि पुनः वसूल की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर है।

(2) विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मांगरोल (बारां) की प्रस्तावित पेयजल योजना

193. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांगरोल जिला बारां में पेयजल योजना के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) उक्त प्रस्तावों पर सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस योजना को स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, शहरी जल योजना मांगरोल जिला बारां की जल योजना रुपये 208.00 लाख की त्वरित शहरी जल योजना प्रोग्राम के तहत वर्ष 98-99 से विचाराधीन है।

(2) योजना की स्वीकृति से पूर्व वांछित जल उत्पादन क्षमता के स्रोत स्थल चिन्हित करने हेतु दो कम गहराई के नलकूप स्वीकृत कर खुदवाये गये हैं, जिनको शीघ्र चालू किया जा रहा है।

(3) नव निर्मित नलकूपों की जल उत्पादन क्षमता का आंकलन पूर्ण होने पर योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाने की कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की पेयजल योजना

194. श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के डांग क्षेत्र में सरकार द्वारा पेयजल की क्या योजना है ?

(2) क्या नारोली (सपोटरा) डांग क्षेत्र में पेयजल की टंकी बनी हुई है ? क्या उक्त टंकी से अभी तक पानी की सप्लाई चालू नहीं की गई है ? यदि हां, तो पानी की सप्लाई अब कब तक शुरू कर दी जायेगी ?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के लिए चंबल नदी से पेयजल सप्लाई की योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने हैंडपम्प खराब एवं नाकारा हैं ? क्या सरकार उक्त हैण्डपम्पों को चालू कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य के डांग क्षेत्र में धौलपुर, बारां, सवाईमाधोपुर एवं करौली जिले हैं, इनमें डांग क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं का विवरण प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां, ग्राम नारोली डांग में पूर्व से पेयजल वितरण टंकी से चालू था, परन्तु बाद में गांववासियों द्वारा स्वतः राईजिंग मैन पर जल संबंध कर लेने के कारण उक्त टंकी का भरना बंद हो गया। अब जल संबंध हटवाकर पुनः टंकी से ही पानी की सप्लाई के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) जी नहीं। वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है।

(4) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में वर्तमान में चल रहे हैण्डपम्प मरम्मत अभियान में 170 हैण्डपम्प मरम्मत कर ठीक कर दिये हैं। नाकारा 331 हैण्डपम्पों में से 85 हैण्डपम्प अनुसूचित जाति एवं जनजाति बस्तियों में तथा 12 हैण्डपम्प 50 प्रतिशत से कम सेवा स्तर वाले गांवों में लगाया जाना प्रस्तावित है। शेष स्थानों पर विभागीय नीति के अनुरूप न होने के कारण नहीं लगाये जा सकेंगे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के ग्रामों का पेयजल प्रकरण

195. श्री आदराम मेघवाल (टीबी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के जिन ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है को पाइप लाइन

(श्री मादराम मेघवाल)

से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के कई गांवों में पानी सुविधा तो उपलब्ध है लेकिन घरों में पानी के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार जल कनेक्शन से वंचित उन ग्रामों हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के कुल 627 गांवों में मात्र 35 गांव पेय-जल सुविधा से लाभान्वित नहीं हैं, क्योंकि इनकी आबादी बीस से कम है।

(2) जी हां। राज्य सरकार की नीति के अनुसार 1991 की जनगणना अनुसार जिन गांवों की आबादी 4000 या इससे अधिक है, केवल उन्हीं गांवों में घरेलू जल सम्बन्ध जारी किये जा सकते हैं।

4000 से कम आबादी वाले ग्रामों हेतु गांव की स्थानीय जनता द्वारा योजना का रख-रखाव "जनता जल योजना" पद्धति अनुसार ग्रामीणों द्वारा स्वयं करने एवं गांव में कम से कम 200 जल सम्बन्ध होने की स्थिति में ही घरेलू जल सम्बन्ध दिये जाने की योजना की प्रशासनिक स्वी-कृति हेतु विचार किया जाता है।

ग्राम कानरपुरा (जयपुर) की क्षतिग्रस्त पाइप लाइन

196. श्री अमराराम (धोद) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कानर-पुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर में भूमि-गत जलाशय हेतु डाली गई पाइप लाइन जगह-जगह से लीक कर रही है ? क्या इस लाइन के लीक होने की सूचना सहायक अभियन्ता को बार-बार दिये जाने के बाद भी अभी तक इस लाइन को ठीक नहीं करवाया गया है।

(2) क्या अब सरकार इस लाइन को ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पम्प एण्ड टैंक योजना ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं का रख-रखाव विभाग के अधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। योजना का रख रखाव जनता जल योजना पद्धति पर ग्राम पंचायत के अधीन होने के कारण पाइप लाइन का लीकेज ठीक करवाने की जिम्मे-दारी ग्राम पंचायत की ही है।

ग्राम मगरी (अजमेर) का बंद पेयजल योजना प्रकरण

197. श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह

(श्री रमजान खाँ)

बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति श्रीनगर के ग्राम मगरो में पूर्व में डी. एस. एस. योजना के तहत ग्रामवासियों को पेयजल की पूर्ति करवाई जा रही थी ?

(2) क्या यह योजना वर्तमान में बंद पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों और अब सरकार इसे कब तक चालू करवा देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां । वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा योजना नहीं चलाने के कारण बंद पड़ी है । ग्राम पंचायत द्वारा इस योजना के रख-रखाव व संधारण करने की जिम्मेदारी वहन करने पर ही योजना को चालू किया जा सकेगा ।

बाबा हरिशचन्द्र मार्ग जयपुर को पेयजल हेतु पाइप लाइन प्रकरण

198. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गूंदी का चौक, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग जयपुर के निवासियों ने बड़ी पाइप लाइन से नल कनेक्शन जोड़ने हेतु सहायक अभियन्ता कार्यालय मेंहदी के चौक में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो कब ? प्राप्त आवेदन-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि लगभग 1 वर्ष बाद अभी तक भी उक्त क्षेत्र के निवासियों की समस्या का समाधान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उक्त विलम्ब के लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त क्षेत्र की जनता की पेयजल समस्या का समाधान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । आवेदन पत्र की प्रति संलग्न है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । कार्यवाही में विलम्ब नहीं हुआ ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

पंचायत समिति रायपुर (पाली) के विद्यालयों का हैण्डपम्प प्रकरण

199. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में पंचायत समिति

(श्री हीरासिंह चौहान)

रायपुर (पाली) के कौन-कौन से प्राथमिक विद्यालय/शिक्षा कर्मी विद्यालयों को हैण्ड पम्प/नल लगाकर सरकार की घोषणा अनुसार पेयजल से जोड़ा गया है ?

(2) उक्त समिति में उक्त स्तर के कितने विद्यालय हैण्डपम्पों से जोड़ने शेष रहे हैं और उनको अब कब तक जोड़ दिया जावेगा ? शेष रहे विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) 19 विद्यालय शेष हैं। सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है। शिक्षा विभाग द्वारा बजट उपलब्ध करवाने पर शेष विद्यालयों को हैण्डपम्पों से जोड़ा जा सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

जिला चूरू की बंद पेयजल योजना प्रकरण

200. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चूरू के जलदाय विभाग में कितनी बकाया राशि विद्युत मण्डल के बिजली के बिल की कब से बकाया है ? कितनी राशि मूल बिजली खपत के कारण और कितनी विभिन्न प्रकार की पैनल्टी के कारण बकाया है ?

(2) उक्त जिले में बिजली के बिल बकाया होने से कितने कुएं व कितने पम्प हाऊस के विद्युत सम्बन्ध कब-कब किस किस आदेश से विच्छेद किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) तहसील चूरू में कितने कुएं व पम्प के विद्युत सम्बन्ध जलदाय विभाग द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात भी नहीं किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त तहसील में कुओं व पम्पों की मरम्मत व सुधार हेतु निविदाएं कब आमंत्रित की गई तथा किस को कार्य आदेश जारी किया ? वर्ष 1998-99 में कितने कुओं की मोटर/पम्प जल जाने पर ठीक करवाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त तहसील में 32 जिला 32 काम, निर्बन्ध योजना, विधायक व सांसद कोटे तथा विभागीय बजट से वर्ष 1998-99 में कितने भूमिगत जलाशय स्वीकृत किये गये और उनमें से कितने निर्मित हो चुके हैं ?

(6) चूरू नगर में कितने सार्वजनिक नल लगाये हुये हैं उनमें कितने चालू हैं कितने हटा दिये गये हैं ?

(7) उक्त नगर में जल अभिवृद्धन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

योजना अन्तर्गत कितनी राशि कब-कब स्वीकृत हुई कितनी राशि का उपयोग हो चुका है और कितना शेष है ?

उत्तर

(1) जिला चूरू के जलदाय विभाग के विरुद्ध मूल बिजली खपत की कोई राशि बकाया नहीं है। केवल मात्र विभिन्न प्रकार के सरचार्ज, लोड फैक्टर, अन्य प्रकार आदि के कारण गत दो तीन वर्षों में मार्च, 1999 तक कुल राशि 129.90 लाख रुपये एवं 43.44 लाख रुपये की पैनल्टी राशि विवादास्पद होने के कारण बकाया है।

(2) जिला चूरू में विविध बिलों की बकाया राशि के कारण कोई भी विद्युत सम्बन्ध कटा हुआ नहीं है एवं न ही ऐसे कोई आदेश प्राप्त हुए हैं।

(3) चूरू तहसील के अन्तर्गत कुऐं व पम्प के कोई भी आवेदित विद्युत संबंध लिया जाना शेष नहीं है।

(4) विवरण परिशिष्ट 'क' व 'ख' पर संलग्न है।

(5) 13 भूमिगत जलाशय स्वीकृत किये गये थे जिनमें से 6 निर्मित हो चुके हैं।

(6) चूरू नगर में कुल 64 सार्वजनिक नल लगाये हुये हैं जो सभी चालू हैं एवं कोई भी सार्वजनिक नल नहीं हटाया गया है।

(7) वर्ष 1995-96 में 30.86 लाख रुपये, वर्ष 1996–97 में 90.31 लाख रुपये वर्ष 1997-98 में 110.00 लाख रुपये तथा वर्ष 1998-99 में 50.00 लाख रुपये कुल 281.97 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। समस्त राशि का उपयोग कर दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत नीमोल (कोटा) की पेय-जल समस्या का समाधान प्रकरण

201. श्री रामगोपाल बैरवा(पीपल्दा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत नीमोला जिला कोटा में खारे पानी की समस्या है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा इसका सर्वे कब-कब कराया गया है ? सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समस्या के समाधान हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या सरकार खारे पानी के समाधान हेतु कोई पेयजल योजना स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। सर्वे वर्ष 1991 व 99 में करवाया गया। रिपोर्ट दिनांक 31-3-99 एवं 29-5-91 संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। पर्याप्त गुणवत्ता एवं जल उत्पादन क्षमता का स्रोत चिन्हित किये जाने के पश्चात आवश्यक योजना बनाया जाना प्रस्तावित है।

(रिपोर्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अजमेर में कम्प्यूटर द्वारा कराये कार्यों का भुगतान प्रकरण

202. श्री ललित भाटी (अजमेर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अजमेर के कुछ सहायक/कनिष्ठ अभियंताओं के रिश्तेदारों द्वारा कम्प्यूटर का कार्य करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो किस-किस अभियंता के परिवार द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य कब से कराया जा रहा है ? गत एक वर्ष में किये गये भुगतान का विवरण मय नाम के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दो सहायक अभियन्ताओं श्री अनिल जैन, तथा श्री अरविन्द कुमार अजमेरा के रिश्तेदारों से अन्य सहायक/कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा राज्य हित में प्रचलित बाजार दरों पर कम्प्यूटर का कार्य करवाया गया।

(2) श्री अनिल जैन के रिश्तेदार से जनवरी, 99 से एवं श्री अरविन्द कुमार अजमेरा के रिश्तेदार से अप्रेल, 98 से कार्य करवाया गया। उन्हें क्रमशः 3150-रु. व 9397.50 रुपये का भुगतान किया गया।

राज्य में बंद खनन कार्य से प्रभावित श्रमिक

203. श्री अमराराम (धोद) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत पांच वर्षों में पर्यावरण के नाम पर खनन कार्य बंद होने से कुल कितनी खानें/खनिज आधारित कारखाने बंद हुए ?

(2) उक्त बंद कारखानों से प्रभावित श्रमिकों की संख्या कितनी है ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में राज्य में वन भूमि में पड़ने वाले कुल 2345 खननपट्टों/क्वारी लाइसेन्स में वन संरक्षण अधिनियम,

(राज्य मंत्री, खनिज)

1980 के अन्तर्गत खनन कार्य बंद कराया गया है। गत पांच वर्षों में पर्यावरण के नाम पर खनन कार्य बन्द होने से राज्य में केवल अलवर जिले में छः पंजीकृत इकाइयां बंद हुई।

(2) उक्त बंद कारखानों से प्रभावित श्रमिकों की संख्या 48 है।

अशोका गैस एजेन्सी, जयपुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत प्रकरण

204. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा-भीम): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1998 में अशोका कुकिंग गैस एजेन्सी, जयपुर के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त एजेन्सी की सेवाएं संतोषजनक नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि इनकी सेवायें संतोषजनक नहीं होने के कारण पूर्व में इनके विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही की गई थी ?

(4) क्या सरकार एजेन्सी की सेवाएं संतोषजनक नहीं होने के कारण इसको ब्लैक लिस्ट करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अशोका कुकिंग गैस एजेन्सी, जयपुर के विरुद्ध वर्ष 1998 में 6 शिकायतें प्राप्त हुई है।

(2) 6 शिकायतों में 2 शिकायतों की जांच करवाने पर बेबुनियाद पायी गई एवं 4 शिकायतों में से तीन प्रकरणों में विभागीय जांच की जा रही हैं व एक प्रकरण में एजेन्सी द्वारा अनियमितता करने के कारण कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) मैसर्स अशोका कुकिंग गैस एजेन्सी के विरुद्ध पूर्व में एक शिकायत जिला रसद कार्यालय एवं दो शिकायतें जिला मंच, जयपुर द्वितीय को प्राप्त हुई थी, जिसमें से जिला रसद कार्यालय में प्राप्त शिकायत को आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित तेल कम्पनी को भिजवाई गई। जिला मंच ने एक शिकायत पर 500/- रुपये के दण्ड से गैस एजेन्सी को दण्डित किया गया व अन्य शिकायत में 11000/- रुपये के जुर्माना गैस एजेन्सी, संबंधित तेल कम्पनी एवं जिला रसद अधिकारी, जयपुर पर किया गया। इसके विरुद्ध राज्य आयोग में अपील अंडरकार है।

(4) जांच में दोषी पाये जाने पर एजेन्सी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

जिला बारां की शेरगढ़/पार्वती पिक-अप वियर का नहर प्रकरण

205. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मदन दिलावर)

(1) जिला बारां की शेरगढ़ व पार्वती पिक-अप वियर से निकलने वाली नहरों से कितनी भूमि सिंचित हुई ? उक्त नहर से इस वर्ष कितनी भूमि सिंचित हुई ?

(2) क्या सिंचित क्षेत्र हेतु पानी पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो यह असिंचित क्षेत्र किन कारणों से रहा ?

(3) क्या रतनपुरा व सूण्डा सारणी (अटरू) को नहरों से पानी मिला है ? क्या इससे इस वर्ष पर्याप्त भूमि सिंचित हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता अटरू पर सरकारी धन का दुरूपयोग करने की जांच विचाराधीन है ? यदि हां, तो जांच पूरी नहीं होने के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) परवन पिक-अप वियर (शेरगढ़) व पार्वती पिक अप वियर का सिंचित क्षेत्र (सीसीए) 15243 एकड़ व 30998 एकड़ है। इस वर्ष खरीफ की फसल में परवन पिक अप वियर से 634 एकड़ व पार्वती पिक अप वियर से 5801 एकड़ में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई एवं रबी की फसल में लगभग क्रमश: 7000 एकड़ एवं 16200 एकड़ सिंचाई होने का अनुमान है।

(2) जी नहीं, इस वर्ष कम वर्षा के कारण नदी में उपलब्ध पानी अपर्याप्त रहा।

(3) जी हां। नदी में पानी की उपलब्धता के अनुरूप इन सारणों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई।

(4) जी हां। जांच रिपोर्ट मुख्य अभियंता कार्यालय में दिनांक 30-3-99 को प्राप्त हो गई है। जिस पर अग्रिम कार्यवाही प्रगति में है।

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ का सिंचित क्षेत्र

206. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में कुल कितनी सिंचाई योजनायें चल रही हैं एवं इन योजनाओं से कितने एकड़ भूमि सिंचित हो रही है ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में गत दो वर्षों में लगातार आई बाढ़ से हुए नुकसान पर बाढ़ राहत के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार से 10 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ किन्तु वह राशि पूरी व्यय न होकर उसमें कटौती की गई ? यदि हां, हुआ तो क्यों ?

(3) अब उक्त विधान सभा क्षेत्र हेतु सिंचाई विभाग की ओर से क्या-क्या योजनायें तैयार की गई हैं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में कोई नई सिंचाई परियोजना नहीं चल रही है। परंतु इस क्षेत्र में पूर्व में निर्मित 5 बांध से कुल 5373 एकड़ भूमि सिंचित होती है। सूची परिशिष्ट'क' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। गत दो वर्षों में अर्थात् वर्ष 1995 व 1996 में लगातार आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए कार्यों की मरम्मत के लिए क्रमश: 17.00 लाख एवं 246.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। इनके विरुद्ध माह 3/99 तक राशि क्रमश: 24.53 लाख एवं 93.67 लाख रुपये प्रावंटन बजट की सीमा तक व्यय किये गये है। वर्ष 1995 के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्ष 1996 के शेष कार्य 12 प्रगति पर है एवं शेष राशि का बजट उपलब्ध होने पर उपयोग कर लिया जावेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में कंच खाल नाले से भूमि कटाव को रोकने हेतु सर्वे कर योजना प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र खारची के अपूर्ण कार्य

207. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995 से फरवरी, 1999 तक विधान सभा क्षेत्र खारची में सिंचाई विभाग द्वारा कितने बांध, एनीकट, खडीन कार्य करवाये गये है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में भी कई निर्माण कार्य अपूर्ण हैं? यदि हां, तो किन-किन कारणों से कौन-कौन से कार्य अपूर्ण है एवं कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे?

(3) क्या सरकार की जानकारी में है कि इस क्षेत्र में बाढ़ बचाव कार्य जो पूर्व में पूर्ण हो चुके उन्हें दुबारा उसी काम पर कार्य करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खारची विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1995 से अब तक किसी बांध एनीकट, खडीन का कार्य नहीं करवाया गया है।

(2) जी हां। वर्तमान में अकाल राहत के कुल 7 कार्य बाढ़ बचाव, बेसफलों व बांध/नहर आदि की मरम्मत के कार्य करवाये गये। अकाल राहत बंद होने से सभी 7 कार्य अपूर्ण रह गये। अपूर्ण रहे सात कार्यों में से 5 कार्य को जून, 99 तक पूर्ण करा लिये जाने की संभावना है। शेष दो कार्य स्वीकृति के अभाव के कारण अपूर्ण हैं। कार्यवार विवरण परिशिष्ट"अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। अतः प्रश्न नहीं उठता।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

जिला हनुमानगढ़ की भाखड़ा परि-योजना की शार्दुल शाखा की क्षमता में वृद्धि

208. डा. रामप्रताप (हनुमानगढ़): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला हनुमानगढ़ की भाखड़ा सिचाई परियोजना की शार्दुल शाखा की क्षमता कौन से वर्ष में स्वीकृत की गई थी?

(2) उक्त क्षमता स्वीकृत करने के बाद कितने क्यूसिक पानी की मांग विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं की उत्पन्न हुई ?

(3) गत 20-25 वर्षों में कितने एकड़ जमीन नई कमाण्ड की गई है एवं विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं की मांग तथा बढ़े हुए कमाण्ड क्षेत्र की मांग कितने क्यूसिक पानी की बनती है ?

(4) क्या सरकार का उक्त शाखा की क्षमता संशोधित करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ की भाखड़ा सिचाई परियोजना की शार्दुल शाखा की क्षमता वर्ष 1975 में स्वीकृत की गई थी।

(2) उक्त क्षमता स्वीकृत करने कि बाद 43 क्यूसिक पानी जल प्रदाय योजनाओं को उनकी मांग अनुसार उपलब्ध करवाया गया।

(3) गत 20-25 वर्षों में उपरोक्त वर्णित शार्दुल शाखा की लगभग 4063 एकड़ भूमि नई कमाण्ड घोषित की गई है। जल प्रदाय योजनाओं तथा बढ़े हुए कमाण्ड क्षेत्र की मांग 52.76 क्यूसेक पानी की बनती है इस प्रकार कुल 1245+52.76-1297.76 क्यूसेक की मांग बनती है।

(4) जी हां, उक्त शाखा की क्षमता संशोधन करने के कार्य हेतु सभी संबंधित नहरों के सिंचित क्षेत्र का विवरण तैयार किया जा रहा है। यह कार्य सन 2000 तक पूर्ण किये जाने की संभावना है। क्षमता संशोधन तत्पश्चात् हो पाएगा।

हरीके बेराज, पंजाब से पानी की निकासी प्रकरण

209. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हरीके बैराज, पंजाब से गत दस वर्षों में प्रति वर्ष कितना एम.ए.एफ.पानी पाकिस्तान को छोड़ा गया, तथा इसके क्या कारण थे ?

(2) उक्त पानी सिचाई हेतु उपभोग में लाया जाता तो कितने क्षेत्र में गेहूं की फसल हो सकती थी ?

उत्तर

(1) हरीके बैराज से छोड़ा गया पानी तत्पश्चात फिरोजपुर हैड वर्क्स के माध्यम से पाकिस्तान में छोड़ा जाता है। पिछले

(सिचाई मंत्री)

दस वर्षों में फिरोजपुर हैड वर्क्स से छोडे गये पानी का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	पानी की मात्रा एम ए.एफ. में
1988-89	11.311
1989-90	0.633
1990–91	6.192
1991–92	1.120
1992–93	4.316
1993-94	3.348
1994-95	8.358
1995-96	7.832
1996–97	2.582
1997-98	4 141
1998-99	उपलब्ध नहीं

हरीके बैराज से इ.गा.फीडर नहर व सरहिन्द फीडर से राजस्थान के पूर्ण हिस्से के अनुसार जल प्रवाह करने के बाद जो जल अधिशेष रह जाता है उसे ही पाकिस्तान में छोड़ा जाता है। यह पानी राजस्थान के हिस्से का नहीं है।

(2) यह बताना कठिन है कि उक्त पानी से कितने क्षेत्र में गेहूं की फसल हो सकती थी। गेहूं की फसल हेतु विभिन्न समय पर एकाधिक बार पिलाई हो जाती है। फिरोजपुर हैड़ से पाकिस्तान प्रवाहित किया जा रहा जल सही समय पर उपलब्ध होना सुनिश्चित नहीं है।

पांचना सिचाई परियोजना करौली के आवास गृह

210. श्री भरोसी लाल (हिण्डोन) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला करौली की पांचना सिचाई परियोजना में कितनी आवासीय कालोनी हैं ? उक्त परियोजना में कितने आवास गृह/स्टोर एवं कार्यालय हैं ?

(2) उक्त कार्यालयों का सरकार द्वारा क्या कोई उपयोग किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला करौली की पांचना सिचाई परियोजना के अन्तर्गत दो आवासीय कालोनी जो कि करौली एवं श्रीमहावीर जी में है तथा चार साइट कालोनियां हैं जो डेम साइट, खण्डीप, केमला एवं पिलोदा में स्थापित है। जिनमें 68 आवास गृह, 10 स्टोर एवं 4 कार्यालय भवन हैं।

(2) पांचना सिचाई परियोजना के चार कार्यालय भवनों में से एक करौली एक डेम साइट तथा दो श्री महावीर जी में कार्यालय स्थापित हैं जिनमें से कार्यालय भवन करौली में जिला विकास ग्रामीण अभिकरण कार्यालय स्थापित हैं तथा दो कार्यालय भवन श्री महावीरजी में से एक

(सिंचाई मंत्री)

भवन में सहायक अभियन्ता नहर उपखण्ड, श्री महावीरजी का कार्यालय स्थापित है एवं दूसरे में पुलिस थाना, श्री महावीर जी स्थापित है। तथा एक कार्यालय भवन डेम साइट पर स्थापित है जिसमें से आधे भवन में सहायक अभियन्ता, पांचना सिंचाई उपखण्ड प्रथम डेम साइट व आधे भवन में सहायक अभियन्ता, ग्रुप नियंत्रण उपखण्ड डैमसाइट का कार्यालय स्थापित है।

अधिशासी अभियन्ता कार्यालय सूरतगढ़/अनूपगढ़ में व्याप्त अनियमितता

211. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अधिशासी अभियंता कार्यालय सूरतगढ़ एवं अनूपगढ़ में हो रही अनियमितताओं के संबंध में किसी संघ द्वारा कोई ज्ञापन मुख्य अभियंता को प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार इन कार्यालयों में हो रही अव्यवस्था पर अंकुश लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। अनूपगढ़ में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय नहीं है। अधिशासी अभियंता कार्यालयों सूरतगढ़ के सम्बन्ध में किसी संघ द्वारा अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन वृत्त एवं संभाग कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

जिला सवाईमाधोपुर के देवपुरा बांध हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा करण

212. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर के देवपुरा बांध की नहरों एवं माइनरों के लिए सरकार द्वारा भूमि अवाप्त की गई थी ? यदि हां, तो किस गांव में किस किस किसान को कितनी भूमि है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 29 मई, 1997 को सरकार द्वारा मुआवजा के भुगतान हेतु स्वीकृतियां प्रदान की गई है ? यदि हां, तो उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभी तक भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। बांध देवपुरा की नहर व माइनरों के निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति गांव खसरा नम्बर व कृषक वाइज सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, बांध देवपुरा भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया में बांध देवपुरा की नहर व माइनर के निर्माण के लिए भूमि

(सिंचाई मंत्री)

अवाप्ति अधिनियम 1984 के तहत धारा 4 के अन्तर्गत नोटिस का प्रकाशन उपशासन सचिव एवं प्रा.स. वास्ते मुख्य अभियंता सिंचाई, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 29/मुअ/96/2336 दिनांक 21.5.97 के द्वारा किया गया है। अब इस प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिनियमों के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा धारा 5 की कार्यवाही प्रगति पर है। इसके पश्चात ही भुगतान हेतु स्वीकृति (अवार्ड) प्रदान धारा 6 के अन्तर्गत की जाएगी। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड जारी होने के पश्चात भुगतान की कार्यवाही कर दी जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील खारची का प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन प्रकरण

213. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील खारची के ग्राम धामली में 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन बन कर तैयार हो चुका है? यदि हां, तो अब उसे चालू कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

जी हां। तहसील खारची के अन्तर्गत ग्राम धामली में 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इस ग्रिड सब-स्टेशन को मार्च, 1998 में चालू कर दिया गया था।

तहसील रायपुर/सोजत (पाली) के ग्रिड सब स्टेशन की लाइनों की क्षमता

214. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील रायपुर व सोजत (पाली) में 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन ऐसी लाइनें है जिन पर क्षमता से अधिक भार है? क्या सरकार उक्त भार को दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे?

(2) क्या यह सही है कि जिला पाली में उच्च स्तरीय विद्युत जिला समिति ने गत वर्ष निर्णय लेकर रायपुर तहसील के पिपलिया कलां के 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन से राजस्व गांव कलालिया, आसन जिलेलाव बगड़ी, खाण्डामागा बेलपना, कोट–किराणा तथा सीरमा को अलग कर सहायक अभियंता विद्युत खण्ड बवाजा (ब्यावर) से जोड़ने का निर्णय लिया था?

उत्तर

(1) तहसील रायपुर व सोजत (पाली) में 33 के.वी. व 11 के.वी. ग्रिड सब–स्टेशन की ऐसी कोई भी लाइन नहीं है, जिन पर क्षमता से अधिक भार हो।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) श्रीमान हीरासिंह चौहान तत्कालीन प्रधान, पंचायत समिति, रायपुर ने अधिकार सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 27-12-1997 में रायपुर तहसील के बगड़ी, वेलखुजा, कोटकिराणा, सिरमा, कलासिया, ग्रासन जिलेलाव इत्यादि गांव जो वर्तमान में सहायक अभियंता (ग्रामीण) पिपलिया कलां वृत पाली के अधीन हैं उन्हें सहायक अभियन्ता (रूरल) जवाजा वृत अजमेर के अधीन हस्तान्तरित किये जाने का आग्रह किया था। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

इटावा (कोटा) का मिनी हाइड्ल संयत्र प्रकरण

215. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इटावा जिला कोटा में 0.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन का मिनी हाइड्ल संयंत्र स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस योजना पर वर्ष 1990-91 से 1995-96 तक व्यय किया गया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपर्युक्त योजना को निरस्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त योजना किस अधिकारी के द्वारा निरस्त की गई। निरस्त करने के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त योजना पर 6 वर्ष तक राशि व्यय करने के बाद एक्सपेरीमेंट का बहाना बनाकर निरस्त करना उचित है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार इस योजना को पुनः चालू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, योजना आयोग द्वारा 17-9-1986 को कोटा जिले के इटावा ग्राम में 109.37 लाख रुपये की अनुमानित लागत की 0.5 मेगावाट क्षमता की लघु पन बिजली योजना स्वीकृत की गई थी।

(2) जी हां, प्रतिवर्ष इस योजना पर किए गए व्यय का विवरण परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां, निरस्त करने का मुख्य कारण परियोजना आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं पाई गई। परियोजना को निरस्त करने का निर्णय मण्डल द्वारा दिनांक 12 व 17–7–1996 को हुई 450 वीं बैठक में लिया गया। निर्णय की प्रति परिशिष्ट 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। यह सही नहीं है कि परियोजना को प्रयोग के तौर का बहाना बना कर निरस्त किया गया है। निरस्त करने का मुख्य कारण परियोजना की संशोधित लागत में अत्यधिक वृद्धि होना

(ऊर्जा मंत्री)

है, जिसके फलस्वरूप योजना आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं पाई गई। मण्डल ने अपनी 450 वीं बैठक, जो कि 12 जुलाई एवं 17 जुलाई, 1996 को सम्पन्न हुई थी, में प्रत्येक पहलू पर भलीभांति विचार करके परियोजना को रद्द करने का निर्णय लिया एवं जो प्लांट एवं मशीनरी खरीद ली गई थी, उसको उचित मूल्य पर बेचान करने के लिए इच्छुक विक्रेताओं से पत्राचार किया जा रहा है। अतः इसके लिए कोई व्यक्ति विशेष दोषी नहीं है। विद्युत मण्डल का इस योजना को पुनः चालू करने का कोई विचार नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

जिला बांसवाड़ा/डूंगरपुर/चित्तौड़गढ़ के आदिवासी ग्रामों का विद्युतीकरण

216. श्री नन्दलाल (प्रतापगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं चित्तौड़गढ़ के उपखण्ड प्रतापगढ़, सलूम्बर झाडोल एवं पंचायत समिति धरियावद एवं गिर्वा में ग्रामीण विद्युतीकरण का क्या प्रतिशत है ? पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदिवासी क्षेत्रों में राज्य के अन्य पंचायत समिति के समान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं चित्तौड़गढ़ के उपखण्ड प्रतापगढ़, सलूम्बर झाडोल एवं पंचायत समिति, धरियावद एवं गिर्वा के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रतिशत परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त आदिवासी क्षेत्रों में राज्य की अन्य पंचायत समितियों के समान ही ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये उपलब्ध वित्तीय मद का 12.44 प्रतिशत राशि व्यय किये जाने का प्रावधान है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

सहकारी समितियों के सदस्य बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण

217. श्री अमराराम (धोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राज्य में सहकारी समितियों में नये सदस्य बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु कोई कानून बना रही है ?

(2) ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नये सदस्य नहीं बनाने के लिए दोषी व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापक के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(श्री अमराराम)

(3) ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. मलिकपुर (सीकर) में कितने सदस्य नये बनाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त समिति में नये सदस्यों की शुल्क राशि वर्ष 1992 में जमा करवाई गई थी ? यदि हां, तो उक्त शुल्क का क्या हुआ ? वह किस मद में है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सहकारी संस्थाओं, जिनमें ग्राम सेवा सहकारी समितियां भी सम्मिलित हैं, में सदस्यता की पात्रता रखने वाले नए सदस्य नहीं बनाए जाने की स्थिति में विधिक प्रावधान सहकारी अधिनियम 1965 की धारा 19 में निहित है।

(3) ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. मलिकपुर (सीकर) में वर्ष 1992 से फरवरी, 1999 तक कुल 125 नए सदस्य बनाए गए हैं।

(4) जी हां। उक्त फीस समिति में हिस्सा राशि एवं सदस्यता शुल्क के प्रति प्राप्त हुई थी तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. सीकर की बैंक शाखा रींगस में समिति के ऋण खाते में जमा करा दी गई है।

जयपुर शहर की गृह निर्माण सहकारी समितियों में नियुक्त प्रशासक

218. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में ऐसी कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं जिनमें प्रशासक नियुक्त है ?

(2) उक्त समितियों से कब-कब से किस–किस कारण से प्रशासक लगाए और प्रशासकों ने समितियों का चार्ज कब-कब लिया तथा किस-किसने चार्ज नहीं लिया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त समितियों के संबंध में सहकारी अधिनियम की धारा 74 के मामले भी चल रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी सुनवाई कौन–कौन अधिकारी कब–कब से कर रहे हैं ?

(4) धारा 74 के मामलों के फैसले समय पर हो इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर की 36 गृह निर्माण सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) उक्त 36 गृह निर्माण सहकारी समितियों में प्रशासकों की नियुक्ति संबंधी चाहा गया विवरण परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

(3) जी हां, जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त हैं, उनमें से एक समिति बुनियादी विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 के पूर्व संचालक मंडल (संयुक्त रूप से) के विरुद्ध रुपए 66,626.00 के गबन एवं दुरुपयोग का मामला धारा 74 में दिनांक 27-1-99 को पंजीबद्ध हुआ है। उक्त प्रकरण में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 (1) में श्री हंसराज पारीक, निरीक्षक (कार्य.) को दिनांक 30–1–99 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(4) राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 के अंतर्गत पंजीकृत मामलों का अधिनियम की धारा 74 व तत्सम्बन्धी नियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार ही कार्यवाही की जाती है। विभागीय स्तर पर वैधानिक प्रकरणों के निस्तारण की समय-समय पर समीक्षा की जाकर आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र जैसलमेर का माइनर निर्माण प्रकरण

219. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या इंदिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जैसलमेर जिले के चीनू एवं अर्जुना माइनर का निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे उस क्षेत्र के काश्तकार सिचाई सुविधा से वंचित रह गये हैं? यदि हां, तो अब उक्त माइनरों का कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा?

उत्तर

इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जैसलमेर जिले की चीनू माइनर का निर्माण नहीं किया गया है क्योंकि; इस नहर का निर्माण तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। अतः कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अर्जुना माइनर का निर्माण वर्ष 1990 में पूर्ण किया जा चुका है। यह माइनर सागर मल गोपा शाखा की बुर्जी 90.8 (27.68 कि.मी.) से निकलती है। इसकी लम्बाई 6.63 कि.मी. एवं जल प्रवाह 21.41 क्यूसेक है। इसका सिंचित क्षेत्र कुल 13 चकों पर 3451 हैक्टेयर है।

विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के अकालग्रस्त ग्रामों का स्थाई समाधान प्रकरण

220. श्री मादराम मेघवाल (टीबी): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मादराम मेघवाल)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के सैम से ग्रसित ग्रामों को स्थाई अकाल ग्रस्त घोषित कर ग्राम वासियों को राहत पहुंचाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं । विभाग द्वारा फसल खराब होने पर ही प्रभावग्रस्त घोषित किये जाने का प्रावधान है तथा प्रभावग्रस्त क्षेत्र के लिए प्राकृतिक आपदाओं हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सहायता राशि अस्थाई रूप से एक निर्धारित अवधि के लिए ही उपलब्ध कराई जाती है। स्थाई तौर पर सहायता राशि स्वीकृति हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन कायड़ (अजमेर) का निर्माण प्रकरण

221. श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मई, 1998 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय कायड़ की चार दीवारी निर्माण हेतु राशि स्वीकृति की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त शाला की चारदीवारी कार्य पूर्ण करवाकर इसका मूल्यांकन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कर दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत घूघरा ने पूरा हिसाब बनाकर विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीनगर को प्रेषित कर दिया है ? यदि हां, तो अब तक इस पर लगे श्रमिकों को भुगतान क्यों नहीं किया गया ? क्या सामग्री की राशि ग्राम पंचायत को उपलब्ध नहीं कराई गई ? यदि हां, तो क्यों ? अब उक्त श्रमिकों एवं सामग्री का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त कार्य ग्राम पंचायत द्वारा अकाल राहत कार्यों की स्वीकृति के अन्तर्गत नहीं कराया गया । प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कायड़ द्वारा अपने स्तर से जन सहयोग से पूर्ण कराया था। मजदूरों को मजदूरी राशि नहीं मिलने की शिकायत प्राप्त होने पर जांच कार्यवाही के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियंता से मूल्यांकन कराया गया।

(3) उक्त कार्य अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत नहीं कराया गया । अतः भुगतान करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जांच कार्यवाही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत घूघरा ने विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीनगर को हिसाब तैयार करके प्रस्तुत किया है। उप खण्ड अधिकारी, अजमेर से इसकी जांच कराई जा रही है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 222

(स्थगित)

जिला झुन्झुनूं के सरकारी कालेज

223. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने सरकारी कालेज किस–किस जिले में कितनी-कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि इस दृष्टि से कुछ जिले बिलकुल ही उपेक्षित रहे हैं ? क्या झुंझुनूं जिला भी उनमें से एक है ?

उत्तर

(1) राज्य में 101 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं जिनकी जिलेवार कालेजों की सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट-घ में उपलब्ध है।

(2) जी हां। वार्षिक योजना 1999-2000 में झुन्झुनूं जिले के खेतड़ी उपखण्ड में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजकीय क्षेत्र में एक महाविद्यालय प्रारम्भ करने की योजना है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

राज्य के भवन विहीन महाविद्यालय

224. श्रीमती यास्मीन अबरार (सवाई माधोपुर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में राज्य में सरकार ने कितने महाविद्यालय प्रारंभ किये ? उक्त महाविद्यालयों में भवन की क्या व्यवस्था है ?

(2) राज्य में महाविद्यालय प्रारंभ करने के क्या मानदण्ड हैं ? इस चालू वर्ष में कितने महाविद्यालय प्रारम्भ करने का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 1994–95 से 1998-99) में राज्य सरकार ने राजकीय क्षेत्र में 30 एवं निजी क्षेत्र में 56 महाविद्यालय प्रारम्भ किये इन महाविद्यालयों के भवन की व्यवस्था निम्न प्रकार है :—

क्षेत्र	स्वयं का भवन	किराये का भवन	अस्थाई व्यवस्था	महा. प्रारम्भ नहीं हुए	कुल
राजकीय	10		20		30
निजी क्षेत्र	42	09		5	56

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(2) राज्य में महाविद्यालय प्रारम्भ करने के निर्धारित मानदण्ड की प्रतिलिपि सदन की मेज पर परिशिष्ट-अ के रूप में उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 1999-2000 में 14 नवीन महाविद्यालय राजकीय क्षेत्र में प्रारम्भ करने की योजना है।

(प्रतिलिपि के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

झालाना डूंगरी के चिकित्सक का स्थानान्तरण प्रकरण

225. डा. रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आयुर्वेद चिकित्सकों के स्थानान्तरण हेतु कोई नीति बनी हुई है? यदि हां, तो क्या? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ऐसे चिकित्सकों का स्थानान्तरण कर रही है, जिनकी सेवा अवधि अब दो वर्ष से कम है, जो अपनी सेवा अवधि का अधिकतम कार्यकाल ग्रामीण क्षेत्र की सेवा करने के पश्चात अब शहरी क्षेत्र में पदस्थापित है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि झालाना डूंगरी, जयपुर में पदस्थापित चिकित्सक जिन्होंने अपनी सेवा अवधि के 35 वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करने के उपरांत गत 2 माह पूर्व शहरी क्षेत्र में आए है तथा जिनकी सेवा अवधि अब 2 वर्ष से कम है, का स्थानान्तरण पुनः ग्रामीण क्षेत्र में कर दिया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। प्रशासनिक दृष्टि से स्थानान्तरण किए गए हैं।

(3) जी हां। ग्रामीण क्षेत्र में पुनः किया गया स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टि से किया गया है। इस प्रकरण में कोई विभागीय अधिकारी दोषी नहीं है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

बाप (जोधपुर) में यूनानी चिकित्सा के औषधालय की स्थापना

226. श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई (सूरतगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह भी सही कि जिला जोधपुर के बाप कस्बे के आसपास बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है?

(2) क्या यह भी सही है कि मुसलमानों में यूनानी चिकित्सा पद्धति में गहरी आस्था है और इस क्षेत्र के लोग लम्बे समय से यूनानी दवाखाना खोलने की मांग कर रहे हैं?

(श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई)

(3) क्या सरकार इस वर्ष कस्बा बाप जिला जोधपुर में यूनानी दवाखाना खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। यह सही नहीं है कि बाप कस्बे में यूनानी दवाखाना खोलने की मांग लम्बे समय से की जा रही है।

(3) बजट पारित होने के पश्चात प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार करेगी।

जाट बहरोड से बीजवाड़ चौहान सड़क निर्माण प्रकरण

227. डा. जसवंत सिंह यादव (मण्डावर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जाट बहरोड़ से बीजवाड़ चौहान तक बनाई जा रही है सड़क का निर्माण कार्य ग्राम जालावास मनेठी के पश्चात अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या अब सरकार उक्त सड़क के मात्र तीन किलोमीटर टुकड़े के निर्माण कार्य को (वाया ग्राम भोजपुरी) बीजवाड़ चौहान तक चालू कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक चालू कर पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1988 में जाट बहरोड़ से ग्राम जालावास तक 4 कि.मी. की सम्पर्क सड़क ही स्वीकृत की गई थी, जिसका निर्माण पूरा किया जाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

(2) जी नहीं। ग्राम बीजवाड़ चौहान पूर्व में ही सड़क से जुड़ा हुआ है।

कृषि उपज मण्डी समिति नवलगढ़ द्वारा व्यय राशि प्रकरण

228. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुंझुनूं की कृषि उपज मण्डी नवलगढ़ में वर्ष 1995-96 से 1998-99 में कितनी–कितनी आय हुई ?

(2) उक्त आमदनी में से सब यार्ड मुकुन्दगढ़/उदयपुरवाटी तथा गुढ़ा गोडजी की कितनी आमदनी हुई ?

(3) क्या यह सही है कि मण्डी की आमदनी की 60 प्रतिशत राशि उसी क्षेत्र के विकास कार्यों पर व्यय करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो उक्त अवधि में गुढ़ा सब यार्ड क्षेत्र में कितनी राशि विकास कार्यों में व्यय की गई ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति नवलगढ़ की आय निम्न प्रकार रही है:–

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	वर्ष	आय मण्डी शुल्क	आय अन्य आय	कुल योग
1.	1995-96	32.03	4.32	36.35
2.	1996-97	30.09	5.33	35.42
3.	1997-98	35.50	6.95	42.45
4.	1998-99	45.10	7.90	53.00

(2) सब यार्ड मुकन्दगढ़/उदयपुरवाटी, गुढ़ा गोड़जी की आमदनी का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	वर्ष	मुकन्दगढ़	उदयपुरवाटी	गुढ़ा गोड़जी	योग
1.	1995-96	8.25	2.11	13.22	23.58
2.	1996-97	9.41	1.87	11.45	22.73
3.	1997-98	13.16	2.25	11.63	27.04
4.	1998-99	16.61	2.50	17.17	36.28

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(3) जी नहीं। वस्तुतः विशिष्ट, ए एवं बी श्रेणी मंडियों की आमदनी में से संस्थापन/ प्रशासनिक व्यय तथा अन्य अपरिहार्य व्यय दायित्वों को घटाने के पश्चात शेष रही राशि का 60%. भाग उस मण्डी के क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण एवम् 40%. भाग मण्डी यार्ड के विकास/निर्माण कार्यों पर व्यय किये जाने का प्रावधान है।

अतः सम्पूर्ण बचत राशि मण्डी यार्ड विकास पर व्यय की जा सकती है। गौण मंडी गुढ़ा गोड़जी, तहसील उदयपुरवाटी के अन्तर्गत आती है, तथा तहसील उदय-पुरवाटी में मंडी समिति नवलगढ़ द्वारा निम्न राशि विकास कार्यों पर व्यय की गई है –

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	वर्ष	व्यय की गई राशि
1.	1995-96	0.90
2.	1996-97	0.57
3.	1997-98	1.61
4.	1998-99	0.80

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री राजेन्द्र राठौड़, एवं श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं तीन अन्य सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 2 अप्रेल, 1999 की मध्य रात्रि में राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय बजाजनगर, जयपुर से 12 वीं कक्षा के प्रश्न पत्र जबरन निकाल कर ले जाने की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(2) श्री यशवंत सिंह एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र रूपवास, नदबयी में गम्भीरी नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री रामप्रताप एवं दो अन्य सदस्य; विधान सभा की ओर से बीकानेर स्थित जन्तुआलय में दिनांक 24-3-99 की रात्रि में 25 काले हिरणों को मार दिये

(श्री अध्यक्ष)

आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

इसी विषय पर आज सदन में ध्याना-कर्षण प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा हो रही है। अतः स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है:—

(1) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस थाना रेल-मगरा के ग्राम गवारड़ी में एक महिला के साथ हुए बलात्कार एवं तत्पश्चात आत्म हत्या की घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनु-मति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को गृह विभाग की मांग पर चर्चा के समय बोलने का अवसर उपलब्ध रहेगा।

(2) श्री भंवर लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में आयो-जित हुए भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में आयोजकों द्वारा स्टेडियम की क्षमता से अधिक टिकट बेचने तथा टिकट धारियों के टिकट होते हुए भी मैच देखने से वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

इसी विषय में श्री सुरेन्द्र व्यास व दो अन्य माननीय सदस्यों ने प्रक्रिया के नियम 127 के अन्तर्गत भी सूचना दी है। दिनांक 7 अप्रेल, 1999 को इस विषय में गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जायेगा अतः स्थ-गन प्रस्ताव के रूप में इस विषय को उठाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस बात के लिए निवेदन कर रहा हूं, इस बार पता नहीं क्या दुर्भाग्य है, सैक-ण्डरी और हायर सैकण्डरी के बच्चों का, कि सम्पूर्ण प्रांत में वातावरण ऐसा बन गया कि परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी। कब होंगी, कैसे होंगी, क्योंकि एक के बाद दूसरा हम यहां आश्वासन दे रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा के बाद मंत्रीजी, आगे से मैं यह कदम उठा रहा हूं, यह कदम उठा रहा हूं। और दूसरी तरफ जो है अगर किसी भी विद्यालय में पांच लोग जाकर के अगर पर्चों को निकाल लेते हैं और उसके अनुसार उसके कारण से....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप लोग जो कुछ करना चाह रहे हो मंत्रीजी इसमें क्या कर लें। मंत्रीजी क्या कर लें उसमें। ..(व्यवधान) पांच साल तक लगातार करते रहे आखिर किया क्या आप लोगों ने ?.. (व्यवधान) मंत्रीजी क्या कर लेंगे उसमें ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इसको राजनीति में नहीं डालें.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : परसों माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपनी रिप्लाई में साफ-साफ कहा था कि जिन लोगों ने यह कारनामें किये उनकी पृष्ठभूमि क्या है.. (व्यवधान) मंत्रीजी आपको उसी वक्त स्पष्ट करना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह राजनीति का विषय नहीं है ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्रीजी आपको उस दिन हमने निवेदन किया था.... (व्यवधान) इस काम में जो लोग....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सुनियोजित षडयन्त्र है आप लोगों का। इसकी जांच करवायी जाय.... (व्यवधान) यह इस षड्यन्त्र के माध्यम से हो रहा है। इसके पीछे असामाजिक ताकतें हैं.. (व्यवधान) जो कि इसको करवा रही है यह वैल प्लान्ड और वैल मैनर्ड ढंग से किया जा रहा है।.. (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : पर्चे आउट करवाये हमको बदनाम करने के लिए....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह जानबूझकर इस सरकार को बदनाम करने के लिए सुनियोजित साजिश का एक अंग है। इस की जांच करवायी जाय कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है..(व्यवधान) किन लोगों का हाथ है जो कि राजस्थान की भावी....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। आसन पैरों पर।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ....पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्होंने जानबूझ कर षड्यन्त्र किया है। ..(व्यवधान) यह सुनियोजित षड्यन्त्र आपके लोगों के द्वारा किया गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इन बच्चों के भविष्य के बारे में हममें से किसी को कोई चिन्ता नहीं है क्या। हम मानवीय दृष्टिकोण से निवेदन कर रहे हैं .... (व्यवधान) जो बच्चा परीक्षा देता है..(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सोची हुई साजिश, चाल का अंग है। यह अविभाज्य अंग है। यह आपका सुनियोजित षडयन्त्र और तरीका है। आपने जानबूझ करके यह करवाया है।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): पर्चे आउट करवाये हैं इन्होंने....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उस बच्चे की परीक्षा.... (व्यवधान) वह जिस पेपर की तैयारी कर रहा है वह पेपर कल होगा कि नहीं होगा, उसकी परीक्षा में कोई विघ्न तो नहीं आयेगा। ऐसा अनिश्चितता का वातावरण बन गया है। उस मासूम बच्चे को अपनी परीक्षा के बारे में एक असमंजस की स्थिति बन गयी।

एक माननीय सदस्य : यह षडयन्त्र है इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इन लोगों का षडयन्त्र है सरकार को बदनाम करने का।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सरकार ने सब प्रकार के प्रयास किये, सब प्रकार के आश्वासन दिये और उसके अनुसार.... (व्यवधान) उसके बाद अगर तीन-चार लोग जाकर के डकैती करते हैं और पेपर निकाल दे ... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : शिक्षा मंत्रीजी रात को वहां जाकर एक-एक घण्टे में चैकिंग करें....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो कल क्या गारंटी है कि अब यह बोर्ड की परीक्षाएं गांव में सुरक्षित होगी....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह सुनियोजित षडयन्त्र है इसकी जांच करवायी जाय... (व्यवधान) राजस्थान में एक सुनियोजित षडयन्त्र के द्वारा यह लोग परीक्षा को नहीं होने देते (व्यवधान) यह लोग जानबूझ करके परीक्षा को निरस्त करवाना चाहते हैं....(व्यवधान) यह सुनियोजित षडयन्त्र है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर इस प्रकार के हालात बन गये। इन हालातों पर गहराई से बैठ करके विचार करना पड़ेगा और इस परीक्षा तन्त्र के बारे में हमको कोई कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। (व्यवधान) हितकारी यह होगा अध्यक्ष महोदय कि इसको राजनीति से ऊपर उठकर.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : असामाजिक तत्वों का पता लगाया जाय जो कि... (व्यवधान) यह जान बूझ करके करवाया जा रहा है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पूरे राजस्थान को ...(व्यवधान)+++किया जा रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक व्यक्ति ने दोष किया हो उसको सजा दी जाय कोई हर्जा नहीं। (व्यवधान) जिसने गलती की हो उसको फांसी पर लटका दें इसकी चिन्ता हमको नहीं....(व्यवधान) लेकिन आखिर उन 8 लाख मासूम बच्चों को, यह तो भारत का चिराग हैं....(व्यवधान) इसको दिखवाएं.—(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस प्रकार राजस्थान की तबाही की जा रही है+++। मेरे भारतीय जनता पार्टी..(व्यवधान)एक ऐसा षड़यंत्र था कि जान-बूझकर +++ आप यहां चर्चा कर रहे हैं..(व्यवधान) इस तरीके से समाज में, राजस्थान में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं आप लोग.... (व्यवधान) इस तरह से आप अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : इस तरह से शिक्षा मंत्री को बदनाम नहीं किया जा

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. करण सिंह यादव)

सकता; शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहिये कि इन बच्चों का...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्री महोदय ने...(व्यवधान) यह अपने षडयंत्र से कामयाब नहीं हो पाये.. (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सरकार कड़े से कड़े कदम लेती है। एक के बाद एक शिक्षा मंत्री सारी कर रहे हैं, मानीटरिंग कर रहे हैं लेकिन सुनियोजित षडयंत्र का अंग है (व्यवधान) + + + और आज भी आप ही लोग यह कर रहे हो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री श्रीचन्द कृपलानी...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : गलती करे उसको सजा दो, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है मैं इसकी परवाह नहीं करता लेकिन उस बच्चे को आश्वासन तो दोगे कि नहीं दोगे ? इसमें कैसे उसकी पढ़ाई होगी...(व्यवधान) बच्चों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह आर.एस.एस की पृष्ठभूमि वाले सारे लोग मिलकर के...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य..

श्री राजेन्द्र पारीक : राजस्थान सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तैयारी करके...(व्यवधान) यह सरकार इसकी व्यवस्था करे । इसमें न राजनीति है जिसने अपराध किया...(व्यवधान) उस अपराधी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए । इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी...

श्री अध्यक्ष : मुझे इस बात का... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : चाहे वह मैं हूं, चाहे और कोई हो, इसमें कोई घबराने की बात नहीं लेकिन...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + और अब यह करवा रहे हैं आप । यह आप ही का षडयंत्र का अंग है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बच्चा परीक्षा देगा, कब देंगे...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान में शांति व्यवस्था अस्थिर हो जाए यह इनका...(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री अध्यक्ष : मुझे स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है ...(व्यवधान) आप बैठिये । अव्यवस्था मत फैलाइये इस सदन में..(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन को बोलने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों को...(व्यवधान) नहीं, सदन में मुझे बहुत पीड़ा है दो-तीन दिन से जो मैं देख रहा हूं, लगातार, कि इस सदन में घोर अव्यवस्था उत्पन्न होती जा रही है । दोनों ओर के बैठे हुए माननीय सदस्यों से और उनके नेताओं से मेरा निवेदन है कि इस तरह से सदन में अव्यवस्था रहेगी तो सदन का कार्य चल नहीं सकता..

श्री जगत सिंह दायमा : तीसरा मोर्चा शामिल नहीं है इसमें ।

श्री अध्यक्ष : No commentary while sitting. शिक्षा मंत्रीजी, अगर आपके पास जानकारी अभी उपलब्ध है और जो अभी प्रश्न बच्चों के भविष्य के बारे में अनिश्चितता की जो स्थिति बनी हुई है, तो जैसा गुलाब चन्दजी कटारिया निवेदन कर रहे थे कि उस सम्बन्ध में आज स्पष्ट करने की अगर स्थिति में हैं तो मैं आपको वक्तव्य देने की अनुमति देता हूं ।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : अगर आपकी अनुमति हो तो मैं पूरी बात कह दूं ।

श्री अध्यक्ष : हां अनुमति है ।

शासकीय वक्तव्य

(स्थगन प्रस्ताव)

राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, बजाज नगर, जयपुर से 12वीं कक्षा के प्रश्न पत्र जबरन निकाल लिये जाने की घटना

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि जयपुर शहर के बजाजनगर स्थित राजकीय राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता को दिनांक 3-4-99 की प्रातः लगभग 3.00 बजे दूरभाष पर यह सूचना प्राप्त हुई कि विद्यालय के चौकीदार श्री रामसिंह के हाथ-पैर बांधकर कार्यालय का कुंडा तोड़कर अंदर रखी आलमारी पेपर वाली को तोड़कर पेपर के बंडल बाहर पटक रखे हैं । इस पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक तत्काल विद्यालय गये तथा देखा कि उनके कार्यालय का कुंडा टूटा हुआ पड़ा है तथा कमरे में रखी हुई बोर्ड के प्रश्न पत्रों की आलमारी को तोड़ा हुआ है तथा प्रश्न पत्रों के पैकेट्स आलमारी से बाहर निकालकर मुंह काटे हुए हैं । विद्यालय पहुंचने पर विद्यालय के चौकीदार श्री रामसिंह ने उन्हें बताया कि तीन लड़कों ने उसे हाथ-पांव व मुंह बांधकर कमरे का कुंडा तोड़ा एवं

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

टेलीफोन के तार काटकर एवं अलमारी को तोड़कर प्रश्न पत्रों के पैकेट काटकर, पटककर चले गये। उपरोक्त घटना की सूचना विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा थाना बजाजनगर जयपुर में दर्ज करायी गई जिसकी प्राथमिक रिपोर्ट एफ.आई.आर. 158/99 आई.पी.सी. की धारा 458 के अन्तर्गत केस दर्ज किया जाकर पुलिस द्वारा तफतीश जारी कर दी गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि इस घटना की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्राप्त होने पर उनके द्वारा यह सूचना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, एवं प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग और मुझे दी गयी। इस घटना के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशासक को भी दूरभाष पर सूचित किया गया एवं उन्हें यह निर्देश दिये गये कि वह बोर्ड के अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजने के लिये अविलम्ब रवाना करें।

पुलिस विभाग व शिक्षा विभाग के अधिकारी सूचना प्राप्त होने के तुरन्त बाद घटनास्थल पर पहुंच गये। पुलिस दल भी वहां पहुंच चुका था। घटनास्थल के अवलोकन से पाया गया कि जिस कमरे में प्रश्न पत्र रखे हुए थे उस कमरे की कुंडी तोड़ दी गयी थी तथा सील बंद अलमारी का दरवाजा भी आधा खुला हुआ था एवं प्रश्न पत्र के पैकेट्स भी कुछ जमीन पर तथा कुछ टेबल पर बिखरे हुए पड़े थे। इस केन्द्र पर दिनांक 3-4-99 को अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक की पारी में होने वाले चित्रकला के प्रश्नपत्र के अतिरिक्त सीनियर सैकण्डरी परीक्षा के 9 प्रश्न पत्र और थे। इन सभी प्रश्न पत्रों के पैकेट्स काटे हुए थे। लगभग प्रातः 5.15 बजे श्री अजीत सिंह शेखावत, उप महा निरीक्षक, पुलिस भी मौके पर पहुंच गये। विद्यालय के चौकीदार श्री रामसिंह ने इस घटनाक्रम के बारे में बताया कि रात्रि को कुछ कुत्तों के भोंकने की आवाज पर वह प्रश्न पत्र वाले कमरे के बाहर चारपाई पर सो रहा था कि नींद उड़ गयी एवं वह उठकर जब विद्यालय परिसर के पिछवाड़े की तरफ शौचालय की ओर गली से निकल रहा था तो उसे तीन व्यक्तियों ने दबोच लिया। जिनमें से एक के हाथ में चाकू एवं दूसरे के हाथ में पिस्तोल थी। यह व्यक्ति उसे डरा-धमकाकर प्रश्न पत्र वाले कमरे के पास ले गये एवं अपने कपड़े से उसके हाथ बांध दिये तथा उसके तोलिये से उसके पांव भी बांध दिये।

इसके पश्चात एक व्यक्ति पिस्तोल लगाकर श्री रामसिंह के पास खड़ा रहा, एवं शेष दो व्यक्ति कमरे की कुंडी तोड़कर उसमें घुसे एवं अलमारी का ताला तोड़कर प्रश्न पत्र निकाले एवं काटे। लगभग एक घंटे तक यही क्रम चलता रहा एवं उसके बाद जाते समय उसके हाथ जिस कपड़े से बांधे थे वह खोलकर ले गये एवं भाग गये। श्री रामसिंह ने अपने पांव खोलकर उन व्यक्तियों का पीछा किया, लेकिन वह उन्हें पकड़ने में सफल नहीं हुआ। श्री

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

रामसिंह ने तत्काल विद्यालय परिसर में रहने वाली व्याख्याता श्रीमती बीना माथुर को घटना से अवगत कराया। घटना से अवगत होने के पश्चात श्रीमती माथुर ने इस घटना की जानकारी पुलिस स्टेशन बजाजनगर एवं उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जयपुर को दी।

माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक उसी दिन प्रातः काल आयोजित हुई जिसमें गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महा निदेशक, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा व उप महा निरीक्षक आरक्षी, जयपुर उपस्थित थे। बैठक में विचार विमर्श के पश्चात जो निर्णय लिये गये वह इस प्रकार है :–

सभी परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस/होम-गार्ड के दो व्यक्ति रात्रि को सुरक्षा के लिए तैनात किये जाएं।

सभी केन्द्रों पर शिक्षा विभाग के दो कर्मचारी रात्रि के समय निगरानी हेतु केन्द्रों पर उपलब्ध रहेंगे।

केवल दिनांक 3-4-99 को चित्रकला की परीक्षा के अतिरिक्त अन्य परीक्षाओं के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाकर पूर्व निर्धारित तिथियों को ही नये परचे के साथ परीक्षाएं करायी जाएंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय; मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने प्रशासक; माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह निर्देश जारी किये कि चित्रकला के अतिरिक्त शेष प्रश्न पत्रों की परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथियों पर ही नये प्रश्न पत्रों के साथ करायी जावे। इसी के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने चित्रकला का प्रश्न पत्र निरस्त कर उसे पुनः दिनांक 7–4–99 को अपराह्न 3 बजे से सायंकाल 6 बजे तक कराने का निर्णय लिया है। जिसके सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति भी अलग से जारी कर दी गयी है। जो माननीय सदस्यों ने अभी चिन्ता जाहिर की कि लड़कों के भविष्य का क्या होगा, अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से सदन को अवगत कराया है कि जो परीक्षाएं जिस शिड्यूल के ऊपर निर्धारित थी, वह उसी शिड्यूल के अनुसार उसी तारीख को करवायी जाएगी और केवल चित्रकला का पेपर, जो 3 तारीख को होने वाला था वह 7 तारीख को हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने दिनांक 3-4-99 को समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जिला दंडनायक एवं समस्त पुलिस अधीक्षकों को संदेश प्रेषित कर यह निर्देश जारी कर दिये हैं कि जिला दंडनायक, पुलिस अधीक्षक एवं जिला शिक्षा अधिकारी की एक कमेटी गठित की जाकर परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं के वापस किये जाने के लिए कार्य पुलिस की देखरेख में, उसके कलेक्शन के कार्यों की देखरेख पुलिस की कस्टडी में यह कलेक्शन होगा और गंतव्य पर पहुंचाने का

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

कार्य उनकी देखरेख में किया जायेगा। इस सदेश के द्वारा यह भी निर्देश जारी किये गये हैं कि परीक्षा केन्द्रों पर जहां प्रश्न-पत्र रखे जायेंगे वहां सूर्यास्त होने और सूर्य उगने से पूर्व दो-दो पुलिस कांस्टेबल/होमगार्ड लगाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग का स्टाफ भी इस कार्य में लगाया जायेगा।

इसी के साथ उत्तर पुस्तिकायें भेजते समय उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह कमेटी निर्णय करेगी। इसी के साथ उप जिला खण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं विकास अधिकारियों को भी यह निर्देश जारी किये गये हैं कि वे जब भी अपने क्षेत्रों के दौरे पर हों तो परीक्षा केन्द्रों को भी देखें। इसी प्रकार महा निदेशक पुलिस ने समस्त पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किये हैं कि समस्त परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस की माकूल व्यवस्था की जावे एवं यह देखा जाये कि परीक्षा बिना किसी बाधाओं के ठीक ढंग से चलती रहे। उनके द्वारा यह भी निर्देश जारी किये गये हैं कि उप अधीक्षक एवं थानाधिकारी अपने से सम्बन्धित क्षेत्रों में दिन एवं रात में परीक्षा केन्द्रों के समीप गश्त लगायेंगे एवं परीक्षाओं के समय भी पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी लगाये जाये ताकि परीक्षाएं जहां एक ओर शांतिपूर्वक संपन्न हो सकें वहीं परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक एवं उनके साथ इस कार्य में लगे सहयोगियों को सुरक्षा प्रदान हो सके।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने भी समस्त उप निदेशकों को दिनांक 3-4-99 को एक परिपत्र जारी करके यह निर्देश जारी किये हैं कि प्रत्येक परीक्षा केन्द्र अधीक्षक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह रात्रि के समय प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा हेतु अपने विद्यालय में उपलब्ध कर्मचारियों में से कम से कम दो व्यक्तियों की ड्यूटी लगायेंगे ताकि वे व्यक्ति प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा करते हुए रात्रि में निगरानी रखेंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी एवं केन्द्र अधीक्षक परीक्षाओं की अवधि में मुख्यालय में रहेंगे एवं उन्हें किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यह भी निर्देश जारी किये गये है कि बोर्ड परीक्षाओं की गोपनीयता एवं प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा में अगर किसी भी प्रकार की शिथिलता बरती गयी तो शिथिलता बरतने वाले अधिकारी, कर्मचारियों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही की जायेगी।

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत करना चाहूंगा कि यह जो घटना घटी है वह पूर्व में जो प्रश्न-पत्र लीक होने की घटना हुई थी उससे बिलकुल भिन्न है। इस घटना का उद्देश्य परीक्षार्थियों को परीक्षा में अनुचित लाभ पहुंचाने का नहीं होकर घटना का उद्देश्य प्रश्न-पत्र आउट करने के प्रयासों को विफल होते देख परीक्षाओं को सेबोटेज करने का था। यह एक अपराधिक षड्यंत्र रचा हुआ प्रतीत होता है। हम इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने

(श्री नुलाकी दास कल्ला)

कैसे और षड्यंत्रकारियों को कठोरतम सजा दिलवायी जायेगी ।

यही कारण है कि शिक्षा विभाग ने और सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम किसी हालत में परीक्षाओं को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में ही संपन्न करवायेंगे ताकि विद्यार्थियों का अहित न हो और षडयंत्रकारियों को यह पता चले कि उनके षडयंत्र को विफल करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से 2-3 सवाल करना चाहूंगा । अध्यक्ष जी, यह प्रकरण नया नहीं है । सबसे पहले राजस्थान में 20 तारीख को धोला के पास पर्चों का बंडल गिरता है, 22 तारीख को सूचना आती है उसके बाद...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : इससे अच्छा जवाब क्या हो सकता है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 24 तारीख को समाचार पत्र में हूबहू प्रश्न–पत्र प्रकाशित होता है । विधान सभा के अंदर पूरा प्रकरण आता है । शिक्षा मंत्री जी खड़े होकर बयान करते हैं कि सारा माकूल प्रबन्ध किया जायेगा । एग्जामिनेशन की सेंक्टिटी बनी रहेगी । 31 तारीख को मुख्य मंत्री जी खड़े होते हैं और कहते हैं कि पुलिस की व्यवस्था भी हरेक जहां परीक्षा केन्द्र है, 2–2 पुलिस की व्यवस्था हो जायेगी । चपड़ी जिस तरह 2-3 लगाई गयी थी वह चपड़ी लगायी जायेगी । और अभी इन्होंने बयान में कहा है कि सारे निर्देश दे दिये और शिक्षा मंत्री जी निर्देश कितनी तारीख को दिये ? आपने सदन में वक्तव्य दिया 31 तारीख को और आपने निर्देश जारी किये थे, खुद अपने बयान में कहा है कि 3 तारीख को आपने निर्देश जारी किये कि पूरे प्रश्न-पत्र जहां परीक्षा के केन्द्र हैं वहां 2-2 कांस्टेबल नियुक्त किये जायेंगे ।

मेरा निवेदन है, मेरा आरोप है कि अगर आप 31 तारीख को गंभीर होते तो शायद इस तरह के हालात राजस्थान में पैदा नहीं होते । सवाल इस बात का नहीं है कि एग्जामिनेशन आप उन्हीं तारीखों को करवा रहे हैं । सवाल इस बात का है कि आज इस परीक्षा की विश्वसनीयता कहां रह गयी है । आज जो बच्चा पढ़ता है उसके मन में यह रहता है कि कल वापस ये प्रश्न–पत्र फिर कहीं आउट होंगे । आप माकूल व्यवस्था नहीं कर सके । मुख्यमंत्री जी ने सदन में जो आश्वासन दिया था, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी आपकी वह बातें संवेदनशीलता, पारदर्शिता धराशायी हो रही हैं । कहां संवेदनशीलता है ? राजस्थान का मुख्यमंत्री यह कहे कि राजस्थान में एग्जामिनेशन की सेंक्टिटी बनायी रखेंगे । सारे परीक्षा केन्द्रों पर माकूल प्रबन्ध होगा और प्रबन्ध के नाम पर शून्यता और शिक्षा मंत्री जी हरेक चीज को राजनीति में डालने की कोशिश न करें । बोलो ना षडयंत्रकारियों के नाम, कौन आपको कहता है ।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन को गुमराह करने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी ने किया है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई विशेष बात नहीं पूछना चाहता हूं। आगे के लिए भी आपने जिस प्रकार की अपने मन में इच्छा जाहिर की है, अगर यह बहुत पहले करते तो शायद अपने बच्चों को बहुत कुछ राहत पहुंचाते। और, कोई बात नहीं। जिस प्रकार का भी लेकिन इसमें फिर आपने दो लेकूनाज छोड़े हैं। उनको भी आप ध्यान में करें। एक तो आपने आज अखबार में दिया कि हम प्रश्न पत्रों को बोर्ड में तैयार करा रहे हैं।

मैं सोचता हूं कि इसे बिना बोले भी तैयार करा देते तो वह परीक्षा के संचालन के लिए ज्यादा अच्छा होता। हमने उसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। हमारे प्रश्न–पत्र कहां तैयार होंगे इसको अखबार में देने की क्या आवश्यकता थी। हम बिना इसके दिये भी कह सकते थे कि हमारे प्रश्न पत्र तैयार होंगे और समय पर हम करायेंगे। हमने यह जान-बूझकर के किस कारण से गलती की है। एक तो इस बारे में बहुत सचेत रहना चाहिए।

दूसरा, जहां प्रश्न-पत्र बोर्ड में तैयार हो रहे हैं तो उसके लिए पूरी चौकसी की व्यवस्था करें क्योंकि आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी बोर्ड के अंदर प्रश्न-पत्र तैयार नहीं हुए हैं। इसलिए कहीं ऐसा न हो कि बाड़ ही खेत को खा जाये इसलिए सचेत रहने के लिए जो भी व्यवस्था करनी हो उसकी माकूल व्यवस्था करें। तीसरा यह है कि समय पर जैसा आपका शिड्यूल है उसके अनुसार आप परीक्षाएं संचालित कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आपने जो प्रयास किया, आपको इसके लिए धन्यवाद।

लेकिन एक बात मैं आपसे और चाहता हूं कि परीक्षाओं के रिजल्ट समय पर निकलें इसके लिए आपकी परीक्षा की कापियां जंचाने का जो कार्यक्रम हो, वह किसी एक केन्द्र पर निश्चित करें। जो शिडयूल टाइम हमारा है परीक्षा के रिजल्ट का, उसको मेनटेन करने की कोशिश करें कि उस शिडयूल टाइम पर हम बच्चों का परीक्षा परिणाम निकाल सकें। चाहे हमारा खर्चा ज्यादा हो, कोई बात नहीं क्योंकि पौने दो करोड़ का तो वैसे ही चूना लग गया। अगर मान लो, 5–50 लाख का और नुकसान हो जायेगा तो हो जाये लेकिन हम परीक्षाओं की कापियां कहीं एक ही केन्द्र पर विभिन्न तरीकों से जंचवा कर तुरन्त रिजल्ट तैयार करें और तुरन्त रिजल्ट को दे सकें। यह व्यवस्था और करें और भविष्य के लिए इसको राजनीति में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बच्चे आपके भी हैं, हमारे भी हैं। अगर किसी ने भी, जिसने गलती की, उसको आप कठोर से कठोर दंड दें। इसमें

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किसी को कोई हर्ज नहीं है। लेकिन केवल बातों को गुमराह करके किसी सच्चाई को छुपाने का प्रयास ना करें। वह बदमाश चाहे किसी भी पार्टी से सम्बन्धित हो और चाहे किसी से भी सम्बन्धित हो, उसको दंड मिलना चाहिए ताकि इस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो प्रतिष्ठा आज दिन तक हिन्दुस्तान में थी, उस प्रतिष्ठा को दाग नहीं लगे और आगे से हम ऐसी पुख्ता व्यवस्था कर सकें ताकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा जो नम्बर एक पर आज हिन्दुस्तान में चल रही है, केन्द्रीय बोर्ड से भी अच्छी स्थिति में है, उसको आप मेनटेन कर सकें। और मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इसके तह में जाकर के पता लगायें कि यह घटनाक्रम एक के बाद एक कैसे चल रहे हैं? किसके द्वारा चल रहे हैं? कौन चला रहा है? इसका आप पूरा ध्यान देकर पुलिस को मुस्तैदी से इन सारे परीक्षा केन्द्रों....(व्यवधान) फिर आप कहीं दो दिन वेट करें और फिर कहीं न कहीं यह बवेडा हो जायेगा।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, यह तो यही कहते रहेंगे। यह रिपोर्ट हो रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसलिए आपके जहां पेपर हैं वहां आपकी पुलिस पहुंचकर उसकी कस्टडी में पेपर लेकर उसको अपने सामने खुलवाकर पेपर को डिस्ट्रिब्यूट कराने का काम करें ताकि हम इसको व्यवस्थित कर सकें।

श्री जगत सिंह दायमा : जो प्रश्न-पत्र आप तहसील में और थाने में रख रहे हैं। मेरा इसमें सुझाव है कि तहसील और थानों की बजाय अगर बैंकों में रखे जायें तो उचित रहेगा...(व्यवधान) यह मजाक तो है नहीं और मजाक करें तो आपकी मर्जी की बात है। अब जो बात मैं सीरियसली कहता हूं उसको भी अगर कोई...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, पेपर पहले भी लीक हुए और पेपर परसों भी लीक हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों घटनाओं में दिन और रात का अंतर है। जमीन और आसमान का अंतर है।

श्री जगत सिंह दायमा : बैंकों की व्यवस्था दिल्ली में है। दिल्ली में है ऐसी व्यवस्था। (व्यवधान) बोलें आप।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, जो पहली घटना घटित हुई, उसमें यह बात मानी जा सकती है कि जिसने भी पेपर लीक किया, उससे परीक्षा देने वाला इन्सान या छात्र फायदा उठा सकता है या जिसने भी पेपर लीक कराया वह उसके बदले में कुछ कमा सकता है। जिनको पेपर आउट कराये लेकिन यह जो घटना बजाज नगर में हुई, मेरा मानना है कि मुख्य मंत्रीजी, जिस दिन आपने स्टेटमेंट दिया और आप कह रहें थे कि इस बात की एक कमेटी बना दी जाए, आप तो उसको मजाकी लहजे में कह रहे थे या टोंटिंग में कह रहे थे।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

लेकिन मैं आपकी बात को सत्य मान रहा था। आप विपक्ष के नेता को कह रहे थे कि आप उस कमेटी के चेयरमैन बन जाएं। कौन लोग हैं, किस प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने यह काम किया, अगर उसी दिन कमेटी बना दी जाती, विपक्ष के नेता के नेतृत्व में न सही, मेरे नेतृत्व में बना देते तो यह घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। तीन बजे पेपर लीक होता है, दूसरे दिन पेपर था।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : एक भी पेपर लीक नहीं होता।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कल यह घटना हुई। अगर बैंक को लूटा जाता, सोने को, चांदी को, कीमती वस्तु को बन्दूक की नोक पर लूटा जाता, तो यह बात मानी जा सकती थी कि लुटेरे कुछ न कुछ फायदा उठाना चाह रहे थे।

लेकिन तीन बजे पर्चे लूटे गए, सुबह परीक्षा थी। पर्चा लूटने का मकसद केवल सरकार को बदनाम करने और सरकार के खिलाफ यह माहौल पैदा करना कि सरकार सक्षम नहीं है और जिसने भी चुना, ऐसी शक्ति को चुना, जो आपकी सरकार को नुकसान पहुंचा सकती है। पर्चे लूटने से शिक्षा जगत में जो अव्यवस्था फैलेगी, मालूम है यह आक्रोश किनमें फैलेगा? नौजवानों में फैलेगा। जब भी किसी सरकार के खिलाफ क्रांति के लिए अग्रणी कोई तबका बना है तो वह बना है छात्र शक्ति और नौजवान। आप भी उसके प्रतीक रहे हैं। आप भी उसमें शिरकत किए हुए हैं।

इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि न केवल जिन्होंने पर्चे आउट किए उनको सजा दें बल्कि आप सरकार की कमेटी न बनाएं, अफसरों की कमेटी न बनाएं, सदन की कमेटी बना दें जो यह जांच करे, पुलिस अपनी जांच अलग से करेगी कि सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र किनका है। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि परीक्षा की सेंक्टिटी बनाए रखें और जिन्होंने भी यह कर्म किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मंत्री महोदय ने पिछली बार भी 31 तारीख को सदन में सारी स्थिति स्पष्ट की थी। उस समय यह बात आपने प्रमुख रूप से बताई थी कि आप एक्जामिनेशन सेंटर्स पर दो पुलिस के कर्मचारी नियुक्ति करेंगे। यह 31 तारीख की बात है, मैं समझता हूं कि उस समय दो पुलिस के कर्मचारी उपस्थित होते तो यह स्थिति नहीं बनती और जो पर्चे लूटने गए या निकालने गए, उन लोगों में साहस नहीं होता। इसमें देरी क्यों हुई, इस देरी के लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरा प्रश्न है, आपने इसी सदन में कहा था कि सात सील लगेगी, यह बात आपने 31 तारीख को कही थी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : वह नए पेपर्स के होंगी, उनके लिए कहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नए पेपर्स की नहीं, सात सील लगाने में नए पुराने पेपर का कोई प्रश्न नहीं है। अखबार में मैंने इनके जो फोटो देखें, जो सारे लिफाफे थे, उन पर तीन-तीन सील लगी हुई थी, दो-दो सील ही लगी हुई थी।

श्री बुलाकी दास कल्ला : एक मिनट क्लीयर कर दूं। जो परीक्षाएं स्थगित की हैं, उनके पेपर छपकर आएंगे, उनके सात सील होंगी। यह तो पुराने पेपर हैं।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे देना अभी आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह पूछ रहा था कि आपने कहा कि सात-सात सील लगेंगी। सात-सात सील लगाने का प्रश्न अगले साल के लिए था या इस साल की परीक्षाओं के लिए था। यदि इस वर्ष की परीक्षाओं के लिए था तो जो परीक्षा होनी है, उनके पर्चों पर भी इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह आपने इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की। यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आपका उस दिन का भाषण मेरे सामने है। और उस भाषण में दोनों बातें कहकर आपने सदन को आश्वस्त किया था कि अब दो पुलिस के सिपाही लगेंगें और सात सील लगेंगी, ये दोनों चीजें नहीं हुई। इसका कारण क्या है ?

तीसरी बात मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग में एक चपरासी के भरोसे, इस प्रकार सारे पेपर छोड़कर चले जाएं, क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पहले विचार नहीं किया था ? अब लगातार इस तरह से पर्चे आउट हो रहे थे, मैं इन दो बातों का स्पष्टीकरण चाहूंगा कि यह क्यों नहीं हुई। आज ही पुलिस के सिपाही क्यों गए ? पहले क्यों नहीं गए ? तीसरी बात मैं पूछना चाहूंगा कि प्रश्न पत्रों के बंडल के बारे में पुलिस वालों ने शायद आपको बताया नहीं होगा, आप पूछ लीजिए कि इन बण्डलों में कितने पर्चे निकले हैं, किस-किस विभाग के, कितने-कितने पर्चे गायब हुए हैं, वह एक जानकारी सदन को आपने अभी तक नहीं दी है। यह जानकारी दे दें तो मैं समझता हूं कि ठीक होगा।

जैसा आपने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब पर्चे छपवाएगा, यह सूचना पब्लिकली नहीं देनी चाहिए थी, अगर आपने दी है तो वह वापस ली नहीं जा सकती लेकिन अगर प्रेस को ही मालूम हो जाए कि अब सारे पर्चे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में छप रहे हैं तो उसका भी नुकसान है। यह तो जितनी सीक्रेसी मेनटेन की जाए, कम है। आज भी मैं कह सकता हूं, खैर आप अभी मंत्री बने हैं, तभी आपने कोशिश की होगी, आज तक इस बात का पता नहीं है कि पर्चे किस प्रेस में छपते हैं, कौन छपवाता है लेकिन आज आपने इसको ओपन कर दिया, पब्लिक को जानकारी दे दी, मैं यह समझता हूं कि आपने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उचित नहीं किया, इसकी सीक्रेसी मेनटेन करनी चाहिए; वह आपने नही की।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, परीक्षा की सेंक्टिटी पूरी बनाई रखी है, मैंने कहा है, मुझे खुद पता नहीं है कि पेपर कहां छप रहे हैं। अपने स्तर पर इसका इंतजाम बोर्ड ने किया है। कहाँ से छपवा रहा है, इसका हमको भी पता नहीं है।

प्रश्न पत्रों के बारे में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता महोदय ने जो दो-तीन प्रश्न अभी उठाए हैं, उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रश्न पत्र दुबारा छपेंगे, उनमें इस तरह की सील लगेगी। सैकण्डरी और हायर सैकेण्डरी के 122 पेपर जो होते हैं, उनमें पूर्व में पेपर आउट नहीं हुए थे और वे पहले से ही सप्लाई किए हुए हैं और उनमें पूर्व से ही व्यवस्था हुई है और दो सीलें लगी हुई हैं। इस बारे में मैंने पहले भी सदन को बताया था। नए सिरे से जो पेपर स्थगित किए हैं, उनमें हमारी व्यवस्था के अनुसार, निर्देश के अनुसार सीलें लगकर आएंगी। जो 16 पेपर स्थगित हुए हैं, सीनियर हायर सैकण्डरी के उनके बारे में मेरा वक्तव्य था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिन पर डाका डाला गया है, वह स्थगित प्रश्नपत्र नहीं है, प्रश्नपत्रों के बंडल पूरे नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित तो नहीं हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला : मेरा वक्तव्य तो 16 के बारे में था।

श्री अध्यक्ष : स्थगित तो नहीं हैं लेकिन यह तो पहले छप गए और पहले ही चले गए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जब लोगों को यह मालूम हो जाए कि दो सील लगने के कारण पर्चे आउट करने की सुविधा होती है, उसी आधार पर इन्होंने कहा था कि सात लगनी चाहिए तो जो अब होने वाले या परसों होने वाले थे उन पर भी यदि सात सील लग जाती तो यह प्रकाशन बहुत बड़ा होता।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, पहले से ही परीक्षा केन्द्रों पर वितरित किए हुए हैं, अब नए सिरे से जो स्थगित प्रश्नपत्र हैं वे सात सील होकर आएंगे, उनमें वही व्यवस्था होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनमें भी हो सकती थी।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह तो पहले से बोर्ड के वितरित किए हुए हैं, सारे परीक्षा केन्द्रों पर पहले ही भेजे हुए हैं। दूसरा प्रश्न आपने किया; मैंने उस दिन यह नहीं कहा था कि हर केन्द्र पर दो-दो पुलिस के गार्ड की व्यवस्था की जाएगी। तीसरे प्रश्न में आपने कहा

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

कि कितने-कितने प्रश्नपत्र आउट हुए ।

चित्रकला का एक प्रश्नपत्र चोरी किया गया, बीस व्यक्तियों की वहां परीक्षा होने वाली थी । अंग्रेजी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र का एक प्रश्न पत्र, वहां पर नौ प्रश्नपत्र शेष रहे, वहां पर यह समझिए कि लगभग नौ विद्यार्थियों की परीक्षा होने वाली थी । भूगोल, कला वर्ग के 60 में से 1 प्रश्नपत्र चोरी चला गया । अंग्रेजी साहित्य 10 में से 1 प्रश्नपत्र चोरी गया, संस्कृत साहित्य का 10 में से 1, समाज शास्त्र के 100 में से 10, उर्दू साहित्य 10 में से 1, भूगोल द्वितीय के 60 में से 1, उर्दू साहित्य के 10 में से 1, समाज शास्त्र द्वितीय के 100 में से 2 प्रश्न पत्र चोरी चले गए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सिलसिला जो प्रदेश में शुरू हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि रही है । 1992 में सरदारपुरा, जोधपुर में सैकण्डरी और सीनीयर सैकण्डरी दोनों के पर्चे आउट हुए, 1994 में पीपला में पर्चे आउट हुए, 1996 और 1998 में पर्चे आउट हुए और मैं इसमें कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, जिन लोगों को निलम्बित किया गया था, उनको रिवोक कर दिया गया । तो यह एक तरीके से विरासत में हम लोगों को यह समस्या मिली है ।

डा. किरोड़ी लाल : जो लूटकर ले गये हैं उनको फांसी चढ़ाओ ना । (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विपक्ष के नेता और सभी दलों के नेताओं से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे सदन के साथ मैं गंभीर हूं । और आपने देखा होगा इस बार 10 प्रश्न-पत्रों की जो चोरी हुई, उसमें से केवलमात्र एक पेपर तीन की जगह सात तारीख को हो रहा है । बाकी एज पर शिड्यूल, सारे के सारे प्रश्न-पत्र बोर्ड के कार्यक्रम के अनुसार कराये जाएंगे । इससे आप समझ सकते हैं राज्य सरकार और बोर्ड समय पर परीक्षा कराना चाहते हैं ।

दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कहीं कोई गोपनीयता को भंग नहीं किया है । बोर्ड कहां कराता है यह मेरे को भी पता नहीं है और बोर्ड के प्रशासक व चेयरमैन को भी यह अधिकार नहीं है कि वे प्रश्न-पत्रों के बारे में कुछ करें । केवल मात्र एक अधिकारी होता है वही पूरे प्रश्न-पत्रों के बारे में गोपनीयता और सैंक्टिटी को बनाये रखता है । तो मैं आपके माध्यम से..

श्री अध्यक्ष : विज्ञापन किसने दिया ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : कौनसा ?

श्री अध्यक्ष : बोर्ड ने दिया है ? इस विज्ञापन की बात कर रहे थे ।(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : बोर्ड ने तो यह विज्ञापन दिया है कि परीक्षाएं एज पर शिड्यूल होंगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बोर्ड का यह आया कि बोर्ड में नये प्रश्न-पत्र नहीं तैयार हो रहे हैं। यह अखबार में दिया हुआ है।

एक माननीय सदस्य : विज्ञापन है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, विज्ञापन नहीं है, न्यूज है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : यदि ऐसी कोई विज्ञप्ति आई तो मैं जाँच करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : विज्ञापन नहीं है, मतलब एक न्यूज है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने सदन में यह नहीं कहा कि वे प्रत्येक परीक्षा के केन्द्र पर दो–दो सिपाहियों को तैनात करेंगे और यह चपड़ी लगाने की बात भी आगामी वर्ष से है। मैं आपके द्वारा कही गई बात को पढ़ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी गम्भीर बात है। 'मेरे द्वारा बोर्ड को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि भविष्य में लिफाफे में रखे जाने वाले प्रश्न-पत्र के चारों ओर तथा मध्य के बीच में पांच चपड़ी लगाकर बंद किये जाकर चपड़ी लगायी जाकर वितरित किए जाएंगे ताकि पुनः इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, भविष्य में प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर दो सिपाही तैनात किये जाने के सम्बन्ध में गृह विभाग से विचार-विमर्श करके कार्यवाही की जा रही है। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह वक्तव्य जो मेरे द्वारा दिया गया था वह 16....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप द्वारा कही गई चीज पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपने पढ़ दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सदन के अंदर दिया गया वक्तव्य है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, तकलीफ इस बात की है कि शिक्षा मंत्रीजी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि इन्होंने 31 तारीख को वक्तव्य दिया। उसके बाद एक्जाम्स को कराने में विफल रहे हैं। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : मैं माननीय सदस्यों को जो कंफ्यूजन हुआ है उसको दूर करना चाहता हूं।

श्री राजेंद्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सदन में कहा है। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : मैंने जो वक्तव्य दिया था वह 16 प्रश्न-पत्रों के बारे में जब वे छपकर आएंगे तो उसमें जो निर्देश दिए उसके अनुसार ही सील लगी हुई होगी। ये प्रश्न-पत्र तो बहुत पहले परीक्षा-केन्द्रों को वितरित

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

किये जा चुके हैं। भविष्य में जो पेपर बनायेंगे उसके बारे में था। वो बहुत ही स्पष्ट है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि (व्यवधान) और वहां बजाज नगर में दो परीक्षा केन्द्र पर कोई भी सिपाही तैनात नहीं था।

श्री मदन दिलावर : प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं करने से यह हुआ है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय खेद व्यक्त करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, बैठिए, बैठिए। मंत्री जी ने भविष्य के लिए बात कही है। भविष्य का मतलब है कि 16 पेपर, जो पहले आउट हुए थे और अब आपके 10 पेपर आउट हुए हैं। 10 हुए हैं ना ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आउट नहीं, डकैती पड़ी है।

श्री अध्यक्ष : कुल पेपर्स हैं 122। 122 में से सेंटर्स में पहले चले गये थे उस में तीन-तीन या दो-दो सील लगी हुई थी। भविष्य के अंदर वो छह या कितनी सील है, और पुलिस के दो-दो सिपाही भविष्य के लिए कहा था इन्होंने। भविष्य का मतलब यह है कि जो 16 पेपर आउट हुए थे, उसके बाद जो पेपर जाएंगे तो उनके साथ पुलिस वाले भी जायेंगे। इस का मकसद यह है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा दिये गये वक्तव्य को इस सदन की मेज पर रखना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह विधान सभा का रिकार्ड है, इसको क्या रखना ? विधान सभा का रिकार्ड है। आपने यह कहा था कि आप लगाएंगे। यह 31 तारीख को आपने कहा।

श्री बुलाकी दास कल्ला : आप तो स्वयं शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं। ये पहले से प्रश्न-पत्र वितरित हुए थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपका ही स्टेटमेंट है, आप बदल जाओ उससे।

श्री बुलाकी दास कल्ला : मैंने भविष्य में व्यवस्था के लिए कहा था। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने स्वयं ने कहा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सुरक्षाकर्मी के लिए आपने कहा। आपने कहा कि भविष्य के लिए..

श्री बुलाकी दास कल्ला: अध्यक्ष महोदय, सारा सदन इस बात को जानता है कि पहले प्रश्न-पत्र वितरित हो चुके हैं और भविष्य में जो वितरित होंगे उसके लिए मैंने व्यवस्था दी थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, 31 तारीख को इन्होंने कहा था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये तो पहले से ही वितरित हो चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय का हमारी तरफ ध्यान नहीं आता, क्या करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, आज तक एक भी शिक्षा मंत्री ने ऐसा बढ़िया स्टेटमेंट कभी हाउस में नहीं रखा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह किया गया है। 31 तारीख को फिर कह रहे हैं....(व्यवधान)

श्री भगत सिंह बायमा : पहले अयोग्य थे शिक्षा मंत्री।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रोसिडिंग में यह कहा कि हम भविष्य में दो सुरक्षाकर्मी लगा रहे हैं और गृह मंत्रीजी से बात करके दो–दो सुरक्षाकर्मी लगा रहे हैं। यह 31 तारीख को आपका स्टेटमेंट है इस सदन में। उसी प्रोसिडिंग को हमने पढ़ा और अभी आप कह रहे हैं मैंने उस दिन ऐसा नहीं कहा। प्रोसिडिंग आपकी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर आपने तीन तारीख को आदेश जारी किए।

श्री बुलाकी दास कल्ला : ऐसा है अध्यक्ष महोदय, पूर्व शिक्षा मंत्री इस बात को जानते हैं कि जो पर्चे पहले से केन्द्रों में वितरित हो चुके थे वो ही प्रश्न–पत्र हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सुरक्षाकर्मी के बारे में पूछ रहा हूं मैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला : ऐसा है सुरक्षाकर्मी के बारे में ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री खेद व्यक्त करें गलतबयानी के लिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं 20 आदमियों की परीक्षा जहां हो रही थी वहां अलटिरियर मोटिव नहीं हो सकता। यह सेबोटेज का उद्देश्य था और इसको हम सबको मिलकर फेस करना चाहिए। (व्यवधान) जहां पहले से पेपर वितरित हुए हैं उनमें सील लगाना क्या उचित था। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : प्रश्न–पत्रों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं लगाये ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : जब भविष्य में वो 16 प्रश्न–पत्र दुबारा आएंगे उन पर बाकायदा मैंने सदन को आश्वासन दिया हुआ था, वैसे ही लिखित में निर्देश बोर्ड को जा चुके हैं।

श्री मदन दिलावर : इन्होंने गलत–बयानी की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी ने खड़े होकर कहा, इन्होंने कहा। सदन के समक्ष असत्य बोला। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : आप सदन को गुमराह कर रहे हैं माननीय सदस्य। मेरा स्टेटमेंट 16 प्रश्न-पत्रों के बारे में था और वे 16 प्रश्न-पत्र जब प्रकाशित होकर आएंगे, बोर्ड उसके निर्देश का पूरा पालन करेगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप सदन में गलत बयानी कर रहे हैं। खेद व्यक्तकरें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पहले तो आप इस बात को बता दें कि जो स्टेटमेंट आपने सदन में दिया उसमें यह कहा था कि भविष्य में दो-दो सुरक्षाकर्मी लगाएंगे। आपने कहा था उसके अनुसार व्यवस्था हो जाती तो दो तारीख की स्थिति नहीं आती, यह है सवाल। सवाल इस बात का है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी ने सदन की गरिमा को नष्ट किया है, सदन को गुमराह किया है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : शिक्षा मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : भविष्य में गलत-बयानी के लिए मंत्री महोदय खेद व्यक्त करें।

श्री मदन दिलावर : इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया गया ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने जो कहा आप उससे मुकर रहे हैं। इसलिए शिक्षा मंत्रीजी, यदि आपमें नैतिकता हो तो आप को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, बजाज नगर का जो स्कूल है वहां मैं स्वयं गया हूं। मैंने वहां के हालत देखे हैं। जिस प्रकार से वहां लूट हुई है, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के खिलाफ बड़ा भारी षडयंत्र है और षडयंत्र की पृष्ठभूमि में निश्चितरूप से आर.एस.एस. के लोग हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : शर्म आनी चाहिए आपको। पेपर आउट कराके इस तरह से कह रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं ने मौका देखा है। जिस तरह से वहां के कक्ष के कुंदों को उखाड़ा गया है, जिस तरह से वहां अलमारी को तोड़ा गया है उससे साफ जाहिर होता है कि बिना किसी षडयंत्र के इतना बड़ा कबाड़ा मात्र पेपर आउट करने के लिए नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सरकार काम नहीं कर सकती तो खड़े हो जाओ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, वहां मैंने मौके पर देखा है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गलतबयानी पर खेद व्यक्त करने की बजाय..(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या कहना चाहते हैं आर.एस.एस. के लिए ? आर. एस. एस. के बारे में आपको कहने का कोई हक नहीं है। (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय कटारिया जी. पीपल्या में जो पेपर आउट हुआ। (व्यवधान) आपने योजना के तहत पेपर आउट कराए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारे पर्चे एक योजना बनाकर आउट कराए हैं इन्होंने। इन्होंने सारा षडयंत्र तैयार किया। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री आर. पी. शर्मा : पीपल्या में जब पेपर आउट हुआ उस वक्त आप शिक्षा मंत्री थे। उस व्यक्ति को आपने प्रमोशन दे दिया, माननीय कटारिया जी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : खेद व्यक्त करो। (व्यवधान)

श्री आर.पी.शर्मा : माननीय कटारिया जी, पीपल्या में जो पेपर आउट हुआ उस हैडमास्टर को आपने सीनियर सैकण्डरी स्कूल में प्रमोशन करके लगाया। (व्यवधान) वहां पेपर आउट हुआ था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान) लेकिन जो षडयंत्रकारी हैं उनको दण्ड देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : आपने उसको प्रमोशन करके वहां लगाया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय पूर्व मंत्री के पी.ए. आज भी उस स्कूल परिसर में विद्यमान हैं। किस हैसियत से वहां गये हैं वे ?

श्री अध्यक्ष : श्री पारीक साहब, आप बैठिए। आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : +++ एक भी इल्जाम लगाकर बता दो, यह है आर एस.एस. का बदा। कोई आरोप तो लगा दे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल विश्नोई, आप बैठिए। श्री शैलेन्द्रजी जोशी, आप बैठिए। प्रतिपक्ष के नेता। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस दिन की प्रोसिडिंग की प्रति आपके सामने प्रस्तुत

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की है, इसको आपने पढ़ लिया है। इसका अर्थ क्या निकलता है ? मैं समझता हूं अर्थ यह निकलता है कि मंत्री महोदय जब सदन में यह आश्वासन देते हैं तो वो आश्वासन इमिजियेटली लागू होने चाहिए। जहां तक सील लगाने का प्रश्न है और दो सिपाही लगाने का प्रश्न है, भविष्य का मतलब यह नहीं कि जब अगले वर्ष परीक्षाएं होगी तब हम लगायेंगे। परीक्षाएं हो रही हैं, और उसी बीच में पेपर आउट हुए हैं, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी है इसलिए यह दोनों ही बात का आज निर्णय कर दीजिए कि कब से लागू होना चाहिए।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : बंदूक की नोक पर क्या करेंगे ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस बारे में स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी से दिलवाएं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इस मामले में सरकार विफल हो चुकी है, माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्री जी सरकार चला रहे हैं और क्या कर सकते हैं; सारी व्यवस्था आपने..(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के आश्वासन पर तो पुलिस कार्यवाही करती नहीं, प्रशासन कार्यवाही नहीं करता। इसलिए मुख्यमंत्री जी से आश्वासन दिलवाईये कि आगे से पेपर आउट नहीं होंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, लुटेरों के सामने आत्म समर्पण कर दिया इस सरकार ने...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी त्याग पत्र दें इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी बिल्कुल विफल रहे। आपकी उपस्थिति में शिक्षा मंत्री जी मुकर गये कि मैंने कहा ही नहीं। प्रोसिडिंग यह कह रही है...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी अब इस गैर जवाब देही के लिए त्याग पत्र दें या खेद व्यक्त करें, इन दो बातों के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो कहा वो क्लीयर है। ये दोनों इन्सीडेंटस बिल्कुल अन्कनेक्टेड हैं। वह कलेंडेसटाइन आपरेशन था, पहले वाला जो था यह वायोलेंन्ट एक्शन है। इसमें सात सील क्या करेंगी पांच सील क्या करेंगी सुरक्षा की भी सुनिए। सुरक्षाकर्मी का भी प्रश्न था।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो लीक हुए हैं, उसमें कर्मचारी इन्वाल्व थे, यह शिक्षा मंत्री की, बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है स्ट्रिक्टली पूछे तो..(व्यवधान) एजूकेशन मिनिस्टर ने अपनी ड्यूटी एफिशिएंटली डिस्चार्ज की है। उन्होंने परीक्षाएं यथावत रखी हैं। सात तारीख को रखी है। अब अगर परव्यू आता है तो होम मिनिस्टर का आता है क्योंकि वायलेंट एक्शन है यह। होम मिनिस्टर इस बात का इन्वेस्टीगेशन करे, यह बिल्कुल अलग किस्म का एक्शन है। प्रतिपक्ष के नेता इतने वरिष्ठ हैं, मुख्य मंत्री जी रह चुके हैं। इसको कहां आप एजुकेशन मिनिस्टर को अटेक कर रहे हैं। (व्यवधान) मुझे बोलने दीजिए, यह क्या बात हुई। यानी जो उसको लगता है, सवाल यह है कि अनावश्यक रूप से एजूकेशन मिनिस्टर को घेरेंगे। बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री स्टेटमेंट हैं। फिर जो आर.एस.एस. की बात आएगी, सदन का समय जाया करने से क्या मतलब है? मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इसके ऊपर होम मिनिस्टर आज नहीं लेकिन 5-7 दिन के अंदर सदन का सत्रावसान होने के पहले साइनेडाई होने से पहले स्टेटमैंट देवे और इसका मालूम करें कि There is some larger conspiracy behind it.

अध्यक्ष महोदय, एक एग्जामिनेशन का सेन्टर को डिसरप्ट करने का डेफीनेट आब्जेक्ट है। सरकार को बदनाम करने का है; नहीं करने का है, यह मैं नहीं कहता लेकिन आब्जेक्ट यह है कि जहां परीक्षा का जो कार्यक्रम है, निर्धारित कार्यक्रम है, उसको डिसरप्ट किया जाए। किसी को बेनीफिट पहुंचाने का आब्जेक्ट नहीं है (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं। ज्यादा बहस की अनुमति प्रदान नहीं करें। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनिट मुझे निवेदन करना है इजाजत देवें। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जो वक्ता आपकी इजाजत के बिना खड़े हो जाते हैं, उनकी बात रिकार्ड हो जाती है और मैं आधे घण्टे से लगातार इस कोशिश में हूं कि कैसे भी आपकी नजरें इनायत मेरी तरफ हों और मैं आपको निवेदन करूं।

श्री अध्यक्ष : आपको मैं समय दूंगा। आप आगे बैठे हैं माननीय सदस्य भी 3–4 बार खड़े हुए थे पहले। सुरेन्द्र व्यास भी खड़े हो रहे थे, आप भी हो रहे थे, शिवनाथ सिंह जी भी हो रहे थे, अमराराम जी भी हो रहे थे। (व्यवधान) जो आश्वासन दिया था। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया है। मुझे यह निवेदन करना है कि इस वक्त सदन में जो उपस्थिति है, इससे बड़ी उपस्थिति नहीं हो सकती। आसन पर अध्यक्ष जी विराजमान हैं, सदन के नेता विराजमान हैं, प्रतिपक्ष के नेता विराजमान हैं। एक इश्यु आया कितना भी गम्भीर हो सकता है, उस गम्भीर इश्यू को भी हम नियमों के अनुसार डिसकस कर सकते हैं। 5–7 रोज में ऐसा

(श्री शिवनाथ सिंह)

वातावरण बन रहा है कि जिस मकसद के लिए हम सदन में आए हैं, वह मकसद तो बेकार और दोनों तरफ से इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है कि जो बजट का महत्वपूर्ण विषय है, वह गौण होता जा रहा है। अध्यक्ष जी मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रकार के वातावरण को ठीक किया जावे।

माननीय सदन के नेता महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय इनकी मौजूदगी में भी इस प्रकार का वातावरण बनता है तो बहुत खेदजनक बात है। और जो माननीय सदस्य अपने इलाके की, राजस्थान की बात कहना चाहते हैं उनकी बहुत बड़ी पीड़ा है। उस पीड़ा को देखते हुए दोनों महानुभाव मिलकर और माननीय आसन भी इसमें शामिल है ऐसी व्यवस्था है। कितना भी महत्वपूर्ण विषय हो सकता है उसमें चर्चा हो सकती है। लेकिन नियमों के अनुसार वह तरीके से हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : सदन में व्यवस्था रहनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। श्री माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं भी आपके माध्यम से दो सवाल माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। यह बात सही है कि कई बार हमारे सामने इस तरीके का दृश्य आता है कि कोई पति स्वयं अपनी पत्नी को जला देता है और उसके बाद पुलिस स्टेशन पर फोन भी कर देता है कि यह तेल डालकर जलकर मर गई।

मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या रामसिंह चौकीदार ने जो कथन आपको कहा, उसको आपने अपने स्तर पर भी एग्जामिन किया है या नहीं किया, कि वाकई में यह स्थिति है, कोई तीन लोग आए इस तरीके से और उन्होंने पिस्टल या रिवाल्वर की नोंक पर पर्चे लूटने का काम किया है। और भी आपके पास इस तरीके के गवाह हैं, कोई कहने वाले हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी आलरेडी कह चुके हैं कि यह क्रिमिनल आफेंस है, और उसका इन्वेस्टीगेशन हो रहा है। यह कह चुके हैं वह।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं यह जानना चाहता हूं। दूसरा सवाल शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से यह है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आटोनोमस बाडी है और यह परीक्षाएं सारी संचालित करने का काम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है। शिक्षा मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में यह बात कही कि मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री जी भी थे, शिक्षा मंत्री जी भी थे, डी.जी. भी थे, सब थे। क्या उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी कोई प्रतिनिधि था? मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा, अध्यक्ष जी के जरिए

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

शिक्षा मंत्रीजी से पूछ रहा हूं। शिक्षा मंत्री जी जवाब दे देंगे। हो सकता है मैंने नहीं सुना होगा। मैं यह स्पेसिफिक शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उस संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मेम्बर नहीं था। यह चूंकि जो घटना हुई थी उनको आने में विलम्ब हुआ था उससे पहले हमारी मिटिंग हो गई थी। और हमारा उस मिटिंग से उद्देश्य यह था कि कहीं पर भी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहे, उसके लिए वह मिटिंग थी। दूसरी बात माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो मुद्दे उठाए, उनको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 16 प्रश्न पत्र स्थगित हुए थे उनके बारे में मेरा स्टेटमेंट था। वह जब छपकर आयेंगे तो जो मैंने सदन में आश्वासन दिया भविष्य में ऐसा होगा चूंकि पूर्व में भी यह प्रश्न पत्र सप्लाई वहां हो चुके थे और उनमें गोपनीयता भंग होती है, नये सिरे से चपड़ी वगैरह लगाने की, मैं समझता हूं कि यह बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा स्टेटमेंट तो केवल 16 प्रश्नों के बारे में था और वह अब छपकर आएंगे और अब उसमें सील वगैरह लगेगी। यह तो चीजें 22 तारीख से पहले ही केन्द्रों में पहुंच चुकी हैं और पहले से पहुंची हुई हैं। वह प्रश्न पत्र हैं। यह और मैंने जो स्टेटमेंट दिया था वह 16 प्रश्न पत्रों के बारे में स्पेसिफिक दिया था।

इसलिए मैं समझता हूं कि यह मिसअन्डरस्टेंडिंग मेहरबानी करके दूर कर लें। मैं चाहता हूं कि अपन सभी का यह कर्तव्य है कि मिलकर इस सदन के माध्यम से राजस्थान के विद्यार्थियों को यह विश्वास दिलाएं कि हम मिलकर के कोई भी व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसको हम कठोर से कठोर दण्ड देंगे। और मैं सदन से अपील करता हूं कि जो 1992 में अधिनियम बना है उसमें मैं चाहता हूं कि सदन मुझे ताकत दे कि मैं उस अधिनियम में सख्त से सख्त सजा का प्रोविजन करने के लिए मैं बिल ला रहा हूं, उसमें आप मुझे सहयोग करें, ताकि जो षड़यन्त्रकारी लोग हैं, विघटनकारी तत्व हैं, उनको यह करारा जवाब सदन दे सके कि आइन्दा यदि किसी ने पर्चों के ऊपर हाथ लगाने की कोशिश की तो राजस्थान विधान सभा ने जो कानून बनाया है उसके अन्तर्गत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

(13.00 बजे)

श्री जगत सिंह दायमा : बिल तो पहले से ही बहुत बने हुए हैं, नये बिल से क्या कार्यवाही होगी ? नये बिल से क्या करेंगे ? बिल सक्षम हैं इसमें। आप इसमें काम कीजिये। आपकी इच्छाशक्ति को जगाइये। सरकार की इच्छाशक्ति तो है नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भविष्य के लिए कहा है। कब से है भविष्य ?

श्री अध्यक्ष : भविष्य के लिए कहा है। भविष्य का मतलब है 16 पेपर्स जो थे...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, ये 16 पेपर्स का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ये 122 पेपर्स का है। 122 पेपर्स तो पहले ही वितरित हो चुके थे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुरक्षाकर्मी का मामला है।

श्री अध्यक्ष : सुरक्षाकर्मी की बात उसी के साथ ही कही है। (व्यवधान) भविष्य में प्रत्येक केन्द्र पर दो सिपाही तैनात किये जाने के सम्बन्ध में गृह विभाग से विचार विमर्श कर कार्यवाही की जाएगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसी कार्यवाही ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, भविष्य के बारे में कहा है। 22 तारीख को यह बात हो गयी। 22 तारीख के बाद जो भी प्रश्न पत्र होगा उसके लिए.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

एक माननीय सदस्य : ऐसा इन्होंने नहीं कहा कि कल सुबह पेपर होने वाले हैं भविष्य में बात की जा रही है; किये जाएंगे। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है इस व्यवस्था पर।

श्री अध्यक्ष : पहले गवर्नमेंट के चीफ व्हिप।

श्री जगत सिंह दायमा : मुख्य सचेतक जी, आप तो बाद में बोल लेना, पहले हमारी बात आने दीजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पहले मैंने बोला है।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं। आपने मेरे को विपक्ष में समझ रखा है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पाइंट आफ आर्डर पहले मैंने रेज किया है।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, नहीं, आप हमको विपक्ष में कह रहे हैं.... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पाइंट आफ आर्डर की मांग कर रहे हैं, यहां डिसआर्डर हो रहा है। शिक्षा मंत्री पूरी तरह से विफल हो रहा है। 20 तारीख से घटनाएं बराबर होती जा रही हैं और उन्होंने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की। मैं मांग करता हूं सदन में, कि ऐसे शिक्षा मंत्री को नैतिकता के नाते इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। हम इसी की मांग करते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : शिक्षा मंत्री हाय-हाय। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा एक पाइंट आफ आर्डर है साहब। व्यवस्था की बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप इस पवित्र सदन के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं....

श्री जगत सिंह दायमा : यह आपके हित की बात है....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा सवाल है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी का कथन हैं 21 तारीख को, कि भविष्य में होने वाले प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर दो-दो सिपाही लगाने की बात कही है। और अध्यक्ष महोदय, उस इंतजाम को करने में वे विफल रहे हैं। 20 तारीख से यह सिलसिला चला आ रहा है। इस-लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी, आप अंदर से तो, आपका बच्चा भी हो सकता है।

श्री जगत सिंह दायमा : व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम लोग सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री जगत सिंह दायमा : हम दूसरे राज्यों में देखते हैं कि दूसरे राज्यों के मुख्य मंत्री अगर पब्लिक मीटिंग में कोई वादा कर लेते है, कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो उस का पालन उनके पहुंचने से पहले ही शासन द्वारा हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : आप सुनें। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरी एक व्यवस्था की बात है। इसमें कहां दिक्कत आ रही है ?

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर चल रहा है। जीरो आवर में कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। पाइंट आफ आर्डर किसी बिजनस के सम्बन्ध में है।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं भी जानता हूं।

श्री अध्यक्ष : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरी व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप जीरो आवर में कोई पाइंट आफ आर्डर रेज नहीं कर सकते। मंत्रीजी, आप इसको स्पष्ट कीजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा व्यवस्था का सवाल है साहब, और वह अगर इरे-लेवेंट हो तो काट देना उसमें। माननीय

(श्री जगत सिंह दायमा)

मुख्य मंत्रीजी, मेरा यह निवेदन है कि स्टेटस में भी, जैसा मैं यू.पी. का ही जिक्र करता हूं, आयरनलेडी है मायावती या मुलायमसिंह यादव को ले लें। मैं कहना चाहता हूं कि वे अगर कोई स्टेटमेंट जनता के बीच में जाकर देते हैं तो लखनऊ पहुंचने से पहले शासन उसको क्रियान्वित कर देता है। ऐसी व्यवस्था यहां क्यों नहीं की जाती? इसमें क्या खराबी है? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती कि स्टेटमेंट यहां पर जो दिये जाते हैं तो यहां पर माननीय अधिकारी लोग बैठे हैं, उस स्टेटमेंट के ऊपर, जाते ही उनको कार्यवाही करनी चाहिए। यह मेरी व्यवस्था की बात है।

श्री अध्यक्ष : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मैं इसको निरस्त करता हूं। व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मैं निरस्त करता हूं। मंत्रीजी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं....

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय, शिक्षा मंत्रीजी किस बात पर स्टेटमेंट दे रहे हैं? जिनको बवण्डर मचाना था वे गये, अब हम संतुष्ट हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सदन में बैठे हैं। अब जितने भी यहां एग्जामिनेशन सैण्टर्स हैं उन एग्जामिनेशन सैंटर्स पर पुलिस के दो–दो सिपाही लगेंगे वे सभी सैंटर्स पर लगेंगे क्या? अब यह निर्णय लिया है क्या आपने?

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सभी सैण्टर्स पर सनसेट से सनराइज तक दो-दो सिपाही इसमें या तो दोनों ही पुलिस के होंगे या एक पुलिस का और एक होमगार्ड का अवश्य रहेंगे। दो शिक्षा विभाग के कर्मी रहेंगे।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्रीजी ने जवाब दिया है, मुख्य मंत्री जी ने भी उस दिन कहा था, पहले भी जो परीक्षा केन्द्र हैं, वहां दो-दो पुलिसकर्मी पहले से ही रहे हैं। क्या वे नियम विरुद्ध हैं? मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार जिस तरह से इतनी सक्षम है कि अभी कल 12 पेपर हुए और आज करा सकते हैं, तो सैकण्डरी का जो एग्जाम है, उसको डेढ़-दो महीने आगे ले जाने की क्या आवश्यकता थी? जिनको बिल्कुल गर्मी में ले गये हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला : उसमें लाखों विद्यार्थी हैं। ये बहुत थोड़ी संख्या में विद्यार्थी हैं। उसमें लाखो विद्यार्थी है। पेपर छापने में टाइम लग रहा है। माननीय पूर्व शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, 28 दिन पहले; उस वक्त भी लगे थे जब आपके वक्त में परीक्षाएं स्थगित की गयी थीं। लाखों की संख्या में, 5 लाख से ऊपर परीक्षार्थी हैं, उनके प्रश्न पत्र अभी छपने में ही कम से कम 25-30 दिन लगेंगे। और फिर वितरण करने में एक हफ्ता लगेगा। इस कारण से उसमें समय लगा है। यदि प्रश्न पत्र

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

छपने में इतना समय नहीं लगता है तो इसी तरीके से, तत्परता से, जल्दी से जल्दी करवा देते।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था और मंत्रीजी ने भी अपने जवाब में कहा है कि इन परीक्षाओं को स्थगित कराने के लिए कुछ ऐसे लोग सरकार को बदनाम करने के लिए, कोई भी संस्था हो सकती है या ग्रुप हो सकता है। तो क्या सरकार इस तरह की संभावनाएं, लगातार तीन बार जो बोर्ड की परीक्षा के प्रश्न पत्र गायब हुए हैं या किसी भी तरह से आोपन हुए हैं। उनके बारे में क्या इस तरह की जांच करायेंगे जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या ऐसी साजिश थी जिसके कारण से लाखों विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ है? केवल पुलिस की बात नहीं है, जांच उच्चाधिकारी से हो।

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में माननीय मंत्रीजी ने स्पष्ट वक्तव्य दे दिया है।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से हाड़ौती संभाग के जिलों में किसानों के विद्युत कनेक्शन एक साथ काटे जाने की कथित सूचना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्व अपील अधिकारी, झुंझुनूं के पद पर पूर्णकालिक अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में।

(3) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कस्बा इटावा में ए.सी.एम. कोर्ट खोलने के संबंध में।

(4) श्री महादेव सिंह खण्डेला, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम कांवट में पानी के नाले पर बनी रपट की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(5) श्री रामसिंह कस्वां, सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू जिले की तहसील राजगढ़ के तालाबों में पानी का भण्डारण करवाकर राहत प्रदान करने के संबंध में।

(6) डा. के.सी. चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में ग्रे क्लोथ पर लगाये जा रहे दो प्रतिशत बिक्री कर को वापस लेने के संबंध में।

(7) डा. रघुवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम छारदड़ा की चारागाह भूमि के हरे वृक्ष की अवैध कटाई के सम्बन्ध में।

(8) सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा बनाये गये आवासों के नहीं बिकने एवं उनकी कीमतें अत्यधिक होने के संबंध में।

(9) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले के एन.डी.पी.एस. मामलों की सुनवाई का अधिकार सत्र न्यायाधीश, बालोतरा को देने के संबंध में।

(10) डा. किरोड़ीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में टूटी पड़ी सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज सवा चार महीने हुए हैं राजस्थान के चुनाव को संपन्न हुए, और आज तक हम लोगों को मकान नहीं मिला, जिससे विधायी कार्य करने में हम को बाधा उत्पन्न हो रही है। और मेरे ख्याल से राज्य सरकार और सत्ता पक्ष ऐसा महसूस करते हैं कि दिन प्रतिदिन जब हम जाकर इनसे गिड़गिड़ाते हैं कि हमको रहने के लिए मकान दे दो; तो ये समझते हैं शायद हम खैरात मांग रहे हैं। लाचार होकर, मजबूर होकर आज चार माह बाद सत्ता पक्ष से, अध्यक्ष महोदय, आपसे संरक्षण चाहते हैं कि हम कैसे विधायी कार्य निभायें? अपने विधान सभा क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनसे कैसे मिलें? मैंने आपको भी पत्र लिखा है; मुख्य मंत्री जी को भी लिखा है और संसदीय कार्य मंत्रीजी को भी लिखा है, यह कैसे व्यवस्था होगी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री जगमाल सिंह यादव : साल भर बाद हमको मकान मिलेंगे और अगर कोई सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य खाली नहीं करते हैं, या जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है तो संसदीय कार्य मंत्रीजी, यह कोई हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको खाली करायें? आप हमको झोंपड़ी दे दो, आपका अहसान नहीं चाहते लेकिन 6-6 महीने तक हम कोई इंतजार करते रहेंगे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं गिड़-गिड़ाने की, चौधरी साहब; गिड़गिड़ा भी लिये, गिड़गिड़ाकर भी मांग लिये हमने कि हमको मकान दे। आप कहते हैं कि हमने कह दिया....

श्री अध्यक्ष : आवास आवंटन के संबंध में....

श्री जगमाल सिंह यादव : यह इस-लिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको पत्र भी लिखा है; मेरी यह व्यथा नहीं है, आज 5-5, 6–6 महीने हो गये, हमको मकान नहीं मिल रहा है। सत्ता पक्ष को अलाट कर दिया, आप हमको सड़क पर झोंपड़ी बता दो, हम आपसे कोई खैरात नहीं मांगते, आप हमको छोटे से छोटा मकान

(श्री जगमाल सिंह यादव)

दे दो। यह कोई बात हो गई, आप लोग अपने मिनिस्टरों के बंगलों पर कब्जा कर बैठे....

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय जगमाल सिंह जी यादव जो कुछ कह रहे हैं, यह इनकी और वास्तव में बहुत से माननीय सदस्यों को बहुत पीड़ा है...

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, पत्र लिख दिया हमने।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्किट हाउस में रह रहा हूं। वहां हालत यह है कि चाय मंगाओ तो कहें कि दूध नहीं है। बाथरूम के किवाड़ बंद नहीं होते, चूना झड़ता है ऊपर से, ऐसी अव्यवस्था है। क्रोकरी ऐसी लाते हैं कि टूटी हुई क्रोकरी लेकर आते हैं। खाना इतना खराब रद्दी मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं। एक दिन आप भी वहां हमारे पास पधारो और एक दिन भोजन जीमकर देखो तो बता पड़े कि ऐसी स्थिति है। खूब कह दिया इनको, खूब चिट्ठी लिखदी खूब फोन कर दिये, शिकायतें कर दीं....

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरे पास तो सर्किट हाउस में भी नहीं है। हम चलते फिरते विधायक हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको लिख दिया, आपसे व्यक्तिगत मिल लिया, आपको लैटर लिख दिया, मुख्यमंत्री जी को लिख दिया। गृह समिति के चैयरमैन से रोज गिड़गिड़ा लिये, संसदीय कार्य मंत्री जी से मिल लिये, हम कैसे विधायी कार्य करें, अपने क्षेत्र के लोगों को कैसे अटैण्ड करें। यहां कोई भाषण देने नहीं आते हैं, अपने लोगों की तकलीफ आप तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाने आते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य की तकलीफ को मिनिमाइज करने की व्यवस्था करिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : 500 रुपये रोज की आपने जो व्यवस्था की थी, उसे बढ़ा दीजिये जब तक कि व्यवस्था नहीं हो जाये। 500 रुपये रोज की हमारी व्यवस्था कर दीजिये। मतलब, कैसे व्यवस्था करें हम अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे पास कोई ठीया नहीं हो, घोंसला नहीं हो?

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, हम सर्किट हाउस में रह रहे हैं और सर्किट हाउस में मैं जिस कमरे में रह रहा हूं, उसके लिए कहा गया कि यह वी.आई.पी. रूम है और इसमें एम.एल.ए. नहीं रह सकता। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, आप आकर देखें कि वी.आई.पी. रूम की क्या हालत है? ऊपर से, छत के ऊपर से इतनी-इतनी, मोटी-मोटी परत पड़ती है, रोजाना पड़ती है। मैंने लेख भी लिखा है, कहा भी है और उसकी हर तरह से अव्यवस्था है।

(श्री जगत सिंह दायमा)

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा एक निवेदन और है कि हमारी बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और आप इसको गम्भीरता से, अध्यक्ष महोदय, आप कभी कभी गम्भीरता से एक मिनट तो ले लें मुझे, यह एक राष्ट्रीय पार्टी है और देश की 76 पार्टियों में से चौथे नम्बर की पार्टी है। हमने मुख्य मंत्रीजी से बार-बार निवेदन किया है कि इस पार्टी को एक आफिस दिया जाना चाहिए, जैसा कि और पार्टियों को दे रखा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन किया है कि अगर आफिस नहीं मिला, क्योंकि 4-5 महीने से मैं मांग रहा हूं, तो 9 और 10 तारीख को मेरा मुख्य मंत्री निवास के ऊपर धरना है, मेरी पार्टी का। और मैं इस लिए नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जहां उड़ीसा में हमारा एक भी एम.एल.ए नहीं है, और वहां कांग्रेस पार्टी का राज है, वहां पर हमारी पार्टी को, कांग्रेस की पार्टी का राज है, वहां आफिस दिया हुआ है। यहां पर हम दो सदस्य भी हैं और तीसरी शक्ति के रूप में अब की जो वोट पड़े हैं, वह उभरकर आई है। इसलिए राष्ट्रीय पार्टी को, जब औरों को आपने दे रखा है तो हमको भी आफिस दिया जाना चाहिए। इसमें मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं और न ही हमको अभी तक निवास के लिए कोई मकान ही मिला है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, ये सही कह रहे हैं कि यहां समता पार्टी को, जनता दल को, बी.जे.पी. को, उनके भी सदस्य, समता पार्टी का कोई सदस्य नहीं है, फिर भी उसको दफ्तर दिया हुआ है। जनता दल को भी आपने दफ्तर दिया हुआ है। सारी पार्टियों को दे रखा है तो हमको भी दिलवा दिजिये। और आपसे ही नहीं कहेंगे, हमारे अधिकारों की तो सुरक्षा आप ही कर सकते हैं। जब हम हाउस कमेटी के चेयरमैन से बात करते हैं, तो वह कहते हैं कि हमने संसदीय कार्य मंत्री माननीय खेतसिंह जी को लिख दिया है। खेतसिंह जी सुन ही नहीं रहे हैं। और जब खेतसिंह जी से बात करते हैं तो खेतसिंह जी कहते हैं कि हमने सामान्य प्रशासन मंत्री बी.डी.कल्ला जी देखते हैं, उनको लिख दिया है। अध्यक्ष महोदय, हम रोज चक्कर लगाते हैं सुबह से शाम तक।

श्री जगत सिंह दायमा : चार महीने हो गये, चार महिने अध्यक्ष महोदय।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आप उनसे कहकर और मकान दिला दें।

श्री जगत सिंह दायमा : अगर हम नियमों में नहीं आते हैं तो ठीक है, मना कर दो परन्तु नियमों के अनुरूप...

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम इसको राजनैतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते लेकिन मैं यह चाहता हूं, क्या आप उचित नहीं समझते कि हमको रहने के लिए जयपुर में मकान चाहिए ?

(श्री जगमाल सिंह यादव)

हमारा अधिकार है । और अध्यक्ष महोदय, आप इसको इस तरह से नहीं लें। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी कह रहे हैं कि कब्जा कर रखा है समता पार्टी ने। तो ऐसी व्यवस्था है तो आप मुझे बुरा मत मानें, कब्जा हम भी कर लेंगे । फिर आप यह नहीं समझें कि इन्होंने इस तरह से गलत कार्य किया है ।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस पर कोई व्यवस्था दे दें । (व्यवधान) यह कोई व्यवस्था दिलवायेंगे सरकार से कि हमारे लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था हो ।

श्री रतन लाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, इस बार कुछ समस्याएं इस प्रकार की बनी हुई है कि पूर्व माननीय सदस्यों ने बड़ी मात्रा में मकान अभी खाली नहीं किये...

श्री जगमाल सिंह यादव : हम क्यों सजा भुगतें ? यह आपकी ड्यूटी है, आप खाली करायें ।

श्री रतन लाल ताम्बी : सम्पदा अधिकारी महोदय को मीटिंग में बुलाकर, इनको जो लिस्ट दी गई है, माननीय अन्य पार्टियों के नेताओं से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे मकान खाली करवा दें, एक प्रोब्लम तो यह है । और दूसरा, सीनियर्स इतने आये हैं इस बार कि सब 'बी' और 'सी' श्रेणी क्वार्टर्स मांगते हैं। इतने उपलब्ध नहीं है । उसमें सारी वरीयता को देखकर, पार्टियों की संख्या को देखकर समिति ने निर्णय किया है, उसके अनुसार हम चल रहे हैं । किन्तु वास्तव में मैं यह खुद मानता हूं कि कुछ पार्टियां इस बार पहले से संख्या में, गिनती में ज्यादा हैं । मतलब 3-4-5 पार्टियां आ गई । और हमारी एक परम्परा रही है, हर पार्टी को एक मकान उपलब्ध कराते रहे हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय के मार्फत सरकार से हमने निवेदन किया है कि चार इस प्रकार के बंगले हमको अलाट करवा दें, ताकि यह सभी पार्टियों की समस्या है उसका समाधान हो सके । मैं आपसे भी सहयोग के साथ अपेक्षा करूंगा कि आप भी इस सम्बन्ध में इंटरवीन करके...

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, कब तक कर दोगे, बात तो यह है ।

श्री रतन लाल ताम्बी : ...अगर आप ऐसी व्यवस्था करवा दें तो इस सारी समस्या का समाधान हो जायेगा । सम्पदा अधिकारी के माध्यम से प्रशासन के स्तर पर जो मकान खाली होने हैं, वह कार्यवाही भी अपेक्षित है ताकि समस्या का समाधान हो सकता है ।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं बता सकता हूं कि कितने मकान खाली हैं । कई अधिकारी यहां से बाहर गये हैं, आप उनमें से एक दे दीजिये । कई अधिकारी बाहर गये हैं ।

श्री जगमाल सिंह यादव : अगले साल मकान मिलेंगे ? आज चार महीने हो गये, और चार महीने लगेंगे क्या ? मतलब हमारी कोई व्यवस्था होगी कि नहीं। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : संसदीय कार्य मंत्रीजी क्यों नहीं बोलते ?

श्री जगमाल सिंह यादव : हम तो आपसे व्यवस्था चाहते हैं अध्यक्ष महोदय; हमारी पीड़ा है।

श्री जगत सिंह दायमा : संसदीय कार्य मंत्रीजी को टाप का बंगला मिल गया।

श्री जगमाल सिंह यादव : जब सरकार से कहकर हम हार लिये, तब हमने चार महीने बाद सदन में आपसे यह निवेदन किया है कि हम कैसे हमारे विधायी कार्य करें, कैसे अपने लोगों की समस्याओं का निपटारा करें, कैसे लोगों से मिलें ? यह पीड़ा है मेरी व्यक्तिगत एज ए सदस्य, और जब सरकार ने नहीं सुनीं तो हमारी अपील आपसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट हमारी कोई है नहीं, आप इनको निर्देश दें। ये कह रहे हैं कि हम दे देंगे चार महीने में, ये हमको चार महीने में कह रहे हैं। आप निर्देश दें और व्यवस्था दें कि 10 दिन में, 5 दिन में, एक सप्ताह में हमारे रहने के मकान की व्यवस्था ये कर देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दो प्रश्न खड़े किये हैं इन्होंने। एक तो रहने के लिए आवास और दूसरा, इनकी पार्टियों के लिए दफ्तर। तो आवास के संबंध में जो स्थिति है; वह चेयरमैन, हाउस कमेटी के; आपके सामने रखी है और उन्होंने एस्टेट आफिसर को लिखा भी है कि वह खाली करवाया जाये। कुछ मकान खाली हुए भी हैं। जहां तक दफ्तर का देने का प्रश्न है, अभी तक इनके पास में तो है नहीं। उस संबंध में सरकार को उन्होंने लिखा भी है तो सरकार देख ले कोई दफ्तर हो जाये; अवेलेबल कर सकती है तो। श्री मदन दिलावर।

डा किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय; इसमें एक और बात है। जिन माननीय सदस्यों को आवास नहीं मिला था; उनको 15 दिन का इन्होंने पैसा दिया था। और अभी तक आवास नहीं मिला है। हमको तो आवास नहीं मिला है। सरकार को आगे होकर। पैसों की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : पिछले सदन में 500 रुपये रोज का कर दिया है, अब हमारा क्या होगा। आवास हमको मिला नहीं है। आपकी दी हुई खुद की व्यवस्था है....

श्री अध्यक्ष : वह तो एक सिम्पल व्यवस्था थी।

श्री जगमाल सिंह यादव : 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उन सदस्यों को सरकार दे, विधान सभा सचिवालय दे जिनको मकान अलाट नहीं किया है। अब हमारी मांग है कि पिछले सत्र में आपने तय कर दिया, अब इसको कैसे तोड़ेंगे आप। आज हमको मकान तो दिया नहीं; हमको 500 रुपये रोज दे दो जब से सत्र चालू हुआ है।

श्री सांवरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनको मकान मिल गया, उनकी समस्या अलग है। आज बजाज नगर में नलों में पानी नहीं आता है। और लगभग एक महीना मुझे हो गया है, बार-बार उन अधिकारियों से कहते हुए, कोई ध्यान नहीं देता है तो यह व्यवस्था तो करवाइये आप। (व्यवधान) केवल आवास मिलने से नहीं, माननीय सदस्यों को जो असुविधा है बिजली पानी की, इसकी व्यवस्था तो ठीक करायें।

श्री रतन लाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मकानों का झगड़ा नहीं है, झगड़ा तो बंगलों का हो रहा है। फ्लैट देने को हम तैयार हैं, फ्लैट इनको अलाट भी किए हुए हैं, उसके बाद फ्लैट में जाना नहीं चाहते कई माननीय सदस्य।

श्री सांवरलाल : बिजल–पानी की व्यवस्था कराओ उनमें।

श्री रतन लाल ताम्बी : यह झगड़ा बंगलों में और फ्लैट के बीच में ही है ज्यादा। बाकी फ्लैट्स तो लगभग सब को अलाट किए हुए हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जिसके लिए एन्टाइटल है वहीं तो मांग रहे हैं। हम आपसे सिविल लाइन में तो नहीं मांग रहे हैं, खेत सिंहजी के मकान में तो नहीं जा रहे हम।

श्री रतन लाल ताम्बी : वह एन्टाइटल वाला ही तो झगड़ा है, सीनियर बहुत आने से झगड़ा पड़ गया। इसलिए चार बंगले मिल जायें, इस समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री सांवरलाल : जो बंगले आवंटित हो गये, उनमें पानी-बिजली की व्यवस्था तो करवाइये ...

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लालकोठी है, इसके पास में इतनी गंदगी रहती है कि पूछो मत। यह जो लेबर्स हैं, नई विधान सभा बन रही है, वह सारे लेबर्स वहां टट्टी करते हैं और दो साल से बराबर पूनम चन्दजी बेचारे बूढ़े हो गये इसको कहते-कहते। हम भी कह रहे हैं कि उसकी गंदगी को दूर करवायें कम से कम। लालकोठी के जो बंगले हैं, वह सारे गंदगी से भरे हुए हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : तीन दिन पहले माननीय जगमाल सिंहजी यादव कह रहे थे, शुक्रवार को माननीय जगमाल सिंह जी कह रहे थे....

श्री अध्यक्ष : आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है। इस सम्बन्ध में कोई और बात करनी है तो मेरे चैम्बर में बात करें आप। श्री मदन दिलावर। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, पानी बिजली तो आम आवश्यकता है उसके ऊपर भी व्यवस्था करें कि अधिकारी इस बात पर एक्शन लें सर। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : संसदीय कार्य मंत्रीजी, मेरा तो नाम माहिर है, और यह राजनीति के इतने माहिर हैं कि

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

सुनते ही चले जा रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं कर रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके कहने के बाद भी कोई वक्तव्य अगर नहीं दे रहे हैं, तो फिर यह कब देंगे। अब आप बताओ, आप ही की नहीं सुन रहे हैं, हमारी तो सुनने का सवाल ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह दोनों तो माहिर हैं....

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, बिजली और पानी के जो बिल आ रहे हैं, उन बिलों में बहुत अनियमितता आ रही है। किसी महीने में पांच सौ का बिल आ जाता है, किसी में हजार का आ जाता है....

श्री जगत सिंह दायमा : और मैं बिलकुल गरीब हूं सर। मैं माहिर नहीं हूं. (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : किसी में वह सौ रुपये का आ जाता है। बिलों के अन्दर अनियमितता चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है सदन में, कि जो बिल आ रहे हैं इस समय बिजली के, पानी के, उनमें भी संशोधन करवाया जाय वह ऊट-पटांग बिल आये जा रहे हैं। कभी बिल आ जाता है हजार रुपये का, कभी दो हजार का, कभी पांच सौ का, कभी सौ रुपये का। पता ही नहीं चलता बिल कौन सा सही है। कम से कम आप इन बिलों को तो सही करवाइये माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है।

श्री सांवरलाल : कम से कम वह तो व्यवस्था सुधरवायें माननीय अध्यक्ष महोदय। बहुत दुखी हैं। पानी नहीं आता है, बिजली नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर। 295 पानी की व्यवस्था कर देंगे, पीएच ईडी मिनिस्टर, देख लेना जहां आवास के अन्दर पानी नहीं पहुंच रहा है, जिन माननीय सदस्यों के आवास में पानी नहीं पहुंच रहा है उस संबंध में आप निर्देश दे दें आफिसर्स को..(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : टैंकर भेज देंगे आपके।

श्री अध्यक्ष : निर्देश दे देंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : कर देंगे।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, जिनको बंगले नहीं मिले, उनको पैसों की व्यवस्था है। पहले सेशन में पन्द्रह दिन का पैसा दिया था। अब तो व्यवस्था करा दें वह। पैसा देंगे कि नहीं देंगे। देंगे तो कितना देंगे और कब तक दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : वह अलग से प्रश्न है। आप मेरे से चैम्बर में बात करना। मैं मंत्रीजी को बुलाकर बात करूंगा। श्री मदन दिलावर।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

हाड़ौती सम्भाग में विद्युत कनेक्शन काटे जाने से उत्पन्न समस्या

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत हाड़ौती सम्भाग में बिजली विभाग द्वारा किसानों व छात्रों के साथ अत्याचार करने के संबंध में विशेष उल्लेख निम्न प्रकार है।

हाड़ौती सम्भाग के बारां, कोटा, बूंदी झालावाड़ जिले के किसानों के विद्युत कनेक्शन पूरे गांव के एक साथ काटे जा रहे हैं। चाहे उपरोक्ता ने बिल की राशि का चुकारा कर दिया हो, तब भी उसका कनेक्शन काटा जा रहा है तथा जिसने पूरा बिल जमा करा दिया, उस किसान से कहा

(13.23 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जा रहा है, या तो तुम पड़ौसी किसान का बिल जमा कराओ या पड़ौसी से जबरदस्ती बिल जमा करवाओ। ऐसी दादागिरी से किसानों की लूट तो असामाजिक तत्व भी नहीं करते परन्तु इससे भी आगे बिजली बोर्ड निकल गया है। ऐसे किसानों ने क्या अपराध किया जिन्होंने बिल का पूरा भुगतान कर दिया। उदाहरण के तौर पर कुछ गांवों का नाम बताना चाहूंगा जिनके विद्युत संबंध पूरे गांव के बिच्छेद कर दिये हैं। चिकित्सा केन्द्र, साक्षरता केन्द्र और पेयजल योजनाओं पर भी रहम नहीं किया। मुंह का निवाला तो कोई नहीं छीनता परन्तु आटा चक्कियां तक गांवों की बंद हैं। विद्यार्थियों की बोर्ड की परीक्षा चल रही है परन्तु घर में बिल का चुकारा होने के बावजूद भी विद्यार्थी बिजली गुल होने के कारण चिमनी में पढ़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि किसी गांव में 51 लोगों का बिल बाकी है, 49 लोगों ने बिल जमा करा दिया फिर भी यह कहकर कि कि पूरी राशि बहुत ज्यादा है, इसलिए राशि का प्रतिशत नब्बे प्रतिशत नहीं बैठता है। इसलिए 49 लोगों का भी बिजली का कनेक्शन काट दिया है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। जैसे दो लोगों में पचास-पचास हजार रुपये बाकी हैं और शेष में सौ-सौ रुपये बकाया हैं। उन सौ-सौ रुपये वालों ने जमा करा दिये और पचास-पचास हजार वालों ने जमा नहीं कराया तो उन दो लोगों के आधार पर सब का कनेक्शन काटा हुआ है। तहसील अटरू के मुसई, गुजरान, शंकरपुरा, कंवरपुरा, पान्डुहेली, हनुवत खेड़ा, छग्रपुरा, कुण्डी, निमोदा मोतीपुरा, सालपुर, गोरधनपुरा, अमृतखेड़ी, कासपुरा, बराथडी, रामपुरिया की झोंपड़िया, मकरावटा टीमटी महुआखेड़ा, आमापुरा, तहसील छबड़ा, छीपाबड़ौद तहसील के टोघ, मवासा, भैंसपुरा, अजगवर, टाची जैसे बड़े-बड़े गांव अंधकार में डूबे हुए हैं। हिण्डोली क्षेत्र में भी दर्जन गांवों के विद्युत कनेक्शन काट दिये गये। इसी प्रकार चेचट व रामगंज मण्डी इलाके के भी ग्राम सालेड़ा, बोरीना

(श्री मदन दिलावर)

हाथिया खेड़ी, राजपुरा के पूरे गांव के कनेक्शन काट दिये हैं। किसान की फसल खेत में खड़ी है। किसान फसल बेचकर ही तो विद्युत विभाग का चुकारा कर सकता है परन्तु जब बिजली नहीं होने से पानी के अभाव में फसल ही सूख जायेगी, तो किसान कहां से चुकारा करेगा।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जो इस प्रकार से अवैधानिक तरीके से कनेक्शन काटे जा रहे हैं, बिजली का बिल चुकाने के बाद भी जो किसान अपना कटा हुआ कनेक्शन पा रहे हैं, उन सब लोगों के कनेक्शन तुरन्त जोड़े जाएं, ऐसा आपसे मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मटरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उन किसानों के या उन डोमेस्टिक के कनेक्शन्स जिनके पैसे बकाया नहीं है, उनके कनेक्शन भी...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज।

डा. चन्द्रभान : ...काटे जा रहे हैं, यह कथन असत्य है। पूरे राज्य में एक भी ऐसा बिजली का उपभोक्ता नहीं है जिसके पैसे जमा हो और उसका कोई कनेक्शन काटा गया हो। दूसरी बात यह कह रहे हैं, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। जिसका कोई बकाया नहीं है यदि उसका कनेक्शन काट दिया गया है तो मैं उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा; आप 51 प्रतिशत की बात कर रहे हैं, मैंने आपके जिले की पूरी सूची मंगवाई है, क्योंकि आप ही ने यहां सवाल खड़ा किया था। उपाध्यक्ष महोदय, बारां जिले में 22 गांव ऐसे हैं, मैं डोमेस्टिक कनेक्शन की बात कर रहा हूं, किसानों की बात नहीं कर रहा, जहां डोमेस्टिक में नब्बे प्रतिशत लोगों ने पिछले कई सालों से पैसा जमा नहीं कराया है, केवल उनके ही कनेक्शन काटे गये हैं। नब्बे प्रतिशत लोग। 22 गांव ऐसे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शिवनाथ सिंहजी।

राजस्व अपील अधिकारी, झुन्झुनूं पद पर पूर्णकालिक अधिकारी नियुक्त करना

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अंतर्गत नीचे लिखे महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राजस्व मुकदमों की अपीलों की सुनवाई हेतु एक स्तर पर राजस्व अपील अधिकारी नाम से राजस्थान के विभिन्न जिलों के लिए अपील कोर्ट स्थापित है। झुन्झुनू

(श्री शिवनाथ सिंह)

जिले के इस प्रकार के मामलों/मुकदमों की अपीलें सुनने हेतु राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के नाम से अदालत स्थापित है। इस अदालत का अधिकार क्षेत्र सीकर तथा झुंझुनूं दोनों जिलों पर है। इस अदालत में कोई अलग अधिकारी नियुक्त नहीं है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, सरकारी बेंचेज पर यह क्या हो रहा है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने–अपने स्थान पर जाइये सब। माहिर आजाद जी, अपने स्थान पर जाइये आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : संसदीय कार्य मंत्री तो फिर भी उलझ रहे हैं। परवाह ही नहीं है इनको आसन की।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही नहीं चलने देते। ऐसे थोड़े ही चलता है। खेतसिंहजी, आप थोड़ा रेस्ट करिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो आसन वालों पर होता है तब भी जाते रहते हैं संसदीय कार्य मंत्री, ऐसे भी बैठे-बैठे बात करते रहते हैं। इन पर असर तो कुछ होता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको गम्भीरता से लीजिये, मेहरबानी होगी माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बातचीत करना और यहां पर सरकारी काम करना, यह दोनों आप बन्द करवायें।

श्री उपाध्यक्ष : सही बात है।

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्री महोदय यहीं पर आदेश करते हैं, यहीं पर फाइल देखते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्रियों के पास चेम्बर हैं। अपने चेम्बर में बैठ कर करें काम। यहीं से आदेश करते हैं। यहां तो आदेश, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ही चलता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री। माननीय सभी मंत्री महोदय इसको नोट कर लें, भविष्य में ध्यान रखें प्लीज। श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह : ..तथा सैटलमैंट आफिसर, सीकर को ही अपील अधिकारी के पद पर लगाया जाता रहा है। सैटलमैंट आफिसर के पास पहले से ही बहुत कार्यभार है। इस पर दोनों जिलों की अपीलें सुनने का भार भी इन्हीं को सौंप दिया गया है।

परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में अपीलों के मामले विचाराधीन पड़े हैं। छः-छः, आठ-आठ महीने की तारीखें बदली जाती हैं। लोगों को न्याय नहीं मिल पा

(श्री शिवनाथ सिंह)

रहा है। अपील अधिकारी ने महीने में कुछ दिन झुंझुनूं में पेशियों की सुनवाई हेतु निर्धारित कर रखें हैं, लेकिन उन पर आते ही नहीं हैं। पेशियां बदलती रहती है। विशेष रूप से झुंझुनूं जिले की जनता बहुत ही पीड़ित है। इस समस्या का निराकरण तभी हो सकता है जब अपील अधिकारी के पद पर पूर्णकालिक अधिकारी लगाया जावे तथा झुंझुनूं जिले के लिये पृथक से अपील अधिकारी नियुक्त हो। राजस्व अपील अधिकारी की झुंझुनूं जिले के लिये अलग से अदालत स्थापित की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामगोपाल बैरवा।

इटावा (पीपल्दा) में ए. सी. एम. कोर्ट खोलना

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के अन्तर्गत कस्बा इटावा में नये ए.सी.एम. कोर्ट खोलने बाबत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा कृषि प्रधान होने व कमांड एरिया होने के कारण अधिकांश परिवार कृषि पर आधारित हैं। परन्तु इस क्षेत्र के किसानों को कृषि से संबंधित प्रकरणों के लिये 120 किलोमीटर की दूरी पार कर एस.डी.ओ. कोर्ट; कोटा में जाना पड़ता है। वर्तमान में एस. डी.ओ. कोर्ट; कोटा में कार्य का अधिक भार होने के कारण तहसील पीपल्दा के लगभग 1800 प्रकरण गत 10-15 वर्षों से लम्बित चल रहे हैं। जिससे किसानों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता तथा किसानों को अतिरिक्त आर्थिक एवं शारीरिक भार बहन करना पड़ता है। इस समस्या को मध्यनजर रखते हुए जिला प्रशासन कोटा के द्वारा भी इटावा में किसानों की कठिन समस्या को मध्य नजर रखते हुए इटावा में नया ए.सी.एम. कोर्ट खोलने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार के पास प्रेषित किये गये हैं।

अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की समस्या एवं जन हित की भावना को मध्यनजर रखते हुए इटावा में ए.सी.एम. कोर्ट खोलने की कृपा करें। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री महादेव सिंह जी खंडेला (अनुपस्थित)।

श्री रामसिंह जी कस्वा।

राजगढ़ तहसील (चूरू) के तालाबों में पानी का भण्डारण

श्री रामसिंह कस्वा (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष उल्लेख के नियम 295 के अन्तर्गत पंजाब सरकार द्वारा इंदिरा गांधी नहर फीडर को बन्द किये जाने के कारण पानी की विकट समस्या के उत्पन्न होने बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री रामसिंह कस्वा)

पंजाब सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी नहर फीडर को दिनांक 4-4-99 से 25-4-99 तक किए जाने वाले बन्द के कारण राजगढ़–तारानगर व चूरू तहसील में पानी की विकट समस्या आ खड़ी हुई है। यदि इसका समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो आने वाले बीस दिनों में पीने के पानी की विकट समस्या हो जाएगी। 23 अप्रेल, 1999 को बन्दी के कारण होने वाली स्थिति पर पूरे सदन ने गम्भीर चिंता व्यक्त की थी। सरकार ने सदन को आश्वस्त किया था कि उक्त तहसील के गांवों में बने पक्के तालाब कुण्ड आदि में पानी का भण्डारण कर लिया लिया जाएगा।

लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कल तक किसी भी गांव में पानी का भण्डारण नहीं किया गया था। जिन तालाबों में पहले पानी था, ग्रामवासियों द्वारा उसका भी उपयोग कर लिया गया है। मेरी गृह तहसील राजगढ़ (चूरू) के निम्न गांवों में पक्के तालाब/कुण्ड/डिग्गी की व्यवस्था है जिनका पानी की लाइन से कनेक्शन भी किया हुआ है लेकिन उनमें एक दिन का भी पानी नहीं है। ये गांव हैं- सिधमुख, भीमसाना, राजपुरिया, ढाणीबड़ी ढाणी छोटी, सादपुरा, गालड़, चुबकिया-गढ़, चुबकियाताल, भगेला, लूटाणापुरा, बासकाजण, घांगड़ा, मामासी।

निम्न गांवों में पक्के तालाब हैं जो पानी की लाइन के पास हैं लेकिन इन गांवों को जोड़ने का सार्थक प्रयास आज तक प्रशासन ने नहीं किया है। ये गांव हैं- किशनपुरा, भुवाड़ी, सेउवा, मानपुरा, ददरेवा, मामासी, लाखलाण, महलाना, राधा छोटी, राधा बड़ी, गागड़वास, चिमनपुरा, रड़सानावास, लूदी धादर, श्योपुरा आदि।

मेरा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से नम्र निवेदन है कि उक्त तालाबों में पानी का भण्डारण करवाकर जनता को राहत प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किस्तूर चन्द चौधरी।

ग्रे क्लोथ पर प्रस्तावित 2% बिक्री कर को वापस लेना

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि बजट प्रस्तावों में ग्रे क्लोथ पर 2% बिक्री कर प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान में पावर लूम का हिस्सा मात्र 0.1% है। भारत के किसी भी राज्य में ग्रे क्लोथ पर बिक्री कर नहीं है। ग्रे क्लोथ पर प्रवेश शुल्क लगना चाहिए, ताकि राजस्थान के पावरलूम उद्योगों का विकास हो सके। ग्रे क्लोथ पर 2% बिक्री कर लगने से राजस्व प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि संपूर्ण व्यवसाय ही मृतप्राय: है।

राजस्थान में स्थापित पावरलूम को उत्पादन लागत महाराष्ट्र, तमिलनाडु व मध्य प्रदेश की तुलना में वैसे ही 60 पैसे प्रति मीटर अधिक आती है क्योंकि उन

(डा. के. सी. चौधरी)

राज्यों में विद्युत की दरें पावरलूम के लिए फ्लैट दर पर आधारित हैं। खेती के बाद पावरलूम सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है जिसके बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे। साथ ही अन्य राज्यों से आकर जो कपड़ा राजस्थान में बिकेगा, उस पर राज्य सरकार को कोई राजस्व प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि वह कपड़ा सीधे छपाई कारखानों में आयेगा।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जनहित में ग्रे क्लोथ पर प्रस्तावित 2% बिक्री कर को राजस्थान में स्थापित पावरलूम उद्योग तथा सहायक उद्योगों को बचाने हेतु अविलम्ब हटाने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. रघुवीर सिंह।

ग्राम छारदड़ा (कोटपूतली) की चारागाह भूमि पर वृक्षों की कटाई

डा. रघुवीर सिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम छारदड़ा, पंचायत देवता, तहसील कोटपूतली, में खसरा नं. 987 में 225 बीघा जमीन गोचर भूमि है। इस भूमि में 10 वर्ष पूर्व वन विभाग ने सघन वृक्ष लगाकर ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया था। हजारों हरे-भरे वृक्षों से भरपूर यह वन खण्ड सुन्दर पर्यावरण तो प्रस्तुत कर ही रहा है, साथ ही पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध कर रहा है, किन्तु कुछ समय से इस सघन वन की कटाई कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अनवरत रूप से की जा रही है। ग्रामवासियों ने एस.डी.ओ. तहसीलदार तथा पुलिस सभी को वृक्षों की कटाई तथा भूमि अतिक्रमण रोकने के लिए निवेदन किया लेकिन प्रशासन ने अभी तक रोकथाम के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया।

अभी कुछ दिन पूर्व ग्रामवासी स्वयं तहसीदार को ले जाकर वन की कटाई तथा अतिक्रमण हुए क्षेत्र को दिखाया, लेकिन उसके बाद भी कार्यवाही नगण्य है।

सरपंच ने कटाई करने वालों तथा अतिक्रमणकर्ताओं की नामजद रिपोर्ट की हुई है। इसके बाद भी रोजाना खुलेआम हरे वृक्ष कट रहे हैं तथा बोरियां भरकर बहरोड़ ले जाकर बेच रहे हैं।

अतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इस वन खण्ड की अवैध कटाई शीघ्र ही रोकी जावे तथा इसकी भूमि का अतिक्रमण हटाया जाकर भू-खण्ड की रक्षा की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कु. मीनाक्षी चन्द्रावत।

राजस्थान आवासन मण्डल के मकानों की कीमत ज्यादा होने के कारण बिक्री नहीं होना

कु. मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल के मकानों की कीमत बढ़ने व मकान न बिकने से उत्पन्न स्थिति की ओर विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहती हूं।

मैं माननीय आवासन मंत्रीजी का ध्यान मण्डल के बनाये मकानों की लागत बढ़ने व 340 करोड़ के मकानों के न बिक पाने की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। कीमतें बढ़ने का एक कारण लागत प्रणाली का दोषपूर्ण होना है। मण्डल फिलहाल सीलिंग बेसिक कास्ट और कास्ट ओवर रन के तहत लागत की गणना करता है जिसके कारण मण्डल ने चार वर्ष पहले जो मकान सवा दो लाख में बेचा था, उसकी कीमत अब चार लाख हो गयी है। साथ ही जो मकान निरस्त हो जाता है, उसकी कीमत पुनः आवंटन से बढ़ जाती है और उसके बाद सभी मकान उसी लागत पर बेचे जाते हैं चाहे उनकी लागत कम ही क्यों न आयी हो।

हालत यह है कि अल्प आय वर्ग की मासिक आय 1251/– है और मण्डल उस से 1510/– रुपये की किश्त लेता है। क्या वह दे सकता है? इसलिए किश्तें 8 वर्ष के बजाय 12 वर्ष की जायं।

यह सही है कि आपने 25 मकान एक साथ लेने पर 10 प्रतिशत लागत कम की है, परन्तु यह कमी एक मकान लेने पर भी की जाय।

साथ ही वित्त मंत्री जी से भी आवासन मंत्रीजी बात करें कि इस बजट में जो आवासन मण्डल के मकानों की रजिस्ट्री बाजार मूल्य पर करने का प्रावधान किया गया है, उसको समाप्त करें। क्योंकि किश्तों पर मकान लेने वाला तो 10 वर्ष बाद ही रजिस्ट्री करायेगा। साथ ही पहले जो रियायती दर 7 प्रतिशत पर रजिस्ट्री हुआ करती थी, वह भी चालू रहे, ताकि लोग हाउसिंग बोर्ड के मकान लेने के लिए प्रोत्साहित हों और अनबिके मकान बिक सकें।

आशा है मेरे द्वारा उठाये मुद्दों पर अनुकूल निर्णय होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमराराम जी चौधरी।

बाड़मेर जिले के एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत मामलों की सुनवाई का अधिकार सत्र न्यायाधीश, बालोतरा को देना

श्री अमराराम (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले के उपखण्ड गुड़ामालानी का, उपखण्ड अधिकारी का कार्यालय

(श्री अमराराम)

बाड़मेर में है जो गुढ़ामालानी से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इस प्रकार बाड़मेर जिला के एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों की सुनवाई जोधपुर में होती है जो बाड़मेर से 217 किलोमीटर की दूरी पर और बालोतरा से 105 किलोमीटर की दूरी पर है। जालौर में, सिरोही और पाली में एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों की सुनवाई वहां के सत्र न्यायाधीश करते हैं, जबकि बाड़मेर जिले में ऐसा नहीं है।

इस प्रकार गुढ़ामालानी में उपखण्ड अधिकारी का कार्यालय बाड़मेर में होना और बाड़मेर जिले के एन.डी.पी.एस. एक्ट के मुकदमों की सुनवाई जोधपुर में होती है। एक तरफ सरकार कैम्प लगाकर और लोक अदालतों के जरिये सस्ता न्याय दिलाने का प्रयास करती है। दूसरी तरफ उपखण्ड अधिकारी का 100 किलोमीटर दूर अपने एक आदमी की शहर की सुविधा के लिए बाड़मेर कार्यालय रखना और बाड़मेर जिले के एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरणों को 105-200 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर जोधपुर में सुनवाई करवाना, जनता को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। एक कल्याणकारी सरकार का यह प्रथम कर्त्तव्य है कि जनता को सस्ता न्याय मिले।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत बाड़मेर जिले के प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार भी सत्र न्यायाधीश बालोतरा को दिलावें तथा उपखण्ड अधिकारी गुढ़ामालानी का कार्यालय बाड़मेर न रखकर जनहित में गुढ़ामालानी में ही करवाने का सरकार को निर्देश दिलावें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. किरोड़ी लाल जी।

बामनवास विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र बामनवास में निर्मित सड़कों की डामर पूरी तरह से उखड़ कर सड़कों में बड़े-बड़े भारी संख्या में गड्ढे पड़ गये हैं। जिसके कारण आवागमन में तो भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है किन्तु उससे उड़ने वाली (धूल) भारी मिट्टी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा रहा है।

ग्राम बाटोदा गंगापुर-सवाईमाधोपुर मुख्य सड़क पर स्थित है। इस सड़क में भारी गड्ढे पड़ गये हैं। उसमें मोरम की मिट्टी डाल दिये जाने के कारण स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थिति और भी भयावह बन गई है। इस सड़क से जिला मुख्यालय को भारी तादाद में वाहनों का आवागमन रहता है। जिनके कारण मुख्य बाजार एवं आबादी में दिनभर मिट्टी का ढेर दुकानों व घरों में लग जाता है। आम जनता का रुकना एवं जीना दूभर हो गया है। लोगों के फेफड़ों में न्यूमोकोनियोसिस जैसी प्राणघातक बीमारी होने लगी है।

(डा. किरोड़ी लाल)

इस भयावह स्थिति को लेकर क्षेत्र की जनता ने 2-4-99 को क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण की मांग को लेकर गंगापुर-सवाई–माधोपुर सड़क का यातायात अवरुद्ध कर दिया था। इस चक्का जाम के कारण सड़क के दोनों ओर सैंकड़ों वाहन जमा हो गये, जिसके कारण सामान्य जन को भारी परेशानियां उठानी पड़ीं। ग्रामीणों ने अनेकों बार विभाग को सड़क की विशेष मरम्मत कराये जाने की मांग की है। पर विभाग ने ग्रामीणों की मांग को अनसुना कर दिया। सड़क निर्माण नहीं होने के कारण ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है।

इसी प्रकार बिनोरी बालाजी से अमावरा, अमावरा से डूंगरवाडा, बाटोडा से बरनाला, मलारना से जस्टाना, शफीपुरा गंगापुर रोड की हालत बहुत खराब है। अतः जनहित में इन लोक महत्व की सड़कों का मरम्मत कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जाये।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्रीमती कमला, सिंचाई मंत्री राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : (संसदीय कार्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या प. 6 (6) राजज-6/92/3 दिनांक 27 फरवरी, 1999 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 में संशोधन किया गया है एवं

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 3 (46) रेव/कोल/ 83 दिनांक 18 मार्च, 1999 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन और विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है।

समिति का प्रतिवेदन

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री जनार्दन सिंह गहलोत सभापति सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति 1999-2000 का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 1999–2000 वर्ष 1992 तक समस्त विभागों के लम्बित आश्वासनों से संबंधित समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां परम्परा और नियम भी है कि माननीय सदस्य अपनी ही जगह से बोलेंगे।

श्री जनार्दन गहलोत : मैंने इजाजत लेकर बोला है। मैं यहां बैठा था, मेरा नाम पुकार लिया गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, नियम यही है कि अपनी ही सीट से पढ़ा जायेगा।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब ध्यान रखें आइन्दा। याचिकाओं का उपस्थापन। श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य विधान सभा चार याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित चार याचिकाएं उपस्थापित कर रहा हूं :—

पाली जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालय कानूजा व पचानपुरा को डामर की पक्की सड़क से जोड़ना

(1) पाली जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालय कानूजा व पचानपुरा को डामर की पक्की सड़क से जोड़ने बाबत।

पाली जिले की तहसील रायपुर में बरड़ के नाके पर पुलिया बनाना

(2) पाली जिले की तहसील रायपुर में बरड़ के नाके पर पुलिया बनाने बाबत।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कालबकलां, पंचायत समिति रायपुर जिला पाली का क्रमोन्नत करना

(3) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कालबकलां, पंचायत समिति रायपुर जिला पाली का क्रमोन्नत करने बाबत।

पाली जिले की पंचायत समिति रायपुर की ग्राम पंचायत मुख्यालय कानूजा में छात्रावास खोलना

(4) पाली जिले की पंचायत समिति रायपुर की ग्राम पंचायत मुख्यालय कानूजा में छात्रावास खोलने बाबत।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बीकानेर के चिड़ियाघर में हिरण मारे जाने के सम्बन्ध में विश्नोई साधू समाज द्वारा आमरण अनशन

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य विधान सभा, बीकानेर के चिड़ियाघर में 25 हिरण मारे जाने के संबंध में विश्नोई साधू समाज द्वारा 5 अप्रेल, 1999 से आमरण अनशन करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वन राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज, 5 अप्रेल को विश्नोई समाज के....

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले ध्यान आकर्षित कर दो, फिर मंत्री जी का स्टेटमेंट आ जाये, उसके बाद।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ठीक है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि 5 अप्रेल से आमरण अनशन चालू है, 25 हिरण मारे गये, उस पर क्या कार्यवाही आपने की, अनशन के बारे में आपने क्या बातचीत की। अब आपका स्टेटमेंट आये।

श्री मगराज चौधरी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बीकानेर चिड़ियाघर में 25 काले हिरणों को मारे जाने के संबंध में जो ध्यानाकर्षण किया है, इसके संबंध में मैं यह उत्तर पढ़ रहा हूं।

बीकानेर चिड़ियाघर की सुरक्षा हेतु चारों ओर दीवार तथा लोहे के तारों की फेन्सिग की हुई है। इस चिड़ियाघर में दिनांक 24-25 मार्च, 1999 की दरमियानी रात की अर्धरात्रि के पश्चात् चिड़ियाघर के काले हिरणों के बाड़े में 5 आवारा कुत्ते घुस गये और उन्हें गर्दन से पकड़कर मार डाला। वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु तैनात रात्रि चौकीदार, श्री उत्तमसिंह के, अपनी रात्रिकालीन ड्यूटी के प्रति सचेत न रहने से उन्हें कुत्ते घुसने की जानकारी प्रातः लगभग 6 बजे लगी। उन्होंने तत्काल दो कर्मचारी केयर टेकर श्री खेतसिंह एवं श्री पूनमचन्द को सूचित किया जिन्होंने पिंजरे में कूद कर लाठी के वार से कुत्तों को बाहर निकाला। इस बीच कुत्तों ने 25 हिरणों जिनमें 7 नर एवं 18 मादा थे जिनकी उम्र 6 माह से 5 वर्ष के मध्य थी, को मार डाला।

इस प्रकार घटना होने के पश्चात् दिनांक 25–3–99 को 3 पशु चिकित्सकों (डा. दिनेश शर्मा, डा. वीरेन्द्र नेत्रा तथा डा. पूनम चन्द शर्मा) को शामिल करके एक बोर्ड का गठन किया गया और इन 25 काले हिरणों का पोस्टमार्टम किया गया तथा बाद में ही जंतुआलय परिसर में ही उनको दफना दिया गया। प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी 25 काले हिरणों के गले पर घाव होना तथा घाव के कारण से जो चोटें आयीं, उनके कारण से शाक उत्पन्न होने से सभी हिरणों की मृत्यु होना अंकित है। शवों के कम होने अथवा उनकी खाल उधेड़ देने तथा मांस बेचने या जहर के कारण मौत होने की अफवाह को निर्मूल साबित करने के लिए, अथवा सही पता लगाने के लिए दिनांक 26–3–99 को हिरणों के शवों को वन संरक्षक श्री आर. के. रैंगर तथा ए.डी.एम., बीकानेर श्री जस्साराम आदि की उपस्थिति में शवों को पुनः बाहर निकलवाकर वैरीफिकेशन किया गया तथा मरे हुए 25 हिरणों में से रेन्डम बेसिस पर चयन कर 5 हिरणों का पशु चिकित्सकों के नव गठित बोर्ड (डा. गोपाल सिंह, डा. लियाकत अली तथा डा. बी. के. मिश्रा) द्वारा विसरा निकाल कर उनका विसरा परीक्षण हेतु कालेज आफ वेटेरीनरी एण्ड एनीमल साइन्स, बीकानेर को भेजा गया।

इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच हेतु दिनांक 26-3-99 को श्री आर.के.रैंगर, वन संरक्षक, बीकानेर एवं श्री एम. एल. सोनल उप वन संरक्षक (वन्य जीव), जोधपुर की जाँच समिति गठित की गयी। जांच समिति ने दिनांक 26-3-99 से 29-3-99

(श्री मगराज चौधरी)

के मध्य इस घटना का मौका मुआयना कर जांच कर जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उस जाँच के दौरान में पाये गये मुख्य बिन्दु और तथ्य इस प्रकार अंकित हैं : —

जंतुआलय के समीप एम.ई.एस. तथा रेलवे कालोनी की ओर पूर्व में 8 फीट ऊंची दीवार थी जिसको संबंधित विभागों द्वारा कुछ समय पूर्व तोड़कर 6 फीट की कर दी गयी थी। इस तोड़ी गयी दीवार का मलबा भी वहीं दीवार के पास पड़ा रहने के कारण कुत्ते पहले मलबे पर चढ़ गये, और फिर मलबे के ऊपर चढ़कर, दीवार पर चढ़ कर जंतुआलय परिसर में कूद गये हों, इस प्रकार की आशंका व्यक्त की गयी है।

दूसरा, जंतुआलय की सीमा पर बने शनिश्चर जी के मंदिर की दीवार की तरफ भी दीवार छोटी होने के कारण इस जगह पर भी दीवार को कूद कर भी कुत्ते अंदर आने की शंका व्यक्त की गयी है। जंतुआलय के गेट के नीचे भी करीब 8 इंच का गैप, जमीन और जो लोहे के सरिये का गेट है उसके बीच में से 8 इंच का गैप होने के कारण से कुत्ते गेट के नीचे से भी परिसर में आ गये होंगे। इस तीन प्रकार के दृष्टि-कोण से कुत्तों की जंतुआलय में घुसने की संभावना व्यक्त की गयी है।

जंतुआलय में हिरणों के पिंजरे के नजदीक स्थित सूअर के पिंजरे का एक सरिया भी हटा हुआ होने से पिंजरे और उसमें लगभग 1 × 1.5 फीट का गैप था, जिसके अंदर से कुत्ते सूअर के पिंजरे में पहले घुसे तथा घुसने के बाद उसमें बने सीमेंट के प्लेटफार्म पर चढ़कर हिरणों के पिंजरे में कूद गये, क्योंकि इस पर से बीच की तार की फेंसिंग को कूदना आसान हो गया था। कुत्तों ने हिरणों के बाड़े में उपलब्ध कुल 47 हिरणों में से 25 को गरदन पर काट कर, घाव पहुंचा कर मार डाला।

रात्रिकालीन ड्यूटी पर तैनात चौकी-दार श्री उत्तमसिंह अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाह रहे। उन्होंने कुत्तों के घुसने पर तत्परता से कार्यवाही नहीं की, बचाने का प्रयास नहीं किया।

इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए वन विभाग में जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध निम्न कार्यवाही की जा चुकी है—

श्री राजेश सक्सेना, रेंजर जो जंतु-आलय परिवेक्षक का कार्य कर रहे थे, को दिनांक 26-3-99 को अपने कार्य में लाप-रवाही बरतने के लिए निलम्बित किया जा चुका है।

रात्रिकालीन चौकीदार श्री उत्तमसिंह को दिनांक 25-3-99 को ड्यूटी के दौरान अपने कार्य में लापरवाही बरतने के लिए निलम्बित किया जा चुका है।

इन पिंजरों के केयर टेकर श्री पूनमचंद को दिनांक 25-3-99 को ही अपने कार्य में लापरवाही बरतने और पिंजरे आदि में एक सरिया गायब होने तथा दीवार छोटी होने के कारण लापरवाही बरतने के कारण

(श्री मगराज चौधरी)

भी निलम्बित किया जा चुका है।

श्री भासूसिंह, सहायक वन संरक्षक एवं वन्य जीव प्रतिपालक, बीकानेर, जिनकी देखरेख में बीकानेर जंतुआलय था, को भी सुपरवाइजरी नेग्लीजेंस के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1-4-99 को पुख्ता तौर पर निलम्बित कर दिया गया है।

जांच समिति के प्रतिवेदन एवं पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि 25 हिरणों को कुत्तों के द्वारा ही मारा गया है तथा सभी 25 हिरणों के पूरे शव (खाल, सींग, खुर आदि के साथ) जंतुआलय परिसर में ही दफनाये गये हैं, वहीं मौजूद हैं, जिनका फिजीकल वेरीफिकेशन दिनांक 26-3-99 को ए.डी.एम., बीकानेर की मौजूदगी में वन संरक्षक एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। दफनायी हुई जगह से पुनः उनको बाहर निकालकर उनका फिजीकल वेरीफिकेशन किया गया क्योंकि आशंका यह व्यक्त की गयी थी कि एक बार दफनाने के बाद में कहीं, शायद ऐसा तो नहीं है कि उनकी खाल निकाल ली गयी हो। उनकी खाल निकालने के दृष्टिकोण से शायद किसी ने शिकार करवाया हो या चारे की, जो उनको चारा खिलाने के लिए दिया जाता था, उसमें किसी प्रकार का कोई जहर वगैरह या कोई इस प्रकार की स्थिति बन गयी हो जिससे कि वह मर गये हों। इस प्रकार की शंका का पता लगाने के लिए दफनाये गये हिरणों के शवों को बाहर निकाला गया।

डा. जसवन्त सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहीं कुत्ते सरकार को बदनाम करने के लिए तो कोई साजिश रचकर नहीं घुसे थे। हो सकता है कोई साजिश के तहत ही सारे कुत्ते घुसे हों, सरकार को बदनाम करने के लिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह जांच का विषय है।

श्री मगराज चौधरी : Please let me complete my statement.

हिरणों की मौत में जंतुआलय के कर्मचारी/अधिकारियों की मिलीभगत होने या शिकार करने के दृष्टिकोण से, या शिकार करवाने की मंशा से उन्हें मारने की शंका बिलकुल निराधार एवं तथ्यहीन पायी गयी है। दिनांक 29–3–99 को स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य श्री राजपालसिंह एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक श्री आर.जी.सोनी द्वारा भी जंतुआलय का निरीक्षण किया गया और उक्त दुर्घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। जिससे भी उपरोक्त वर्णित तरीके से कुत्तों के द्वारा हिरणों को मारे जाने की घटना की पुष्टि की है।

25 हिरणों के मारे जाने की घटना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विभाग घटना घटित होने के लिए दोषी रहे लोक सेवकों के विरुद्ध तत्परता से कार्यवाही कर दी है, तथा भविष्य में इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए भी पूर्ण उपाय किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्रीजी ने जांच रिपोर्ट बतायी है, उस के लिहाज से तो ताज्जुब है कि हिरण अब तक जिन्दा कैसे थे। आपने एक नहीं तीन रास्ते बता दिये कि 8 फीट की दीवार, तो 6 फीट दीवार हो गयी और उसका मलवा पड़ा हुआ था, कुत्ते वहां से कूद गये होंगे। फैंसिग वायर के अन्दर गैप था, वहां से घुस गये होंगे। सूअर के पिंजरे में से घुस गये होंगे और वहां से प्लेटफार्म पर कूद गये होंगे। तीन–तीन जगह आपकी जांच समिति की रिपोर्ट में आया है। यह संभावना व्यक्त है, मतलब कहीं से भी घुस सकते हैं कुत्ते। तो आप, श्रीमान जी, आपका चौकीदार, क्या फैंसिग वायर को वह ठीक कराता है, क्या रेंजर के पावर्स की बात है ? पहले तो आप यह बताइये कि तीनों काम क्यों नहीं हुए ? क्यों तो वहां मलवा पड़ा रहा आपका। मेंटेनेंस कौन करता है। हो सकता है कि उन्होंने राज्य सरकार को लिखकर भेजा हो और आपने उसकी अनुमति प्रदान नहीं की हो। तो निलम्बित तो आपको करना चाहिए।

अगर आपको लिखकर भेजा हो और आपने अगर उसकी स्वीकृति नहीं दी हो, तब तो मंत्रीजी को निलम्बित करना चाहिए। क्वेश्चन यह नहीं है। वाइल्ड लाइफ का एक सेन्ट्रल एक्ट बना हुआ है। हमारे यहां पहले से एक्ट है हमारा 1951 का एक्ट है और वह 72 का एक्ट है और आप वाइल्ड लाइफ को घर में हिरण थोड़े ही पाल सकते हो। आपको बाकायदा लाइसेंस मिलता है। आप नियम बताइये कौन से नियम में लाइसेंस मिलता है। आपके जंतुआलय को, जू को यह कंडीशन है उसके हिसाब से तो आपका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। क्योंकि जू मेंटेनेंस के स्टेण्डर्ड है ही नहीं आपके पास तो यह सबसे अहम मसला है। आप सदन को सिर्फ यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि हर प्रकार से साहब कुत्तों ने मारा है। तो यह एक अलग मसला है। कुत्तों ने मारा है तो कुत्तों ने कैसे मारा है, वह तो इसकी बहुत संदेहास्पद स्थिति है। मंत्री जी, इतना आसान नहीं है। जांच समिति की रिपोर्ट का आप यह जो हवाला दे रहे हैं, आप मुझे क्षमा करेंगे, जांच समिति ने यह कहीं नहीं कहा, कुत्तों ने मारा है। जांच समिति ने रिपोर्ट में सिर्फ यह बताया है रास्ता है, कुत्ते घुस सकते हैं, प्रवेश पा सकते हैं बाकी कुत्तों ने मारा है ? आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। कोई डाक्टर दुनिया के अन्दर पैदा हुआ है जो यह कह सकता है कि कुत्तों ने मारा है ? सिर्फ इसका वह काज आफ डेथ बतायेगा डाक्टर, वेटेरीनरी डाक्टर काज आफ डेथ बताये।

अब यह बात तो ठीक है कि आप यह कहना चाहते हैं कि साहब इसकी खाल के लिए या इसकी तस्करी के लिए नहीं मारा है। आप यह कैसे कह सकते हैं ? अगर उनका कोई प्लान, वाइडर प्लान था, कांसपेरेंसी बीच में फोइल्ड अप हो गयी होगी तो नहीं हुआ होगा। लेकिन यह गम्भीर मसला है। उपाध्यक्ष महोदय, आप ए.डी.एम. से जांच करायेंगे और आप रेंजर को तो वापस रिइंस्टेट कर देंगे, चौकीदार को

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

छुट्टी कर देंगे। यह आप जो आई थाब करना चाहते हैं, यह नहीं चलेगा।

(14.00 बजे)

यह बड़ा अहम मसला है। पूरे राजस्थान के सब वन्य जीव प्रेमी इस बात के लिये उद्वेलित हैं, विशेषकर विश्नोई समाज के लोग उद्वेलित हैं। आपके स्टेटमेंट से ही मैंने ये सवाल खड़े किये हैं। कृपया आप सिर्फ नियम के हिसाब से बतायें कि क्यों नहीं आपकी शिकायत की जाए। गवर्नमेंट आफ राजस्थान ही मेंटेन करती है ना जू। यदि आप स्टेटस मेंटेन नहीं करें तो कैंसिल कर देंगे। तो बाकायदा उस नियम के अंतर्गत क्या कार्यवाही की है और क्या मेंटेन किया क्या आपसे कभी उन्होंने मांग की है। इन सब बातों का जवाब देने की कोशिश करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, आपने जो वक्तव्य दिया, इसमें कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि किसी आदमी ने इन कुत्तों को हिरणों को मारते हुए देखा है। यह कहीं नहीं आता, (व्यवधान) नहीं, कुत्तों ने मारा है। कुत्तों को मारते हुए किसी आदमी ने नहीं देखा। एक प्रश्न तो यह है। आप बताएं किस प्रकार से आप इस चीज को कह रहे हैं कि कुत्तों ने मारा। उसके ग्राउण्ड्स क्या हैं जिस आधार पर आप इस नतीजे पर पहुंचे कि कुत्तों ने इनको मारा है?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपने कहा कि दीवार टूट गयी। मुझे याद है कि इस दीवार के आगे एक लोहे का भी कुछ बना हुआ है, जिसे कुत्ते पार कर ही नहीं सकते हैं। अब इसमें एक प्रश्न और है कि आपके सामने कभी इस बात की सूचना विभाग ने दी है क्या, या पहले दी हुई हो कि इस प्रकार की दीवार में कुत्ते आ सकते हैं, इन कुत्तों को रोका जाए, या रोकने के संबंध में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। जैसे सुरेन्द्रजी ने कहा, कोई आपके पास इस प्रकार का प्रपोजल आया हो, आपको एस्टीमेट दिया हो, यह सब कुछ किया हो। वह उसमें नहीं हुआ।

तीसरा, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस सारे मामले की जांच रिपोर्ट जो आप दे रहे हैं, उन रिपोर्ट्स में केवल इस बात की जांच ये लिख रहे हैं कि दीवार के पीछे कंकर थे और कंकर से आ सकते हैं। कोई आदमी यह बता सकता है क्या कि ये कुत्ते जो आए, वे कितनी ऊंचाई को पार कर सकते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वह पिंजरा देखा है, मैं ऐसा समझता हूं कि वह दीवार मेरी देखी हुई है और मैं आप को विश्वास से कहता हूं कि आप ट्रेंड कुत्ते भी ले जाएं तो वे दीवार को पार नहीं कर सकते हैं। अब कुत्तों के बारे में आपने कैसे अंदाज लगा लिया कि दीवार कूद जाएंगे।

श्री छोगाराम बाकोलिया : कुत्ते ज्यादा भूखे तो नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुत्ते भूखे थे या नहीं थे, यह सवाल नहीं है। सवाल है, यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कह देना कि दीवार से कूद गये होंगे। मैं यह कह सकता हूं कि आज कोई भी, चाहे सदन के पांच माननीय सदस्यों को भेज दीजिए, कुत्तों का सलेक्शन आप कर लीजिए और कुत्ते इनके साथ भेज दीजिए। एक भी कुत्ता दीवार को फांद जाए या जो लोहे का पिंजरा बना हुआ है, उसको फांद जाए तो मैं समझूंगा कि वास्तव में वे कुत्ते घुस सकते हैं। अब कुत्ते एक ही दिन में क्यों घुसे ? ये कुत्ते आए कहां से ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब कुत्ते भी घुस गये और कुत्तों ने मार लिया तो कुत्ते भेजने में किसी आदमी का सहयोग हो कि इनको कुत्तों से मरवा दो। और मरवाने के बाद हिरणों की लाश अपन ले लेंगे और इसका चमड़ा उतारकर बेच देंगे। कहीं ऐसा षडयन्त्र तो नहीं है ? अब ऐसी स्थिति में, मैं ....(व्यवधान)....यह भी कह दो कि कुत्ते, षडयन्त्रकारी कुत्ते थे। इन्होंने सरकार को बदनाम करने के लिये षडयन्त्र किया।

श्री चन्दनमल बैद : आर.एस.एस. के कुत्ते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आर.एस.एस. कह दीजिए। आर.एस.एस. के कुत्ते आपके पीछे लगे हुए तो हो सकते हैं, लेकिन हिरणों के पीछे लगे हुए नहीं हो सकते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आपकी कृपा से मेरे पीछे तो नहीं लगेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चलो ठीक है। आपमें कुछ है हो नहीं, हिरणों में जितना माल मिल गया; उनमें पता लग गया।

मैं यह कह रहा था कि आप इस बात को टहलाओ मत कि आपको आफिसर्स ने जो रिपोर्ट दी है, अच्छा तो यह हो कि आप सारी की सारी रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दें। क्योंकि रिपोर्ट के सारे कंटेंटस आपने बता दिये। उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के नाते और रूल्स के अन्तर्गत यदि कोई मंत्री किसी रिपोर्ट का उल्लेख करता है और उसके कंटेंट्स बताता है तो मैम्बर्स का यह राइट हो जाता है कि वह उस सारे डाकूमेंट को देखें। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वे सारे महत्वपूर्ण डाकूमेंटस सदन की मेज पर रख दें, और रखने के साथ ही, जो मैंने प्रश्न पूछे हैं, उनका आप अच्छी तरह से उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामप्रतापजी।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिरणों से विश्नोई समाज की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हिरणों से ही नहीं, पर्यावरण के सम्बन्ध में जितना योगदान विश्नोई समाज का, और वह भी विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान में रहा है, उतना किसी का नहीं रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने सुना होगा कि आज से सैंकड़ों साल पहले पेड़ काटने के मामले को लेकर के विश्नोई समाज के सैंकड़ों लोगों ने बलिदान दिया था, 300 के करीब लोगों ने, और वे पेड़ से चिपक गये

(श्री रामप्रताप)

थे। पहले खुद कटे थे। और बाद में पेड़ को काटने दिया गया था। इस किस्म के लोग हैं। उस घटना के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने पुरस्कार भी घोषित कर रखा है। यहां तक पर्यावरणविद सुन्दरलालजी बहुगुणा, उनका जो चिपको आन्दोलन है, वह उस पेड़ के चिपके थे, उससे प्रेरणा लेकर के आज उन्होंने इतना बड़ा आन्दोलन खड़ा कर रखा है। इस समाज के लोग अगर इतने उद्वेलित हैं तो वे बे-वजह नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। इससे पहले भी 20 मार्च, को 2 हिरण जोधपुर के पास सड़क पर मरे हुए पड़े मिले। उनको गोलियां लगी हैं, अखबार में जिस तरह से लिखा है कि, एक की गरदन हलाल की गयी। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी घटना 3 अप्रेल की है और यह 24 मार्च, की है। मैंने भी मौका देखा है। जैसे प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने बताया है कि 8 फीट की दीवार है और मंत्रीजी ने भी ऐसा ही बताया है कि इसके पास कूड़ा पड़ा है, इसलिए 6 फीट की है।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि उसका मौका आज जाकर देखें तो, मेरा सवाल दूसरा है, एन्क्लोजर के अन्दर आपके हिरण थे और कितने सालों से इसके पास में से सड़क थी। वाहन वहां से गुजरते थे, आम आदमी वहां से गुजरते थे और ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन पिछले कई सालों से राज्य सरकार ने उसके चारों तरफ एक चारदीवारी बनवाई। मंत्री महोदय, के हिसाब से अगर इसकी 6 फुट हाइट मान भी जाए तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उन कुत्तों के पास ऐसी कौनसी एक्सरे मशीनें लगी हुई थीं कि उस दीवार के अन्दर से उनको पता चल गया कि इस एन्क्लोजर के अन्दर हिरण हैं।

(14.07 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

मेरा पहला पाइंटेड सवाल है कि इन कुत्तों को यह कैसे पता चला, उनकी हाइट 6 फुट की तो नहीं है, उनको पता कैसे चला कि दीवार के अन्दर यहां पर आपके हिरण हैं।

सभापति महोदय, कुत्तों की सेंस आफ स्मैल बहुत ज्यादा होती है। अगर वह मीट होता तो निश्चित तौर पर उनको बहुत अच्छी तरह से पता चल सकता था। लेकिन हिरण की मौजूदगी का कुत्तों को कैसे पता चला ?

दूसरा सवाल, जैसे प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने बताया, वह एन्क्लोजर है, उसके लोहे के सरिये लगे हुए हैं उसके ऊपर तीखे भाले नुमा स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिससे कुत्ता छह फुट की दीवार फांदे तो उसके भी तकलीफ होगी। तीसरा सवाल मेरा यह है कि अगर कुत्ता शिकार करना चाहेगा तो जो उसको इजीली अवेलेबल जगह होगी, उसको जो इजीली शिकार मिलेगा, वहां करेगा। सभापति महोदय,

(श्री रामप्रताप)

इस एन्क्लोजर के चारों तरफ चारदीवारी है। उसके बिलकुल पास में सांभर का एन्क्लोजर है। उसकी हाइट चार-साढ़े चार फुट से ज्यादा नहीं है और उसके अन्दर सांभर के इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि 6-6 फुट और 8-8 फुट की दीवार कूदकर वे कुत्ते क्यों परेशान होंगे जब उनको पास में आराम से वहां पर सांभर के छोटे-छोटे बच्चे शिकार के रूप में मिल जाएं।

सभापति महोदय, मैंने मौका देखा है। मेरा चौथा पाइण्टेड सवाल है कि मुझे वह रास्ता दिखाया जाए जहां से कुत्ते बाहर निकले हैं। वहां की दीवार पर खून के दो निशान दिखाये गये हैं कि ये कुत्ते, यहां से छलांग लगाई जब दीवार के यह खून लगा था। सभापति महोदय, उस एन्क्लोजर से उस चारदीवार की दूरी कम से कम डेढ़ सौ गज है। कुत्ता अगर एक शिकार को मारेगा तो मारने के बाद में अगर उसके पैर के खून लगेगा तो वह रेतीली जगह है, वहां से अगर वह इतनी दूर जाएगा तो उसके खून की वजह से वहां दीवार के ऊपर इतना सुन्दर निशान नहीं बन सकता है। वह निशान इस किस्म का है कि जैसे कोई चीज वहीं डुबो कर वहां लगाई गई हो।

सभापति महोदय, इसके साथ–साथ मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि गरदन से पकड़-पकड़ कर हिरणों को मारा गया। सभापति महोदय, कोई शिकारी होता है वह तो हिरणों को मारकर के इकट्ठा कर के ले जा सकता है। लेकिन कुत्ता उन शिकारों को मार-मारकर कोई इकट्ठा गठरी करके, वह कोई बाजार में बेचने के लिये ले जा रहा था क्या ?

सभापति महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है। तीन सौ आदमी, जो एक पेड़ के कटने के नाम पर अपना बलिदान दे सकते हैं, इस बात को हाउस को पूरी गम्भीरता से लेना चाहिए और मेरी जान–कारी के मुताबिक, हो सकता है कि मंत्री जी वहां पर गये होंगे, लेकिन विषय की गम्भीरता को देखते हुए मंत्रीजी को नहीं, माननीय मुख्य मंत्रीजी को जाना चाहिए था क्योंकि पिछले अक्टूबर के अन्दर..(व्य-वधान)..

श्री हीरालाल बिश्नोई : मंत्रीजी नहीं गये।

श्री रामप्रताप : हां, मंत्रीजी भी नहीं गये। पिछले अक्टूबर में एक हिरण मारा गया था। फिल्मी हस्तियां थीं। नामजद रिपोर्ट नहीं थी। जिप्सी के नम्बर के आधार पर हमने तीन दिन में उन हीरो और हीरोइनों को पकड़ा था। इसके बाव-जूद भी प्रेस कांफ्रेंस में आपके उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने एक प्रेस कांफ्रेंस की और उसमें कहा कि वन राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि गहलोत ने यहां मंग–लवार को....(व्यवधान) ...

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय डाक्टर साहब, आपने तो हीरो और हीरोइनों को पकड़कर साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की है इसमें। इसलिए आपने जल्दी से यह काम किया है।....(व्यवधान)....

श्री हीरालाल विश्नोई : यह हिरणों का मामला है, माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : क्योंकि जो फिल्म एक्टर था, वह मुसलमान था, इस लिए आपने जानबूझकर यह किया है (व्यवधान)....

श्री हीरालाल विश्नोई : सभापति महोदय, यह जो हिरणों का मामला है, इससे हमारे विश्नोई समाज की धार्मिक भावना को पूरी ठेस पहुंची है। (व्यवधान)

श्री सभापति : Order please. हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल विश्नोई : हमारे विश्नोई समाज को हिरण मरने से....(व्यवधान)....

श्री सांवरलाल : मुसलमानों को हिरण मारने की इजाजत दे दी जाए क्या आपके हिसाब से ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : हिरण कितने मारे जाते हैं ? (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : मुसलमानों को हिरणों को मारने की इजाजत दे दी जाए या तो आप यह कह दो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : परन्तु मामला यह आ गया कि विश्नोइयों को किस तरह से खुश किया जा सके, इसलिए रंग दे दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति : हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आप जारी रखें और आप कंक्लूड करिये।

श्री रामप्रताप : सभापति महोदय, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं।

श्री सभापति : नहीं, आप संक्षेप में कहिये।

श्री रामप्रताप : हां, संक्षेप में हो। सभापति महोदय, वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने प्रेस कांफ्रेंस की। अक्टूबर में हिरण मरा था, जिसके बारे में माननीय सदस्य अभी चर्चा कर रहे थे। उनके ही वक्तव्य का मैं यहां जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने तत्कालीन वन मंत्री का इस्तीफा मांगा था और नीचे यह भी लिखा है—गहलोत ने यहां मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यदि कांग्रेस के शासन में ऐसी घटना होती तो उनकी पार्टी की सरकार के मन्त्री खुद ही इस्तीफा दे देते, अन्यथा उनसे इस्तीफा मांग

(श्री रामप्रताप)

लिया जाता। (व्यवधान) सभापति महोदय मैं मंत्रीजी या मुख्य मंत्रीजी का इस्तीफा नहीं मांग रहा हूं। लेकिन यह जो तमाम बातें और पाइंटेड सवाल आपके सामने किये हैं। एक अन्तिम प्रश्न और आपके बीच में छोड़ रहा हूं। जब भी कोई इन्सान या कोई जानवर, जब उसके सामने मौत दिखती है तो वह अपनी जिन्दगी को बचाने के लिए एक्स्ट्रीम स्टेप लेता है। चाहे वह घायल हो जाए लेकिन जान बचाने के लिए एक्स्ट्रीम स्टेप तक जाता है।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत वन मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि जब वे कुत्ते गिन-गिनकर एक-एक को इकट्ठा कर रहे थे तो हिरणों को भी पता था कि हमारी जान दुविधा के अंदर है। हिरण एक ऐसा जानवर है कि जो चालीस पचास फीट लम्बी छलांग लगाता है और दस से पन्द्रह फीट ऊंची छलांग लगाता है। जब उनको साफ तौर पर दिख रहा था कि हमारी मौत सन्निकट है तो वे एक-एक करके मरने के लिए इन्तजार क्यों करते रहे?

तो यह तमाम मुद्दे इस किस्म के हैं कि इसके ऊपर गम्भीरता से, इसको लाइटली लेकर के यह नहीं कहना चाहिए, जैसे अभी मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि कुत्तों ने खाया। वहां पर कोई लिखा था कि हमने खाया इसको। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में काज आफ डेथ है, वह असरटेन किया जाता है। इंजरी असरटेन की जाती है। यह नहीं पता चलता। नहीं तो मर्डर आदमी करता है, उसका पता ही चल जाएगा कि फलां आदमी ने मर्डर किया है। पोस्टमार्टम से यह थोड़े ही पता चल सकता है। इसको आप इतना लाइटली मत लीजिए। बिश्नोई समाज उद्वेलित है। उसकी भावना की कद्र करते हुए, इसके अलावा पूरा, मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूं तो हिरण राजस्थान का स्टेट एनिमल घोषित किया हुआ है। इसको आप गम्भीरता से लीजिए। सभापति महोदय, मुझे आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री हीरालाल बिश्नोई : सभापति महोदय, मैं पहले से खड़ा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक मिनट। मेरे को पुकार लिया है।

सभापति महोदय, मैं दो-तीन पाइंटेड सवाल पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में तीन ऐसे स्थान बताये, जहां से कुत्तों ने उस एनक्लोजर में प्रवेश किया। मैं जानना चाहता हूं कि जब तीन स्थान ऐसे थे, दीवार की ऊंचाई कम थी, नीचे गैप आठ इंच का था, तो 24 तारीख को, मंत्री महोदय, ने, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक ही तारीख को कुत्ते कोई उस तरह उनकी एसोसिएशन तो है नहीं कि इकट्ठे हुए और उसके बाद घुसे?

दूसरा, मंत्री महोदय, आपने हिरणों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को देखा होगा कि हिरण जब मरता है तो रम्भाता बहुत जोर से है। और आप कह रहे हैं कि वहां पर चौकीदार की व्यवस्था थी और वहां एक नहीं, पच्चीस-पच्चीस हिरण मरे हैं। अगर 25 हिरणों पर एक साथ इस तरह का अटैक होता, तो इतना जोर का शोर-शराबा होना चाहिए था कि वहां पर चौकीदार ही नहीं, मैं समझता हूं कि आस–पास की कालोनी के लोगों को मालूम पड़ जाता। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहना कि कुत्ते घुसे और कुत्तों ने कर दिया, यह सम्भव नहीं है। और दूसरी बात जैसा कि हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मंत्री महोदय, हिरण कोई इस तरह का जानवर तो है नहीं कि उसने गरदन कर दी हो और कुत्ते ने पकड़ लिया हो। हिरण ने प्रसाइट किया होगा तो वहां पर एकाध घायल कुत्ता या कुत्ते, आप तो कह दो कि कुत्ते ने उनको आराम से, जब वह चौकीदार आया तब उसने भगाया है।

तीसरा मैं पूछना चाहता हूं कि 25 हिरण जो मरे, क्या उनके सर सबके सब मिल गये थे? क्या इनकी पूरी खाल मिल गयी थी? और कितने-कितने घाव थे, यह सारी चीजें आप कृपया बतायें ताकि स्पष्ट हो सकें।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर): माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से मंत्री महोदय ने जवाब दिया, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारे विश्नोई समाज का धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ मसला है। एक हिरण को अगर कोई शिकारी मारता है तो वहां पर दस विश्नोई शहीद हुए, आज भी मौजूद हैं। (व्यवधान) पिछली बार डूंगरपुर में भी एक शहीद हुआ था।

श्री सभापति: इसको विश्नोई... (व्यवधान) आपके कथन से...

श्री हीरालाल विश्नोई: मेरा पाइंटेड सवाल यह है कि, मंत्री महोदय यह बतायें कि तीन जगह से, जहां से कुत्ते आ रहे थे तो क्या वे हिरण सोचकर बैठे रहे? क्या वहां पर उनके भागने की कोई जगह नहीं थी? जब तीन जगह से कुत्तों के आने की जगह थी तो क्या उस जगह से हिरण नहीं जा सकते थे? यह एक पूरा का पूरा षडयंत्र है।

मेरा आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसकी उच्चाधिकारियों से या जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए। जुडिशियल इन्क्वायरी से यह सब तथ्य सामने आएंगे इसलिए ऐसा यह लाइटली लेकर के एक चौकीदार को और रेंजर को सस्पैंड कर दें, ऐसा मामला नहीं है।

सभापति महोदय, यह पूरा का पूरा षडयंत्र है। किसी शिकारी का षडयंत्र है और यह इस तरीके से इन लोगों से मिलकर के और जिस तरह से गरदन पर घाव करके 25 हिरणों को मारा गया है, और मारने के बाद; मेरा निवेदन

(श्री हीरालाल विश्नोई)

है कि वहां से दस फुट की दूरी के अन्दर बिश्नोई समाज की धर्मशाला है, अगर एक भी हिरण चिल्लाता तो वहां लोग भाग-कर के चले जाते। गांव के खेतों के अन्दर कोई शिकारी आता है, वहां गांव के लोग उसके पीछे भागते हैं, दस–दस किलोमीटर तक और यहां दस फुट की दूरी के अन्दर विश्नोई समाज की धर्मशाला है।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह पूरा का पूरा शिकारी लोगों का या कोई भी मांसहारी लोगों का इस तरीके का, या यह जो स्मगलिंग करने वाले लोग हैं, जो मांस की स्मगलिंग करते हैं, चाहे बूंटी की स्मगलिंग करते हैं या खाल की स्मगलिंग करते हैं, उनका इस तरह का षडयंत्र या और इसको मंत्री महोदय को इस तरीके से लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिश्नोई समाज; पूरे विश्नोई समाज के साधु-संत आज वहां पर धरने पर बैठे हैं। वे लोग चाहते हैं कि इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी हो और जब तक जुडिशियल इन्क्वायरी

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

नहीं होगी, वहां पर लोग, साधु-संत हड़ताल पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। मेरा आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन है कि आज की आज जुडिशियल इन्क्वायरी के आदेश करें और पूर्ण रूप से जुडिशियल इन्क्वायरी करवायी जाए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक मेरा भी निवेदन है।

श्री सभापति : फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मंत्रीजी का और सदन का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने और वन मंत्रीजी ने इस घटना को बहुत ही साधारण तौर पर, हल्के रूप में लिया है। सबसे पहले तो 25 हिरणों की हत्या होने के बावजूद भी आज तक वन मंत्री ने वहां जाकर के मौका देखने की तकलीफ नहीं की। इसके बाद में ऐसी जानकारी मिली है कि इन 25 हिरणों का पोस्टमार्टम वहां के दोषी अधिकारियों ने बिना जिलाधीश को सूचना दिये आनन–फानन में कर दिया और उसके बाद में जब समाज के लोगों ने इसका विरोध किया, बीकानेर के दूसरे संगठन, पर्यावरण प्रेमी इकट्ठे हुए, उन्होंने जब विरोध जाहिर किया तो उसके बाद में फिर दुबारा पोस्टमार्टम अतिरिक्त जिलाधीश महोदय की मौजूदगी के अंदर करवाया जाना बताया जाता है। इस पोस्टमार्टम से भी यह निष्कर्ष कहीं वन मंत्री महोदय ने नहीं बताया है कि उन हिरणों का शिकार; उन हिरणों की हत्या कुत्तों द्वारा की गयी। अगर कुत्तों द्वारा हत्या की गयी होती तो पोस्टमार्टम के अंदर उनके पंजों के निशान वगैरह बराबर एक तरफ आ सकते थे।

सभापति महोदय, मैं विशेष तौर से आपसे समय लेकर निवेदन करना चाहूंगा कि विश्नोई समाज के हजारों लोगों ने

(श्री रामनारायण विश्नोई)

पिछले 514 सालों के अन्दर हिरणों की रक्षा के लिये अपनी कुर्बानियां दीं।

श्री सभापति : यह सही है। लेकिन आप बताओ क्या सवाल है आपका ?

श्री रामनारायण विश्नोई : ऐसी स्थिति के अन्दर जहां कि 47 काले हिरण इस जंतुआलय के अन्दर रह रहे थे।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री रामनारायण विश्नोई : उसमें से 25 हिरणों की इस तरह से हत्या करने के बावजूद भी आज तक वहां तमाम, पूरे स्टाफ को हटाने के अलावा, वहां कार्यवाही के लिये न्यायिक जांच का आदेश नहीं दिया गया। जैसाकि हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे जोधपुर के मुख्य मंत्री महोदय ने, क्योंकि

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

उनको पश्चिम राजस्थान के जोधपुर-बीकानेर की भावनाओं से अच्छी प्रकार पता था कि विश्नोई समाज के लोग एक हिरण की हत्या के मुकाबले में हर तरह का बलिदान दे सकते हैं। और जैसा सलमान खान शिकार प्रकरण हुआ, बढ़-चढ़कर घोषणाएं की गयीं कि वन मंत्रीजी को इस्तीफा देना चाहिये। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हम इस प्रकार से बहुत कुछ एक्शन ले सकते थे। 24 तारीख के बाद में इसके अन्दर क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिये था। धारा 5/91 वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 का। इसमें बू आ रही है कि इसमें हत्या की गयी है। यह कोई कुत्तों द्वारा शिकार किया हुआ नहीं है। पुलिस में केस दर्ज होकर के अगर पुलिस ही इसकी तफ्तीश करती तो इसके अन्दर जरूर वे दोषी व्यक्ति कहीं न कहीं पकड़ में आ सकते थे।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले काफी समय से राजस्थान के अंदर शिकार की प्रवृत्ति बहुत जोर पकड़ती जा रही है क्योंकि शिकारियों के खिलाफ वन विभाग कार्यवाही करने में पूरी तरह से अक्षम है। वन विभाग का स्टाफ भी मिला हुआ है। वन विभाग के पास न तो कोई इस प्रकार के दस्ते हैं, न वन विभाग के पास ऐसी कोई शक्ति है कि वह शिकारियों को जाकर के तुरन्त गिरफ्तार कर सके, उनसे आर्म्स बरामद कर सके। इनको गिरफ्तार करने के बाद रिमांड लेकर के, जिस प्रकार से इन हत्याओं के अंदर, ऐसे आपराधिक प्रकरणों के अन्दर, जो तफ्तीश की कार्यवाही होनी चाहिये, वह पुलिस विभाग के अधिकारी जिस प्रकार से कर पाते हैं, वैसे वन विभाग के अधिकारी नहीं कर पाते।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इसलिए यह मुकदमा पुलिस विभाग में सौंपा जाकर और पुलिस के उच्च अधिकारी से इसकी जांच करवायी जावे।

(श्री रामनारायण बिश्नोई)

इसके साथ, सभापति महोदय, जुडि-शियल इन्क्वायरी इसके अन्दर होना बहुत आवश्यक है। इस सदन के विपक्ष के नेता और सदन के नेता मिलकर के एक कमेटी भी नियुक्त करें ताकि वह जाकर के आइन्दा के लिये इसके अन्दर क्या कार्यवाही होनी चाहिये, किस प्रकार से इन वन्य जीवों का संरक्षण किया जाना चाहिये और कौन-कौन दोषी अधिकारी हैं, और क्या सुझाव इसके अंदर आने चाहिये; ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वन मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि उन्होंने तीन रास्ते बताये। एक रास्ता बताया कि सूअरों के बाड़े से भी कुत्ते जा सकते थे। तो जब कुत्ते जा सकते थे तो सूअर भी जा सकते थे। तो अब तक सूअर क्यों नहीं गये। और सूअरों ने क्यों नहीं फाड़ डाला उन कुत्तो को, कैसे चले गये वहां पर? इसलिए एक रास्ते को तो रूल आऊट कर दीजिए आप। मेरी मानकर इस एक बात को तो रूल आऊट करिये कि जब कुत्ते जा सकते हैं तो सूअर भी जा सकते थे उधर से; वह कैसे नहीं गये और सूअरों ने कुत्तों को कैसे जाने दिया?

श्री सभापति : आप तो सीधा रास्ता बताओ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, सूअरों ने कैसे जाने दिया। मैं पूछ रही हूं प्रश्न। मैं तो पूछ रही हूं कि सूअरो ने कैसे जाने दिया कुत्तों को?

श्री हीरालाल बिश्नोई : सीधा रास्ता कुत्तों का नहीं था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसलिए यह बताओ, सूअरों ने फाड़ा क्यों नहीं उनको? उन्हें जाने कैसे दिया? यह बताओ आप मुझे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, एक पत्रिका में आया, प्रतिदिन एक काले हिरण की मौत; सुजानगढ़ में छापर वन क्षेत्र में होती है। वहां पर न कोई ए.सी.एफ. है और न कोई डी.एफ.ओ. है।

श्री सभापति : यह पत्र तो सबने पढ़ा है। आप अपनी बात कहिये। क्या कहेंगे आप? आप अखबार मत पढ़ो; माननीय सदस्य। आप कृपा करके अपनी बात करिये, जो प्रश्न करना हो, वह करिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं इस सारे प्रकरण में आखिर कोई व्यवस्था आप दें, ताकि मंत्री महोदय वह कमेटी घोषित करें और जांच कार्यवाही करें।

श्री सभापति : डा. किरोड़ीलाल।

डा. किरोड़ीलाल (बामनवास) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 25 हिरणों को कुत्तों ने मारा और उन्होंने एक ही जगह बतायी है गर्दन पकड़ी हिरण मार दिया। जैसे हलाल करते गये; कुत्ते खड़े रहे। मंत्री महोदय ने इस बात का हवाला नहीं दिया कि बाकी के जो हिरण बचे, क्या उनके भी किसी प्रकार की इंजरी इनसिस्ट हुई है। उनके भी किसी प्रकार की..(व्यवधान)

श्री सभापति : आप भी तो मेडिकल सांइटिस्ट हैं। कुछ बताओ उसमें क्या हो सकता है, क्या हुआ है ?

डा. किरोड़ीलाल : मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि इस ढंग की कोई रिपोर्ट अगर अपनी जांच रिपोर्ट में आयी है कि बाकी शेष बचे हिरणों के किसी प्रकार की इंजरी आयी है, तो उसमें क्या कुत्तों के केनाइन टीथ की कहीं इंजरी हुई है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक, सभापति महोदय, मंत्री जी ने छलांग मारने की बात कही। जिसके बारे में माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है कि छलांग मारने की कुत्तों की जो ऊंचाई है, वह तीन या चार फुट से ज्यादा नहीं है और दीवार की ऊंचाई छह या सात फुट से भी ज्यादा थी।

श्री सभापति : यह बात तो प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कह दी, इसको रिपीट मत करिये।

डा. किरोड़ीलाल : सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें किसी न किसी अन्तरराष्ट्रीय गिरोह का हाथ है..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : यह विषय तो बी.पी.सिंहजी का है, आप इसमें कहां फंस गये। यह अन्तरराष्ट्रीय विषय तो माननीय बी.पी. सिंहजी का है, माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा इसमें कहां फंस गये।

डा. किरोड़ीलाल : एक हिरण की कीमत दो लाख रुपये अन्तरराष्ट्रीय मार्केट में बतायी गयी है। इसलिए यह बड़ा गंभीर चिन्ता का विषय है, गंभीर प्रवृत्ति का मामला है। मैं चाहूंगा कि इसकी वास्तव में जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए।

श्री सभापति : नैक्स्ट।

श्री सांवरलाल (मिनाय) : माननीय सभापति महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। इस के बावजूद मंत्री महोदय का जवाब आया 25 हिरण मरे। वह कुत्ते एण्टर होते हुए चौकीदार ने भी नहीं देखा। चौकीदार कह रहा है मैंने भगाये। भगाते हुए किसने देखा ? यह तो जानकारी का विषय है और 25 हिरणों को मारने के लिये कितने कुत्ते अंदर गये ? आखिर हिरण कुत्ते से ज्यादा चंचल है और कुत्ते के बस में आने वाली नस्ल नहीं है। पूरी की पूरी साजिश है। और मैं तो यह कह रहा हूं आपकी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। इसकी न्यायिक जांच करवा लो तो सही तथ्य सामने आ जाएं। केवल कुत्तों का

(श्री सांवरलाल)

बहाना करके और लोगों की जो धार्मिक भावनाएं भड़क रही हैं, उनको आप ठण्डा नहीं कर सकते हो। बहुत ही गम्भीर मामला है। जब छोटी-छोटी घटनाएं हुई उस समय तो हम विपक्ष में हो तब तो बयान दे दें, ऐसा करना चाहिये, वैसा करना चाहिये। और अब राज में बैठे हैं और लोगों की भावनाएं भड़क रही हैं, उस समय केवल इतना हल्का जवाब दें। एक हिरण को कुत्ता मार ले। आज जंगल में हिरण घूमते रहते हैं। कहीं पर आज तक सुना कि हिरण को कुत्ते ने मार दिया है।

इसलिए यह बिलकुल गलत बात है और इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यही कहूंगा कि इसकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करायी, एक तो यह सरकार के लेवल पर गलती हुई है और दूसरा इसकी न्यायिक जांच करायी जाए।

श्री सभापति : नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य। संक्षेप में कहें।

श्री भंवर सिंह शेखावत (नवलगढ़) : श्रीमान, मैं आपकी इजाजत से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कुत्तों ही कुत्तों की इतनी चर्चा हो रही है। क्या कुत्तों के पैरों के निशान वहां मिले हैं उस क्षेत्र में ? कुत्तों के भाग जाने के और कितने कुत्ते घुसे और कुत्तों के एक-दो पैरों के निशान तो वहां होंगे। यह अगर मिले हैं तो आप फरमायें। (व्यवधान)

श्री सभापति : यह बात आपने ही उठायी है।

श्री भंवर सिंह शेखावत : कुत्ते कहां से ही घुसे। यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि यह एक बहुत गंभीर मामला है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यह हिरण स्टेट का प्रोटेक्टिड एनीमल है और इस प्रकार की घटना शिकारी द्वारा की जाए, या इस प्रकार की जो घटना हुई, तो निश्चित रूप से निन्दनीय है। और जो आपने वक्तव्य दिया, प्रश्न इस बात का है कि इसमें डेफिनेटली वहां जू के जो आफिसर हैं, उनकी ग्रोस नेग्लीजेंसी निश्चित रूप से रही है। और आपने उस पर एक्शन भी लिया। मैं चाहूंगा कि बिश्नोई समाज की जो भावनाएं हैं, सबको ठेस लगी है....

श्री सभापति : सबकी भावनाएं हैं। अकेले बिश्नोई समाज की नहीं है; सबकी भावनाएं हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं सारे प्रदेश की भावनाओं को ठेस लगी है; इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, इसमें कोई जुडिशल इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है पर फिर भी पारदर्शिता के आधार पर आपके विभाग की एक स्वच्छ छवि

(श्री दिग्विजय सिंह)

दिखे। आप इसको मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवा लें ताकि इसके अन्दर विभाग का भी कोई इन्वाल्वमेंट नहीं होगा; और एक सही पिक्चर आपके सामने आ जायेगी कि स्थिति क्या रही है।

इसलिए; सभापति महोदय, मैं यह मांग करता हूं कि इसको आप करें और उस वक्त जिस किसी भी माननीय सदस्य को कोई बात कहनी हो, माननीय सदस्य जो उस क्षेत्र के हैं, वो और जिनको और जानकारी है, वो भी उस मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के सामने अपने सारे तथ्य रख सकेंगे। यह मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक लास्ट क्वेश्चन। मेरा एक अन्तिम सवाल है।

श्री सभापति : मेरे ख्याल से एक-एक कर के वे तथ्य आ रहे हैं जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने पूछे थे। (व्यवधान) नया सवाल नहीं है।

श्री अमराराम (पचपदरा) : मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि जो नेचर आफ इन्जरी है, पोस्ट मार्टम हुआ है उसमें ब्लंट है या शार्प है ..(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा सवाल एक ही है। एक सैकण्ड।

श्री अमराराम (पचपदरा) : मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) कितने सेंटीमीटर की लम्बाई है, नेचर आफ इन्जरी के बारे में क्या है, ब्लंट है या शार्प है ?

श्री सभापति : यह बात आ गयी, दूसरे माननीय सदस्यों ने कही है। आप वाली बात हो गयी, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सभापति महोदय, मेरा एक सवाल है।

श्री सभापति : माननीय भंवर लाल जी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा एक सवाल है। यह कुत्ते से जो मरने की बात आप कहते हो यह कुत्ते किस नस्ल के थे ? (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : you know better as to which variety they were आप अच्छी तरह जानते हो कि वो कुत्ते किस नस्ल के थे। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह कुत्ते आस-पड़ोस के थे या कहीं से लाये गये थे ?

श्री राजेन्द्र पारीक : हवामहल के थे कुत्ते। हवामहल से गये हुए थे।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, हवामहल के। वहां तो ससुराल है उनकी। हवामहल में रहते नहीं हैं, वहां तो ससुराल है उनकी। (व्यवधान)

श्री सभापति : हवामहल से आने वाले, माननीय सदस्य ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा यह निवेदन है कि जो कुत्ते थे आखिर उनकी क्या साइज थी ? उनकी क्या स्ट्रेंथ थी, किस प्रकार के थे ? क्या वह कुत्ता, उनमें से एक कुत्ते को यदि हिरण के साथ मैदान में छोड़ दिया जाय तो वह मार सकता है क्या ? आखिर कुत्ता कौनसा था?

श्री दिग्विजय सिंह : वह कुत्ते ग्रे हाउंड थे । आप जानते हो ग्रे हाउंड क्या होते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह बतायेंगे यह तो । (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मैं यह पूछना चाह रहा था कि कुत्ते कौनसी पार्टी से सम्बन्धित व्यक्तियों के थे ? जहां तक मेरी जानकारी में है, अधिकतर कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे । (व्यवधान)....

श्री सभापति : बहुत हो गया, माननीय सदस्य ।

श्री कन्हैयालाल : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिस समय 25 हिरणों को मारा गया, क्या उस समय वहां चौकीदार मौजूद था या नहीं था ?

श्री सभापति : यह बात पहले आ गयी, माननीय सदस्य ।

श्री कन्हैया लाल : यदि था तो उसने प्रथम सूचना किस उच्चाधिकारी को दी ?

श्री सभापति : मंत्री महोदय ।

श्री मगराज चौधरी : इस घटना से संबंधित मेरे द्वारा सदन में जो बयान पढ़ा गया है, उसके बाद माननीय सदस्यों ने अलग–अलग जो अपने प्रश्न पूछे हैं । उनका मैं संक्षेप में तथ्यों पर निवेदन करना चाहूंगा ।

एक तथ्य तो यह सामने आया कि दीवार का जो मलबा है, अगर आठ फीट की दीवार थी तो गिरने के बाद में चार-छः फीट तक ही रह गयी । तो कुत्ते कैसे कूद गये ? इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आठ फीट की दीवार क्योंकि हमारी नहीं थी.—

श्री सभापति : मन्त्री महोदय, आप उधर नजर मिलायेंगे तो और ज्यादा मामला भड़केगा, आप इधर बोलिये ।

श्री मगराज चौधरी : ठीक है । आई एम सारी । तो आठ फीट की दीवार हमारी नहीं थी । दुर्भाग्य से चिड़ियाघर के परिसर के पास में ही एम.ई.एस.कालोनी है और साथ में रेलवे के भी कुछ क्वार्टर्स है । तो रेलवे क्वार्टर की जो दीवार थी वह छोटी थी । जो बाहर की है, वह दीवार पुरानी होने के कारण से उन्होंने मेरे ख्याल से नये सिरे से बनाने के लिहाज से उसको कुछ गिराया और गिराने के बाद उसका मलबा करीबन दो-ढ़ाई-तीन फीट

(श्री मगराज चौधरी)

तक की हाइट का दीवार के पीछे बाहर की तरफ छोड़ दिया जिससे कि दीवार की हाइट, तीन फीट तो गिर गयी। पीछे रही पांच, साढ़े पांच, छः फीट। छह फीट की दीवार पर जब उसके बगल में मलबा डाला गया तो फिर मलबे पर चढ़ने के बाद में दीवार पर तीन-चार फीट कूद कर के उनका आना आसान हो गया।

दूसरा, जो लोहे का गेट बना हुआ है, जिसके माध्यम से परिसर में घुसा जाता है; उस गेट की सलाखों के नीचे और जमीन की सतह के नीचे भी करीबन आठ-नौ इंच की एक जगह है इसलिए वहां से भी कुत्ते घुस सकते हैं। तो पोसिबिलिटी अन्दर जाने की है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल बिश्नोई : मंत्री महोदय, आपने खुद ने देखा है कि जो यह कागज बना कर दिये हैं उनके आधार पर बोल रहे हो ?

श्री मगराज चौधरी : पोसिबलिटी कुत्तों के अन्दर घुसने की है। नम्बर एक।

श्री हीरालाल बिश्नोई : आपने स्वयं ने जाकर देखा क्या कि दीवार कितने फीट की है ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल बिश्नोई : जहां कुत्ता कूद सकता है वहां हिरण नहीं कूद सकता क्या ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया मंत्री महोदय को बोलने दें।

श्री मगराज चौधरी : नम्बर दो, कुत्ते ही अन्दर घुसे दूसरी किसी प्रकार की वारदात किसी और प्रकार से घटित होने की बात प्रमाणित इसलिए नहीं हुई है कि सुबह के वक्त में कुत्तों को अन्दर से निकाला गया है और लकड़ी मार मार के उनको वहां से हटाया गया है हिरण के पिंजरे में से।

श्री हीरालाल बिश्नोई : कितना मांस खाया ?

श्री मगराज चौधरी : इस बात का तथ्य मैंने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है, (व्यवधान) इसलिए आपके द्वारा यह कहना कि कुत्ते घुसते हुए किसने देखा। घुसते हुए तो नहीं देखा पर चूंकि कुत्ते घुसे हुए थे, उनको बाहर जरूर निकाला गया। इसके बारे में दो चौकीदार जो केयर-टेकर हैं, जिन्होंने उनने लाठी का प्रयोग किया और अन्दर घुस कर कुत्तों को मार मार कर हिरणों के कब्जे में से बाहर निकाला। इसलिए मेरे ख्याल से जब दो केयरटेकर ने देखा है....

श्री हीरालाल बिश्नोई : सभापति महोदय, यह सब मनगढंत कहानी कह रहे हैं। यह मनगढंत कहानी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने दें। आपने जो प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर देने दीजिये आप।

श्री भगराज चौधरी : तीसरा, मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत से माननीय सदस्यों को, मुझे कहना तो नहीं चाहिये पर कानूनी दृष्टिकोण से उनकी जानकारी में बहुत कमी है। पोस्ट मार्टम हमने जो करवाया है, उसमें सभी 25 हिरणों की मौत अपनी चोटों द्वारा होना बताया गया है। और चोटें गरदन पर आना बताया गया है। और चोटों के कारण से दुख से शाक होना और हैमरेज भी होना और एक्सटेंसिव इंजरीज भी शरीर पर होना पाया गया। इसलिए इस बात की पुष्टि होती है कि कुत्तों के द्वारा ही हिरणों को मारा गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कैसे कहते हैं आप ?

श्री भगराज चौधरी : There are injury reports which we have got collected after getting them exa-mined.

श्री हीरालाल बिश्नोई : आपने जाकर उस हिरण को देखा क्या कि कुत्तों ने मारा था कैसे मरा है ?

श्री भगराज चौधरी : पोस्ट मार्टम के आधार पर हिरणों के शरीर पर चोटें आना प्रमाणित है।

श्री हीरालाल बिश्नोई : जो कागजों में अफसरों ने लिख कर दिया है वो बोलते जा रहे हो।

श्री भगराज चौधरी : गरदन पर चोटें आना प्रमाणित है और एक्सटेंसिव मल्टी-पल इंजरीज भी आना प्रमाणित है। और साथ में एक्सटेंसिव, उनके शरीर पर मल्टी-पल इंजरी आने के कारण से ही शाक होना और शाक के कारण ही फिर बाद में उनकी मृत्यु होना बताया गया है। इस-लिए यह शंका भी निर्मूल हो जाती है कि कुत्तों के द्वारा नहीं मारा गया। कुत्तों के द्वारा ही मारा गया है। इसके सम्बन्ध में काज आफ डेथ की रिपोर्ट में यही बताया गया है चोटों का आना, एक्सटें-सिव इंजरीज कारित करना और इसके कारण....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कुत्तों द्वारा चोट पहुंचायी गयी, यह आया है क्या उसमें ?

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आपस में न उलझें आप। मंत्री महोदय, इधर देखिये उधर नहीं देखिये।

श्री भगराज चौधरी : There are reports to this extent ...

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, आप इधर देखें। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : संतोषप्रद नहीं है। इसकी तो जुडिशल इंक्वायरी करवाइये आप।

श्री भगराज चौधरी : आप सुन लीजिये मुझे पहले। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप उधर नहीं देखें।

श्री भगराज चौधरी : I am sorry you see I am not catching your eyes. I am not seeing towards you. जो भी जांच करवायी गयी और जो तथ्य सामने आये हैं और जो पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट है, उससे पुख्ता तौर पर प्रमाणित हो रहा है इन हिरणों की मौत कुत्तों के द्वारा ही की गयी है। उनके शरीर पर एज पर दी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट एक्सटेंसिव मल्टीपल इंजरीज पायी गयी है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आप जुडिशल इन्क्वायरी कराना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपकी बातों का ही तो उत्तर दे रहे हैं, इनको सुन लीजिये पहले।

श्री भगराज चौधरी : दूसरा, आपने कहा कि कुत्तों के द्वारा अगर मौत की गयी, उनको मारा गया तो शायद कुछ व्यक्तियों ने साजिश कर के, षडयंत्र कर के कुत्तों को अन्दर डाल दिया गया हो। इस प्रकार के षडयंत्र की संभावना आज तो नहीं दिखती। पर फिर भी अगर है तो मेरे ख्याल से विपक्ष के माननीय सदस्य ही ज्यादा जान सकते हैं। इस प्रकार की शंका होना मैं निर्मूल साबित कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : आप कोई कमेटी गठित करो। आप कोई जुडिशल इन्क्वायरी कराओ। (व्यवधान) या माननीय सदस्य जाकर इन्क्वायरी कर लें, यह क्या बात हुई। आप स्वयं तो गये नहीं....(व्यवधान)....

डा. किरोड़ी लाल : जुडिशल इन्क्वायरी कराओ आप। (व्यवधान) मामला गोलमाल किया जा रहा है। (भारी व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, जुडिशल इन्क्वायरी घटित करो। अनुमान मत लगाओ। (व्यवधान) अंदाजे के अंदाजे मत लगाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जुडिशल इन्क्वायरी कराओ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री महोदय, सदन का समय जाया कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये। (भारी व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : न्यायिक जांच होनी चाहिये, सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

डा. जसवन्त सिंह यादव : सभापति महोदय, जब मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं कि षडयंत्र हो सकता है तो जुडिशल इन्क्वायरी क्यों नहीं बैठा रहे? जब मंत्री

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

महोदय स्वीकार कर रहे हैं कि षडयंत्र हो सकता है तो क्यों नहीं अब तक जुडिशल इन्क्वायरी बैठायी ? (व्यवधान) अब तक इनको जुडिशल इन्क्वायरी बैठानी चाहिये थी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, मंत्रीजी जुडिशल इन्क्वायरी बैठायें। (व्यवधान) अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री भगराज चौधरी : कुत्तों के द्वारा मारे जाने में किसी के हाथ होने के षडयंत्र की पोसिबलिटी को मैं रूल आउट कर रहा हूं। (व्यवधान) I couldn't find out any conspiracy in getting these deers killed by dogs.

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसलिए इसकी जुडिशल इन्क्वायरी बहुत जरूरी है। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : मैंने यह कहा है कि मुझे तो षडयंत्र होना नजर नहीं आ रहा है, मगर फिर भी कहीं है और मगर आपके ध्यान में है, तो आप मुझे बताइये (भारी व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ....(व्यवधान) नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। (व्यवधान) ज्युडिशियली जांच हो।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। विधायी कार्य।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999

श्री चन्दमल बैद, प्रभारी मंत्री राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे। (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : सभापति महोदय, मैं राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, अभी तक मंत्रीजी ने यह जवाब नहीं दिया है कि ज्युडिशियल इन्क्वायरी करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी, ठोस उत्तर दें। क्या ज्युडिशियल इन्क्वायरी करा रहे हैं। या नहीं करा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999 को पुरः स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी। (व्यवधान) ग्राडर प्लीज।

मंत्री महोदय विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री चन्दन मल बैद : सभापति महोदय, मैं, राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999 को पुरः स्थापित करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : विधेयक पुरः स्थापित हुआ।

ग्राडर प्लीज। श्री गुलाब चन्द कटारिया, विराजें।

डा. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, न्यायिक जांच होनी चाहिए।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक 1999

श्री सभापति : श्री बी.डी.कल्ला, प्रभारी मंत्री राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे। (व्यवधान)

श्री बी.डी. कल्ला : सभापति महोदय, मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक 1999 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री बी.डी. कल्ला : सभापति महोदय, मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री सभापति : विधेयक पुरःस्थापित हुआ। (व्यवधान)

श्री ग्रार.पी.शर्मा। (व्यवधान) ग्राडर प्लीज।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बीकानेर के चिड़ियाघर में हिरण मारे जाने के सम्बन्ध में विश्नोई साधू समाज द्वारा आमरण अनशन

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय के स्टेटमेंट से समाज की भावनाएं और भड़केंगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ....(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी जांच नहीं करवाना चाहते हैं। हम दोषी को नहीं पकड़ना चाहते हैं....(व्यवधान) कुत्तों के कारण से ये 25 हिरण मारे गये हैं। या तो सरकार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह कह दे कि इसमें विभाग का दोष नहीं है। तो फिर उस चपरासी को भी और उस रेंजर को भी....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। श्री आर.पी.शर्मा।

श्री आर.पी.शर्मा (भरतपुर) : हाउस को आर्डर में लाइये साहब पहले।

श्री गुलाब चन्द कटारिया :....ससपेण्ड करने की क्या आवश्यकता है? क्या कुत्ते मार सकते हैं? (व्यवधान) सवाल यह नहीं है। (व्यवधान) सवाल यह है कि सरकार दोषियों को बचाना चाहती है। अगर सरकार दोषियों को दण्ड देना चाहती है तो....

श्री सभापति : आप क्या चाहते हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया :....सरकार को न्यायिक जांच करवाने में कौनसी तकलीफ है। अगर कोई दोषी होगा तो सजा मिलेगी और नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : इस पर चर्चा समाप्त हो गयी माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी :....(व्यवधान) इसलिए जुडीशियल इन्क्वायरी करवाइये। (व्यवधान) सभापति महोदय, इस बात की लीपा-पोती नहीं हो।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हो गयी। कार्यवाही आगे बढ़ गयी। सामान्य वाद-विवाद प्रारम्भ हो गया। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसको न्यायिक जांच करवाने में क्या दिक्कत हो रही है? (व्यवधान) सरकार के सामने ऐसी कौनसी समस्या है कि न्यायिक जांच नहीं हो सकती? अगर दोषी होगा तो दण्ड मिलेगा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा ....(व्यवधान) न्यायिक जांच कराने में कौनसी समस्या आ रही है?

श्री सभापति : आपके तमाम प्रश्नों का, आपकी बहस का माननीय मंत्री महोदय ने सब उत्तर दे दिया है। (व्यवधान) अब चर्चा समाप्त हो गयी है। अब सामान्य वाद-विवाद प्रारम्भ हुआ है। माननीय आर. पी. शर्मा।

श्री आर. पी. शर्मा : पहले हाउस को तो आर्डर में करवाइये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप इन के सवालों के जवाब से संतुष्ट हैं क्या? (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : पूरे राजस्थान की प्रतिष्ठा गिरी है सभापति महोदय। पुलिस और थानों को वन मन्त्री जी खुद भिजवा रहे हैं। यह मामला बहुत गम्भीर है। वन्य जीव मूक प्राणियों से सम्बन्ध है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है और उनके उत्तर से यह आसन संतुष्ट है क्या ? जो माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न का जवाब दिया, उससे आसन संतुष्ट है क्या ? अगर आसन संतुष्ट नहीं है, तो जाँच करवाने में कहां दिक्कत है । मैं सोचता हूं जो दोषी होगा उसे दण्ड मिलेगा और जो दोषी नहीं होगा ....(व्यवधान) और जांच पर इतनी भी क्या जिद है कि हम इतने बड़े विषय को इस तरह से टाल जाएं और जांच करवाने के लिए भी तैयार नहीं । कोई दोषी होगा तो ही दण्ड मिलेगा । गर्दन तो किसी की कट नहीं रही है । (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मूक प्राणियों की सुरक्षा का मामला है । जांच करवाने में कहां कठिनाई है । जुडीशियल इन्क्वायरी करवाइये माननीय सभापति महोदय । (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : सभापति महोदय, खुद मंत्रीजी स्वीकार कर रहे हैं । जब मंत्रीजी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि यह साजिश है, षडयंत्र है, फिर जुडीशियल इन्क्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं मंत्रीजी ? मंत्रीजी को खुशी-खुशी जुडीशियल इन्क्वायरी करानी चाहिए । (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति जी, हर बात की लीपापोती नहीं होगी । जुडीशियल इन्क्वायरी करवाइये ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय कटारिया साहब, आप इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरे हुए हैं । आप मंत्री रहे हुए हैं । आपका भी स्टेटमेंट होता रहा है, उस पर प्रश्न, और सब बात होती रही हैं । यही प्रक्रिया हुई है, इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई ।

डा. किरोड़ी लाल : अगर उसकी न्यायिक जांच हो जायेगी तो क्या दिक्कत है ? दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। आखिर क्यों बचाना चाहते हैं इन अफसरों को ?

श्री सभापति : 131 के अन्दर इतना ही न्याय मिलता है। आपने अपनी बात कह दी । सरकार ने अपना पक्ष रख दिया । आपने प्रश्न कर दिये और सरकार ने उत्तर दे दिया । इतना ही न्याय है इससे अधिक चर्चा नहीं होती है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, जांच की घोषणा तो मन्त्री महोदय ने की है कि ए.डी.एम.जांच करेंगे और खुद मंत्री जी लगातार यह कह रहे हैं । वर्शन उनका यह है कि कुत्तों ने मारा है उसको जस्टीफाई कर रहे हैं ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । इस पर चर्चा नहीं होगी । मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, इस पर चर्चा समाप्त हो गयी । आर्डर प्लीज ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ए.डी.एम.की जांच तो प्रभावित हो गयी । माननीय वन राज्य मन्त्री महोदय....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, सभापति महोदय, सुनने का कष्ट करिये। जांच अनुभवी हैं। आप तो बहुत निरर्थक हो गयी।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, क्या सुनूं मैं ? यह बात समाप्त हो गयी, अब क्या सुनें ? नहीं, कोई चर्चा नहीं होगी। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, विराजें। कैसे क्या बात कर रहे हैं ? आप तो बहुत वरिष्ठ हैं सदन में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपके आदेश का पालन करूंगा।

श्री सभापति : आप पालन करिये। विराजें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी आपका कोई जवाब नहीं देंगे ? मंत्रीजी ने कोई जवाब नहीं दिया।

श्री सभापति : यह बात समाप्त हो गयी। बैठिये। आगे बिजनस ले लिया। श्री आर. पी. शर्मा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मूक वन्य जीव प्राणियों का मामला है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, देखिये, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रकार से चर्चा समाप्त करेंगे तो विश्नोई समाज और ज्यादा....

श्री सभापति। चर्चा समाप्त हो गयी। मैं सुनूंगा नहीं। आगे कार्यवाही ले ली गयी।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : चर्चा कैसे समाप्त हो गयी ?

श्री सभापति : ऐसे हो गयी जैसे हुई है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, ऐसे हुई है तो हम नहीं मानेंगे। यह नहीं हुई है। चर्चा यों ही समाप्त करें तो फिर चर्चा करने की जरूरत ही क्या है ? चर्चा इस लिए की जाती है कि उसमें से कुछ तथ्य निकले। चर्चा इसलिए नहीं की जाती कि हाउस में आये हैं इसलिए चर्चा करनी है। अब आप बता दीजिए कि माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं कि इसकी जुडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए। मंत्रीजी बोले भी नहीं कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मंत्रीजी कह दें कि नहीं होनी चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री सभापति : पाइन्ट आफ आर्डर, ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, यह क्या व्यवस्था है ? आपने आगे का बिजनस कर दिया। श्रीमानजी खड़े होकर कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कोई ठोस जवाब नहीं मिलेगा तो क्या उसकी संतुष्टि के लिए कोई जवाब नहीं दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप या तो मुझे बोलने दीजिए। (व्यवधान) सभापति

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

महोदय, मंत्रियों ने अपने बिजनस पेश कर दिये ।

श्री सभापति : आपके पाइन्ट आफ आर्डर से मैं सहमत हूं । आप सही फरमा रहे हैं और माननीय सदस्य जरूरत से ज्यादा, बिना मतलब के लिए मामले को उठा रहे हैं । जब चर्चा समाप्त हो गयी । सरकार का उत्तर आ गया उसके बाद प्रतिपक्ष के नेता, जो हम सबके लिए सम्माननीय हैं, सदन में उनका आदर है, वह रहे हैं, उत्तर भी देते रहें है, वही प्रक्रिया अपनायी गयी है और कोई दूसरी प्रक्रिया तो हुई नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, प्रक्रिया दूसरी नहीं है । देखिये मेरे पाइंट आफ आर्डर का आपने अभी तक निस्तारण नहीं किया है । मैंने पहले बीच में पाइंट आफ आर्डर रेज किया था और यह निवेदन किया था कि जिन रिपोर्टस का रेफरेंस यहां दिया जाता है उनके कंटेन्टस इस हाउस में बताये जाते हैं । उन रिपोर्टस को देखने का इस सदन के माननीय सदस्यों का अधिकार होता है । यह आपने व्यवस्था दी है ।

श्री सभापति : ठीक है । यह बात तो पहले है । आपने इस पर कंटेस्ट नहीं किया। उसके बाद बहुत कार्यवाही पूरी हुई । उस के बाद तो गंगा में बहुत पानी बह गया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कंटेस्ट क्या करूं ? आप खत्म कर रहे हैं । नहीं कोई गंगा में पानी नहीं बहा है । सभापति महोदय, गंगा में पानी यूं नहीं बहेगा मैं आपसे निवेदन कर देऊं । आपको जो मैंने पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया था, उसका निस्तारण करना चाहिए था । आपने नहीं किया। और जब मैं खड़ा हुआ तो आपने कहा; डिबेट खत्म हो गयी ? डिबेट कैसे खत्म हो गयी ? जब पाइंट एग्जिस्ट करता है तो आप उसका फैसला कर दीजिये ।

श्री सभापति : कोई चुपचुप में तो हुई नहीं, सबके सामने हुई है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कर दीजिये न फैसला ।

श्री सभापति : कौनसा पाइंट आफ आर्डर ? आपने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया उस समय डिप्टी स्पीकर साहब बिराजे हुए थे । उसको मैंने भी सुना था । उसके बाद आपने उस पर कोई नोटिस नहीं लिया उसके बाद मामला बढ़ता गया। आपका फर्ज बनता था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा चर्चा ही खतम हो गयी ।

श्री सभापति : पाइन्ट आफ आर्डर रेज करने वाले माननीय सदस्य का फर्ज बनता है कि आप उसको इन्सिस्ट करें और व्यवस्था लें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं । उसी फर्ज के आधार पर मैं बोल रहा हूं । आप इसका फैसला कर दीजिए; इसमें दिक्कत क्या है ?

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपने जो पाइन्ट रेज किया वह आपने सुना है। उस पर फैसला कर दीजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, यह कौनसे नियमों में आप बोल रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कौनसा पाइन्ट आफ आर्डर ? वह तो कभी का..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कर दीजिए फैसला।

डा. जसवन्त सिंह यादव : आप कौनसे नियमों में बोल रहे हैं ? सभापति महोदय, माननीय सदस्य कौनसे नियमों में बोल रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय।

श्री सभापति : विपक्ष के नेता ने जो पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया था..

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, विपक्ष के नेता ने जो पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया, उस समय सदन में बिजनस दूसरा था। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा था। और उसके बाद में दो माननीय मंत्रियों ने अपने विधेयक पुरःस्थापित कर दिये और वह चर्चा समाप्त हो गयी। अब सदन के सामने जो बिजनस है; वह है आय-व्ययक अनुमान वर्ष 1999-2000 पर सामान्य वाद विवाद। इसलिए मेरा आसन से अनुरोध है कि जो माननीय सदस्य खड़े हुए हैं, उनको आप बोलने की स्वीकृति प्रदान करें।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो एक नयी बात उठाई, जब कार्यवाही चल रही थी उसके बाद में अब..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाद में नहीं, पहले ...(व्यवधान)

श्री सभापति : अब माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष के नेता कौनसे नियम के तहत बोल रहे हैं। मेरी मान्यता यह है, और परम्पराएं भी रही हैं कि सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता जब कभी भी, किसी भी वक्त बोलने के लिए खड़े होते हैं तो आसन उनका प्रति सम्मान के साथ और सदन भी प्रति सम्मान के साथ बात को सुनता है। सुनी जानी चाहिए। उसी सम्मान के लिहाज से मैंने आपको बात करने दी। मैं चुप था वह कह दी आपने। आपने, प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय, आपने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया था, अब मैंने तो नहीं सुना कि आपका पाइन्ट आफ आर्डर है कि नहीं। आपने पार्सिंग रेफरेंस में यह कहा था कि मंत्री महोदय जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं और जिस रिपोर्ट की जांच कुन्दवायरी के आधार पर वह बात कह रहे हैं, अगर वह उसी आधार पर कहते हैं तो सदन को यह अधिकार है कि उस रिपोर्ट को हम देखें। इसलिए वह

(श्री सभापति)

रिपोर्ट सदन की मेज के ऊपर रखी जानी चाहिए। यह आपने एक बात कह दी। उसके पहले मैंने सुना नहीं कि आपका कोई पाइन्ट आफ आर्डर था। यह बात कह रहे थे तब मैं सुन रहा था। उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। आसन ने कोई प्रक्रिया नहीं की और आपने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की।

इसलिए वह पाइन्ट आफ आर्डर, आपकी बात का पाइन्ट आफ आर्डर था कि नहीं, वह मैं नहीं कह सकता। लेकिन आपने दिलचस्पी नहीं ली उस पर। उसमें आपने इंसिस्ट नहीं किया। इसलिए अब आपसे प्रार्थना है कि हम आपकी प्रतिष्ठा, इज्जत और आपका सम्मान, मान, सब करते हुए आगे की कार्यवाही चलने दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कार्यवाही चल रही है केवल सभापति महोदय, निवेदन इतना ही था कि मैंने पाइन्ट आफ आर्डर कहकर मामला नहीं उठाया था। यह बिल्कुल सही है। मैं एग्री करता हूं। लेकिन मैंने उस समय निवेदन किया था कि वह रिपोर्ट सदन कि मेज पर रखी जानी चाहिए। इसलिए रखी जानी चाहिए उसके कंटेंट्स यहां पर सब बताये गये। यह तो नियम में व्यवस्था है ना। आप इतना सा दे दीजिए कि ये व्यवस्था है। इस तरह की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जानी चाहिए जिनका रेफरेंस डिबेट में या किसी भी विषय को लेकर यहां रखा जाता है।

श्री सभापति : यह आपने बात कही थी वह मैं सुन रहा था। आप मान गये कि आपका पाइन्ट आफ आर्डर नहीं था और उस वक्त डिप्टी स्पीकर साहब विराजे हुए थे। मंत्री महोदय ने उस रिपोर्ट का जिक्र किया था। अब उस वक्त कोई व्यवस्था हुई नहीं। अब सारा बिजनस हो गया, चर्चा समाप्त हो गयी। चर्चा के बाद में विधायी कार्य प्रारम्भ हो गया। विधायी कार्य के बाद सामान्य वाद विवाद प्रारम्भ हो गया। अब आप बताइये कि कैसे किस तरह से वापस उसमें लौटा जाए। यह तो कोई बात नहीं हुई.(व्यवधान). लौटा जा सकता भी नहीं। इसलिए आपसे यह निवेदन है, सदन से और माननीय प्रतिपक्ष के नेता से अनुरोध है कि कृपया आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करने दें।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : माननीय सभापति जी, मेरा एक निवेदन है, आपने आपत्ति को निरस्त कर दिया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने चर्चा समाप्त कर दी, अब चर्चा वापस करवा दें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपका यह कहना है कि बिजनस समाप्त हो गया, मैं आपका परसों रोज की तरफ थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, मैं परसों की बात पर कोई ध्यान नहीं दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं नहीं, आपने व्यवस्था दी थी, सारा मामला खतम हो गया, कोई मैटर पेंडिंग नहीं है। फिर भी, उसके बाद भी चर्चा चलाई कि नहीं आपने..(व्यवधान)

श्री सभापति : आपको कोई यह नहीं है कि क्या कर दिया था, क्या नहीं किया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप ने स्वयं ने यह निर्णय दिया था कि कोई मैटर पेंडिंग नहीं है। उसके बाद मा. मदन दिलावर के संबंध में चर्चा चली। (व्यवधान)

श्री सभापति : क्या कर दिया था और क्या नहीं हुआ, इस संबंध में आप नियमों का अध्ययन करें और उसके तहत अपनी बात उठाना चाहते हैं तो स्पीकर साहब से उठाइये अपनी बात।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर आज क्या बात हो गयी। परले रोज भी आपने निर्णय किया था कि जितने मामले.. (व्यवधान) आपत्ति जनक शब्द हैं, वे एक्स पंज कर दिये। अब कोई मामला विचारा-धीन नहीं है।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप ने कहा था कि एक्सपंज कर दिये। अब कोई मैटर पेंडिंग नहीं है and the matter ends here.

श्री सभापति : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य, आप बहुत अनुभवी हैं। आपको इस सदन का बहुत व्यापक अनुभव है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसी लिए मैं उसका लाभ उठा रहा हूं।

श्री सभापति : मैंने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, मेरे कुछ याद नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): अच्छा मैं याद दिलाता हूं आपको।

श्री सभापति : नहीं मैं नहीं, सुनूंगा इस वक्त। यह कोई टाइम नहीं है सुनने का। विराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं हाउस को सुनाना चाहता हूं जो आपने निर्णय किया था।

श्री सभापति : विराजिये, आर्डर प्लीज। मैंने क्या निर्णय किया था, मुझे कुछ मालूम नहीं।

श्री जगत सिंह दायमा : गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दुबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब यह तो ज्यादती है, साहब।

श्री सभापति : आप विराजिये, विराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, आपका निर्णय रिकार्ड पर है।

श्री सभापति : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य कृपया बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आप इस विश्वास में हैं कि इनका बहुत बड़ा बहुमत है। और शायद आपको जानकारी है कि हम संख्या में बहुत कम हैं। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राइट्स को यदि कर्टेल करने की कोशिश की गयी, तो आज जो चेयर के बीच में और हमारे बीच में जिस प्रकार का सहयोग चलता है, वह सहयोग नहीं रहेगा।

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं तो केयर टेकर हूं। और मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं, प्रतिपक्ष की इज्जत करता हूं। और उसके साथ आपका अत्यधिक सम्मान करता हूं। तो मुझे कोई गलतफहमी नहीं है और यह तो, पक्ष और विपक्ष की जो स्थिति है, वह तो सामने है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : But, please, don't misuse it.

श्री सभापति : नहीं यह कोई मिसयूज नहीं है। आपको हर कदम पर, हर जगह जरूरत से ज्यादा सम्मान और समय दिया जाता है। आपके अधिकारों को कहीं कर्टेल नहीं करते।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, यही तो आपने गलती की है। यह गलती आप करते आ रहे हैं। जरूरत से ज्यादा इनको मत चढ़ाओ।

श्री सभापति : माननीय श्री आर.पी. शर्मा।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय सभापति महोदय, बजट के वाद विवाद के संबंध में निवेदन करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किस आर्थिक समय में यह बजट रखा गया, हम सब विधायकगण अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर है और उदारीकरण की और वैश्वीकरण की वजह से हम सबको अच्छी तरह मालूम है कि जहां संसार के देश, ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया जैसे देश आर्थिक मंदी के प्रभाव की वजह से, उनकी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गयी। वहीं अगर हम अपने देश में देखें, इसमें दोराय नहीं है कि अगर विश्व में आर्थिक मंदी का दौर है, विश्व से भारत प्रभावित होता है, और भारत की आर्थिक मंदी से हमारा राजस्थान भी प्रभावित होता है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे भारत में जो हमारे लोहा, काटन और सीमेंट जैसे उद्योग आज

(श्री आर. पी. शर्मा)

इस आर्थिक मंदी की वजह से प्रभावित हैं उसकी वजह से जहां एक तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है वहीं जो हमारे बड़े–बड़े उद्योग थे, वे भी इस आर्थिक मंदी से ग्रसित होकर आज उनकी बहुत बुरी हालत हो गयी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी को इस बात का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे समय पर, जहां कि उदारीकरण की ओर वैश्वीकरण की वजह से विश्व में अर्थव्यवस्था चरमरा रही हो, उस वक्त एक सन्तुलित बजट पेश करके जो रोजगार प्रेरित बजट भी है। साथ ही साथ हमारे राजस्थान के विकास के लिए जो सहयोगी बिंदु हैं, जैसे पर्यटन, हमारे दस्तकारी और निर्यात संवर्द्धन जैसे कार्यक्रमों को हाथ में लेकर के, साथ ही साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जो उन्होंने खर्चा करने की इच्छा दिखाई है उससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे राजस्थान प्रदेश के बजट में इस तरह की गति आएगी ही।

सभापति महोदय, आज हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जो मल्टी नेशनल कम्पनीज हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि एक बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही है उसी तरह से मल्टी–नेशनल कम्पनियां बड़े–बड़े उद्योगों के घराने आज छोटे-छोटे उद्योग घरानों को खत्म करते जा रहे हैं और एक नया, कारपोरेट टैक्स में

(15.00 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक नया आ रहा है। कास्ट एण्ड कम्पीटिशन का युग आ गया है। कास्ट एण्ड कम्पीटिशन का युग, जरुरत इस बात की थी कि इस देश में, प्रदेश में विकास हो। लेकिन उससे हमारे भारत में जहां बेरोजगारी बढ़ती हो, जहां भारत की जनसंख्या बढ़ रही हो और जहां भारत में बड़े-बड़े उद्योग धंधों के लिए स्कोप नहीं हो, वहां हमारे भारत वर्ष में आज बहुत बड़ी समस्या इस बात की खड़ी हो गयी है कि हम अपने छोटे कार्टेज इण्डस्ट्रीज को किस तरह से जिन्दा रखें। साथ ही साथ मैं चूंकि बजट भाषण करने से पहले पूर्व की सरकार जिसने 1990-99 तक इस राजस्थान प्रदेश में अपना शासन किया, उसके बारे में जिक्र करना उचित समझता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है कि पूर्व की सरकार में जहां एक तरफ हमारे प्रदेश पर कर्जे का भार 1990 में जो आस-पास कर्जा था, और आज जो कर्जा है उसमें भार बढ़ा है। हमारे ऊपर कर्जा 23 हजार 840 करोड़ रुपये का है। माननीय हमारे राठोड़ साहब कह रहे थे कि 23840 करोड़ नहीं 20655 करोड़ रुपये है। माननीय राठोड़ साहब, मैं आपके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि 20655 करोड़ रुपये का जो आपने जिक्र किया है, वह सच है कि भारत सरकार और हमारी जो आर्थिक सहायता है विभिन्न इन्टरनल सोर्सेज से और प्रोवीडेंट फ़ण्ड की रकम है। लेकिन आपको शायद इस बात का मालूम नहीं है कि

(श्री आर. पी. शर्मा)

ठेकेदारों का जो हमारा सिक्योरिटी डिपोजिट होता है और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का जो ओवर ड्राफ्ट होता है वह उसमें जुड़ा हुआ है। आप राजस्थान गवर्नमेंट के फाइनेन्स डिपार्टमेंट से आप पूछेंगे तो 23840.11 करोड़ रुपये जो लिखा गया है, वह गलत नहीं हो सकता है। उसमें चूंकि रिपोर्ट में जो हमारे ठेकेदारों से सिक्योरिटी डिपोजिट होती है और जो आर.बी.आई. का ओवर ड्राफ्ट होता है वह उसमें जुड़ा हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की गहराई में जाते हुए सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां एक तरफ 1990 से 1999 तक हमारे कर्जे बढ़े। दूसरी तरफ प्रतिपक्ष वाले इस बात को बड़ा खुलकर कहते हैं कि हमने सातवीं योजना जो 32 सौ करोड़ की थी, आठवीं योजना को हमने 12 हजार करोड़ का कर दिया। तीसरी, नवीं योजना को 27650 करोड़ की कर दी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सातवीं योजना में जब विकास दर 7.6 प्रतिशत थी तो 3200 करोड़ रुपये थे, जहां एक और आठवीं योजना में 12 हजार करोड़ खर्च किये हैं तो विकास दर 7.24 ही क्यों रही। इसके मायने यह हुआ कि जब 3200 करोड़ रुपये हम जब खर्च कर रहे थे तब 7.6 प्रतिशत विकास की दर हमारी थी और हम 12 हजार करोड़ रुपये खर्च करें, चार गुना पैसा हम बढ़ायें अपनी योजनाओं में और विकास दर 7.24 हो, इसके पीछे क्या कारण है। कारण बिलकुल साफ है। इन्होंने अनप्रोडक्टिव परपजेज में, जो प्रोडक्टिव परपजेज होते हैं जैसे प्रदेश की मालीय हालत सुधरे प्रदेश में विकास बढ़े, प्रदेश का कृषि उत्पादन बढ़े, औद्योगिक उत्पादन बढ़े, ऊर्जा बढ़े; उसमें उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया बल्कि इन्होंने अनप्रोडक्टिव सामाजिक सेवाओं में खर्च किया। मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं है। बात में चर्चा इस बात की भी चली थी कि कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है।

मैं भी इस बात को मानता हूं कि कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कर्ज हमेशा आर्थिक वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए लिया जाता है तो वह बुरा नहीं है लेकिन कर्ज अगर हम केवल खाने-पीने के लिए, मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि 12 हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद और नवीं योजना के दो साल पूरे होने के बाद भी इस प्रदेश में तरक्की क्यों नहीं हुई। आपको मालुम है जिस तरह से भ्रष्टाचार पनपा। पैसे का दुरुपयोग हुआ, इसकी वजह से हमारी तरक्की हम नहीं ले पाये। साथ ही मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो हमारा आर्थिक उत्पादन होना चाहिए था वह भी 1990 से 1999 के पीरियड में नहीं बढ़ा। मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं। जिस तरह से 1991 में हमारे वेजीटेबल घी का प्रोडक्शन 54.19 लाख मैट्रिक टन था। 1997 में वह उत्पादन घट करके 24.98 लाख मैट्रिक टन हो गया। और 1998 में वही उत्पादन 24.93 तक पहुंच गया।

(श्री आर. पी. शर्मा)

इसी तरह से नमक जो हमारा 14.41 लाख टन 1991 में था उसका उत्पादन 1997 में घट करके 12 लाख टन हो गया और 1998 में नमक का उत्पादन 11 लाख टन हो गया। इसी तरह से सूती कपड़ा जो हमारा 437.70 लाख टन था उत्पादन, 1991 में वही उत्पादन घट गया। नायलोन धागा जो 3.27 हजार मैट्रिक टन बनता था वह 2.12 तक पहुंच गया 1997 में। इसी तरह से पोलिएस्टर धागा के उत्पादन में कमी आयी है, तांबे के उत्पादन में कमी आयी है, सुपर फास्फेट के उत्पादन में कमी आई है और आपके यूरिया के उत्पादन में कमी आयी है, सीमेंट के उत्पादन में कमी आयी है और हमारे माइका के उत्पादन में कमी आयी है, रेल्वे वेगन्स के उत्पादन में कमी आयी है, बाल बियरिंग के उत्पादन में कमी आयी है, रेडिएटर के उत्पादन में कमी आयी है और इलैक्ट्रिक मोटर्स के उत्पादन में कमी आयी है। मैं कहना यह चाहता हूं कि एक ओर भारतीय जनता पार्टी 1990 से 99 तक शासन में थी और इस बात को कहते हैं कि हमने प्लान में पैसे बढ़ायें, हमने कर्ज लेकर विकास की बात सोची, वहीं उत्पादन क्यों घटा, यह बड़ा शोचनीय बिन्दु है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की माली हालत, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो पैसा हमारा प्लान में था, जो पैसा हमारे कर्ज का था वह पैसा कहां गया, कैसे गया, उससे प्रदेश की तरक्की क्यों नहीं हुई, यह सब बातें क्वेश्चन मार्क हैं। मुझे किसी की बुराई करने का शौक नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी उस वक्त की जो सरकार थी उन्होंने ना तो उस पैसे के सदुपयोग के लिए अपना ध्यान दिया है। आज बड़ी लम्बी चौड़ी बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं। लेकिन उनसे पूछना चाहता हूं कि जहां पर आर्थिक स्थिति प्रदेश की गिरती गयी हो उस वक्त यह कहां सो रहे थे। प्लान को पैसा बढ़ा रहे थे और विकास की दर तो नहीं बढ़ रही थी उस वक्त यह कहां सो रहे थे, कहां इनका कन्ट्रोल था। इसी के साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस शासन में हमारे प्रदेश की तरक्की आर्थिक रूप से इन्होंने तबाह कर दिया, औद्योगिक उत्पादन में इन्होंने गिरावट की और पूर्व की सरकार के समय में योजना में हमारी विकास की दर बढ़ी थी वह नहीं बढ़ी।

इसके साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत सरकार ने विविध क्षेत्रों में जो व्यय किया है वह मैंने बता दिया, वह व्यय भी इनके समय में जो हमारे प्रदेश के विकास की ऊंचाई थी उनमें ना हो करके अनप्रोडक्टिव परपजेज में इन्होंने व्यय किया है। वैसे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने कृषि और सम्बन्धित क्रियाकलाप के क्षेत्र में 98-99 में 776 करोड़ रुपये व्यय किये और हमारे बजट में हमारी जो सरकार है उसने इस बात को महत्वपूर्ण समझा है कि हम प्रदेश के विकास में किस तरह से तरक्की करें, प्रदेश

(श्री आर. पी. शर्मा)

को कैसे आगे बढ़ायें तो हमारी सरकार ने 1999-2000 में इसी कृषि और सम्बन्धित क्षेत्र में 836.73 करोड़ का प्रावधान रखा है।

उसी तरह से ग्रामीण विकास में जहां 98-99 में 441.29 करोड़ का प्लान था, खर्चे का आइडिया था, उसको हमने बढा करके 488.90 किया है। उसी तरह से सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण में जहां 1998-99 में 1805 करोड़ की योजना थी वह 1900 करोड़ की की है। इसी तरह से उद्योग और खनिज में 174 से 186 करोड़ रुपये, सड़क और परिवहन में 389 से 534 करोड़ रुपये, शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्र में 2891 से हमने 3133 और चिकित्सा-स्वास्थ्य के लिए 889 से 1068 और जलापूर्ति, आवास, सफाई, शहरी विकास के लिए 1466 से बढ़ा कर करे 1593 और अन्य सामान्य में 510 से 573।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने प्रदेश को गति प्रदान करने के लिए प्रदेश में विकास की गंगा बहाने के लिए हमने आवश्यक पैसा अधिक मुहैय्या कराया है। इसी के साथ ही साथ इस बजट में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। आपको मालूम हो हमने महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, ऐसे प्रदेशों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिये ही तरक्की हासिल की है। औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अग्रणी हैं। हमारे यहां पहली बार राजस्थान के इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है और उसका सीधा-सच्चा उदाहरण है कि हमारी वार्षिक योजना का आकार बढ़ाया गया 5 हजार करोड़, 22 करोड़ करके हमारे सड़क और परिवहन में 535 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उसी तरह से सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण पर, ऊर्जा पर 1900 करोड़ का प्रावधान किया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर उसी तरह से निजि क्षेत्र में विद्युत योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए भी इस बजट में बात कही है साथ ही साथ 700 गांवों के विद्युतीकरण और 30 हजार कुओं का बिजली देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा काम किया गया है। माननीय सदस्य कटारिया साहब कह रहे थे व्हीकल्स पर टैक्सेज कम किये हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि व्हीकल्स पर टैक्सेज करने के पीछे यह तो निश्चित मंशा थी कि और जो हमारे प्रदेश हैं, हमारी जो चोरी होती थी उसको तो रोकना ही है, साथ ही साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारा डवलप होता है। अगर यहां सैल्स टैक्स कम किया जाये, उससे हमारे ट्रांसपोर्ट में फैसेलिटी बढ़ेगी। साथ ही साथ भारतीय लघु उद्योग विकास, सिडबी के तहत जो जोखिम पूंजी कोष की स्थापना की गयी है यह भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

(श्री आर. पी. शर्मा)

इसके साथ-साथ ही बजट में राजस्थान की जनता की मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भी इस बजट में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जैसे कि बजट की प्राथमिकताएं हैं उसमें हमने पेयजल को प्राथमिकता दी है। 6 हजार गांवों में पेयजल का लक्ष्य रखा गया है। फ्लोराइडयुक्त पानी के शुद्धीकरण के लिए 1112 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उच्च जलाशयों के ट्रीटमेंट का इसमें प्लान किया गया है। इसी तरह से खादी और ग्रामोद्योगों के माध्यम से 37 हजार बच्चों को नवीन रोजगार, पर्यटन विस्तार में 23.3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।

महिला और बाल विकास के लिए महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए उनके पैसे डबल किये गये हैं और विधायकों का कोटा, जो बहुत लम्बे अर्से से, पांच साल से बात चल रही थी विधायकों का जो कोटा है वह 10 लाख रुपया से बढ़ा करके 20 लाख रुपये किया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और विधायकों के क्षेत्र में करने के लिए कदम उठाया गया है। साथ ही 30 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए भी हमारे बजट में ध्यान दिया गया है। उससे निश्चित साफ जाहिर होता है कि हमारी सरकार राजस्थान की मूलभूत जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उन पर ध्यान देने के लिए अपना ध्यान रखती है और प्राथमिकता देती है। बजट में प्राथमिकताओं के बारे में मैंने बता दिया कि प्रायोरिटी में पैसा अधिक खर्च करने के लिये दिया गया है और नोन प्रायोरिटी पर पैसा कम खर्च किया है।

उसी तरह इस बजट की जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हमारी सामुदायिक सेवाओं में 31 परसेंट, विद्युत विकास के लिये 19 परसेंट, परिवहन विकास के लिये 15 परसेंट, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिये 13 परसेंट का जो प्रावधान किया गया है वह भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण कदम है।

इस बजट में, जो मैंने पहले कहा कि रोजगारपूरक बजट है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे घोषणा पत्र में तो लिखा ही था और घोषणा पत्र में था ही कि जो 60 वर्ष की हमारी सेवा अवधि है उसको घटाकर 58 साल करेंगे और वह करके दिखाया इसका परिणाम यह हुआ कि 20,000 नयी पोस्ट्स क्रियेट होंगी और क्रियेट होने के बाद उनको नौकरियां मिलेंगी। इसी के साथ खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से 37,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक, इसके लिये हमारे 3,000 ग्राम सेवकों को नौकरी मिलेगी। 16,000 प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोलना भी हमारा तय हुआ। मैं पांच मिनट और लूंगा।

इसी के साथ एक हजार प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो कंवर्शन होगा उससे रोजगार बढ़ेगा। 400 प्राथमिक विद्यालयों को सैकण्डरी स्कूल बनाया जाएगा, मिडिल स्कूलों को। उससे भी हमारा रोजगार बढ़ेगा। 200

(श्री आर. पी. शर्मा)

उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर सैकण्डरी स्कूल किया जाएगा।

साथ ही साथ नये पशु चिकित्सा केन्द्र 100, उप केन्द्र 400, 30 नये हमारे न्यायालय खुलेंगे, इससे भी हमारा रोजगार क्रियेट होगा। इसी के साथ 10 महाविद्यालय खोलने का भी प्रस्ताव उसमें किया जाए और खास तौर से भरतपुर में भी एक कालेज का प्रावधान किया गया है, उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, भरतपुर में जब स्टेट मर्ज हुए थे उस समय सभी जिलों में यह तय हुआ था कि एक एक चीज वह अपनी ले लें। जैसे अजमेर में बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन, बीकानेर में डायरेक्टर एजुकेशन, जोधपुर में हाईकोर्ट और जयपुर केपिटल, उसी तरीके से भरतपुर में भी डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर की स्थापना का एक एग्रीमेंट था।

लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि खास तौर से एक एग्रीकल्चर कालेज खोलने के लिये आप जब बजट पर जवाब दें तो उसके प्रावधान के सम्बन्ध में भी भरतपुर में खोलने की अपनी मंशा बनाकर निश्चित रूप से आप इसके बारे में करें।

इस बजट में जो महत्वपूर्ण बात है, राजस्थान को 21वीं सदी में ले जाने के लिये हमने योजना बनायी है। हमने जिस तरह इनफोर्मेशन टैक्नोलोजी, एक सैल्स टैक्स को 12 परसेंट से 4 परसेंट कम करने का प्रावधान किया जाए साफ्टवेयर में इलेक्ट्रोनिक्स में। हमने विभिन्न जिलों में कम्प्यूटर सिस्टम के द्वारा तुरन्त इनफोर्मेशन लेने के लिये, जो सूचना का अधिकार या उसमें भी पहल की गयी है। इसलिये मैं कह सकता हूं इस बजट में इस प्रदेश को 21 वीं सदी में ले जाने की हमारी सरकार की मंशा है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कुशल सरकार को सुझाव देना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्रीजी, आपने अपने कई भाषणों में कहा है कि हमारा जो डेफिसिट है उसको मीट आउट करने के लिये हम कर की चोरी रोकेंगे। हम खर्च कम करेंगे, ऋण की अदायगी को रोकेंगे। चाणक्य ने कहा है अपनी नीति में कि कर किस तरह का होना चाहिये। चाणक्य ने यह कहा है जिस तरह मधुमक्खी फूल से अपना शहद ले लेती और फूल के आकार को खराब नहीं करती, है फूल को खराब नहीं करती, उसी तरह से आज जरूरत इस बात की है कि हम टैक्स तो नहीं लगाएं लेकिन टैक्स चोरी करने वाले व्यक्तियों पर हम शिकंजा कस कर रहें। पूर्व की सरकार में टैक्स चोरी करने वालों को जिस तरह से खुली छूट दी गयी थी, वह कर व्यवस्था हमारे पास है। उस व्यवस्था में अगर हम ढंग से रिकवरी करते हैं तो इस प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं आएगी।

(श्री आर. पी. शर्मा)

मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है अब तक आप कर चोरी करने वालों को, जैसे कहते हैं काक को ताक करके नहीं दिखाओगे, आप कर चोरी करने वालों के खिलाफ कडी से कड़ी कार्यवाही नहीं करोगे, तब तक इस प्रदेश में कर की वसूली पूरी नहीं हो सकती। हम कर—व्यवस्थाओं का सरलीकरण भी करना चाहते है। 18 (ए) का फार्म जो आपने प्रस्तावित किया है, मैं समझता हूं इसमें भी आपको पुनर्विचार की आवश्यकता है। चाहे बिजली की चोरी हो; चाहे और चोरी हो, उसको रोकने में सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ेगी।

व्यवसाय कर के बारे में मुझे कहने में संकोच नहीं है कि आपको इस पर पुनविचार करना चाहिये, यह चाणक्य नीति के खिलाफ होगा व्यवसाय कर का वसूल करना और इससे कितने लोगों को नाराजगी होगी। टैक्स जितना नहीं बनता, हो सकता है इससे परेशानी ज्यादा हो। इस कर को आप वापस लें।

बार-बार मेरी तरफ इंगित कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रतिपक्ष के सदस्यों से, बार-बार यह कहते हैं हमने प्लान बढ़ाया; कर्ज बढ़ाया और मैंने कहा कि विकास की दर नहीं, और यही बात चली, सभी बात करते हैं बेरोजगारी के ऊपर भाषण देते हैं तो आपके समय में जिस तरह से इस प्रदेश की गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है; एक दफा यहां चर्चा चली थी कि आपने तो बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर वोट मांगे लेकिन आप जानते हैं जब पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे थे, आपने क्या घोषणा की थी? हम कश्मीर से धारा 370 हटा देंगे। आपने घोषणा की थी हम भव्य राम मंदिर अयोध्या में बना देंगे...आपने घोषणा की थी

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

कि (व्यवधान) लेकिन आपको तो क्या हुआ, आ गले लग जा ममता, समता, जयललिता, भाड़ में जाए जनता।

महंगाई किस तरह से बढ़ी ? नमक के पैसे बढ़े, आलू के पैसे बढ़े...प्याज के पैसे बढ़े..

(15.16 बजे)

(श्री परसाराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं कहता हूं जिनके महल शीशे के हुआ करते हैं कभी दूसरों के महलों में पत्थर नहीं मारा करते। इसलिये आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें। आपने इस प्रदेश को, देश को जो विकसित देशों की तरफ अग्रसर हो रहा था, जहां-जहां आपका शासन आया है वहां आपने सत्यानाश किया है। आप तो कोई नेकरधारी; कोई गदाधारी और कोई बाणधारी; ऐसे लोगों को लेकर; विध्वंसकारी लोगों के साथ साजिश करके इस प्रदेश की तरक्की को खतम करना चाहते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ वैदजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वैदजी, आपका जो

(श्री आर. पी. शर्मा)

भार है; एक महत्वपूर्ण समय पर आपको बजट पेश करना पड़ा है और इसमें बहुत मेहनत की जरूरत है। पूर्व की सरकार ने, जिन्होंने अपने कुशासन से इस प्रदेश का सत्यानाश किया है, लेकिन कांग्रेस ने सोनिया गांधी जो हमारी नेता है; हमारे मुख्य मंत्री गहलोतजी के नेतृत्व में आज प्रदेश की बहबूदी के लिये, आर्थिक तरक्की, आर्थिक क्रांति लाकर इस प्रदेश का विकास करेंगे। धन्यवाद। जय हिन्द।

डा. किरोड़ी लाल : मुख्यमंत्री भैरोंसिंह जी कह दिया, उसको तो करेक्ट कर लो। आपने भैरोंसिंह कह दिया।

श्री आर. पी. शर्मा : अब तो भ्रष्टाचार के उद्योग चल गये। ए.ईएन. के इतने पैसे, जे.ईएन. के इतने पैसे, डाक्टर के इतने पैसे, कहाँ से तरक्की होगी? भ्रष्टाचार उद्योग अगर पनपा है तो आपकी सरकार में पनपा है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। आप बोलेंगे कि आपके लीडर बोलेंगे?

श्री जगत सिंह दायमा : मैं बोल रहा हूं सर।

श्री अध्यक्ष : श्री जगत सिंह दायमा।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का जवाब कितने बजे शुरू होगा, इसके बारे में अगर आपका निर्णय हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : लम्बी लिस्ट है बोलने वालों की।

श्री चन्दनमल बैद : फिर भी कुछ इंडीकेशन आपकी तरफ से हो जाए तो मैं बड़ा आभारी होऊंगा।

श्री अध्यक्ष : अभी इस स्थिति में मैं नहीं हूं कि मैं कोई टाइम निश्चित कर सकूं। इस लिस्ट को थोड़ा सा मुझे देखने दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : जैसा आपका हुक्म।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने अपना बजट भाषण पढ़ा और इस वर्ष को राजस्थान स्थापना वर्ष के रूप में, स्वर्ण जयन्ती के रूप में मनाने की भी बात कही है। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने इस स्वर्ण जयन्ती के साथ अपने आपको भी जोड़ लिया है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस बजट में उन स्वतन्त्रता सेनानियों का जिक्र किया जिनकी कुर्बानी और बलिदान के कारण देश आजाद हुआ, प्रदेश आजाद हुआ, प्रदेश का गठन हुआ, निश्चित रूप से सराहनीय है और उनके मान–सम्मान के लिये 1,000 रुपये से बढ़ा करके 1250 रुपये जो बढ़ाये, मैं उनका स्वागत करता हूं और उसके लिये उनको धन्यवाद भी देता हूं।

(श्री जगत सिंह दायमा)

यही नहीं, वित्त मंत्रीजी ने कई चीज बड़ी बारीकी से रखी है और उनका ध्यान समाज के ऐसे तबके पर भी गया है जो तबका लाचार है, बेबस है। विधवाओं की पेंशन उन्होंने बढ़ायी, परित्यक्ता के लिए उन्होंने राशि बढ़ायी और गांव और किसान के लिए भी उन्होंने थोड़ा-थोड़ा अपना ध्यान रखा।

अध्यक्ष महोदय, परन्तु मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट भाषण में उस वर्ग के हित के लिए 2-4-5 लाइन भी नहीं लिखी, जिस वर्ग के कारण देश आजाद हुआ, कांग्रेस को 40 वर्ष का समय राज करने का मिला। भारतीय जनता पार्टी को 10 वर्ष का समय जिस वर्ग के पीछे राज करने को मिला। अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में वित्त मंत्री जी ने उनके विकास के लिए, उनके दर्द के लिए कुछ भी नहीं लिखा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात स्वयं अपनी बताई हुई नहीं कह रहा हूं अभी 5—7 दिन पहले राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा है कि 50 वर्ष की आजादी के बाद भी आज दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, बहुजन समाज वहीं पर पड़ा हुआ है जहां पर हमने 50 वर्ष पहले छोड़ा था। आज भी दलित वर्ग के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उसका विकास नहीं हो रहा, समाज में उसका मान-सम्मान नहीं बढ़ रहा। यह वाक्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा प्रेस कांफ्रेंस में। मुझे यह वाक्य पढ़कर बहुत अच्छा लगा और मैं आज उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि 50 वर्ष तक जिस वर्ग के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, माननीय मुख्यमंत्रीजी ने प्रेस कांफ्रेंस करके उस वर्ग पर ध्यान तो दिया।

अध्यक्ष महोदय, परन्तु बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि बजट में उस वर्ग के लिए कहीं कुछ भी नहीं कहा गया। 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने उसको वोट बैंक बनाया और 40 साल कांग्रेस ने बनाया। आज भी उस वर्ग के साथ में वही अत्याचार हो रहे हैं। उसी दुर्भावना से उसको देखा जा रहा है। समाज में उसका कहीं स्थान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो मेरी पीड़ा है वह इस बात के लिए है कि आखिर 50 साल से हम बजट बना रहे हैं। हम धन और दौलत खर्च कर रहे हैं और हर साल बजट लेकर के हम गुणगान करते हैं कि हमने इतना—इतना पैसा राजस्थान की जनता के लिए लगा दिया।

आप कहते हैं कि जब हमने राज छोड़ा तब लगभग 600 करोड़ रुपये हमारे ऊपर कर्जा था; सॉरी, 6000 करोड़; परन्तु आज यह कर्जा 23 हजार से ऊपर पहुंच गया है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस 50 साल के आजादी के बाद में भी कि जो वर्ग 50 साल पहले, मैं दलित वर्ग की बात कहूं, बहुजन समाज की बात कहूंगा, पिछड़े वर्ग की बात कहूंगा। जब माननीय मुख्य मंत्री इस बात को मानते हैं कि आज भी

(श्री जगत सिंह दायमा)

उनके ऊपर वही अत्याचार हो रहे हैं आज भी वह वहीं पड़े हुए हैं जहां 50 साल पहले पड़े थे तो आखिर यह कर्ज किसके लिये लिया गया है।

मैं इसलिए साफ कहना चाहता हूं कि यह कर्जा लिया निश्चित रूप से, यह तो सच बात है कि कुछ न कुछ विकास तो हुआ है, 6 हजार करोड़ रुपया उस वक्त कर्ज था जब कांग्रेस छोड़कर के गयी थी। और 9 साल के समय में जब भारतीय जनता पार्टी का राज आया तो 23 हजार से भी ज्यादा कर्जा राजस्थान की जनता पर हुआ।

अध्यक्ष महोदय, कर्जा भी इसलिए लिया जाता है कि कोई विकास हो और विकास के लिए, मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं विकास की बात लेकर के तो माननीय भैरोंसिंह जी ने एक आयाम बनाया है। उन्होंने बहुत विकास किया है। कर्जा भी लिया है तो विकास भी कराया है। परन्तु उनका ध्यान भी, और कांग्रेस का ध्यान भी उस वर्ग की तरफ नहीं गया जिस वर्ग का विकास होना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आज 50 वर्ष के बाद में अगर ऐसे लोग पैदा हो गये कि उस वर्ग की तरफ ध्यान दिया जाये, तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये कि जो वर्ग 50 साल की आजादी के बाद में भी नहीं बढ़ पाया, हम प्रतीक्षा करें इस सदन में बैठकर के कि अब उसके विकास के लिए, उसकी भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, हमने धार्मिक भावना की बात यहां पर की और 4, 5 मंदिरों का जिक्र कर दिया, उसमें नाथद्वारा का मंदिर भी है, 3—4 और मन्दिर भी हैं। माननीय सुमित्रा सिंहजी ने यह बात कही कि मन्दिर के उद्धार के लिए तो आपने कुछ पैसा लगाया परन्तु कहीं भी आपने किसी मजार, किसी दरगाह के लिए कोई पैसा नहीं लगाया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के बिलकुल खिलाफ हूं कि ऐसे मन्दिर के लिए पैसा दिया जा रहा है जिस मन्दिर में दलित वर्ग के लोगों को घुसने ही नहीं दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूं। मुझे अच्छी तरह से यह बात याद है कि एक बार हमारे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, स्वर्गीय जगजीवन राम जी उदयपुर में आये थे और उनको कहा गया था कि आप नाथद्वारा मन्दिर में जाकर दर्शन कर आओ। मुझे कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि उनको तो इस बात का पता ही नहीं था कि मुझे मन्दिर में घुसने नहीं दिया जायेगा। जब वह दर्शन करने के लिए गये तो उन्हें दर्शन करने नहीं दिया गया और पुलिस बुलाई और बहुत बखेड़ा वहां खड़ा हो गया। तब कांग्रेस पार्टी का ही राज था। मुझे पार्टी से कोई लेना-देना नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी से, ना कांग्रेस से परन्तु मैं यह ध्यानाकर्षित करके

(श्री भगत सिंह दायमा)

इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों के पीछे समय में क्या हुआ और आगे आपकी मंशा उस वर्ग को सम्मान देने की है या नहीं है ।

इसलिए मैंने बहुत बड़े व्यक्ति का जिक्र किया । डिफेन्स मिनिस्टर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जब वह मंदिर में जाते हैं तो उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया..(व्यवधान) मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं । मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ न कुछ इसमें सुधार किया जाये । जब दोनों तरफ से बहुत ज्यादा बात हो गयी, वहां सरकार को मालूम पड़ा कि जगजीवनराम जी को नहीं घुसने दिया जा रहा है तो उधर पंडों ने तो कह दिया कि नहीं घुसने दिया जायेगा । घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटे तक उनको इन्तजार करना पड़ा और अंत में एक रास्ता निकाला, वह रास्ता यह निकाला कि एक कंठी बांध ली जाये। और उसके बाद गंगाजल से उनको एक तरह से पवित्र किया और कंठी बांधकर के उनको घुसने दिया । ऐसे मंदिरों के लिए आपने पैसा लगा दिया । परन्तु कहीं गरीब मजदूर के लिए, कहीं छोटे वर्ग के लिए, कहीं दलित वर्ग के लिए आपने कहीं कोई ध्यान नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, हमारी पार्टी ने पिछले एक–डेढ़ साल में कई बार संघर्ष किया है । आपने मनु की मूर्ति लगा रखी है । यह मनु की मूर्ति किसके समय में लगी ? हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगाने का औचित्य क्या है ? अगर मनु के आधार पर ही सरकार कार्य कर रही है, मैं यह तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मत था इस बात के लिये कि मनु की मूर्ति लगाकर के मनु के आधार पर ही यह राज चलाया जाये परन्तु मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मनु की मूर्ति हाई कोर्ट में उस वक्त लगी जब कांग्रेस का राज था । आखिर मनु की मूर्ति का औचित्य क्या है वहां लगाने का ?

आज भी हाई कोर्ट में जब हमारे लोग जाते हैं कि वहां हमें न्याय मिलेगा । परन्तु आज भी हमें वहां न्याय नहीं मिलता और इसलिए नहीं मिलता कि जो भी एडवोकेट्स और जो भी जज जाते हैं, पहले मनु की मूर्ति को प्रणाम करते हैं और उसके बाद में जाकर जजमेंट देते हैं । उसी का नतीजा है, जब हमारे एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस लगता है, सवर्ण जाति के लोग जब हम पर अत्याचार करते हैं, उन पर एट्रोसिटी का केस लगता है तो वहां जाकर सवर्ण जाति के लोग बच जाते हैं क्योंकि मनु के आधार पर ही वहां जाकर फैसला होता है, उसी के आधार पर जाकर विचारधारा बनती है ।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है इस बात को लेकर कि जब तक मनु की मूर्ति वहां पर है तब तक गरीब और दलित वर्ग को वहां पर न्याय मिलने वाला नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मैं कानून और व्यवस्था की बात करना चाहता हूं, आज आजादी के 50 साल बाद भी बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं कि आखिर यह धन किसलिए लगाया जाता है, राज्य

(श्री जगत सिंह दायमा)

का गठन इसलिए हुआ था कि हमारे जान और माल की सुरक्षा हो सके और दलित वर्ग को आगे बढ़ाया जा सके, उसको सम्मान दिलाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, आजादी के 50 साल बाद आज भी अगर एक दलित वर्ग का दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर आता है तो उसे मारपीट दिया जाता है, आज भी बारातियों को घायल कर दिया जाता है, आज भी दूल्हे को चाकू मारकर घायल कर दिया जाता है।

इसलिए मैं यह बताने की जरूरत महसूस कर रहा हूं कि आपने 23500 करोड़ से ज्यादा का कर्जा ले लिया, आपने बड़ी-लम्बी-चौड़ी चर्चा कर करके आंकड़ों के हिसाब से इतनी तरक्की की है कि लोग देखते हैं कि यह तो बहुत ज्यादा तरक्की हुई है लेकिन दलित वर्ग को, जिसकी संख्या भी बहुत ज्यादा है, उस बहुजन समाज को आज तक कुछ भी नहीं मिला है, आज तक मान-सम्मान भी नहीं मिला है, दो जून की रोटी भी नहीं मिली है, उसके लिए यह बजट और यह आंकड़े किस काम आएंगे ? इसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने बजट में बताया कि हमारा यह प्रगतिशील बजट है, आपने 600 करोड़ रुपए घाटे वाला बजट बनाया है।

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी का समय मात्र 10 मिनट था, आपने 15 मिनट ले लिए।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरे दो-तीन मिनट हैं साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना नहीं चाहता, परसों राजद के माननीय सदस्य बोले तो आपने 35 मिनट दे दिए, हम गरीब और दलित वर्ग के लोग हैं, इसलिए आप लोग समय की बात कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष : बहुजन समाज पार्टी का समय था;

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत मार्के की बात करता हूं। जब माननीय हनुमान प्रसादजी बोल रहे थे तो मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और मैंने सारे बजट पर ध्यान दिया है लेकिन दलित वर्ग पर किसी ने दो शब्द भी नहीं बोले। जब मैं इस दलित वर्ग के लिए नहीं बोलूंगा तो राजस्थान के 75 प्रतिशत लोगों के साथ अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रारम्भ से एक ही विषय पर बोल रहे हैं। 15 मिनट का आपने समय ले लिया है, आपका समय हो गया, आप दो मिनट में सम्पूर्ण कीजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : चार–पांच मिनट में इसको खतम कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने बजट में बहुत चतुराई से 600 करोड़ रुपए का घाटा दिखा दिया। पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि

(श्री जगत सिंह दायमा)

पिछले साल का 1200 करोड़ रुपए का घाटा था, उसको आपने कहां दिखाया ? इसके लिए आप कहते हैं कि हमने भारत सरकार को कहा है, वह इसके लिए हमको धनराशि देगी ।

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार, केन्द्रीय सरकार आपको अकाल में साथ देने के लिए तैयार नहीं है, पीने के पानी के लिए, सिंचाई के लिए साथ देने को तैयार नहीं है, आपको क्या ऐसी आशा है कि वह 1200 करोड़ रुपए दे देगी ।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बिजली की रेट बढ़ाकर आपने दुगुनी कर दी । एक और अनर्थ होने जा रहा है, जिसकी तरफ पूरे सदन का ध्यान नहीं जा रहा, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । प्रदेश में राज्य विद्युत नियामक आयोग बन रहा है और यह नियामक आयोग क्या करेगा, इसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । किसानों को जो 600 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल रही है, यह विद्युत नियामक आयोग, उसको खत्म करने जा रहा है, यह यह भी फैसला करेगा कि किसानों की बिजली की रेट बढ़ाई जाए ।

मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह विद्युत नियामक आयोग लाने की क्या जरूरत थी ? भारतीय जनता पार्टी के राज में भी यह आयोग आने वाला था, लागू होने वाला था परन्तु वह तो चतुराई से टाल गए ।

श्री अध्यक्ष : टाल नहीं गए, वह तो अधिनियम बन गया है; यहां पर विधेयक आया नहीं है, आए तो उस पर चर्चा करना ।

श्री जगत सिंह दायमा : आगे आने वाले समय में, अध्यक्ष महोदय, ऐसा हो जाएगा कि हमारे जो बिजली मंत्री हैं, उनकी कोई पूछ नहीं रहेगी, किसानों से नहीं पूछा जाएगा और मनचाहे तरीके से बिजली की रेट बढ़ा दी जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे दो-तीन पाइन्ट्स और हैं । सिंचाई की आपने दरें बढ़ा दी हैं, कोई नया बांध नहीं बना रहे । अध्यक्ष महोदय, कितने शर्म की बात है कि आजादी के 50 साल बाद भी आज राजस्थान में पीने का पानी नहीं मिल रहा है; आज भी फ्लोराइडयुक्त पानी गांव वालों को पीने के लिए मिल रहा है । अब की बार चुनावों में मैं गया तो मुझे मालूम पड़ा कि आज भी लोग-बाग जोहड़ों में, उन जोहड़ों में पानी पी रहे हैं जिनमें कुत्ते भी पानी पी रहे हैं, पशु पानी पी रहे हैं, पेशाब भी कर रहे हैं, लेट्रिन भी कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, बड़े शर्म की बात है, 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, 40 साल तक आपका राज रहा, फिर आप राज में आ गए । राजस्थान के पीने के पानी की समस्या आज भी हल नहीं हो पाई तो वित्त मन्त्रीजी, आखिर आपका यह बजट किस काम आएगा ? अध्यक्ष महोदय, एक-दो पाइन्ट और हैं, एक-एक और है ।

श्री अध्यक्ष : एक–एक पाइन्ट नहीं। देखिए आपने 18 मिनट ले लिए हैं, समय कम है, आप देखिए।

श्री जगत सिंह दायमा : दो मिनट और लूंगा तो 20 मिनट हो जाएंगे। मैं आप को शिक्षा की बात बताना चाहता हूं। माननीय सुमित्रा सिंहजी और भाई जगमाल सिंहजी ने जो बात रखी, मैं उनके साथ अपनी बात जोड़ते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी, आप शहर और गांव, दोनों की तरफ एक ही नजर से देखो। शहर में जो लड़के पढ़ते हैं वे तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके कम्पीटिशन में बैठते हैं पर गांव में आज इस तरह की व्यवस्था है कि पेंसिल नहीं, कागज नहीं, किताब नहीं, दीवार नहीं, आज कहीं छत है तो बच्चे नहीं, बच्चे हैं तो टाट पट्टी नहीं, टाट पट्टी है तो ब्लेक बोर्ड नहीं, आखिर कैसे गांव का आदमी आई.ए.एस., आई.पी.एस. बन सकता है? अगर 100 आई.ए.एस. बनते हैं तो गांव की 4 प्रतिशत हिस्सेदारी भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सोलह हजार शिक्षा केन्द्र खोलने जा रहे हैं, चलो कुछ न कुछ तो उससे बेहतर है पर आप उनको सिर्फ 1200 रुपए देंगे। एक तरफ आपके श्रम मंत्री कह रहे हैं कि हर मजदूर को हम 60 रुपए प्रतिदिन का रोजगार देंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान लीजिए, अब आपका भाषण समाप्त हो चुका है; समय ज्यादा ले रहे हैं आप।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, इनके लिए 1800 रुपए प्रति माह होने चाहिए। आपने नौजवानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई नया उद्योग आप स्थापित नहीं कर रहे, जब उद्योग स्थापित नहीं होंगे तो यह नौजवान पीढ़ी आखिर जाएगी कहां? इसलिए नए उद्योग खोलने में आपने कहीं कोताही बरती है और एक भी नया उद्योग खोलने की बात आपने यहां पर नहीं कही है।

आपने सड़कें बनाने की बात कही है; आपने नीति की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह नीति तो आप बना रहे हैं, परंतु एक भी नीति आपकी ऐसी नहीं है जो दलित वर्ग का उत्थान करे। 1990-91 में हमने उदारीकरण की बात कही।

श्री अध्यक्ष : आप सुनिए।

श्री जगत सिंह दायमा : लास्ट आधा मिनट, 30 सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष : 16 घण्टे बजट पर सामान्य वाद-विवाद का समय था; आपके केवल 10 मिनट थे और तीन दिन सामान्य वाद-विवाद में खर्च हो गए; आप 30 मिनट ले चुके हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय; मैं खतम कर रहा हूं; लास्ट पाइंट है; आधा मिनट में खतम कर रहा हूं, 30 सैकण्ड में। आपने 1996-97 की बात कही है; उदारीकरण की बात कही है; जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री होते थे वह यह

(श्री जगत सिंह दायमा)

स्कीम लाये थे। उस वक्त कितने घोटाले हुए। और वही चीज आप यहां लाना चाहते हो। चीनी का घोटाला, दूरसंचार का घोटाला, हर्षद मेहता का घोटाला। घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। वह चीज यहां लाना चाह रहे हो?

इसलिए गरीब के पास पैसा नहीं रहेगा तो अमीरों का राज हो जाएगा और अमीर ही राज करेगा, गरीब को कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा राजस्थान में भी घोटाला हो जाएगा। फिर ऐसा न हो कि 1996 में घोटालों के कारण आपकी सरकार जैसे केन्द्र में गई ऐसे ही कहीं आपकी सरकार न चली जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : अब केन्द्र की बात केन्द्र में कीजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : उदारीकरण के द्वारा आप निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रो. सांवर लाल जाट।

श्री जगत सिंह दायमा : इसलिए अध्यक्ष महोदय, अंत में मेरा यही मानना है कि जो मैंने सदन का समय लिया है, आपने मुझे सदन में समय ज्यादा दिया उसके लिए आपको धन्यवाद, परंतु मैंने जो दलित वर्ग के लिए पिन प्वाइंट बताए हैं उसके मान और सम्मान के लिए उसकी लड़ाई निश्चित लड़ी जाएगी और उसके लिए कोई न कोई योजना बनायी जाएगी; इसी बात को लेकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, राज व्यवस्था कोई भी रही हो शासन चलाने के लिए बजट सरकार पेश करती थी। राजा-महाराजाओं का राज होता था उस जमाने में राजा बजट बनाते थे। वे लेने ही लेने का काम करते थे। कहां से लिया जाए, पब्लिक यूटिलिटी वर्क्स में खर्चा नहीं करते थे। उसके बाद में हमारे देश में अंग्रेजों का राज आया। सन् 1947 में देश आजाद हुआ।

सन् 1952 से इस देश में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागू हुई। चुनी हुई सरकार जनतंत्र में जन भावना के अनुसार काम करती है और अगर कोई सरकार बहुमत मिलने के बाद जन भावना के अनुसार काम नहीं करती है, बजट नहीं बनाती है, लोगों का भला नहीं करती है तो केवल तंत्र उनके पास रह जाता है, जनता हट जाती है। फिर तंत्र को गले में लटकाकर घूमते रहो तो कोई मतलब वाली बात नहीं है।

अभी जो सरकार बनी है वह बार-बार यह कहती है कि 75 पर्सेन्ट सीटें हमारी हैं, 153 हैं, लेकिन अगर आप देखें तो 44 पर्सेन्ट जनता आपके पक्ष में है, 56 पर्सेन्ट लोग राजस्थान के आपके खिलाफ हैं। सीटें 75 पर्सेन्ट आ गई और आने के बाद एक ही नारा इन्होंने शुरू किया कि बजट से पहले हम श्वेत-पत्र जारी करेंगे। बी.

(श्री सांवर लाल)

बे.पी. की सरकार ने यह कर दिया, वो कर दिया, पर आपने अपनी सरकार का नहीं देखा। आप जिस हालत में राज छोड़कर गये थे आपको याद नहीं आता। उस जमाने में किसान रोता था; आपसे मांग करता था, कर्जा हम नहीं चुका सकते हैं तो आपके लोग मुर्गा बनवाते थे। गांव में खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी; पीने की व्यवस्था नहीं थी; कर्जा नहीं दे सकते थे और आप लोगों ने मुर्गे बनाकर वसूल करना शुरू किया तब जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम में एलान शुरू किया कि कर्जा मत दो, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे।

शायद हिन्दुस्तान में आजादी के बाद पहली बार किसानों को सीधा फायदा मिला कि किसानों का कर्जा माफ हुआ। आपने राज बहुत कर लिया, एक पैसा आज तक माफ किया हो तो आप बता दो। कर्जा माफ हो गया, हासिल माफ कर दिया हमने। बच्चों को पढ़ाने के लिए गरीबों के पास पैसा नहीं, छह महीने में फसल आती है, कभी अकाल पड़ जाता है; कभी अति-वृष्टि हो जाती है, गरीबों के बच्चे किताबें नहीं ला सकते। उनके लिए हमने मुफ्त में किताबों की व्यवस्था की है।

आपने 40-50 वर्ष राज किया मगर एक पैसे की किताब बांटी हो तो हमको बता दो। किसान माल लेकर जाता था तो चुंगी के ऊपर रोककर 17 बातें करते थे, क्या लाया, कितना लाया, ये, वो। किसान की इज्जत-आबरु चुंगी पर नाकेदार उतारते थे। आपने चुंगी लागू की थी और हमने चुंगी को हटाया। इन चीजों का श्वेत-पत्र में उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है? जैसा राजस्थान हमने आपको दिया आपने उससे बदतर राजस्थान हमको दिया। आठ वर्ष में हमने करोड़ों रुपया खर्च किया।

आज राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर किसान आपको खुशहाल मिलेगा, फव्वारा-सैट मिलेगा, बैठने के लिए मोटरसाईकिल, जीप मिलेगी, काम करने के लिए ट्रैक्टर मिलेगा। सन् 1990 में भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद और उसके बाद तुलना कर लें राज-स्थान में कितनी मोटरसाईकिल हैं, कितने ट्रैक्टर हैं, कितने इंजन सेट हैं। ये बातें से नहीं आता है। किसानों की सरकार ने आठ वर्ष काम किया, किसानों तक पैसा पहुंचाया, उनके माल का पैसा दिया इस-लिए यह खुशहाल राजस्थान हमने आप लोगों को दिया।

इसलिए केवल श्वेत-पत्र जारी कर दिया, हमको इतना बहुमत मिल गया; हमने यह कर दिया, वो कर दिया उससे काम नहीं चलता। राजस्थान की जनता जानती है, जनतंत्र ने, जनता ने बहुमत आपको नहीं दिया, सीटें आपको मिल गई हैं। अगर वोटों के हिसाब से सीटें आती तो 88 की संख्या आप पार नहीं करते, पर चूंकि चुनाव का सिस्टम है इसलिए इस अहंकार को भूल जाओ और केवल यह कहकर कि हम श्वेत-पत्र जारी कर देंगे, राजस्थान में कई बार सरकार आई, आप की सरकार से ज्यादा आई, पर तीन महीने

(श्री सांवर लाल)

में सचिवालय के गेट बंद करने पड़े, यह शायद पहली बार आपके अहंकार की वजह से हुआ।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने बहुत कुछ किया और जो किया वह आपसे छुपा हुआ नहीं है।

श्री महेश जोशी : आपके टाइम में तो सचिवालय के गेट खुले हुए थे ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हमारे टाइम में आप की तो हिम्मत ही नहीं होती थी इधर आने की। आप तो शहर में ही मौज-मस्ती करते थे। (व्यवधान) तीन महीने के अंदर ही ऐसी हालत हो गई जो चार साल में हमारी नहीं हुई होगी, पर आपकी तो हालत अभी से पतली हो रही है। गांवों में आओगे तो मालूम पड़ेगा। अब आपको तो फर्क नहीं पड़ता है, यहीं घूमना है आपको, पर दूसरे माननीय सदस्य हैं उनको पता चल रहा है आजकल जो गांवों में जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा हमने घोषणा-पत्र मुख्य सचिव को सौंप दिया है और यह घोषणा-पत्र है वह लागू कर दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इन्होंने कहा महिला आयोग बना देंगे, अल्पसंख्यक आयोग बना देंगे, सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल कर देंगे, रिटायरमेंट करके घर भेज देंगे, लेकिन कोई योजना नहीं बनायी कि इनकी भर्ती कैसे करोगे। आपको मालूम है पद खाली होने वाले हैं, कौन-कौन सी कैटेगरी के कौन-कौन से पद हैं, आज राज्य में उनकी आवश्यकता नहीं थी, बेरोजगार नौजवानों को कहा हम आपको रोजगार देंगे, 58 साल कर देंगे। (व्यवधान) सुन लो, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इतने चूर मत रहो सत्ता के मद में माननीय सदस्य, आपको अध्यक्षजी ने मौका दिया है।

श्री सांवर लाल : आपने सुना होगा, गुरु गोविन्द सिंह जी जब मुगलों से लड़ते थे तब सिक्ख बिरादरी ने कहा, गुरुजी, हमारी संख्या कम है। गुरुजी ने कहा, मेरा एक बंदा सवा लाख का है। इसलिए यह मत सोचना कि हम 33 आपसे किसी तरीके से कम हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय मानवाधिकार आयोग लागू कर दिया, (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मेरा हाथी सवा लाख का होता है।

श्री सांवर लाल : जिन लोगों को प्रलोभन देकर आप वोट लेकर आये, उनकी तरफ नहीं देखा अभी। कोई सवाल करे कि क्या करोगे, मण्डल आयोग में लाओगे या नहीं लाओगे, आयोग बना हुआ है यह तो हम ही जानते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, आपकी मंशा क्या है ? आज जगह जगह वे लोग ही आपके खिलाफ खड़े हैं, चाहे किसी कम्युनिटी के हों, जिनको आप

(श्री सांवर लाल)

ने कहा है, जाटों को, मेवों को, विश्नोइयों को, वे मीटिंगें कर रहे हैं और कह रहे हैं आने दो अब के चुनाव में, उनके घुटने नहीं टिका दें तो हम बैठे हैं तैयार।

इसलिए भाइयों, जो काम करना है वह तो किया नहीं और यह कर दिया, वो कर दिया इससे काम चलने वाला नहीं है इसलिए आपके घोषणा-पत्र को लागू कराओ और बाकी तो आपको मालूम है इस बजट को लेकर आपकी पार्टी में लड़ाई चल रही है नौजवानों और बुजुर्गों की। अब नौजवान मुख्य मंत्री बन गए, यह किसको पच रहा है, यह बताइए। यह बुजुर्गों ने ऐसा बजट पेश किया कि पहली बार में पानी फेर दिया। अब इस पर एक भी बात ऐसी बता दो जो किसानों का भला करने वाली हो, किसानों के हक की हो, नौकरी पेशावर्ग के हक की हो। बिजली का पैसा दोगुना बढ़ा दिया और पहले क्या कहते थे बिजली का नहीं बढ़ा सकते हो, पानी का नहीं बढ़ा सकते हो और यही आपकी पार्टी ने यहां बैठकर कहा था कि बिजली नियामक विधेयक किसान विरोधी है। आपके राज में आते ही विरोधी नहीं, पक्ष में हो गया। ये सारी चीजें जनता देख रही है।

आपके जो कार्यकलाप विपक्ष में थे और सत्ता में आने के बाद हैं, लोगों की नजरें आपके ऊपर हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, आप किसान विरोधी हैं, बिजली का पैसा बढ़ा दिया, डबल कर दिया हर मामले के अन्दर। सिंचाई के पैसे आपने बढ़ा दिए, नौकरीपेशा लोगों का, जिन्होंने अब की बार यह सोचकर वोट दिया कि बी. जे. पी. को आठ वर्ष देख लिया अब की बार कांग्रेस को देखेंगे, इनके नेता ने हमारे लिए बहुत भाषण दिए। चार महीने के अन्दर ही वे सड़क पर आ रहे हैं।

नौकरी की इनकम के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, जजिया कर लगा रहे हैं। मुगल तो लगाते थे, उनको तो अपने लोगों से प्रेम नहीं था, पर आप यह कौन सा टैक्स लगा रहे हो। इनकम टैक्स वाले पर लगा रहे हैं। इनकम टैक्स वालों पर और ज्यादा लगाओ, हमको कोई आपत्ति नहीं कि आप इसको हटाते हैं या नहीं, लेकिन हमारी सरकार होगी तो हम यह टैक्स कतई जनता पर, हमारे नौकरशाहों के ऊपर नहीं लगाएंगे। इसलिए बंधुओ, आपने यह शुरूआत की है, यही शुरूआत आप जारी रखें तो ज्यादा समय आपको गांवों में जाना ही नहीं पड़ेगा, जयपुर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। (व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी का समय है।

श्री अध्यक्ष : पार्टी का समय है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी कृपा से बोल रहे हैं वे।

श्री सांवर लाल : आपका आशीर्वाद हमारे सर पर है ।

श्री अध्यक्ष : पार्टी का समय 10 मिनट से ज्यादा नहीं है ।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं । जो श्वेत-पत्र जारी किया इसके अंदर कई चीजें बतायीं, प्रति व्यक्ति आय का डिफरेंस सन् 1995 में इतना था, सन् 1997 में इतना हो गया, पर इन्होंने यह बताने का प्रयास नहीं किया कि हमने जब राज सौंपा था तो प्रति व्यक्ति आय का कहीं नम्बर आता था क्या राजस्थान में ?

सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश था । आय नहीं थी, लोग उधार और कर्जा लेकर खाते थे । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, बहुत कुछ हुआ राजस्थान में । सड़कें, तालाब, नाला, एनीकट, किसानों को सब्सिडी के मामले सारे हुए। एक श्वेत पत्र में इन्होंने आर्टिकल दिया, 87-88 में हमने अकाल राहत पर इतना खर्चा किया । 87-88 में वित्त आयोग नहीं बना था ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल की गम्भीरता को देखकर आकलन करते थे, भारत सरकार सीधा पैसा भेजती थी। वह पैसा भारत सरकार का था और उस पैसे में भी अगर आप यह और जोड़ देते कि कितने घोटाले हुये, यह आज तक नहीं सुलटाए । 5 वर्ष तो हम रह गए; उन घोटालों को नहीं सुलटा पाए । करोड़ों रुपए की चारा सब्सिडी खा गए । स्कूटरों के इनके नम्बर, टांके खुदे नहीं उनके पैसे उठ गए । वह सारा का सारा पैसा घोटालों में गया, पर श्वेत पत्र में लिख दिया अपनी स्थिति में हमने इतना खर्चा किया । और आज आरोप लगा रहे हैं, कारण सरकार पैसा नहीं दे रही ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार पैसा नहीं दे रही, भारत सरकार निश्चित रूप से हर तीन महीने में एक किश्त देती है और वह किश्त लगातार मिल रही है । उसके बावजूद यह सरकार लोगों को पालने के लिए व्यवस्था नहीं कर रही, चारा-पानी की व्यवस्था नहीं कर रही है, आटे की व्यवस्था नहीं कर रही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अक्टूबर में अकाल राहत के काम शुरू हो गए, उसके बाद में चुनाव की घोषणा हो गई । उस टाइम में भी इनके माननीय नेता, चाहे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हों या दूसरे, सब यही कहते थे राजस्थान सरकार अकाल राहत काम नहीं खोल रही है, चारा-पानी की व्यवस्था नहीं कर रही है । पर चार महीने होने के बावजूद आज तक बार-बार मांग करने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं कर रही है । जो श्रमिक सीलिंग हमने दी थी, उस श्रमिक सीमा को इन्होंने आधा कर दिया । आज भी राजस्थान में कहीं चारे का एक डिपो नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर भी पशु आहार पर अनुदान किसानों को नहीं मिला । पशु मर रहे हैं । यह इतनी बुरी हालत है । इस

(श्री सांवर लाल)

बजट में जो यह 100 करोड़ रुपए इसमें बचत होगी तो वह उनके लिए लगा दिए जाएंगे। प्राकृतिक आपदा से ज्यादा गंभीर कोई स्थिति नहीं है। और जो किसानों के घर में जानवर हैं, उनकी हालत और बद-तर होती है। और आजकल लोग कहते हैं कांग्रेस को वोट दिया है तो नाम मांडेंगे बाकी नहीं मांडेंगे, यह पैसा आपकी बपौती नहीं है, यह भारत सरकार का पैसा है।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों को जहां पर रोजगार की जरूरत है, उन लोगों को रोजगार दिया जाए। हमारे टाइम में राजस्थान में ऐसी स्थिति कहीं पर नहीं थी, लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं थी। वित्त मंत्रीजी विराजे हैं, भारत सरकार का नाम ले लेकर टाइम मत निकालो, अकाल राहत के काम-काज आप खोलो, लोगों को पालने पोषने की व्यवस्था करो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सातवी पंच-वर्षीय योजना में 77 लाख टन वार्षिक खाद्यान्न का उत्पादन हुआ करता था और आठवी पंचवर्षीय योजना में 103 लाख टन रहा जो पिछली योजना से 34 प्रति-शत उत्पादन अधिक है, यह बातों से नहीं हुआ। राजस्थान सरकार ने काम किया किसानों को सब्सिडी दी। इसी प्रकार तिलहन उत्पादन में भी विशेष सफलता रही। सातवीं योजना में तिलहन का औसत उत्पादन 13 लाख टन था, जो आठवीं योजना में बढ़कर 30 लाख टन हो गया यानि 100 प्रतिशत से भी ज्यादा उसमें वृद्धि हुई। सातवीं योजना में राजस्थान में 6 लाख टन कपास की गांठों का उत्पादन होता था, वहां आठवीं योजना में 11 लाख टन कपास की गांठों का उत्पादन हुआ है जो 83 प्रतिशत है।

इस प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय रासायनिक खाद की जो खपत है, उसका भी कीर्तिमान हुआ। सातवीं योजना में 28 लाख टन रासायनिक खाद की तुलना में आठवीं योजना में 61 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ जो 100 प्रतिशत से भी ज्यादा वृद्धि है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने इस पीरियड में प्रथम स्थान के अवार्ड भारत सरकार के लिए बाजरा, मोठ, राई इसी प्रकार द्वितीय स्थान में जौ, चना। तृतीय स्थान पर खरीफ की दालें, सोयाबीन आदि कई चीजें ऐसी रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनिट में मैं समाप्त कर रहा हूं। राजस्थान सर-कार ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, गांवों के लिए जितना पिछले वर्षों में किया उतना कभी नहीं हुआ। चतुर्थ स्थान पर खरीफ में मक्का और कुल दलहन हुआ, पंचम स्थान पर गेहूं, रबी, अनाज खाद्यान्न कपास का उत्पादन हुआ है। इसी प्रकार हमने कृषि सुधार के अंतर्गत कई कुओं के विद्युतीकरण भी करवाए, उसके वाटर रिचार्जिंग सिस्टम पर भी काफी खर्चा किया है। कुल मिलाकर मेरा यह निवेदन है कि पिछली जो सरकार है, उस सरकार

(श्री सांवर लाल)

ने 6 राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार गत 5 वर्षों में प्राप्त किए हैं। आपके जमाने में तो किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया। यह वेदजी हैं, इनको मालूम है। मतीरे के बीज पर टैक्स लगाने वाले भी आप ही हो वित्त मंत्रीजी। (व्यवधान) आप किसानों के जितने हितैषी हो और अशोक जी के कितने हितैषी, आपके जमाने में किसानों की क्या हालत थी, आज क्या हालत है। आपको तो बहुत टाइम लगा, 5 साल बाद सचिवालय में पहुंचे होंगे, किसान जल्दी खड़े होने वाले थे। इसलिए टैक्स जो आप ने लगाया, उसमें भी रिकार्ड टूट गए। चार सौ करोड़ के लगभग नये टैक्स लगा दिए, यह भी शायद एक कीर्तिमान है।

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय हम ने खत्म किया, इन्होंने एंट्री टैक्स लगा दिया। अब के ये-ये करेंगे ...

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री सांवर लाल : अब की बार सब को ले लेना। इसलिए यह बजट गांवों का, गरीबों का, किसानों का विरोधी है, नौकर चाकर जो बेचारे पेट भरते हैं तनख्वाह ले लेकर, उनके विरोधी हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा दिए, जजिया कर। इसलिए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये। आपका समय समाप्त हो गया है, बहुत समय ले लिया आपने।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर जो सौभाग्य माननीय वित्त मंत्रीजी को मिला है इसके लिए मैं इनको बधाई का पात्र मानता हूं, और स्वतंत्रता सेनानियों के उस त्याग और बलिदान को नमन करता हूं, और खास तौर से राजस्थान की जनता को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकारें तो बनती और बिगड़ती रहती हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन राजस्थान की जनता को राजस्थान स्वर्ण दिवस के 25वें, इस स्वर्ण अवसर पर इनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने +++ सत्ता नहीं सौंपी। राजस्थान की जनता जो विशेष धन्यवाद की पात्र है, वह इसलिए है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट एक सामान्य प्रक्रिया है, सरकारें जब अपना बजट प्रस्तुत करती हैं तो उसके माध्यम से वह अपनी प्राथमिकताएं तय करती हैं। और प्राथमिकताओं के आधार पर ही हम किसी सरकार को जनकल्याणकारी, और किसी सरकार को कुशासन के नाम से प्रचारित करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने भी अपनी प्राथमिकताएं तय कीं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मैं इसका एक छोटा सा नमूना आपको पेश करूं कि अपने बजट में से उन किलों और उन गढ़ों को जो ध्वस्त हो रहे थे, उनमें अपने बजट का एक लम्बा हिस्सा लगाया और राजस्थान सरकार ने कांग्रेस की सरकार जब बनी, तो उन स्वतन्त्रता सेनानियों की याद को जिन्दा रखने के लिए इन्होंने सुनिश्चित किया कि उन ऐतिहासिक स्मारकों पर ज्यादा से ज्यादा खर्चा किया जाए जिससे वह ख्याति और धरोहर हमारी सुरक्षित रह सके।

यह प्राथमिकताएं है माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी को जिन परिस्थितियों में बजट बनाना पड़ा, निश्चित रूप से विकट परिस्थितियां थीं। इसके बावजूद भी इन्होंने एक जन कल्याणकारी सरकार के नाते हर उस क्षेत्र को, जो हर जन कल्याणकारी सरकार का दायित्व होता है वह चिकित्सा का हो, स्वास्थ्य का हो, कृषि का हो, पेयजल समस्या हो, सड़क से जुड़ी समस्या हो, इन सब पर माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी पैनी दृष्टि से यह देखने की कोशिश की। किस मद में और किस तरह से यह खर्चा किया जाए ताकि राजस्थान की जनता को पूर्ण लाभ मिल सके और खर्चे में कटौती करते हुए सरकार की पारदर्शिता देखते हुए सबसे बड़ा उत्तरदायित्व जो है उनको सौंपने के लिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी समस्या रही है उत्तरदायित्व का अभाव। राजस्थान सरकार ने जब से शासन संभाला है, उन्होंने सबसे पहले एक बात सुनिश्चित की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि राजस्थान में उत्तरदायी सरकार होगी और उत्तरदायित्व किसी का निश्चित किया जावे, यह सबसे बड़ी उपयोगिता है। समय बहुत सीमित मिला है, इसलिए मैं अधिक नहीं बोलकर वित्त मंत्री का कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने चिकित्सा के क्षेत्र की ओर जिस तरीके से देखा है; उसमें कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्रों के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी संख्या बहुत ही सीमित है। कृपया आप अपना बजट भाषण दें तो उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखें और कम से कम 100 पी.एच.सी. और 200 या 400 उप केन्द्र निश्चित रूप से खोलें, क्योंकि सदन की यह भावना है और कई माननीय सदस्य जो नहीं बोले हैं, उन्होंने भी इस बारे में विशेष रूप से चर्चा की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में....

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट का समय है।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं तो उसी की चिन्ता में लगा हूं कि क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। इसी चिन्ता में मैं घुटा जा रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत के मामले में जिस तरह से पिछली सरकार ने काश्तकार को छला, वह गम्भीर

(श्री राजेन्द्र पारीक)

चिन्ता का विषय था। लेकिन वर्तमान सरकार ने न केवल निजी संस्थाओं पर आश्रित रहने के बल्कि यह सुनिश्चित किया कि जब से इन्होंने शासन सम्भाला है, काश्तकार को 8 घण्टे बिजली देने की जो मन्शा जाहिर की और शासन सम्भालने के बाद लगातार 8 घण्टे बिजली देकर इस बात को साबित किया कि यदि दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो और अच्छी स्थितियां पैदा की जा सकती हैं। उसी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने विद्युत में जो मांग और पूर्ति का संतुलन है उसको बनाये रखने के लिए भले ही इनको एक करोड़ रुपये प्रति दिन घाटा उठाना पड़े लेकिन घाटे को उठाकर के भी किसान की इस भावना को जिन्दा रखा और किसान के प्रति अपनी सहृदयता का प्रदर्शन किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये काश्तकार वे हैं जिन्होंने इस भारत का मान रखा। जब अकाल के वक्त में, उन दिनों में जब राजस्थान एक-एक दाने के लिए मोहताज रहता था और हम पी एल-480 के दाने के लिए अमेरिका की तरफ ताकते रहते थे तब इस राजस्थान का काश्तकार हो या, इस राजस्थान का किसान हो या जिसने इतने अनाज का उत्पादन किया कि न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी आज हम अनाज का निर्यात करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आयुर्वेद और चिकित्सा पर आपने काफी कुछ किया लेकिन होम्योपैथी पर आपने कतई ध्यान नहीं दिया। आज के इस युग में होम्योपैथी भी अपना काफी प्रभाव रखती है। यदि होम्योपैथी पर भी आप अपने बजट का कुछ हिस्सा यदि खर्च करते तो इस उपचार के माध्यम से भी हम बहुत कुछ राजस्थान की जनता को लाभान्वित कर सकते थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं आपका ध्यान केवल एक बात की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा, जो कि राजस्थान में एक बहुत ही गम्भीर मसला है। खास तौर से जयपुर से बीकानेर, सीकर और जयपुर-दिल्ली, जयपुर-अजमेर के जो मार्ग हैं इन मार्गों पर आये दिन काफी एक्सीडेंट्स होते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन मार्गों पर मोबाइल और कुछ बड़े चिकित्सालयों की विशेष सुविधा वहां उपलब्ध करवाई जाए ताकि आये दिन होने वाले इन एक्सीडेंट्स की वजह से जो कुछ वहां पर कैजुअलटीज होती हैं और जो कुछ एक्सीडेंटस के माध्यम से वहां पर नुकसान होता है उनको तो हम रोक नहीं सकते लेकिन समय पर हम उनको उपचार उपलब्ध करा सकें, यह सुनिश्चित किया जा सकेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या की है। हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से पूर्ति नहीं कर पाता और जब जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है तो साथ-

(श्री राजेन्द्र पारीक)

साथ में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। आज राजस्थान का युवा बेरोजगार इस बात की ओर दृष्टि लगाये बैठा है कि कब राजस्थान में युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति को बलवती करना होगा और औद्योगिक वातावरण बनाना होगा। क्योंकि यह तो निश्चित है कि सरकार के पास में युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई बहुत बड़े साधन नहीं हैं लेकिन हम यदि यहां औद्योगिक वातावरण का निर्माण करने में सक्षम हुए तो निश्चित रूप से हम उन युवाओं की जो मूलभूत आवश्यकता रोजगार की है उसकी पूर्ति करने में लेशमात्र भी यदि सफल हुए तो यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए समय समय पर काफी कुछ पिछली सरकारों ने भी किया लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव रहा।

अब मैं माननीय वित्त मंत्रीजी और उद्योग मंत्रीजी, आपका विशेष ध्यान चाहूंगा कि राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बने, जिसके माध्यम से हम युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा सकें। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम। पांच मिनट का समय है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आप नहीं चाहें तो नहीं बोलूं?

श्री अध्यक्ष : 16 घण्टे में आपके पांच मिनट हैं....

श्री अमराराम (धोद) : मैं मेरे पांच मिनट भी नहीं बोलता हूं, और बोल लें।

श्री अध्यक्ष : बोल लीजिये, कुछ बोल लीजिये। पांच का मतलब....

श्री अमराराम (धोद) : शुरू करने के पहले ही आपने कह दिया तो इससे बढ़िया तो यही होगा कि न बोलूं।

श्री अध्यक्ष : मैं समय बता रहा हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्षजी, अगर संख्या के आधार पर बंटवारा करें तो हमारी स्ट्रेंथ तीन-चौथाई है। पहले हमारे तीन सदस्य बोल लें तब एक प्रतिपक्ष के सदस्य का नम्बर आता है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जो बजट वित्त मंत्रीजी ने इस साल के लिए रखा है, निश्चित रूप से एक बजट ही वह दिया है जो बताता है कि राजस्थान में आने वाले साल में किसके लिए क्या किया जाएगा। लेकिन जो बजट रखा गया है, और इस बजट को रखते वक्त वित्त मंत्रीजी ने जिस बात के लिए कहा, निश्चित रूप से उन लोगों के लिए जिन लोगों का वोट लेकर आये हैं, जिनका समर्थन लेकर आये हैं, वे लोग जब बजट प्रस्ताव वित्त मंत्रीजी बना रहे थे तो याद नहीं आये। उस वक्त वे लोग याद आये।

(श्री अमराराम)

उद्योग परिसंघ याद आया; व्यापारी संघ याद आये। लेकिन जो किसान राजस्थान का 77 प्रतिशत है, जो कर्मचारी है, जो मजदूर हैं जो सब मिलाकर 95 प्रतिशत होते हैं उनके संगठनों का वित्त मंत्रीजी को ध्यान नहीं आया। केवल कांग्रेस के लिए वोट लेने के वक्त उनका ध्यान था।

जहां तक बजट का सवाल है, यह किसान, मजदूरों और कर्मचारियों का विरोधी बजट रखा है। मैं समझता हूं कि यह राजस्थान की सरकार ने राजस्थान विरोधी बजट रखा है। क्योंकि यह बजट जिन नीतियों पर रखा गया है, वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा कि हम आर्थिक उदारीकरण और नयी आर्थिक नीतियों का समर्थन करते हैं। जिन नीतियों पर पिछले 8 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में चलती रही है उन नीतियों का पूर्णतः समर्थन ही नहीं करते हैं, इस बजट में हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो टैक्स लगाये गये हैं, सबसे ज्यादा राजस्थान का किसान है 77 प्रतिशत, उस पर सब से बड़ा टैक्स लगा दिया। सिंचाई दर दुगुनी कर दी गयी, बिजली पर टैक्स बढ़ा दिया। 91 करोड़ टैक्स के रूप में वित्त मंत्रीजी ने लगा दिये। 200 करोड़ रुपये बजट से पूर्व विद्युत मंत्रीजी ने मीटर किराया और स्थायी सेवा शुल्क के रूप में लगा दिये और अभी तो घोषणा कर रहे हैं हमारे मुख्य मंत्रीजी कि अभी तो कुछ नहीं बढ़ा है। यह तो बिजली पर 300 करोड़ बढ़ा है, अभी बढ़ना तो बाकी है, रेट बढ़ना तो बाकी है।

जहां तक बिजली का सवाल है, जो राजस्थान की जीवन रेखा है, चाहे वह उद्योग हो, चाहे कृषि हो, उस पर सरकार की आर्थिक नीतियां जिन पर भारतीय जनता पार्टी 8 साल तक चलती रही, जो कहती रही कि सरकार इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, जो बिजली का इन्फास्ट्रक्चर है उस पर खर्च नहीं करेगी। प्राइवेट उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, उत्पादन करेगा, 43 हजार मेगावाट बिजली पैदा करेगा, राजस्थान से बाहर दे देगा और उसका रिजल्ट पांच साल में जीरो रहा है। आपने जो इसमें कहा है, लेकिन आज भी उस पर जा रहे हैं। कहने से बिजली पैदा नहीं हो जाएगी। जो एलोकेशन है, पिछले साल में जो बिजली के मद में खर्च हुआ है, जो रखा गया था उसमें जो ज्यादा खर्च हुआ है उससे भी कम अगली साल में खर्च रखा है।

अपने घोषणा पत्र में आपने, जिसको बाइबल बता रहे हैं, उसमें तो कहा है कि हम पांच साल में जितने किसान हैं उनको कनेक्शन दे देंगे लेकिन प्रोविजन किया है कि 30 हजार किसानों को हम कनेक्शन देंगे और पैण्डिंग एप्लीकेशंस हैं 6 लाख। अगर इसमें गुणा करो तो यह 10 साल में भी पूरा नहीं होगा। हम क्या करना चाहते हैं ? उस घोषणा पत्र की सबसे बड़ी यह समस्या है कि नयी आर्थिक नीतियों में अगर कोई उद्योगपति, बहुराष्ट्रीय कंपनी इन्वेस्टमेंट करे तो उसको तो हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं लेकिन किसान अगर कनेक्शन लेता है, अगर कुआ और ट्यूबवैल लगाता है उसमें वह दो-तीन लाख रुपये लगाता

(श्री अमराराम)

है; इन्वेस्टमेंट करता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किसान उसमें करेंगे तो उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं मानते। कोई बहुराष्ट्रीय कम्पनी इन्वेस्टमेंट करें, कोई उद्योगपति इन्वेस्टमेंट करें उसको तो आप इन्वेस्टमेंट मानते हैं और किसान अगर करे तो वह नहीं मानते। 6 लाख किसानों को आप कनेक्शन देते हैं तो कितना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट चाहे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, उदारीकरण की बात करते हैं, अरबों रुपये राजस्थान का किसान पैदा करेगा और जिससे हो सकता है उसको आप नहीं मानते।

दूसरा मुद्दा मैं रखना चाहता हूं कि आप बात तो किसानों की बड़ी करते हैं लेकिन जो राजस्थान में भूमि सुधार है, जिसका मद इस बजट में है, उसमें एक पैसा न पिछली सरकार ने रखा और न हमारे वित्त मंत्रीजी ने रखा है। आज क्या हाल है? सीलिंग एक्ट हमारा बना हुआ है लेकिन आज भी जोधपुर, जहां से हमारे मुख्य मंत्रीजी चुनकर आये हैं, के राजा के पास 72 हजार 931 बीघा जमीन है।

जहां सीलिंग ऐक्ट में 30 एकड़ से ज्यादा नहीं हो सकती, जयपुर के राजा के पास आज भी उनके खाते में 14 हजार बीघा जमीन है, उनका बजट में प्रोविजन होना चाहिए। एक पैसा नहीं, पूर्ववर्ती सरकार का नहीं था और न ही इस सरकार का है उसके लिए किसी को चिंता नहीं है। राजस्थान की 77 प्रतिशत जनता अगर आप भूमि सुधार लागू नहीं करेंगे तो न तो जनता का लीविंग स्टैंडर्ड सुधर सकता है; न शिक्षा सुधर सकती है, न राजस्थान आगे बढ़ सकता है अगर सीलिंग को लागू नहीं किया जायेगा।

राजस्थान की सरकार; जो जहां किसान का पहला हक है, राजस्थान नहर पर, तीन लाख हैक्टेयर जमीन को विशेष आवंटन के नाम से बहुत से माननीय सदस्यों ने, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की। एक दिन चर्चा हो रही थी कि पांच लाख रुपये जो देगा, उसको हम जमीन देंगे। और जमीन वह लेंगे जिसको जमीन में खेती करने से कोई मतलब नहीं है। केवल इस मकसद से लेंगे कि पांच साल के बाद में पांच लाख में लेंगे और 25 लाख रुपये मुरब्बा में बेचेंगे। उसका मकसद राजस्थान का विकास करना नहीं है। राजस्थान का हक है, वह जमीन पर है लेकिन राजस्थान की सरकार बात करने की तो किसान की करती है लेकिन किसान के लिए एलोकेशन करने का सवाल नहीं है।

जहां भण्डारण की व्यवस्था है, आज राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या; आज कुछ भी पैदा कर लेते हैं, अपनी मेहनत से जो कुछ पैदा कर लेते हैं, उसको किस तरह से लूटा जाता है। आज चाहे सरसों हो चाहे चना हो, आज जब फसल आ रही है जो कीमत थी, उससे आधी भी नहीं रह गई लेकिन भंडारण पर जो पैसे खर्च करना चाहिए, वित्त मंत्रीजी; जो किसान को सबसे बड़ा फायदा दे सकता है, उसमें एक पैसा इस बजट के अंदर नहीं

(श्री अमराराम)

है तो इसका मतलब यह है कि राजस्थान का जो किसान है, किसान को हर सरकार चाहे वह पूर्ववर्ती सरकार हो और चाहे वर्तमान सरकार हो, किसान की बात करेगी लेकिन उसको जो पैसा खर्च करने की बात है, उसमें राजस्थान की सरकार कहीं भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं होगी।

मैं समझता हूं कि जो भूमि सुधार राजस्थान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वह सरप्लस लैंड हो, चाहे वह सरकारी लैंड हो चाहे और कोई लैंड हो, जब तक हम उनको नहीं देंगे, जब तक उसकी आमदनी नहीं बढ़ायेंगे, राजस्थान के निम्नतम किसान की आमदनी नहीं बढ़ायेंगे तो राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता चाहे कितना कर्जा बढ़ जाये।

आज यह अभी भी 28000 या 23000 की बात कर रहे हैं, 50000 करोड़ भी हो जायेगा तो राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो आपने किसान पर टैक्स बढ़ाया है, यह आप वापस नहीं लेंगे, आज जितने सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर आप खर्च नहीं करेंगे, राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता और उसके लिए हमें निश्चित रूप से किसान को चाहे वह भण्डारण पर हो चाहे वह इन्फ्रास्ट्रक्चर बिजली पर हो, इस पर आप खर्च नहीं करेंगे तो राजस्थान आगे नहीं बढ़ पायेगा।

जहां तक जो वैदजी ने कर लगाया है, किसानों के बाद वैदजी का कर माना जायेगा और जो राजस्थान में कर लगाया गया है, जो इस तरह से लगाया गया है कि शायद कहीं भी राजस्थान के इतिहास में नहीं है और वह सबसे भयंकर है।

जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, आप अंदाजा लगाइये, आपकी इन्हीं आर्थिक नीतियों का परिणाम है कि हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत यह है कि राजस्थान में आज शहरों में सबसे गंदी कोई जगह देखनी हो तो शहर के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जाकर देख लीजिये। आपने बजट में प्रोविजन किया है कि वहां दवाई पर एक बैड के लिए 4800 रुपये हम देंगे और जो निजी अस्पताल, चला रहे हैं सांवली में, उनके लिए एक बैड के लिए हम 30000 रुपये देंगे। जो 100 बैड पहले से स्वीकृत हैं, जो राजस्थान की सरकार बजट देती है, वह सीटें खाली रहती हैं क्योंकि डाक्टर साहब रिकमण्ड कर देंगे, वह अस्पताल में पेशेंट चला जायेगा तो बार-बार दिखाने नहीं आयेगा, उसको फीस नहीं देगा।

हमारे सरकारी अस्पतालों में 4800 रुपये और निजी अस्पताल में 30,000 बैड पर हम देंगे, ये नीतियां हमारी क्या कहती है, सरकारी अस्पतालों में वह जाता है जो निजी क्लिनिक आप लोगों को लूटने के लिए हैं, उसमें नहीं जा सकता, राजस्थान की 77 प्रतिशत या 80 प्रतिशत जनता इन अस्पतालों में जाती है, वहां दवाई

(श्री अमराराम)

नहीं मिलती है और राजस्थान के 77 प्रतिशत ग्रामीणों की तो हालत यह है कि चाहे आप अस्पताल खोल दो, आयुर्वेदिक अस्पताल खोल दो, एक भी कर्मचारी या डाक्टर वहां रहते नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, असहाय हो गये है। 15,000 रुपये डाक्टर लेता है लेकिन गांव में नहीं जायेगा। ए.एन.एम. नहीं जायेगी, कम्पाउण्डर नहीं जायेगा। अध्यक्ष महोदय, हालत यह कि डाक्टर राजस्थान में तीन-तीन साल विदेश रहकर आ जाये और वापस आकर नौकरी पर आ जाये। ग्रामीण क्षेत्र में यह हमारी व्यवस्था हो गई है स्वास्थ्य की।

आज जो सड़कों की हालत है, आप कितना ही बजट चाहे स्वास्थ्य हो और चाहे पीने का पानी हो, जितना पैसा जितना बजट में अलाट हुआ है, क्या वहां तक पहुंच पाता है, निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकार की जो नीतियां थीं, आज क्या हालत है सरकार आने के चार महीने बाद भी? जो ग्रामीण सड़कें हैं उनकी हालत यह है कि राजस्थान की किसी भी ग्रामीण सड़क पर चल नहीं सकते; चलने की हालत नहीं है। सरकार बदल गई, चार महीने हो गये लेकिन किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में यह अहसास नहीं हो सकता सड़क के ऊपर कि सरकार बदल गई है। केवल सरकार बदली है, नाम बदले हैं लेकिन गांव की व्यवस्था नहीं बदली गई है इस लिए यह जो हालत आज बनती आ रही है, निश्चित रूप से जो लीकेज है, आज चाहे पी.डब्लू.डी. हो चाहे पी.एच.ई.डी. हो, जितना पैसा जाता है, उसमें जितना खरीद पर जो कमीशन का मामला है, चाहे सड़क पर हो, चाहे वह ग्रामीण विकास पर हो, इस तरस से हुआ है, उसके बाद बड़े दुखदायी हालात हैं ...

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त करें, अब भाषण समाप्त कीजिये।

श्री अमराराम (धोद) : मैं समाप्त कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। दूसरा वर्ग मजदूर है, मजदूरों के बारे में जो-जो उद्योग बन्द हुए हैं वित्त मंत्रीजी ने इस प्रोविजन में कहीं उनका नाम लिखा नहीं है। नौकरियों की बात करते हैं लेकिन आज शिक्षा के बाद आपने जो श्वेत पत्र जारी किया है कि आठ साल पहले ढाई लाख राजस्थान में रजिस्टर्ड बेरोजगार थे, वे पांच लाख हो गये। आपने पूरी व्यवस्था कर दी कि 77 प्रतिशत गांव में रहने वाले लोग 10वीं पास ही नहीं कर सकेंगे, नियोजन कार्यालय में नाम लिखाने लायक रहेंगे ही नहीं।

आज राजस्थान में 40000 लोग शिक्षक ट्रेनिंगशुदा है, शारीरिक शिक्षक है; 40000 ट्रेंड टीचर हैं उनको हम लगाने की बात नहीं करते। राजस्थान की सरकार ने 8वीं पास को लगाकर राजस्थान के पूरे ग्रामीणों को बरबाद करने की जो साजिश चालू की है तो मैं समझता हूं कि यह राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं है क्योंकि यह शिक्षा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें राजस्थान की सरकार को याद नहीं आता इसलिए यह जो शिक्षा का मद्दा

(श्री अमराराम)

बैठाने का काम किया है, राजस्थान सरकार ने, केबिनेट ने निर्णय किया है कि 5 वीं तक का तो पहले ही भट्टा बैठा हुआ था। स्कूल हम खोलेंगे नहीं, शिक्षण केन्द्रों के नाम से करेंगे और 8वीं स्कूल भी उन को दे देंगे और 8वीं स्कूल तक पंचायती राज में जो 5वीं तक का अनुभव है, 8वीं तक दे देंगे। तो कोई भी, 77 प्रतिशत ग्रामीण जनता का एक लड़का भी मैट्रिक में आने वाले समय में पास नहीं होगा और यह सबसे बड़ी साजिश राजस्थान की जनता के साथ है।

मैं समझता हूं कि आपने राजस्थान की ग्रामीण जनता का भारी बहुमत लिया है, अगर आप उसके साथ न्याय करना चाहते हैं तो शिक्षा पर, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसके साथ यह अन्याय नहीं करेंगे और जिनको 90 प्रतिशत देना है, लूटने के लिए जो छूट दे रखी है, उसमें आप प्रोविजन नहीं करेंगे तो जिनके वोट लेकर आये हैं, जिनका समर्थन लेकर आये हैं उनके साथ न्याय नहीं होगा। यह बात कहते हुए आप ने मुझे समय दिया, मैं इसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं इस बजट में सबसे पहले घोषित उस पवित्र प्रस्ताव के लिए आदरणीय वित्त मंत्रीजी को हार्दिक धन्यवाद देती हूं, जिसमें उन्होंने राजस्थान की कृतज्ञ जनता की ओर से अपने श्रद्धा स्पर्श, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति विनम्र श्रद्धा प्रकट करते हुए उनका मानदेय 1000 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रतिमाह करना सबसे पहले प्रस्तावित किया है। यह राजस्थान की नवगठित कांग्रेस सरकार की एक प्रेरक सोच का परिणाम है जिसमें कई सरकारों द्वारा बिना बात के विधायकों, सांसदों के वेतन भत्तों को ध्वनि मत से बढ़ाने की मनोवृत्ति के बजाय सच्चे आजादी के नींव के पत्थरों, स्वतंत्रता सेनानियों का सबसे पहले ध्यान रखा है। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पर सार्थक श्रद्धांजलि भेंट की है प्रेरणास्रोत पूजनीयजनों के सम्मान में यह वृद्धि हमारी युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा देगी। इस तरह हमने कृतघ्नता के पाप से बचाया जिसमें कहा जाता है :--

"वक्त गुलशन पे पड़ा तो लहू हमने दिया,
अब बहार है तो कहते हैं तेरा काम नहीं"

(16.18 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस तीन-चौथाई से अधिक बहुमत प्राप्त करके राज्य में सरकार बना सकी है। जनता के इस निर्णय ने कांग्रेस और अपने नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को लोकप्रिय भी प्रमाणित कर दी है किन्तु मैं सोचती हूं कि लोकप्रिय होने से ज्यादा अच्छा है लोक उपयोगी होना और अपने क्षेत्र के लिए जनहित कार्यों, प्रस्तावों में केवल प्रस्ताव ही लिये हैं, दफ्तरों

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

के अफसरों की मनुहार करते फिरना विधायकों की स्थिति को प्रभावहीन बल्कि उपेक्षणीय बनाता है।

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र में विभिन्न विकास के कार्यों के लिए स्वयं के स्तर पर निर्णय करके 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख का प्रोविजन करके हमें यह किंचित सार्थक पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इन प्रस्तावों के लिए सभी विधायकों की ओर से वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं कि इस प्रस्ताव से हमें थोड़ी हिम्मत बंधाई है कि हम क्षेत्र की प्राथमिक जरूरतों के लिए खुद भी निर्णयकारी पहल कर सकेंगे ताकि हम कहेंगे,

"लो अपनी फसलों को कुआं खोदकर सरसब्ज कर लो,
हाथ फैलाने से बारिश नहीं हुआ करती"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट में पेयजल विषयक प्रस्तावों के बारे में भी क्या निवेदन करूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र खानपुर का मुख्यालय कस्बा प्रदूषित जल के दुष्प्रभाव से पीलिया रोग के खतरनाक आतंक से ग्रस्त है। मेरे लिए तो यह प्रथम ग्रासे मक्षिका पड़ते जैसे हालात हो गये हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय के प्रस्तावित 1112 करोड़ 58 लाख रुपये व्यय किये जाने के प्रस्तावों के प्रति आशा भरी निगाहों से निहार रही हूं। प्रावधान है तो मेरे क्षेत्र को मानवीय करुणा के आधार पर प्राथमिकता भी मिलेगी। यद्यपि मूलतः प्रस्तावित नगरों में खानपुर का नाम नहीं है किन्तु जब यह बजट प्रस्ताव तैयार किए जा रहे थे तब खानपुर पर इस दुर्दिन की छाया भी नहीं पड़ी थी। लेकिन अब मालूम है सब को कि मेरी राहों में है आग लेकिन मुझे आशा है घटाएं भी यहीं होंगी। मुझे विश्वास है कि सत्र आरम्भ से ही खानपुर पर आ पड़ी पीलिया की त्रासदी को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के प्रावधानों में भी ध्यान रखा जायेगा।

मान्यवर, अर्थशास्त्री सड़कों को राष्ट्र की काया में रक्तवाहिनी कहकर महत्व देते हैं। इस बजट में सड़कों के रख-रखाव हेतु राशि का दुगना किया जाना भी हमें आशान्वित करता है कि विधान सभा क्षेत्र खानपुर जैसा उपजाऊ क्षेत्र, जिसको हाड़ौती सम्भाग की अन्नपूर्णा कहा जाता है, इस दुगने प्रावधान से काली चिकनी मिट्टी वाली दुर्गम ग्राम पंचायतों के लिए सहानुभूति को यथार्थ में सम्भव भी बनायेगा। महिला कल्याण, बाल विकास के लिए बजट में प्रस्तावित प्रावधान सरकार के कल्याणकारी कार्यों को पूर्ण करने की श्रेणी प्रदान करते हैं जिसमें निशक्त, अशक्त छात्राओं, निराश्रित विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं के संरक्षण की सुविधाओं में वृद्धि करके सच्ची लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था का संकेत दिया गया है। इसी तरह 1999 के विश्व वृद्धावस्था के संदर्भ में सहायता राशि के दुगने प्रावधान हैं, जिसने हमारी सरकार को यश और सफलता के लिए बुजुर्गों के आशीर्वाद का पात्र बनाया है।

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

मैं सम्माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा सरकार के लिए अर्जित इस सदाशयता पर बधाई देना चाहती हूं। मैं सदन के लिये समय के कारण अपनी सम्पूर्ण विनम्रता से शासन को धन्यवाद देते हुए पुनर्गठित, कांग्रेस सरकार के यशस्वी और सार्थक लोक हितकारी संचालन के लिए मंगल कामना करते हुए प्रस्तावित सार्थक एवं रचनात्मक सोच के प्रस्तुत बजट के लिए आदरणीय वित्त मंत्री महोदय को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद इन शब्दों में देती हूं-कुछ लोग दिखाकर हमें सपने चले गये, इस बार हम संकल्पों को साकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुचित्रा आर्य।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट के समर्थन में बोलती हुई मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कम से कम याद तो किया और उनकी याद में; उनके सम्मान में कम से कम उनके पैसे में भी बढ़ोतरी की जिन्होंने देश को आजाद कराया और जिन्होंने प्रजातंत्र दिया। उन्होंने उनको जो सम्मान दिया उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि राज्य में उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों की बड़ी मांग है। उसमें एक हजार प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जायेगा। चार सौ उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि बी.जे.पी. की सरकार ने तो इस शिक्षा को बिलकुल बेच दिया था। जो भी कोई पांच लाख रुपये जमा कराता था उसके लिए तो यह स्कूल दे दिया करते थे वरना अगर पांच लाख रुपये जमा नहीं कराते तो स्कूल देने का कोई मतलब ही नहीं था। और प्राथमिक विद्यालयों के बारे में मैं आपको कहना चाहूंगी, यह साक्षरता की बात करते थे; साक्षरता के अन्दर करोड़ों रुपये इन्होंने खराब कर दिये लेकिन प्राथमिक जो स्कूल थे उन स्कूलों के अन्दर इन्होंने एक मास्टर भी देने की कभी कृपा नहीं की। इनके आठ सालों के टाइम के अन्दर सारी बिल्डिंग्स आप प्राथमिक विद्यालयों की देखेंगे तो जर्जर पड़ी हुई है, बच्चों के ऊपर चाहे ईंट पड़े, चाहे पत्थर पड़े, इन्होंने कभी दस साल के अन्दर देखने का कष्ट ही नहीं किया और न वहां आपको एक मास्टर मिलेगा।

अगर कहीं मास्टर है तो वह केवल वहां पर दारू पीने के सिवा कोई काम नहीं करता है। वहां दारू की बोतल आपको सुबह ही खुली हुई मिलेगी और शाम को पीकर वह घर आ जाता था। लेकिन शिक्षा के बारे में, बच्चों के बारे में कोई ध्यान देने की जरूरत ही नहीं थी। हालात तो इनके यह थे।

(श्रीमती सुमित्रा आर्य)

पीने के पानी के बारे में मैं क्या बताऊं 90-91 के अन्दर जब मैं एम.एल.ए. थी तब थोड़ी सी स्थिति मैंने सुधारी थी। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि विज्ञान इतना आगे पहुंच गया कि लोग तो चन्द्रमा पर जाकर बैठ गये और मेरी तहसील नोहर के जो लोग हैं आज भी एक-एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। यह हालत है और आज भी हालात यह है कि मैंने पैंतालीस गांवों की लिस्ट बनाकर माननीय पीएचईडी मिनिस्टरजी को दी थी कि आप देखिये कि दस साल के अन्दर जो ढांचा खराब हुआ है, कम से कम आप तो सुधारिये। अब बंदी होने वाली है, हो गई चार तारीख से और हालत वहां इतनी गड़बड़ायेगी कि लोग त्राहि-त्राहि करेंगे। आज भी वहां तीन सौ रुपये की एक टंकी आती है। बड़े शर्म की बात है।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि उस स्थिति को भी देखें और मैं आपको यह जो गांव हैं, इन गांवों के नाम पढ़कर बताना चाहूंगी। ललनासर, सोरासर, भाडम, गनियासर, रतनाजेसर, टूदली, थयासर, थणियासर, उलटासर, बीजासर, कल्लासर, रेकघानिया, ढाणी सेघान, ढाणी शायकान, सीरमसर, उदासर, भीरदेसर, थांधू, बोटेर, लूणासर, माइमा की ढाणी जो कि राजस्थान कैनाल के लगते हुए गांव हैं उसके बावजूद भी आप देखिये, पचास साल हो गये देश को आजाद हुए लेकिन अभी तक पानी नहीं गया है। और इसके अंदर मैं वित्त मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि कम से कम आप इस डिपार्टमेंट के अन्दर तो ज्यादा से ज्यादा पैसा देते जिससे कि राजस्थान के अन्दर कम से कम समस्या तो खतम हो वरना यह समस्या ऐसे ही रहेगी तो देश के हालात भी खराब होंगे क्योंकि हालत यह है कि बरसात होती नहीं भयंकर अकाल पड़ते हैं।

बिजली के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने बिजली को पूरी तरह से बेच दिया था। नर्सरी योजना के अंदर कोई गरीब आदमी बिजली का कनेक्शन नहीं ले सकता था। हमारे बिजली मंत्री ने, उनको ध्यान आया तो, यह नर्सरी योजना खत्म कर दी जिससे कि आम गरीब आदमी को बिजली मिल सकेगी। क्योंकि मेरी तहसील के अन्दर सौ गांव ऐसे हैं जहां आज भी बिजली नहीं है। बिजली जब तक नहीं जायेगी, पानी की समस्या नहीं हल हो सकती है।

इसलिए मैं बिजली मंत्रीजी से भी कहना चाहूंगी कि कम से कम उस नोहर तहसील की तरफ तो कृपा करके ध्यान दें जिससे कि उन गांवों के अन्दर बिजली जाये और पानी पहुंच सके। और इन्होंने आठ घण्टे जो बिजली दी है वास्तव में आठ घण्टे बिजली गई है, लोगों ने भी कहा है कि आठ घण्टे हमको बिजली मिली है। पहले वाली सरकार ने आठ घण्टे बिजली किसी किसान को नहीं दी।

सड़कें हमारा मुख्य माध्यम है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं कहना

(श्रीमती सुमित्रा आर्य)

चाहती हूं कि हमारे हनुमानगढ़ की ओर गंगानगर की सड़क जो सारी टूटी हुई पड़ी है, एक-एक फुट गहरे खड्डे हैं, जबकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू ये दोनों जिले देते हैं, उसके बावजूद भी आज तक चाहे दस साल बीजेपी की सरकार ने राज कर लिया और मैं अपने वाली सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगी, उन लोगों ने तो आंख मींच-कर राज किया, कम से कम आप तो आंखें खोलो जिससे कि वह सड़क ठीक हो। हम लोग जो ज्यादा रेवेन्यू देते हैं तो हम लोगों पर कृपा करो कि सड़कें ठीक हों। हम जाते हैं तो हमको महसूस होता है और लोग कहते हैं कि अब तो आपकी सरकार आ गई, अब तो कम से कम इसको ठीक करो। तो वित्त मंत्री महोदय, कम से कम इस सड़क के ऊपर ध्यान दीजिये जिससे कि वह सड़क ठीक हो सके। और मेरे यहां जो सड़कों की हालत है वह मैं आपके सामने कहना चाहती हूं कि स्टेट की दो सड़कें हैं, एक तो नोहर से पल्लू की सड़क बीच में पड़ी है, एक नोहर से साहवा जो कि जयपुर जाती है, वह भी सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, उसके ऊपर भी अभी कोई काम चालू नहीं हुआ है, न कोई उसके ऊपर पैसा मंजूर किया गया है और यही हालत नोहर से बेसाणा जाती सड़क की है, जो सिरसा जाती है वह रोड भी टूटी हुई है। कम से कम यह स्टेट की जो सड़कें हैं उनको तो जल्दी से जल्दी ठीक कराने की कोशिश करें।

अस्पतालों के बारे में कहना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने अस्पताल तो बना दिये लेकिन कहीं आपको डाक्टर नहीं मिलेगा और यह जो सरकारी दवाइयां गरीबों के लिए दी जाती है लेकिन वह गरीबों को मुहैया नहीं हो पाती और वह दवाइयां बड़े पैसे वालों को जो यह डाक्टर होते हैं वह चमचागिरी के अन्दर उन लोगों को दे देते हैं और गरीब आदमी एक-दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं।

सिंचाई के बारे में वित्त मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि सिंचाई की दरों में आपने भारी बढ़ोत्तरी की है। यह किसान पर अतिरिक्त भार है। यह आपने जो आबयाना लगाया है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि किसान गरीब है और गरीब किसान यह आबयाना बढ़ा हुआ नहीं दे सकते। मैं आपको एक मिसाल देकर कहना चाहती हूं कि सन् 1955 में किसान नेता चौधरी कुम्भारामजी आर्य ने अपनी एक कलम से बारां की खातेदारी किसानों को दे दी। क्या उनके पास कोई पैसा था? और नेहरु ने कहा, कैसे आएगा पैसा, तो उन्होंने कहा कि किसान कोई पैसा नहीं दे सकता। तो वैसी ही आपको एक मिसाल पैदा करनी चाहिए थी। और किसानों पर कम से कम जो आबयना लगाया है, जो यह सिंचाई पर दर बढ़ाई है उसको आपको वापस लेना चाहिए यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इसके ऊपर आप सहानुभूतिपूर्वक किसानों के ऊपर इस बात के बारे में सोचेंगे और इस बढ़ी हुई दर को आप वापस लेंगे।

सेम की समस्या के बारे में मैं कहना

(श्रीमती सुमित्रा आर्य)

चाहती हूं कि इस बजट के अन्दर सेम के बारे में आपने कोई प्रावधान नहीं रखा है। और अगर यह समस्या हल नहीं हुई तो हनुमानगढ़ और बीकानेर जिला, लूणकरणसर तहसील के कई ऐसे गांव हैं, रावतसर, यह सारे खतम हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे वित्त मंत्री महोदयजी, आप बात कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे है, आपको सहानुभूतिपूर्वक सेम समस्या के बारे में ध्यान देना चाहिए जिससे कि हनुमानगढ़ जिला बच सके क्यों कि वहां से रेवेन्यु आती थी और आजकल वहां फसल भी नहीं होती है। फसल आप बताइये कि यह नरमा कपास है वह होना बिलकुल बंद हो गई। पहले चावल होता था। चावल भी खतम हो गया वहां पर। इस बजट में आपको कम से कम शुगरमिल की बात रखनी चाहिए थी जिससे किसानों को फायदा होता और हनुमानगढ़ जिले के किसान बचते।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इसके ऊपर भी आप सहानुभूतिपूर्वक दुबारा से विचार करिये और हनुमानगढ़ जिले को बचाइये वरना यह हनुमानगढ़ जिले के किसान बरबाद हो जाएंगे। और वह कहते हैं न कि एक टाइम की रोटी भी नहीं मिलेगी इनको। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर भी आप सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिये। मैं यह राजस्थान कैनाल के ऊपर जो अलाटमेंट की बात है उसके बारे में आपसे कहना चाहती हूं कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में तीन लाख सतावन हजार हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया जाएगा।

मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इसमें प्राथमिकता भूमिहीन किसानों को देनी चाहिए। पहले भूमिहीन किसानों को दीजिये दूसरा जो वहां के लोकल लोग हैं उनको दीजिये तीसरे राजस्थान के लोगों को दीजिये, भूमि का आवंटन कीजिये और फिर अगर बचे तो बाहर वालों को। अगर आपको पैसा चाहिए, पैसे की कमी है तो बाहर वालों को तीसरे नंबर पर दीजिये जिससे हमारे भूमिहीन किसानों को फायदा हो सके और यहां का किसान बच सके। यह निवेदन करना चाहती हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय किरोड़ी लाल जी।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया और अब तक जो बहस सुनी, उस पर ट्रेजरी बैंचेज के जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनका एक ही लांछन लगातार है, जिस दिन से बजट भाषण चल रहा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तो सारा चौपट कर गई। सारे खजाने को खाली कर गई और राजस्थान राज्य को बहुत पिछड़े राज्यों में डाल दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का चालीस साल का जो राज रहा उस चालीस साल के राज में यह प्रदेश बीमारू

(डा. किरोड़ी लाल)

राज्य की गिनती में रहा और 1991-1992 से 1996-97 का जो 6 साल का समय भारतीय जनता पार्टी के राज का था।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस 6 साल के समय में औसतन सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि हुई 5.58%. की और उसके कारण राजस्थान आठवें स्थान पर आकर आया एक कीर्तिमान पिछली सरकार ने स्थापित किया। दो राज्य ऐसे हैं सबसे ऊपर औसत सकल उत्पादन वृद्धि की दृष्टि से या तो गुजरात है या सबसे नीचे बिहार है। 40 साल तक इस सरकार ने उसको बिहार की स्थिति में रखा और आज ये उसी स्थिति में ले जाना चाहते हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी का स्टेटमेंट पढ़ते है और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के कदमों पर चलना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की क्या हालत है जो बीमारू राज्य की गिनती है उसमें मध्य प्रदेश और बिहार भी बीमारू राज्य की गिनती में है।

मैं कहना चाहता हूं ट्रेजरी बैंचेज के माननीय सदस्यों से और वित्त मंत्री जी से अगर आप दिग्विजय सिंह के कदमों पर चले तो राजस्थान को भी आप मध्य प्रदेश की तरह बीमारू राज्य की स्थिति में ले जाएंगे। इस ढंग से अगर नकल करोगे तो इस राज्य को भी आप पिछड़ेपन में डाल दोगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत कहा गया कि राजस्थान को पिछड़ेपन की हालत में ले जाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है और उसने किसी प्रकार का विकास नहीं करा है। एक श्वेत पत्र जारी किया गया और उस श्वेत पत्र में आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा की गई और उस आर्थिक स्थिति का जिक्र किया गया लेकिन इन 8 सालों में राजस्थान का पिछड़ापन किस ढंग से दूर किया गया; कितने विकास के काम कराये गये, कितनी विकास की गंगा राजस्थान में लाई गई; किसानों को कितना आगे बढ़ाया गया और गरीबों को कितना आर्थिक स्थिति में आगे लाया गया। इस बात की चर्चा इस श्वेत पत्र में कहीं पर भी नहीं की गई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्वेत पत्र जारी करते समय सरकार ने इस बात का शोर मचाया कि बहुत कर्जा हो गया, ऋण बहुत ले लिया, राजस्थान को दिवालियेपन की स्थिति यह पिछली सरकार लाई पर मैं कहना चाहता हूं कि यह सब योजनाबद्ध तरीके से बैद जी और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने टैक्स बढ़ाने की दृष्टि से यह सारा हो-हल्ला मचाकर इतना भारी टैक्स राजस्थान की जनता पर लादा है कि राजस्थान की जनता सड़कों पर आ गयी है; त्राहि-त्राहि मचा रही है। हमारे शासन काल में और 40 साल के कांग्रेस के शासन काल का मैं छोटा सा वृतान्त आपके ध्यान में लाना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के चालीस साल के राज में मध्यम एवं वृहद उद्योग की 287 इकाइयां लगीं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के 8 साल के राज में 244 इकाइयां प्रस्थापित हुईं

(डा. किरोड़ी लाल)

हैं। मध्यम और वृहद सिंचाई के 3230 करोड़ का चालीस साल में खर्च हुआ और 8 साल में 10510 करोड़ हमारी सरकार ने खर्च किया। सड़कों पर 45,797 किलोमीटर की चालीस साल में बनाई और हमने 38,188 किलोमीटर पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा और 8690 किलोमीटर मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया है।

पेयजल पर चालीस साल में एक हजार छब्बीस करोड़ रुपये खर्च हुए और हमारे शासन काल में 2293 करोड़ रुपये खर्च करके पीने के पानी की समस्या का समाधान किया। चालीस साल में जो फ्लोराइड युक्त गांव थे उनके लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस के शासन में और हमने ऐसी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाकर उस फ्लोराइड की समस्या को राजस्थान से दूर किया। निर्यात की दृष्टि से 420 करोड़ रुपये 40 साल में और 3480 करोड़ रुपये 8 साल में। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से 79.81 लाख टन चालीस साल में और केवल 8 साल के राज में 130.90 लाख। कृषि पर बजट का हिस्सा चालीस साल में दो सौ करोड़ का और हमारे 8 साल में 1200 करोड़। शिक्षा पर बजट का हिस्सा 5 से 10% चालीस साल में और 8 साल में 25% हमारी सरकार ने खर्च किया।

प्रति व्यक्ति आय 1716 रुपये 40 साल में औसतन बैठती है और हमारे राज में 2247 रुपये औसतन बैठती है। प्रति व्यक्ति विकास व्यय 879 रुपये चालीस साल में कांग्रेस के राज में और 2616 रुपये आठ साल के भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ। चिकित्सा पर प्रति व्यक्ति पर कांग्रेस के चालीस साल में 57.42 रुपये और हमारे राज में 157.59 रुपये खर्च हुए।

समाज कल्याण में 10.50 करोड़ रुपये और हमारे राज में 42.51 करोड़ रुपये। कुओं के विद्युतीकरण के बारे में अभी बात चल रही थी। सामने से ट्रेजरी बैंच के सदस्य कह रहे थे 79000 करोड़ और हमारे यहां 1 लाख 22हजार करोड़। बिजली की उपलब्धता, उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के चालीस साल के राज में 30 बिलियन यूनिट बिजली पैदा हुई और हमारे राज में 61 बिलियन यूनिट बिजली पैदा हुई। सकल उत्पादन कांग्रेस के चालीस साल के राज में 3645 करोड़ टन और भारतीय जनता पार्टी के राज में 52488 करोड़ टन, बैठ को कितना अंतर है? हम ने इस ढंग से राजस्थान का विकास किया, राजस्थान को चौपट नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, हम आगे की तरफ ले गये, तेज गति से ले गये और खाद्यानों का औसत वार्षिक उत्पादन....

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : गेहूं का भाव क्या था आपके राज में ?

डा. किरोड़ी लाल : आप मंत्री है केबिनेट के, थोड़ा तहजीब रखो। आप पूछ कर बोलो।

(डा. किरोड़ी लाल)

कांग्रेस के राज में सातवीं पंचवर्षीय योजना तक 87 लाख टन और हमारे टाइम में 103 लाख टन। तिलहन का औसत वार्षिक उत्पादन 13 लाख टन चालीस साल में और हमारे टाइम में 20 लाख टन। कपास की औसत गांठों का उत्पादन 6 लाख गांठे और हमारे समय पर 11 लाख गांठें। रासायनिक खाद की खपत इनके समय में 28 लाख टन और हमारे समय में 30 लाख टन।

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : आपके विकास में आप ही डूब गये।

डा. किरोड़ी लाल : सिंचाई के फव्वारा सैटों की स्थापना की संख्या 31 सौ है और हमारे राज में 74 हजार का रिकार्ड कायम करके किसानों को भारी सुविधा हमने प्रदान की है। इसी ढंग से पिछले काम किये और इन्होंने क्या काम किया है? किसान विरोधी है, विद्युत शुल्क बढ़ा दिया, दोगुना कर डाला और सिंचाई के बारे में कहते हैं कि 17 साल तक नहीं बढ़ाया इसलिए हम सिंचाई की दर बढ़ा रहे हैं और जो हमने कर्ज माफ किये, हमारी तरफ के जो विरोधी पक्ष के सदस्य कह रहे थे, आपके इस राज में किसानों को पहले जो कर्ज माफ किये थे, उन कर्जों की वापसी के लिये नोटिस दिये जा रहे हैं, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह जो बाइबल है, मेनिफेस्टो है, इसमें आपने विवरण दिया है कि जो इन्डस्ट्रीज हैं, हम नई उद्योग नीति बनायेंगे और बेरोजगारी को दूर करेंगे। निवेश बढ़ायेंगे, नये-नये उद्योग खोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, नये-नये उद्योग खोलना तो दूर की बात जयपुर मेटल्स बंद होने जा रही है, जे. के. सिन्थेटिक्स को चालू करने की बात आपने कही थी उसके बारे में बजट में कोई इंडिकेशन नहीं दिया। आज सवाईमाधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री है, बड़े प्रचण्ड बहुमत में आये हो सुथा जी, आप अपने मुख्य मंत्री जी से कहो कि इसको चालू तो करो। हमने तो आठ सीट दी है तो इस बार एक मैं ही सीट लेकर आया हूं। आपको आठ सीट दी है उस हिसाब से चालू करके तो देखो। उपाध्यक्ष महोदय, मेनिफेस्टो में यह कहा कांग्रेस ने कि हम 44 से 60 की मजदूरी करेंगे। अभी तक इस बारे में बजट में वैद जी ने किसी भी प्रकार का इंडिकेशन नहीं दिया। आपने कहा यह मैंने बड़ी गहराई से पढ़ा है कि हम युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। पिछली सरकार ने खिलवाड़ किया पर हम खिलवाड़ करने वाले नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अकेले राजस्थान में 9 लाख बेरोजगार घूम रहे हैं। जब रोजगार मांगने गये, यहां माननीय सदस्य श्री महेश जोशी नहीं है और सहदेव जी नहीं है, जब आयुर्वेद कम्पाउंडर्स मंत्री महोदय के पास नौकरी मांगने के लिये गये, ज्ञापन देने के लिये गये, तो दोनों सदस्यों की उपस्थिति में उन पर लाठी प्रहार किया गया और 70 आयुर्वेद के बेरोजगार बच्चों को लाठी मार कर के घायल कर दिया।

(डा. किरोड़ी लाल)

इन्होंने नारा क्या दिया था कि हम हर हाथ को काम देंगे। हर हाथ को काम तो नहीं दिया लेकिन जब नौकरी मांगने गये, ज्ञापन देने गये तो हर हाथ को डंडे मार-मार कर तोड़ दिया। एक दिन सेक्रेटेरिएट गये। मुख्य मंत्री जी से मिलना चाहते थे। वे आयुर्वेद के बेरोजगार लोग थे। वहां पर सचिवालय में ज्ञापन देने तक के लिये नहीं घुसने दिया और उन पर भी लाठी प्रहार किया। यह सरकार कैसा बजट पेश करने जा रही है, किसका भला करना चाहती है? यह किसान का भला करना नहीं चाहती, मजदूर का भला करना नहीं चाहती, बेरोजगार का भला करना नहीं चाहती, रुग्ण उद्योगों को नहीं चलाना चाहती, नई उद्योग नीति घोषित करके कोई नये उद्योग नहीं लगाना चाहती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 31 मार्च को जो रिटायरमेंट किया 60 से 58 वर्ष की जो उम्र की है उससे यहां के बेरोजगार बंद जो से आशा लगाये बैठे थे कि जैसे ही इनको रिटायर करेंगे तो बजट में कोई इंडिकेशन देंगे कि 15 हजार जो लोग रिटायर हो रहे हैं इससे बेरोजगारों को किसी न किसी प्रकार की नौकरी निश्चित रूप से देंगे। लेकिन इन्होंने बजट में किसी प्रकार का प्रावधान इन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट में यह कहा कि हम ग्रामीण और पंचायतीराज का सुदृढीकरण करेंगे। पता नहीं कौनसा सुदृढीकरण करेंगे। परसों एक अखबार में छपा कि हमने कुछ और अधिकार दे दिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख उसको किसी प्रकार का अधिकार आज की तारीख में नहीं है, वह तो एक रबर की मोहर है। सारे प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार कलेक्टर के पास है। अभी ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में फंसे हुए इन्होंने बड़ा नारा लगाया कि हम इसका विकेन्द्रीकरण करेंगे और पंचायती राज को मजबूत बनायेंगे लेकिन मजबूत बनाने की जगह उल्टा उसको कमजोर कर डाला। चुनाव के बाद जो पद रिक्त हुए, एक तो जिला प्रमुख मैं बैठा हूं, एक कृपलानीजी, एक डाक्टर जसवन्त जी, एक डाक्टर रतन लालजी, चार-चार जिला प्रमुख इलेक्ट हो कर आये हैं। चारों जिला परिषदों के चुनाव की घोषणा सरकार ने कर डाली। पर चूंकि बहुमत भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का था इसलिए इन्होंने एक बार चुनाव घोषणा करने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, आदेश क्या निकाला है ग्राम पंचायती राज में कि:–

"उपरोक्त विषय में लेख है कि विभागीय पत्र फलां-फलां सुजानगढ़–चूरू के रिक्त पद पर चुनाव करवाये जाने के निर्देश दिये गये थे परन्तु राज्य सरकार द्वारा उप चुनाव से संबंधित कानूनी कठिनाई के निराकरण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श किया जा रहा है। अतः उक्त चुनाव करवाये जाने हेतु जारी निर्देशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।"

(डा. किरोड़ी लाल)

इस तरह चार पंचायत समिति, चार जिला परिषदों के लिये 28 तारीख तय की थी और उन सबको इन्होंने निरस्त कर दिया और निरस्त इसलिए कर डाला कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अधिक सदस्य थे। इनका किसी प्रकार से कोई जिला प्रमुख चुनकर आने वाला नहीं था। अभी क्या हालत हुई है। परसों करौली चुनाव था। जनार्दनजी बैठे हुए हैं, रामस्वरूपजी भी हैं, चालीस सदस्य चुनकर आये हैं। चालीस-चालीस और जब वहीं मतदान हुआ तो केवल 14 रह गये। बाल-बाल बचकर कांग्रेस आई है। 7-8 तो भाग कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गये और कहने लगे कि यह किसान विरोधी है, श्रमिक विरोधी है इसलिए हम इस कांग्रेस में ज्यादा नहीं रहना चाहते। हम तो आपके साथ ही रहना चाहते हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : बी.जे.पी. की नीति है माफियाओं को, जिन्होंने खरीद-फरोख्त की राजनीति की उन लोगों को टिकट दी। बी.जे.पी. की दुकान में तो माल था ही नहीं। तीन लोग जीत कर आये थे उसमें से भी एक हमारे पास आया है। इसलिए माफ कीजिएगा आपके पास कुछ नहीं है; दुकान खाली पड़ी थी। आप तो ऐसा किया कि कौन गुंडागर्दी कर सकता है, कौन खरीद-फरोख्त कर सकता है उसके हाथ में टिकट पकड़ा दिया आपने तो। क्योंकि आपकी दुकान में कुछ नहीं था (व्यवधान)

श्री नन्दलाल : ..कि जिला परिषद के जो सदस्य चुने हैं उन्होंने कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया है। उनके विरुद्ध मुख्यमंत्री जी से मिलकर कानूनी कार्यवाही करवायेंगे, अनुशासनात्मक कार्यवाही करवायेंगे। यह क्या साबित करता है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय मीणा जी।

श्री जनार्दन गहलोत : आपको कुछ मालूम नहीं है, किरोड़ी लालजी को पूरा ज्ञान है। और वे सवाईमाधोपुर और करौली से अच्छी तरह से जानते हैं। इन की आत्मा अन्दर से जानती है कि कैसी खरीद-फरोख्त हुई है। इनको अच्छी तरह मालूम है। लेकिन वे तो वहां बैठे हैं इस लिए बोलना ही पड़ेगा इनको।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, महेश जी आ गये, उनको पता है उनके सामने जवानों पर लाठियां चली थी जब नौकरी मांगने गये थे। ये वहीं पर थे आयुर्वेद मंत्री भी वहीं पर थी। इनकी उपस्थिति में लाठियां पड़ी और 70-80 लोगों को सवाई मानसिंह स्टेडियम में इनका स्वागत किया, 50 हजार रुपये खर्च किये, बेचारे प्रदेश भर के बेरोजगारों के इनकी उपस्थिति में लाठी पड़ी। इनको पता है।

श्री महेश जोशी : माननीय सदस्य, आपकी जानकारी गलत है। मेरे सामने कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, मेरे सामने किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ

(श्री महेश जोशी)

ग्रौर न मैं इनके, माननीय मंत्री महोदय के घर पर गया था। मेरा इन्होंने जो स्वागत किया, वो प्रोग्राम था वह सारा एस.एम. एस. ग्राडिटोरियम में था। ग्रौर यह जो घटना आप बता रहे हैं, यह माननीय मंत्री महोदय के घर की है। इसलिए मुझे बीच में ग्राप न डालें।

डा. किरोड़ी लाल : महेशजी, वह ग्रापके कार्यक्रम में चीफ गेस्ट तो थी माननीय मंत्री महोदया। खैर मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ग्रधिकारों की बात है। ग्रभी पंचायती राज से एक ग्रादेश निकला। एक सरपंच के मामले में स्टे था ग्रौर स्टे होने के बाद भी इन्होंने यहां से एक ग्रादेश निकाला है कि प्राथमिक जांच चूंकि मुख्य कार्यकारी ग्रधिकारी, दौसा के निर्देश पर की गयी थी; विस्तृत जांच स्वयं मुख्य कार्यकारी ग्रधिकारी, दौसा द्वारा की गयी वह न्याय के सिद्धांत के विपरीत व प्रतिकूल प्रतीत होती है। एक सरपंच को निकाल दिया, सस्पेण्ड कर दिया, उस पर कोर्ट का स्टे था। कोर्ट का स्टे होने के बाद ये क्या लिखते हैं श्रीमती मिश्री देवी, ग्राम पंचायत ठिकरिया, पंचायत समिति सिकरीय केवल कार्यवाहक सरपंच है, उनका मूल पद उपसरपंच का है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा द्वारा दिये गये ग्रादेश का पूर्ण सम्मान करते हुए जिस सरपंच को निकाला गया था, उसको सरपंच पद पर बैठाया जाता है। यह है, ग्रापके यहां के मंत्री क्या क्या ग्रादेश करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों के बारे में बात चली है कर्मचारी सरकारी, गैर-सरकारी ऐसा नहीं बचा जो, उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स के घर में न ग्रा गया हो ग्रौर ग्रब वह सड़कों पर ग्राने वाला है ग्रौर मैं परसों परले रोज उठाने वाला था, ट्रांसफर किस किस ढंग से हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ट्रांसफर की तावड़तोड़ डिजायर इतनी भारी तादाद में लिखी जा रही है ग्रौर ट्रांसफर के ग्रलावा ग्रौर कुछ इनको दिखायी नहीं दे रहा। उपाध्यक्ष महोदय, 6 हजार से भी ग्रधिक ...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुग्रा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घन्टे ग्रौर बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

डा. किरोड़ी लाल : बड़ी कृपा हुई, मुख्य सचेतक महोदय।

6 हजार से भी ज्यादा ट्रांसफर कर डाले लेकिन ट्रांसफर कैसे किये, उपाध्यक्ष महोदय, एक मरे हुए का प्रमोशन कर दिया जो स्वर्गवासी हो चुका है उसका प्रमोशन कर दिया ग्रौर एक डाक्टर यहां पर गांधी नगर में काम करता है, एम.जी. जाट;

(डा. किरोड़ी लाल)

उसको रिटायर बताकर उसकी जगह दूसरा डाक्टर लगा दिया जब दूसरा डाक्टर जोइन करने गया तो उन्होंने कहा, भाई, मैं तो अभी रिटायर नहीं हुआ, यहां कहां पर आ गये ? तो कहा कि चल हट, मेरा तो ट्रांसफर हो गया। मेरे आर्डर के हिसाब से तो आप रिटायर हैं। इस ढंग के ट्रांसफर कर दिये। एक हैड मास्टर को रिटायर बताकर दूसरे हैड मास्टर को लगा दिया। यह ताबड़तोड़ ट्रांसफर करके और आपने मार्फर में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले को उठाना चाहता था, विज्ञप्ति जारी की जा रही है कि हमारे पास आ जाओ, खुले में आ जाओ थैली ले के आ जाओ, चिन्ता करने की जरूरत नहीं है, होटलों में जगह-जगह कारखाने खोल रखे हैं और एक अनिश्चितता की स्थिति सरकारी कर्मचारियों में पैदा कर रखी है। भ्रष्टाचार का आलम इतना जबरदस्त इन्होंने कर डाला, उपाध्यक्ष महोदय कि बड़ा परेशान है सरकारी नौकर।

उपाध्यक्ष महोदय, एक इंजेक्शन होता है एक्सीटोसिन उसको जब लगाते हैं, चाहे बकरी को लगा दो, चाहे भैंस के लगा दो, चाहे गाय के लगा दो, एक बूंद नहीं बचती सारा दूध बाहर आ जाता है। वैद जी ने इंजेक्शन जारी किया, टैक्सीटोसिन उस इंजेक्शन को इन्होंने सब जगह लगा दिया। कहीं पर भी एक पैसा नहीं बचा सब की जेब से निकालकर इनकी जेब में आ जाने वाला है। किसी तबके को वैद जी ने नहीं छोड़ा कि जहां पर टैक्स नहीं लगाया चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, दोनों तरह के वेतनभोगियों पर लगेगा, रक्त पर तो पहले ही लगा दिया, वकीलों पर लगा दिया, कर सलाहकारों पर लगा दिया, चिकित्सकों पर लगा दिया, आर्किटेक्ट पर लगा दिया, इंजिनियरों, दलालों, ठेकेदारों, स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों, कम्पनी निदेशकों, लेखकों, सम्पादकों, कलाकारों, केबल आपरेटर, विडियो, आडियो, पार्लरों, एस. टी डी. बूथों, ट्रांसपोर्ट परमिटधारियों, मेडिकल लेब, ब्यूटी पार्लर, धन का लेन देन करने वाले लाइसेंसधारियों, हैल्थ क्लब हो, नर्सिंग होम, निजी अस्पताल, निजी कोचिंग प्रशिक्षण संस्थान, ट्रेवलिंग एजेंट और सभी व्यावसायिक संस्थाओं पर, किसी को नहीं छोड़ा। ऐसे 30–35 लाख लोगों पर इन्होंने टैक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा दिये, वैद जी ने। एक ही दिन में लगा दिया, पता नहीं कितने डाक्टर लगाने पड़ते जब वह इंजेक्शन लगता पर एक ही इंजेक्शन ऐसा लगा है कि सब, उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों पर आ रहे हैं।

अब परीक्षा में जो पेपर आउट हुए, लगातार 22 से लेकर 30 तक और आज तक कल भी डकैती पड़ गयी। पहले तो कहा कि चोरी के बंडल फैंके, लूट हुई, अब डकैती पड़ गयी और कह रहे हैं कि डेढ़ दो करोड़ रुपये हमारा इसमें खर्च हो गया। अब परीक्षा शुल्क बच्चों पर लगा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, उन बच्चों का क्या दोष है। उन बच्चों के माता-पिता का क्या दोष है जिन पर परीक्षा शुल्क यह लगाने

(डा. किरोड़ी लाल)

के लिए जा रहे हैं? राजस्थान उद्योग मण्डल का तो कहना है कि एक हजार रुपये से कम आय वाले व्यक्ति को भी वर्तमान सरकार ने टैक्स लगाये बिना नहीं छोड़ा और उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स फ्री काहे पर किया? एक तो बुर्का पर किया और एक तुलसी की माला पर किया। और यह संदेश दे दिया है कि बुर्का पहन कर बैठे बैठे तुलसी की माला फेरो। बस यही कांग्रेस का राज है। यह संदेश बैद जी ने जनता को दिया है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : किरोड़ी लाल जी इस पर तो माफ किया है।

डा. किरोड़ी लाल : पंडित जी यही तो किया है, साहब।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : इस पर माफ कर दिया।

श्री जनार्दन गहलोत : ऐसा है भगवा तो पहनते ही हो। अब कंठी और पहन लो।

डा. किरोड़ी लाल : मैं गहलोत जी, यही कह रहा हूं कि आपने बुर्का पहन कर राजस्थान की जनता को हाथ में कंठीमाला देकर बस भजन फेरो बाकी कुछ नहीं करना।

श्री सी.पी. जोशी : अयोध्या मत भजना बाकी सब करना।

डा. किरोड़ी लाल : अगर आप तैयार होंगे तो ले जायेंगे पर कोई नाथद्वारा में जाय शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी तो उसको मना मत करना दर्शन करने के लिए। आपके राज में बड़ा लाठी चार्ज हुआ है; नाथद्वारा के मन्दिर में आपके राज में दर्शन करने के लिए शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को नहीं जाने दिया।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, आपका समय केवल 5 मिनट बचा है। जल्दी समाप्त करिये।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय; न्याय और कानून की व्यवस्था कितनी जबरदस्त बिगड़ गयी। इन्होंने कहा कि पुलिस के पुनर्गठन के लिए 20 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को यह बड़ा अपर्याप्त लगता है क्योंकि जिस ढंग से वारदातें इन दिनों बढ़ रही हैं और जिस तेजी से कांग्रेस का राज आने के बाद में वारदातें बढ़ी हैं, उससे लगता है कि इसका सुदृढ़ीकरण तो आवश्यक है। वित्त मंत्री जी ने बजट का प्रावधान तो रख दिया लेकिन इनकी फौज कैसी है, हिजड़े पकड़े गये, वह फरार हो गये। हिजड़े फरार हो गये इससे बड़ी शर्म की कौनसी बात होगी। 153 सदस्य बैठे हों, प्रचंड मत हो और हिजड़े फरार हो जायं, इससे बड़ी +++ शर्म की बात तो कांग्रेस के राज

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

में भी नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष महोदय, फर्जी टिकट लेकर लोग क्रिकेट देखते रहे और असली टिकट लेने वाले बेचारे डंडे खाते रहे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय यहां हम मर्द हैं इसलिए नपुंसकों पर हथियार नहीं उठाते।

डा. किरोड़ी लाल : चलो बहुत अच्छी बात है। आप हिजड़ों को फरार होने दो; नपुंसकों पर हथियार नहीं उठाते तो परसों जब महिलाएं गयी थीं वहां खेड़ली के कांड में अशोक गहलोतजी से मिलने के लिए, तो उनके साथ बदसलूकी, धक्का-मुक्की क्यों की? हरिसिंह जी थोड़ा बता दें। कम से कम महिलाओं पर तो आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए। इस तरह ध्यान रखना चाहिए।

श्री जनार्दन गहलोत : लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद नहीं है कि भंवरलाल जी के शहर में इनके राज में ही ट्रांसपोर्ट नगर में हिजड़ों के साथ बलात्कार हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आपको बोलने का समय मिलेगा, आप विराजो।

श्री जनार्दन गहलोत : औरतों पर बलात्कार तो सुना है लेकिन इनके राज में तो इनके ट्रांसपोर्ट नगर में हुआ, वहां बलात्कार हिजड़ों के साथ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह हिजड़ों के साथ बलात्कार करने वाले कौन थे?

श्री जनार्दन गहलोत : +++

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था की हालत क्या हुई है कि जहां पर मुख्य मंत्रीजी रहते हैं, जोधपुर में एक जिला शिक्षा अधिकारी के अनेकों टुकड़े करके बोरी में डालकर, कुए में डाल दिया। और उसकी जांच कुछ नहीं हुई और कोई प्रोग्रेस नहीं और मुख्य मंत्रीजी जोधपुर से जयपुर आ गये तो मुरलीपुरा में उनकी नाक के नीचे डकैती पड़ गयी। उसका भी कोई पता नहीं लगा। यह कानून की स्थिति है इनकी और हम खेड़ली में एक महिला के लिए न्याय मांगने के लिए गये तो गोली चलाकर एक युवक को मार दिया, अनेकों को घायल कर डाला। इस ढंग से इन्होंने जो मारने का कृत्य चालू किया है, राजस्थान की जनता आपको कभी माफ नहीं करने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मैनिफेस्टो में लिखा है, मैंने पढ़ा है। हां, मेरे पास है, यह बाइबल है। मेरे पास यह बाइबल है। इस बाइबल में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी थी जो डी.आई.जी.

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

टंडन को गिरफ्तार नहीं कर सकी। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिस ने प्राइमाफेसी दोषी पाने के तुरन्त बाद डी.आई.जी.टंडन को गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस की सरकार थी जिसने उसको नेपाल में शरण दे रखी है। आपने मेनि–फेस्टो में स्पेशल लाइन लिखी है, हां हां, इसमें लिखा हुआ है। गहलोत साहब, इस में लिखा हुआ है। अगर दम है तो टण्डन को गिरफ्तार करके लाओ। एस टी. की महिला के साथ रेप हुआ था, थोड़ा करके दिखाओ। सारे के सारे इम्पोटेंट मत बनो। हरिसिंहजी ने कहा हम इम्पोटेन्ट पर हाथ नहीं उठाना चाहते। वह डी.आई.जी. तो पोटेंट था, वह तो इम्पोटेंट नहीं था, जरा कार्यवाही कराएं।

(17.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं हुआ, बोर्ड के पर्चे आउट हो गये। जो दूदू का सुनारिया गांव है, और कोटा का जो गांव है, उसमें एस.सी. की बरात और दूल्हों पर पत्थर फेंके। पहले तो जब कुछ थोड़ासा भी हो जाता था तो ये हल्ला मचाते थे। अब तो आपको प्रचन्ड मत दिया है, बहुमत दे दिया है। मैं आशा करता हूं कि एस.सी. और एस.टी.के लोगों के साथ आपके राज से अत्याचार नहीं होना चाहिए। इस ढंग का कोई इंडीकेशन नहीं है कि किसी के साथ कोई अत्याचार हो गया तो हम किस प्रकार की मदद उनको करेंगे। (व्यवधान)

हरिसिंहजी, जल्दी मत करो, समय सीमा...हिन्दुस्तान में ऐसा कहीं नहीं हुआ जहां कश्मीर को नक्शे से उड़ा दिया गया हो। राजस्थान में हुआ है और मुख्य मंत्री जी की नगरी में हुआ है। जोधपुर में हुआ है कि वहां कश्मीर का अस्तित्व ही मिटा दिया। नक्शे में कश्मीर नहीं है। कितना दुःसाहस अपराधियों का हो गया कि नक्शे से उड़ा दिया। और इसमें ध्वज में क्या दिया? ध्वज में दे दिया चांद-सितारा, जो पाकिस्तान के ध्वज में लगे हैं। कितनी शर्मनाक घटना है। राष्ट्रीय अस्तित्व का सवाल है। राष्ट्र की सीमाओं को तोड़ दिया, बिगाड़ दिया। अपराधियों का साहस इतना बढ़ गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि समय रहते हुए, अगर इन स्थितियों पर कण्ट्रोल नहीं किया तो बजट की दृष्टि से, चाहे सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से, कितना भी पैसा बजट में रख लें, पर जनता की, अगर वास्तव में लोक कल्याणकारी नीतियों पर यह सरकार नहीं चली, तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरकार विफल होकर जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक अखबार में पढ़ा कि गहलोत जादु-गरी कर सकते हैं। अब जो जादुगरी की, सोनियाजी आयीं, सभा की। सभा बड़ी विफल रही है। मैंने मेरा इलाका देखा है। उधर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर,

(डा. किरोड़ी लाल)

इधर दौसा 1-1, 2-2 बसें आयी थीं और यहां से जो बसें करके ले गये, उपाध्यक्ष महोदय, करौली से 2 बसें आयी थीं, महुवा से एक बस आयी....

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक): महुवा से 10 और 24 जीपें आयीं।

डा. किरोड़ी लाल : यह सारा असत्य हारगेट है।

श्री हरिसिंह : नहीं, बिलकुल सही है।

श्री रामस्वरूप मीणा : टोडाभीम के नादोती से मिलाकर के दसों बसें आयी थीं।

डा. किरोड़ी लाल : फिर भी आप मंत्री नहीं बने, फिर भी आपको मंत्री नहीं बनाया।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं तो मंत्री बन जाऊंगा, आप चिन्ता मत करो।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, और इन्होंने क्या किया? जब इनके पास किराया मांगने के लिये बस वाले चले गये तो लाठियां मारीं, और उनको उठा-उठाकर जेल में बंद कर दिया कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ी हम से किराया मांगने की। यह स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) हां, हां, यह जयपुर में हुआ है। रोड ब्लाक किया है मिनी बस वालों ने, और पैसे की जगह इन्होंने जेल के सींखचों में भेजा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बजट पेश किया है, यह श्वेत पत्र नहीं, यह तो काला पत्र है जो हमारे राजस्थान की जनता का, श्रमिक विरोधी है। It is a Black Paper. It is a Black Paper. ये बसपा वाले कह रहे हैं कि जारी करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इनको तो मौका ही नहीं मिलने वाला है। इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर मौका मिल गया तो बहुत अच्छा है। आप कांग्रेस के खिलाफ ब्लेक पत्र जारी कर देना। इस ब्लैक लेटर में, मैं कहना चाहता हूं और इसका विरोध करना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से श्रमिक विरोधी है, यह पूरी तरह से किसान विरोधी है। इस बजट में रोजगार देने का कोई इंडीकेशन नहीं है। इस बजट में पुलिस को सुदृढ़ करेंगे, कानून की व्यवस्था कैसे सुधारेंगे, इसका कोई इंडीकेशन नहीं है। शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई इंडीकेशन इस सरकार के द्वारा और इस बजट के द्वारा, चन्दनमलजी के द्वारा नहीं दिया गया है। एक ही, एन्ट्री टैक्स, परीक्षा टैक्स, व्यवसायिक टैक्स, टैक्स ही टैक्स, टैक्सीटोसिस के इंजेक्शन लगा-लगाकर के जनता का सारा खून निकालने का, सारा दूध निकालने का, खून पसीने की कमाई को पीने का काम इस कांग्रेस के राज में इस बजट में किया है। इस बजट को मैं खिलाफत करता हूं और यह बजट जन-विरोधी है। ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विजय लक्ष्मी।

श्रीमती विजयलक्ष्मी बिश्नोई (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1999–2000 के बजट के बारे में अपने विचार पेश करना चाहती हूं। यह बजट बहुत ही संतुलित और जनोपयोगी है। इन कठिन परिस्थितियों में जब हमारी सरकार इतने कर्ज के तले दबी हुई थी, हमारे वित्त मंत्री ने बहुत गहराई से अध्ययन करके यह बनाया है जिससे उद्योग–धन्धे पनपेंगे और रोजगार बढ़ेगा। साथ ही गरीबों को यथा-सम्भव टैक्स से बचाया गया है। तो यह बजट सही मायने में संतुलित है और हमारे वित्त मंत्रीजी चन्दनमलजी की तुलना टोडरमल से करें, जो मध्यकालीन युग में राजस्व पर आथोरिटी थे, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि आज की तारीख में राजस्थान में इनसे ऊंची वित्त पर कोई आथोरिटी नहीं है।

यह सही है कि कर देना सबको बुरा लगता है और सुविधाएं मांगना सबको अच्छा लगता है। लेकिन जैसे बिजली की ही बात ले लीजिए। बिजली पर जो टैक्स बढ़ाया गया है, उसके बारे में, मैं आपको कहना चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या पहली दफा बोल रही हैं। आप थोड़ा शान्त रहिये।

श्रीमती विजयलक्ष्मी बिश्नोई : बिजली के बारे में कहना चाहती हूं कि हम लोग जिनके पास यह कनेक्शन है, वे तो नहीं चाहते कि कर बढे लेकिन हमारे लाखों भाई-बहन, जो इस मूलभूत सुविधा से वंचित हैं हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि बिजली बोर्ड घाटे में चल रहा है तो नये कर लगाये बिना नये कनेक्शन देना सम्भव नहीं है। तारों के और खम्भों की कीमतें बढ़ चुकी हैं और कर्मचारियों तथा अधिकारियों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में कर लगाना वाजिब है।

इसके सिवाय मैं यह भी बताना चाहूंगी कि जैसे कि अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था, एक करोड़ का घाटा उठाकर किसान को 8 घण्टे बिजली देंगे; सरकार ने अपना यह वायदा निभाया है। साथ ही सूरतगढ़ ताप बिजली घर की जो नयी इकाई है वह अक्टूबर, 2000 तक शुरू होने वाली है। सूरतगढ़ ताप बिजली घर को हजार मेगावाट क्षमता का बनाया जाएगा। इससे हमारा विद्युत संकट काफी कम होगा। साथ ही 700 गांवों के विद्युतीकरण का जो लक्ष्य है, उसके लिये भी हमें इस बजट का स्वागत करना चाहिए।

जहां तक सिंचाई की बात है तो इस पर जो टैक्स बढ़ाया गया है वह 17 साल के बाद बढ़ाया गया है और हमारी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उन के रख–रखाव की लागत में भारी वृद्धि हो गई है तो ऐसे में रुचिकर नहीं लगता लेकिन फिर भी यह टैक्स बढ़ाना जरूरी हो गया था। वैसे हमारी नोहर से आने वाली विधायक महोदया ने, जैसा कि कहा कि सिंचाई पर यह टैक्स बढ़ाकर किसानों के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन सिंचाई पर जो टैक्स बढ़ाया गया है, वह वाजिब है क्योंकि जो किसान नहरी

(श्रीमती विजयलक्ष्मी बिश्नोई)

सिंचाई करता है उसका खर्च एक एकड़ पर करीब 25 रुपया आता है। अगर यही सिंचाई बिजली द्वारा कुएं से की जाए तो इसका 6 गुना, करीब 150 रुपये आता है। और अगर डीजल से कुएं द्वारा सिंचाई की जाए तो करीब 15 गुना ज्यादा, 375 रुपये आता है।

तो इस तरह से जो नहरी सिंचाई किसान करता है उसको अपेक्षाकृत सिंचाई सस्ती पड़ती है। हमारी सिंचाई प्रणाली करीब सवा–डेढ़-सौ वर्ष पुरानी है। उस समय भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक थे और इसकी समस्त जनसंख्या 20–22 करोड़ थी। लेकिन अब भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ गयी है और हमें हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं, इनके पानी को फल, सब्जी, फसल और चारे के लिये काम में लेना चाहिए।

अन्य कामों के लिये जल के अन्य संसाधन जुटाने चाहिए। हमारा भूमिगत जल का स्तर गिरता जा रहा है और कुछ ही वर्षों में यह लगभग समाप्त हो जाएगा। हमें परम्परागत जल स्रोतों जैसे कुएं, बावड़ी और तालाबों के केचमेंट एरिया को बढ़ाना चाहिए और भविष्य के लिये वाटर हारवेस्टिंग करना चाहिए। जल का संग्रहण और संरक्षण आवश्यक है। वैसे एक इंच बरसात होती है तो एक एकड़ में करीब 25 हजार गैलन पानी बरसता है जो काफी है। लेकिन इसके भण्डारण की आवश्यकता है।

ऐसी स्थिति में फव्वारा प्रणाली और बूंद–बूंद सिंचाई कार्यक्रम का हम स्वागत करते हैं। बजट में आगामी वर्ष में 20 हजार फव्वारा सैट्स लगाने के लिये अनुदान देने का लक्ष्य है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष में 6 हजार गांवों को और बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका भी हम स्वागत करते हैं। पेयजल की बात आई है तो मैं दो शब्द जी.एल.आर. के बारे में कहना चाहूंगी जो कि ग्राउण्ड लेवल रिजरवायर हैं, ये हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में बने हुए हैं। ये कामयाब नहीं हैं क्योंकि इनमें बहुत लम्बी दूर से पाइप्स आते हैं जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और साथ में इन पर इल्लीगल कनेक्शन भी लगे हुए होते हैं।

उसकी वजह से उपयुक्त प्रेशर नहीं होता और उन तक पानी नहीं पहुंच सकता और उससे आगे वितरण भी नहीं हो सकता। तो यह जो जी.एल.आर. हैं, यह डेजर्ट एरिया, जैसे चूरू है, उसके लिए तो उपयुक्त हैं लेकिन हमारा जो क्षेत्र है गंगानगर और हनुमानगढ़, उसमें घरेलू कनेक्शन देना ही ज्यादा उपयुक्त होगा।

पानी की बात चल रही है तो मैं सेम की समस्या की ओर भी थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। सेम की समस्या गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में भयावह रूप धारण करती जा रही है। सूरतगढ़ और रावतसर की करीब 70 हजार एकड़ भूमि इससे नष्ट हो गयी है। किसानों

(श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई)

के घर बरबाद हो रहे हैं और शीघ्र ही अगर समाधान नहीं किया गया तो उन्हें पायलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सरकार ने किसी भी विभाग को इसका स्वतंत्र दायित्व नहीं सौंपा है।

इस वजह से सिंचाई और सी.ए.डी. विभाग द्वारा अधूरे और गलत निर्देश देने की वजह से व्यय भी इस पर ज्यादा होता है और साथ में समस्या का समाधान भी नहीं होता। सेम से हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की नरमे और कपास की फसलें फेल हो रही हैं। जो वहां का किसान है, वह गन्ने की खेती की तरफ आकर्षित हुआ है लेकिन गंगानगर की शुगर मिल बहुत पुरानी है और उसकी क्षमता कम है। तो उसके नवीनीकरण का और उसकी क्षमता बढ़ाने के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और अगर हो सके तो उस एरिया में एक और नई शुगर मिल लगानी चाहिए ताकि किसान को राहत मिले।

जहां तक लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की बात है तो जिला प्रमुखों को डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष बनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्वर्गीय राजीव गांधीजी का सपना साकार हुआ है और पिछली सरकार ने इस पर नाममात्र ही कार्य किया था, जिसे हमारी सरकार ने सम्पूर्ण किया है।

साक्षरता की बात ली जाए तो इस बजट में 16 हजार नये प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोलने का प्रावधान है। इससे जन-जन तक शिक्षा पहुंचेगी। अजमेर और भरतपुर में अतिरिक्त महाविद्यालय खोलने का सरकार विचार रखती है और साथ ही जोधपुर में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का भी विचार रखती है इसका भी स्वागत करना चाहिए।

पुलिस विभाग के पुनर्गठन हेतु 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इससे पुलिस विभाग सुदृढ़ होगा और अपराधों में अपेक्षाकृत कमी आएगी।

बजट में महिलाओं के लिए भी विशेष ध्यान रखा गया है। विधवा, वृद्ध और तलाकशुदा महिलाओं के लिए कई योजनाएं बनायी गई हैं और साथ ही महिला आयोग का गठन किया है। इससे महिलाओं को सुलभ न्याय उपलब्ध हो सकेगा।

चिकित्सा को जन-जन तक उपलब्ध कराने के लिए प्रति विस्तार एवं प्रति खुराक बजट दुगना कर दिया गया है। और साथ ही टी.बी. कुष्ठ रोग और अंधेपन के निवारण के लिए विशेष अभियान चलाये जाने वाले हैं। हम जानते हैं कि गन्दगी से कई बीमारियां फैलती हैं, जैसे-हैजा, टी.बी., पीलिया आदि। तो 16 जिलों के अस्पतालों में इंसिनरेटर्स की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी, जिससे कचरे को वहीं पर जला दिया जाए और आगे संक्रमण नहीं फैले।

रक्त दान, जो महादान है, इससे संबंधित उपकरणों को भी करमुक्त किया जा

(श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई)

रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। कैन्सर, हेपेटाइटिस बी में काम आने वाली दवाइयां कर मुक्त करने की वजह से आम आदमी को यह उपलब्ध हो सकेंगी जो पूर्व में उनको आसानी से उपलब्ध नहीं थीं।

कम्प्यूटर्स और केलकुलेटर्स पर टैक्स घटा कर चार परसेंट करने से जन-साधारण को इसका पूरा लाभ मिलेगा और वे इसका भली-भांति उपयोग कर पाएंगे।

मानवीय दृष्टिकोण के मद्देनजर गरीब तबके का ध्यान रखते हुए वनस्पति घी, आटा, मैदा, चावल, सत्तु और सीमेंट को सस्ता कर दिया गया है। वहीं पोस्तदाना, पान मसाला, अफीम, विदेशी शराब तम्बाकू आदि पर टैक्स बढ़ाया गया है, इस से शायद नशा करने वालों की संख्या में कमी आएगी।

अन्त में मैं बजट का समर्थन करते हुए हमारे वित्त मंत्रीजी को इस संतुलित बजट के लिए धन्यवाद और बधाई देती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन गहलोत।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी पुकारिये। मैं चुप-चाप बैठा हूं।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान का 1999-2000 का जो बजट माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस सदन में रखा है, उसके समर्थन के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की स्थापना के पचास वर्ष 30 मार्च,1999 को संपन्न हुए। इस अवसर पर यह बजट माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा रखा गया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने प्रारम्भ किया है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों,जिनकी बदौलत हिन्दुस्तान को आजादी प्राप्त हुई और राजस्थान के अंदर भी स्वतंत्रता मिली, उन स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देते हुए उन्होंने उनके प्रति नतमस्तक होते हुए एक हजार रुपये जो उनको माहवार मिलता था, उसकी बजाए 1250 रुपये करके स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धा-भावना प्रदर्शित की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक वित्त मंत्रीजी ने यह बजट पेश किया है; वह बड़ी ही कठिन परिस्थितियों और कठिन समय के अंदर पेश किया है। जहां पर इस बजट को पेश करना, यह सही बात है कि अभी हमारे सदन की माननीय सदस्या विजय लक्ष्मीजी ने उनको जो टोडरमलजी की उपाधि दी है, वह सही है। क्योंकि इस वर्ष कठिन परिस्थितियों के अंदर बजट रखना बड़ा मुश्किल और कठिन कार्य था। हमारे यहां पर बैठे हुए भाई जो बारबार इस बजट के बारे में अपनी चर्चाएं कर रहे हैं, उसमें बहुत; चाहे कितने ही आंकड़े घुमाफिरा कर कहें, लेकिन यह बात कहीं साफ अक्षरों में लिखी हुई है; जो सामने दीवारों पर दिख रही है कि 1990-91

(श्री जनार्दन गहलोत)

के अंदर जब कांग्रेस का शासन छोड़ा था; उस समय जो राज्य की हालत थी, वह छिपी हुई नहीं है।

माननीय कटारियाजी, आप चाहे कितनी भी बात करें, चाहे हमारे किरोड़ी लालजी करें, 6127 करोड़ रुपये का कर्जा केवल मात्र राजस्थान सरकार पर था। क्या इससे आप मना कर सकते हैं कि आज 31 मार्च, 1999 को यह घाटा 23532 करोड़ 46 लाख रुपये नहीं हो गया ? क्या कोई भी सरकार इतने घाटे में होते हुए भी इतनी रिलीफ, बजट के अन्दर कोई घोषणा कर सकते हैं ? मैं सोचता हूं कि यह कीर्तिमान, यह राजस्थान की सरकार जो कि कांग्रेस की ओर बैठी है, यह वही काम कर सकती है, शायद और कोई भी नहीं कर सकता।

मैं सोचता हूं कि वित्त मंत्रीजी ने जिस सन्तुलित बजट को यहां पर पेश किया है, यहां एक तरफ तो कांग्रेस को जो प्रचंड बहुमत मिला, राजस्थान की जनता को इतनी आशा है, लोगों की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ चुकी हैं, विकास की प्रगति वे देखना चाहते हैं और उस समय इस कांग्रेस साइड की तरफ बैठने वाले, इतने भारी बहुमत के साथ सभी माननीय विधायकों की भी आशा इतनी बढ़ चुकी है कि वे अपने विकास के काम कैसे करायें काफी पुराने सदस्य यहां पर मौजूद हैं।

लेकिन आज कम से कम जो नये सदस्य इस विधान सभा में आये हैं, पहली बार उनके लिए बजट अगर निराशाजनक होता, अगर राजस्थान के वित्त मंत्री कोई स्कूल नहीं खोलते, अगर राजस्थान के वित्त मंत्री जी पानी की व्यवस्था नहीं करते, अगर पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था नहीं करते, तो मैं सोचता हूं कि नये आने वाले माननीय सदस्यों को तो काफी कठिनाई महसूस होती। वे सोचते कि हम विधायक बने और इस बजट में हमें कुछ नहीं मिला। मैं सोचता हूं कि एक महत्वपूर्ण भूमिका वित्त मंत्रीजी ने रखी और उसका कारण....

श्री रतनलाल ताम्बी : पुराने को तो नहीं होती।

श्री जनार्दन गहलोत : पुराने तो थोड़ा एक साल सब्र कर सकते थे। ताम्बी जी, आप और मैं तो कम से कम एक साल अगर नहीं मिलता, तो हम सब्र कर सकते थे। लेकिन नये माननीय सदस्य जो आये हैं, उनके लिए तो एकदम बड़ी अजीब स्थिति लगती कि जिस आशा के साथ वे आये, आपका और हमारा तो कुछ देखा होगा लोगों ने, इनको पहली बार देखना है। इसलिए इनके लिए यह बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है।

मैं सोचता हूं कि जो घाटे की व्यवस्था के अन्दर, इस राजस्थान के अंदर 1989-90 में ब्याज के पेटे में जो 437 करोड़ का भुगतान था, जो आज 1998-99 में 2243 करोड़. 2243 लाख रुपये हो गया हो, वहां

(श्री जनार्दन गहलोत)

इस स्थिति में बजट पेश करना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।

विपक्ष में बैठे हुए हमारे कई माननीय सदस्यों ने श्वेत-पत्र का जिक्र किया। आप तो मानकर चलिए कि राजस्थान का इतिहास इस का साक्षी है कि राजस्थान के अन्दर श्वेत-पत्र कभी जारी नहीं हुआ है।

ये बी.जे.पी. के काले कारनामे हैं जिनका इतना बड़ा घाटा छोड़ना और आज श्वेत–पत्र का जिक्र करना, मैं सोचता हूं आप लोगों को तो जनता के बीच में जाने से शर्म आनी चाहिये। जहां इतना बड़ा घाटा और घोटाला आप छोड़कर गये हो, उसके अन्दर इस समय राजस्थान का बजट पेश करना कितना कठिन काम है। श्वेत-पत्र का जिक्र बार-बार करते हैं। अगर आपकी सच्ची बात इसमें नहीं होती तो श्वेत-पत्र के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा होती, बहुत कम हो रही है।

आज एक प्रश्न-पत्र की डकैती हो जाए, उस पर आप इतना +++ मचाओ। लेकिन श्वेत-पत्र के ऊपर आपको +++ मचाते हुए मैंने नहीं देखा। श्वेत-पत्र पर आपकी आखें, आपकी नजरें झुकी हुई नजर आती हैं मुझे। इस संबंध में लगता है कि आपकी मोनिटरिंग भी पूर्व मुख्य मंत्रीजी नहीं कर पाये। जो पूर्व के मुख्य मंत्रीजी हैं, वह रोज आपकी मोनिटरिंग कर रहे हैं। कब उनको उठाना है, कब भागना है, कब बाहर जाना है, कब अटैची उठानी है। लेकिन मैं सोचता हूं श्वेत-पत्र के मामले में भैरोंसिंह जी भी आपकी मोनिटरिंग नहीं कर पाये और उसमें आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यह बात सच है .. (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : थोड़ा-सा समय निकलने दो, गहलोत साहब, फिर बताएंगे।

श्री जनार्दन गहलोत : समय तो मैंने आपका भी देखा। समय तो पहले मैंने आपका भी देखा और आपने मेरा भी देखा है। लेकिन जो सच है, उसको तो राजस्थान की जनता भूल नहीं सकती। सच तो सच ही रहने वाला है और असत्य-असत्य ही रहने वाला है। केवल मात्र जिस प्रकार आज आप प्रश्न पत्र कहीं डकैती के माध्यम से चला गया, उस पर भी घुमा-फिराकर सदन में जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं उसके बाद भी उसको ट्विस्ट कर रहे हैं जबकि समझ रहे हो आप। लेकिन आपको तो जनता में प्रदर्शन करना है, दिखाना है। इसलिए आप भी तो इस सारी भूमिका के अन्दर अपना निर्वहन करने में लगे हुए हैं। जबकि आपकी आत्मा जानती है कि आप जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वह बिलकुल गलत बोल रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इस

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जनार्दन गहलोत)

घाटे के बाद दसवें वित्त आयोग के द्वारा सुझाये गये सुझाव के अनुसार भारत सरकार को, राज्य को 29 प्रतिशत की राशि देनी चाहिये। लेकिन दिल्ली का राज चूंकि आपका है और आप उस वित्त आयोग की रिपोर्ट के संबंध में भी राजस्थान को अभी यह राशि नहीं दी गयी है और यह पैसा नहीं दिया गया है, और उस परिस्थिति के अन्दर इस बजट के अन्दर इतना विकास कार्यों के अन्दर पैसा खर्चना, मैं सोचता हूं, एक बड़ा कठिन काम था। मैं समझता हूं वित्त मंत्रीजी ने इसमें बहुत मेहनत की है और लगता है कि राजस्थान के हितों की रक्षा की है।

जहां एक तरफ पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों को केन्द्र सरकार द्वारा मान लिये जाने के बाद राजस्थान के अन्दर भी कर्मचारियों के ऊपर वेतन, भत्तों, पेंशन आदि पर कितना प्रभाव पड़ा होगा, कितना पैसा राजस्थान के खजाने से देना पड़ा होगा, उसके बावजूद इसे सन्तुलित रखना कितना कठिन काम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का घोषणा-पत्र, जो राजस्थान के मुख्य मंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, अशोक जी गहलोत ने चुनाव के पहले जिस घोषणा पत्र को जारी किया, आज कांग्रेस के लोगों के पास तो शायद वह पढ़कर उन्होंने अपने घर रख दिया, लेकिन मैं सोचता हूं कि बाइबल का जो जिक्र किरोड़ीलाल जी कर रहे थे, कभी और कोई कर रहे थे, आज कम से कम उस बाइबल, कांग्रेस की बाइबल को लिये आप लोगों को देखता हूं। हाथों में वही दिखती है। इससे ज्यादा हमारे को और क्या अच्छा लगेगा। राजस्थान के कांग्रेस के घोषणा पत्र में राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की थी, उसको अक्षरशः पालन करने के लिये राजस्थान की कांग्रेस सरकार लगी हुई है।

मैं सोचता हूं पहली बार यह बात राजस्थान के इतिहास में हुई है और वह बाइबल, निश्चित तौर से बी.जे.पी. का गढ़ जो ढहाया इस घोषणा पत्र ने, आपकी दुकान पूरी तरह उठाकर रहेगी यह बाइबल आपके सामने। निश्चित तौर से आप मानकर चलिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने अतिरिक्त संसाधन जुटाना व्यय पर नियन्त्रण करना और राज्य के उपक्रमों को घाटे में बन्द करने का जो सुझाव इस बजट में रखा है, वह सराहना योग्य है। आज भी कई ऐसे उद्योग हमारे जो घाटे में पड़े हैं। उनको अब ढोया जाना सम्भव नहीं है। और आपको एकमुश्त इसका निर्णय, तत्काल कर दिया जाना चाहिये ताकि बजट के घाटे की पूर्ति कहीं न कहीं से तो हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तियां देने का काम आपकी सरकार ने नहीं किया, यह काम भी राजस्थान की कांग्रेस की आने वाली सरकार ने किया। जहां प्रमुखों को

(श्री जनार्दन गहलोत)

जिला परिषद विकास अधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाना, तीन हजार से ज्यादा ग्राम सेवक, जिसमें तीन करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, मैं सोचता हूं एक तरह से यह कीर्तिमान है। आज भी पंचायत समितियों में ग्राम सेवकों की कमी है, और मैं सोचता हूं यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है, यह शायद कोई नहीं कर सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं यह भी कहे बिना नहीं रह सकता कि पिछले बी.जे.पी. के राज में, क्योंकि यह जो पंचायती राज का कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद में राजीव गांधी ने जो देन दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 9 साल इस राज में होते हुए जिस प्रकार दिल्ली का पैसा डी. आर. डी. ए. या जिन भी योजनाओं में पैसा आया, उस पैसे में जितना घटिया, जितना घोटाला, जितना भ्रष्टाचार इस जमाने में हुआ, पंचायत राज में शायद कभी नहीं हुआ। माननीय सी.पी. जोशी अभी यहां बैठे थे।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम यह नहीं चाहते, इधर के पक्ष में बैठे लोग यह नहीं चाहेंगे कि विकास का पैसा जो गांवों में पहुंचता है, उसके अन्दर आधे से ज्यादा पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। उसके लिए एक एजेन्सी बनानी चाहिये। एक ऐसी एजेन्सी लगनी चाहिये ताकि इस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, एक बहुत आवश्यक बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : 80 प्रतिशत भ्रष्टाचार था।

श्री जनार्दन गहलोत : चलिये, मैं अपने आप में अमेंड कर लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : लेकिन राजीव गांधी ने जो बताया इसका मतलब यह नहीं है..(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : राजीव गांधी ने कहा था 85 प्रतिशत..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंह जी। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : राजीव गांधी ने कहा था 85 प्रतिशत पैसा जा रहा है भ्रष्टाचार में। आपके राज में भ्रष्टाचार 85 प्रतिशत से 90 प्रतिशत कैसे पहुंच गया है। यही तो आप स्वीकार कर रहे हैं। राज तो आपका था। पैसा दिल्ली से आता था।

श्री जगमाल सिंह यादव : अब कितना है ?

श्री जनार्दन गहलोत : दिल्ली से पैसा आता था, राज आपका था, उसमें घोटाले होते थे।

श्री जगमाल सिंह यादव : अब कितना है ?

डा. किरोड़ी लाल : अब कितना प्रतिशत है ?

श्री जनार्दन गहलोत : राजीव गांधी ने तो 85 पैसे कहा। क्या आप उसको 95 पैसा करना चाहते हैं। 85 तक तो आप मान रहे हैं न। आपका राज था न। राज तो आपका था। उसके बाद भ्रष्टाचार को देने वाले आप लोग हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, गलत बयानी कर रहे हैं। राजीव गांधी ने यह कमेंट किया था कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पूरे देश में, और सेंट्रल में भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तब अपनी सरकार के लिये कहा था कि 85 प्रतिशत भ्रष्टाचार पर जाता है। फिर यह तो आप पर टीका-टिप्पणी हुई। नहीं, यह तो आप पर ही टीका टिप्पणी हुई।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय जगमाल सिंहजी, आप तो उस बैंच में थे, आज हमारे साथ आये हो थोड़े-थोड़े। आप भी उसी समय उस बैंच में थे जब भैरोंसिंहजी यह कहा करते थे कि कांग्रेसियों से भ्रष्टाचार उनकी नाक से नकेल से निकाल लूंगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपकी बात सही है। लेकिन मिसाल गलत दे रहे हो।

श्री जनार्दन गहलोत : भ्रष्टाचार पिछले राज में पनपा है..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी।

श्री जगमाल सिंह यादव : राजीव गांधी ने कहा था, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : उसके बाद तो नौ साल इनकी थी। उसमें क्या हुआ ? राजीव गांधी..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कन्टीन्यू करिये माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : उसमें भी वैसा ही हुआ।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि से संबंधित सेवाओं में 278 करोड़ 34 लाख रुपये का जो प्रावधान किया है, मैं सोचता हूं यह काफी महत्वपूर्ण है और किसानों को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। 30 हजार नये फव्वारा सैट्स लगाने, जल ग्रहण योजना पर 128 करोड़ रुपये के जो प्रस्ताव हैं, निश्चित तौर पर मैं सोचता हूं कि राजस्थान के किसानों को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यह सराहना योग्य है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर 16 हजार प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों का खोला जाना, जिसमें 1200 रुपये प्रतिमाह शिक्षित महिलाओं, खासकर विधवाओं और विशेष तौर से उनको लगाकर, 1200 रुपये महीना लगा-

(श्री जनार्दन गहलोत)

कर, क्योंकि आज हम देखते हैं गांवों के अन्दर कोई मास्टर शहर का जाता नहीं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं। एक दिन मैं 11 बजे के करीब मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कहीं जा रहा था, एक महिला मुझे सड़क पर मिली, मुझसे लिफ्ट मांगी कि मुझे कादोली तक छोड़ दो। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करती हो? वह बोली, मैं मास्टरनी हूं। मैंने कहा तुम 11 बजे स्कूल जा रही हो। वह बोली, ऐसा है कि हमारे स्कूल में सात मास्टर हैं। आज नम्बर मेरा है इसलिए मैं आज जा रही हूं नहीं तो मैं जाती नहीं। एक दिन में एक मास्टर जाता है।

मैं सोचता हूं चन्दन मलजी, वित्त मंत्री जी ने निश्चित तौर से एक ऐसा प्रावधान किया है कि बच्चों को पढ़ाने के लिये कम से कम मास्टर तो उपलब्ध होगा। उस गांव में कोई मास्टर जाना नहीं चाहता। 1200 रुपये का मास्टर चाहे वह कम तनख्वाह होगी, लेकिन कम से कम बच्चों को पढ़ाने के लिये तो वह मास्टर उपलब्ध होगा। आज हमारी जो कमियां हैं, उसके अन्दर मैं सोचता हूं उन कमियों को सुधारने के लिये यही एक तरीका हो सकता है। और वहां पर यह प्रावधान करके मैं सोचता हूं, आज भी स्कूलों के बच्चे जिनके बैठने के लिये टाट-पट्टी नहीं टेबिल-कुर्सी नहीं है मास्टर के लिये। आज आठ हजार रुपये एकमुश्त टाट-पट्टी और कुर्सी-टेबिल के लिये देकर पंचायती राज को सुदृढ़ कराने के लिये और गांवों के विकास के लिये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के अन्दर एम.एलेज को अपने क्षेत्र के विकास के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान था उसको बढ़ा कर 20 लाख रुपये किया है। मैं सोचता हूं यह काम इतना महत्वपूर्ण था लेकिन माननीय विधायकों की आशाएं और भी वित्त मंत्रीजी की तरफ लगी हुई हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : इसको बढ़ा कर डबल करा दो, हम पास करा देंगे।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय वित्त मंत्रीजी की तरफ सभी विधायकों की नजर है चाहे वो उधर बैठने वाले हों चाहे इधर बैठने वाले हों। इस पर तो मैं सोचता हूं सब की नजर है कि वित्त मंत्रीजी की नजर कोई मिला कर देखे।

श्री चन्दन मल बैद : माननीय सदस्य; जो देने वाला होता है उसी को नजर लगती है। जब तक जो देने वाला नहीं था उस पर किसी ने नजर नहीं लगायी। सब जानते हैं दे सकता है, इस वास्ते मेरे पर नजर है।

श्री जगत सिंह दायमा : आप तो इसको डबल कर दो, हम सब आपके साथ हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : 143 आदमी आपको बधाई दे रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी की सरकार ने 2 करोड़ कर दिये सांसदों के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जनार्दन गहलोत : वित्त मंत्री जी की तरफ पूरे सदन की निगाह है और जब ये बजट भाषण पेश कर रहे थे तब भी हम सब की नजर इन पर थी। इन्होंने दस से बीस जो किया, मैं सोचता हूं इनकी जिस प्रकार से उदारता इस बार देखी है, इस बजट में, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी ऊपर से बैठे हुए सिफारिश करेंगे ताकि अगले वर्ष कम से कम इसको 50 लाख करें। इस बजट में भी कम से कम पांच लाख बढ़ा सकें तो पांच लाख तो बढ़ायें ताकि जो दिल्ली के अन्दर पार्लियामेंट मैम्बर्स को दो करोड़ मिल रहा है 25 लाख रुपया अनुपात में मिल रहा है एम.पीज को। तो मैं सोचता हूं अगली बार हमारी नजर वित्त मंत्रीजी पर रहेगी जहां 50 लाख की आशा से हम नजर मिलायेंगे। लेकिन इस बार कम से कम पांच मिला लें तो, 25 हो जाय, तो मैं सोचता हूं सदन की ओर से हम आभारी रहेंगे।

उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुकाबले में, पंजाब में 50 है, हरियाणा में 50 है, दिल्ली में एक करोड़ है। लेकिन मैं जानता हूं जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी इस राज को कर्ज में छोड़ कर गयी है, इस बार हम 25 लाख से ज्यादा की आशा नहीं करते। अगली बार देखेंगे, मैं सोचता हूं वित्त मंत्रीजी जब अगला बजट पेश करेंगे, तब हम दिल्ली से, हरियाणा और पंजाब का मुकाबला करेंगे। घाटे की अर्थ-व्यवस्था, जो कि किरोड़ी लालजी की पार्टी कर गयी और छोड़ गयी, इसलिए 25 लाख से ज्यादा हम आशा नहीं करते।

श्री उपाध्यक्ष : कन्क्लूड कीजिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): जनार्दनजी, आप आसन ग्रहण करो 25 की घोषणा होने वाली है।

श्री जनार्दन गहलोत : वह तो बजट में होगी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : हां, आप आसन ग्रहण करो।

श्री जनार्दन गहलोत : बजट भाषण का जवाब देंगे तब बात होगी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : अभी हो जायेगी।

श्री जनार्दन गहलोत : बजट भाषण पर एक साथ ही एक मुश्त होता है सब काम। इन्दोरियाजी, आप तो पुराने, अच्छा पुराने समय से जानते हो आप तो इनको।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : बजट के मामले में इनके जैसा काबिल आदमी राजस्थान में है नहीं।

श्री जनार्दन गहलोत : अब आप जो चाहते हो उन पर आने तो दो।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं तो यही चाहता हूं कि यह सौ वर्ष तक विराजे रहें।

श्री जनार्दन गहलोत : बहुत अच्छा, कई दिनों से आशीर्वाद रुका हुआ था, आज हो गया।

डा. किरोड़ी लाल : हजारों साल।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में 100 नये पशु चिकित्सालय, 100 नये पशु चिकित्सा उप-केन्द्र, पांच करोड़ बीस लाख का प्रावधान, पहले से 18 करोड़ 10 लाख का ज्यादा प्रावधान, मैं सोचता हूं यह काफी महत्वपूर्ण है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट का समय लूंगा आपसे, ज्यादा नहीं लूंगा। मैं सारा और छोड़ देता हूं, मेरे मुद्दे की बात पर आ जाता हूं, आप घंटी बजा रहे हैं तो।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां इन्होंने राज्य के धार्मिक स्थलों पर....

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी की बहुत तारीफ कर ली अब पर्याप्त है।

श्री जनार्दन गहलोत : नहीं, मेरे को आपकी भी तो करनी है।

डा. किरोड़ी लाल : इतनी जबरदस्त प्रशंसा की है कि गहलोतजी को शपथ ग्रहण करायी जानी चाहिये।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय वित्त मंत्रीजी धार्मिक आस्थाओं के बहुत अग्रणी हैं और धार्मिक स्थानों की इनमें बड़ी कद्र है। लेकिन इन्होंने बजट में राज्य के धार्मिक स्थलों नाथद्वारा, पुष्कर पर पैसा खर्च करने की बात कही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल कैलादेवी है जिसमें इस एक महीने के अन्दर 43 लाख लोगों ने दर्शन किये हैं। कैला मां के दर्शन के लिए 43 लाख आदमी, राजस्थान के किसी स्थान पर नहीं गये होंगे जहां रिकार्ड तौर पर 43 लाख लोग गये हैं। जहां मदन मोहनजी का मंदिर हो, जहां जयपुर के गोविन्द देवजी और गोपीनाथजी के दर्शन जब तक पूरे नहीं होते जब तक मदन मोहनजी के दर्शन नहीं हों।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, महावीरजी जैसा स्थान जिस जिले में हो उस पर चाहूंगा कि हमारे धार्मिक स्थलों के विकास के अन्दर भी कम से कम कुछ प्रावधान वे करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ इसी क्षेत्र के अन्दर मेंहदीपुर के बालाजी और बस गये।

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजो आप, यह नोट हो गया आपका। विराजो, आपका नोट कर लिया इन्होंने।

श्री जनार्दन गहलोत : जहां विद्युत की बात कही गयी। कल ही जिक्र हो रहा था कि राजस्थान के अन्दर 8 घंटे बिजली देने का जो काम किया गया, वह काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो हमारी बिजली की नीति घोषित की गयी है, राजस्थान के अन्दर हम अगर वोट लेकर आये हैं और कांग्रेस आज इतने बड़े बहुमत में बैठी है तो, उपाध्यक्ष महोदय, पांच खम्भे पांच हार्स पावर की बिजली के नाम पर हम इस सत्ता के अन्दर बैठे हैं, आज किसानों के लिए इस नीति के अन्दर अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हो गयी।

श्री जनार्दन गहलोत : अखबार में मैंने पढ़ा है, उसमें तो है नहीं। पांच हार्स पावर तक बिजली माफ की जाय। खम्भों पर पांच खम्भों तक पैसा न लगे। अगर माननीय सरकारी सचेतक महोदय कह रहे हैं हो गयी, तो आपको धन्यवाद। आपका स्वागत है मैं सोचता हूं मैंने अभी तक इसको नहीं पढ़ा। अगर ऐसी घोषणा है तो ..(व्यवधान).. हम तो यह कह रहे हैं जो पहले कांग्रेस की नीति थी....

श्री रतनाराम चौधरी : नहीं की है तो कर दी जाय।

श्री जनार्दन गहलोत : नहीं की है तो कर दी जाय। यह बहुत आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बात तो बहुत कहना चाहता था लेकिन आप समय नहीं दे रहे हैं तो मैं एक ही बात कहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्रीमती कमला बृजलाल।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात तो खतम करूं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी।

श्री जनार्दन गहलोत : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा खेल का सब्जेक्ट रह गया।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष में राजस्थान खेलों के अन्दर बहुत पिछड़ा हुआ रहा। यहां पर जो संसाधन होने चाहिये वो नहीं हैं।

मैडम, एक मिनट। इतना एडजस्टमेंट है हमारा आपस में, उपाध्यक्ष महोदय, आप चिंता मत करो।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मेरा नहीं है एडजस्टमेंट।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के वित्त मंत्री जो जितने खेल प्रेमी हैं, शायद कोई मंत्री नहीं है। खेल के मैदान पर अगर कोई देखा जा सकता है तो वित्त मंत्रीजी को देखा जाता है। वित्त मंत्रीजी, जहां राजस्थान के अन्य जिलों में स्टेडियम नहीं हों, पिछले वित्त वर्ष के नॉन प्लान में 3.75 करोड़ का

(श्री जनार्दन गहलोत)

प्रावधान था जिसमें 3.405 खर्च हुआ है लेकिन वर्तमान में..(व्यवधान)..

श्री दिग्विजय सिंह : वर्ल्ड का नम्बर वन खिलाड़ी है।

श्री जनार्दन गहलोत : वह तो इनका पोता है।

श्री दिग्विजय सिंह : हां पोता।

श्री जनार्दन गहलोत : जो नम्बर वन तो है जूनियर में अब सीनियर में नम्बर वन होने वाला है, इसकी चिंता मत करो, हमारी शुभकामना है।

वर्तमान में प्रस्तावित बजट में जो नॉन प्लान में रखा है, 3.50 करोड़ है। माननीय वित्त मंत्रीजी, बहुत कम है। इस पैसे को कम से कम पांच करोड़ तो करें आप। इसके बिना जिले का विकास नहीं हो सकता और जो खास तौर से प्लॉन के अन्दर जो केवल मात्र पिछली सरकार का एक करोड़ का प्रावधान था जिसमें पिछले वर्ष 79.12 लाख खर्च हुआ था। और इस बार भी प्रावधान 82 लाख का हुआ है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कम से कम पांच करोड़ रुपये इस प्लॉन में रखें ताकि जिले का विकास हो। हमारे राजस्थान का स्तर दिन-प्रति-दिन गिर रहा है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः यह बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करते-करते यह कहूंगा कि नगीना उद्योग पर जो दो परसेंट टैक्स लगाया वित्त मंत्रीजी ने, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको एक मुश्त जो रिटर्न के आधार पर उनके जो रिकार्ड हैं उसके आधार पर अगर आप टैक्स लगायें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो यह इंस्पेक्टर राज बढ़ जायेगा। कोई नगीने की कीमत एक लाख की होगी तो उसको एक करोड़ बतायेंगे और बिचोलिये, पैसे खाने वाले बढ़ जायेंगे। इसलिए इसमें कोई ऐसी नीति लगायी जाए ताकि लोगों का शोषण न हो सके।

बात तो और बहुत थी लेकिन एप्रोप्रिएशन पर बोल लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्रीजी के प्रति पुनः अपनी भावना प्रकट करता हूं जो इतना बढ़िया बजट मुख्य मंत्रीजी के घोषणा पत्र के अनुसार पेश किया है उसके लिए हृदय से हम आभारी हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला बृजलाल।

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की इतनी वित्तीय स्थिति खराब होते हुए हमारे वित्त मंत्रीजी ने जैसा बजट रखा, वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि पारदर्शी सरकार होगी। तो बजट भी अभी तो वित्त मंत्रीजी ने बहुत अच्छा रखा है। जनता ने, सभी

(श्रीमती कमला बृजलाल)

ने अच्छी तरह से इसका स्वागत किया है। इस साल तो बहुत अच्छा रखा, अगली साल का पता नहीं मंत्रीजी क्या करेंगे।

श्री रतन लाल ताम्बी : इससे अच्छा ही करेंगे।

श्रीमती कमला बृजलाल : अच्छा तो नहीं करेंगे देखना।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती कमला बृजलाल : बिजली को लें तो बिजली में भी हमारी सरकार ने 8 घंटे प्रति दिन के हिसाब से बिजली दी है। इसके लिए विद्युत मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं। सरकार के पास पैसा नहीं होते हुए भी एक करोड़ रुपया रोज इन्होंने खर्च किया, किसानों को बिजली दी। जैसे कि हमारी विपक्षी पार्टी ने कहा कि किसान विरोधी है।

किसान विरोधी अगर होते तो बिजली कैसे देते? आठ घंटे बिजली देकर किसानों की फसलें खत्म होने से बचायी है। राज्य की 75 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ग्रामवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को ऊंचा उठाने के लिए विशिष्ट योजनाएं क्रियान्वित की गयी हैं।

शिक्षा; एक हजार प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है। मैं मंत्रीजी से यह कहूंगी कि जो मंत्रीजी ने 2000 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के लिए कहा है, मैं समझती हूं कि इससे ज्यादा मंत्रीजी को करना चाहिए था। दो सौ तो बहुत कम किया है। यहां 20 साल हो गये, 25 साल हो गये जो मिडल थे वे मिडल ही रहे। प्राइमरी थे वे प्राइमरी ही चल रहे हैं। मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि शिक्षा मंत्रीजी इस पर ज्यादा करते तो ज्यादा अच्छा रहता। इसी तरह से चार सौ उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा है वह भी काफी कम है।

लेकिन फिर भी पहले वाली सरकार के बजाय तो काफी अच्छा है। और पंचायती राज का, जैसे मंत्रीजी ने कहा कि डी.आर.डी.ए. का पूरा प्रबन्ध जिला परिषदों को सौंपने की दिशा में पहला कदम है। जिला प्रमुखों को डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष बनाया गया है और प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम सेवक की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। पंचायत राज मंत्री और वित्त मंत्रीजी आप बधाई के पात्र हैं।

चिकित्सा सुविधा प्रायः गरीबों की पहुंच से बाहर थी। गरीबों को न तो अच्छी चिकित्सा मिल पा रही है और न ही अच्छी दवा मिल रही थी जिससे वह अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे सही तरीके से। इसमें मुख्य मंत्रीजी ने जीवन रक्षक कोष का जो गठन किया है, वह तारीफ काबिल है इसमें गरीब व्यक्तियों, विधवाओं,

(श्रीमती कमला बृजलाल)

स्वतंत्रता सेनानियों एवं वृद्धों को गम्भीर बीमारियों के लिए आधुनिक उपचार हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी।

महिला रोजगार के लिए गरीब महिलाओं को पांच हजार का अनुदान दिया गया है और 55 साल की महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन सौ रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी गयी है। निराश्रित महिलाओं को 125 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी गयी। विकलांग लड़कियों के सामूहिक विवाह हेतु भी 30 लाख का प्रावधान रखा है और वृद्धों के लिए 25 नये केयर सेन्टर खोले जायेंगे जिसके लिए 37 लाख 50 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। एस सी. और एस.टी. छात्रावासों में रहने वाले लड़के लड़कियों के लिए जो कि 450 रुपये महीना मिलता था, उसको बढ़ाकर 675 रुपये किया हैं। हकीकत में इसके लिए वित्त मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं क्यों कि 450 रुपयों में इन बच्चों को पूरी तरह से खाना और नाश्ता नहीं मिल पाता था।

छात्रावासों में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर रखा जाता था उसको इतने अच्छे पैसे वगैरह नहीं दिये जाते थे, उसमें कुछ वृद्धि की है। पहली बार ओ. बी.सी. व गाड़िया लुहार के छात्र–छात्राओं के लिए भी प्री एण्ड पोस्ट मैट्रिक छात्र–वृत्ति देने के लिए कहा गया है।

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाकर वित्त मंत्रीजी ने उनको सम्मान दिया है।

पानी के लिए मैं मंत्रीजी, आपसे यह कहना चाहूंगी कि 1500 की जनसंख्या का रखा हुआ है। मेरा क्षेत्र करौली, उसमें सपोटरा। एक तो जिला पहली बार बना है। वह आपने जो इस तरह से रखा है, यह नहीं सोचा कि जिला नया बना है उसके लिए अलग से कोई सुविधा होनी चाहिए वित्त मंत्रीजी की तरफ से। और मेरा क्षेत्र तो पूरा क्षेत्र डांग क्षेत्र है। वहां 1500 की जनसंख्या किसी हालत में हो ही नहीं सकती। कहीं 20-25 बस रहे हैं और कहीं 200–250 बस रहे हैं। उसमें कुछ जगह को देखते हुए कुछ परिवर्तन करें जिससे कि वहां पानी के लिए परेशानी होती है, उस को कुछ हद तक मिटा पायें। मेरे यहां दो-दो किलोमीटर दूर से लोग पानी लेकर आते हैं। बड़ी ही परेशानी है पानी की।

बिजली में पता नहीं खम्भे गढ़े हुए हैं लेकिन लाइटें नहीं लगी हुई हैं। तार नहीं लगे हुए हैं जो मूलभूत आवश्यकता है। पानी बिजली वहां के लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी कि बजट कुल मिलाकर अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें यह देखा जाए कि कहां के लिए अलग से कुछ कर सकते हैं। सभी एक जैसी जगह नहीं हैं।

जैसा कि सिंचाई में आपने पैसा बढ़ाया। उस पैसे को उसी सिंचाई के अंदर काम में लें तो ज्यादा अच्छा है। जहां नहरें कच्ची हैं, उनको पक्का किया जाए जिससे पानी का स्तर, जो नीचे जमीन में चला जाता है,

(श्रीमती कमला बृजलाल)

वह नहीं जा पायेगा और किसानों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री के.सी.चौधरी।

डा. किरोड़ी लाल : हमारे कुछ माननीय सदस्यों को बोलना है। श्री रमजान खां जी बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो समय ही समाप्त हो गया।

डा. किरोड़ी लाल : दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : कोई दो मिनट में बोलता है क्या ?

श्री के. सी. चौधरी (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत 1999-2000 के बजट का स्वागत व समर्थन करते हुए अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

सर्वप्रथम तो मैं माननीय वित्त मंत्रीजी का बहुत–बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहूंगा कि आपने अजमेर जिले के समस्त विधायकों का सम्मान करते हुए, अजमेर शहर में एक नया पालीटेक्निक कालेज इस नये बजट में दिया है। पिछली सरकार ने यही पालीटेक्निक कालेज अपग्रेड करके इंजीनियरिंग कालेज में टर्न कर दिया था और हमारे यहां से पालीटेक्निक कालेज खत्म हो गया था।

माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस बात का ध्यान रखा। पालीटेक्निक कालेज में अजमेर के ही बच्चे करीब 400 पढते थे। इंजीनियरिंग कालेज में 120 का इनपुट है जो पूरे राजस्थान भर का था। लिहाजा अजमेर को इससे बहुत बड़ा फायदा रहा है। अजमेर में ही आपने सेटेलाइट अस्पताल बनाने के लिए बजट में धन का प्रावधान रखा है। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। नयी सरकार को विरासत में जो क्रिटीकल आर्थिक स्थिति मिली है, वह आप लोगों से किसी से छिपी हुई नहीं है। संपूर्ण खजाना खाली मिला है। निरन्तर घाटा दे रहे राजकीय उपक्रम मिले हैं। केन्द्रीय सरकार का असहयोगात्मक रुख मिला है और राज्य पर साढ़े तेइस हजार करोड़ का कर्जा मिला है। इस कर्जे के बारे में सदन में बहुत चर्चा हो चुकी है।

मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि इन सब विषम परिस्थितियों में माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट रखा है वह अत्यन्त सराहनीय है।

एक दो बिन्दु जो अभी तक सदन में शायद चर्चा में नहीं आये हैं, उन पर मैं माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह हैं इन्फारमेशन टेक्नालाजी के सेक्टर में राजस्थान बहुत पीछे है। हालांकि इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण से पता लगा है कि

(श्री के. सी. चौधरी)

आई.बी.एम. के सहयोग से यह इंस्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रानिक गवर्नंस एण्ड बिजनेस की स्थापना की जा रही है। राजस्थान में इंटरनेट रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कमजोर हैं। विदेशों में जो लोग हमारे नजदीक बैठे हैं, वह सब यह बात बताते हैं कि हिन्दुस्तान के बाहर जो–जो इन्फारमेशन हैं, दो राज्यों में हैं। उसमें आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश बहुत आगे हैं। राजस्थान ने अपने आप में व्यावसायिक साख बनायी तो है, लेकिन वह खाली इनफारमेशन बेस्ड है।

हमें चाहिए कि राजस्थान अपने आपको इंटरनेट पर कामर्शियली प्रोजेक्ट करे, कामर्शियल यूटिलिटी एस्टिब्लिश करे और अब जो जमाना है वह सारा का सारा ई-मेल, ई-ट्रेड, ई–कामर्स, इलेक्ट्रानिक कामर्स और ट्रेड की मार्फत है। हम अपने आपकी रिलाइबल यूटिलिटी साबित कर पायेंगे। एक पेपरलैस आफिस एस्टिब्लिश होगा। इन्हीं की मार्फत समय बचेगा, एनर्जी बचेगी, पैसा बचेगा और अल्टीमेंटली स्टेट की प्राडक्टिविटी बढ़ती है। माननीय वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण में साफ कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्युटराइजेशन की ट्रेनिंग का प्रोग्राम लिया जा रहा है, यह सराहनीय कदम है।

(17.50 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

सूचना के अधिकार के बारे में यह सरकार संवेदनशील है, पारदर्शी है और जवाबदेह भी है। यह इससे पता लगता है कि सूचना के अधिकार का इस बार सही तरीके से एग्जीक्यूशन होगा। आज तक आश्वासन ही आश्वासन मिले हैं। आम जनता से सूचनाएं छिपायी गयी हैं। सूचना के अधिकार के बारे में राजस्थान में बहुत आन्दोलन हुआ है और इस सरकार ने आठ सचिवों की एक समिति सूचना के अधिकार को असली जामा पहनाने के लिए बनायी है।

मैं चाहूंगा कि इसका जो ड्राफ्ट प्लान है, वह प्रेस काउन्सिल आफ इण्डिया ने जो बना रखा है, उसी के पेरलल, उसी का समावेश करते हुए सूचना के अधिकार को सरकार के हर अंग में एग्जीक्यूट किया जाए और सरकार ही नहीं सारे गैर सरकारी संगठन भी काफी सारे भ्रष्टाचारों से लिप्त हैं। उनके लिए भी अपने को, सूचना का अधिकार जनता को लेने का हक होना चाहिए। सूचना का अधिकार कारपोरेट सेक्टर और नियमों पर भी लागू होना चाहिए।

माननीय वित्त मंत्रीजी ने नवीं पंचवर्षीय योजना के तीसरे साल में जो मंशा जाहिर की है कि निरन्तर घाटे में चल रहे राजकीय उपक्रमों को बन्द किया जाए, यह सच है कि अब उनकी रेलेवेंस बहुत कम बची है लिहाजा जनता उनका घाटा बर्दास्त करने को तैयार नहीं है।

पर्यटन के क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान

(श्री के. सी. चौधरी)

में पर्यटन क्षेत्र की बहुत जबर्दस्त संभावनाएं हैं। यह साल राजस्थान का स्वर्ण जयंती वर्ष है। इस साल मेरा सुझाव यह होगा कि पर्यटन से जुड़े हुए उद्योगों को माननीय वित्त मंत्री जी कुछ राहत दें ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक राजस्थान में इस वर्ष आ सकें। पर्यटन से ही जुड़ी हुई एक पिछले आठ सालों से बराबर विपक्ष के नेता भैरोंसिंह शेखावत ने ब्यावर में कई बार घोषणा की है कि अगले बजट में ब्यावर को जिला बना दूंगा, अगले बजट में ब्यावर को जिला बना दूंगा। हमारे यहां की पब्लिक इतने वर्षों से हर बजट का इन्तजार करती है कि कब इस ब्यावर शहर को जिला बनाया जाए। हकीकत यह है कि ब्यावर राजस्थान में तेरहवें नम्बर का शहर है। सबसे बड़ा सब डिवीजन है और जिला बनाने के जितने इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वह सब वहां उपलब्ध हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : हम भी समर्थन करते हैं।

श्री रमजान खान : हम भी समर्थन कर रहे हैं कि ब्यावर जिला बनना चाहिए।

श्री के.सी. चौधरी : थैंक्यू, थैंक्यू। आप भी समर्थन कर रहे हैं। इससे बढ़िया सुखद स्थिति नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष जी से अपना निवेदन कर रहे हैं सामूहिक रूप से ब्यावर को जिला बनाया जाए।

पर्यटन के हिसाब से भी ब्यावर के पास कर्नल टॉड का बहुत ही प्राचीन और हिस्टोरिकल जगह है। यहां पुराना इनका चर्च है। रिलीजियस ट्यूरिज्म की वहां बहुत संभावनाएं हैं। अच्छे मंदिर हैं। इसको भी कृपया ट्यूरिज्म के हिसाब से जो बजट प्रोवीजन करना हो वह कराने की कृपा कराएं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं कहना चाहूंगा। जो कुछ आपने किया है, माननीय वित्त मंत्री जी ने डाइट डबल किये हैं, ड्रग्स डबल किये हैं। तो डाइट पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह चाहूंगा कि कई सारे अस्पतालों में देखा है कि खाना देना उसके डिस्क्रिएशन पर होता है। मर्जी आए जिसको दे जाए। मर्जी आए जिसको नहीं दे जाए। क्या यह संभव नहीं हो सकता कि अपना डाइट को पेकेट्स में अस्पताल में सप्लाई करें, ताकि करप्शन भी मिट जाए और डिस्ट्रीब्यूटर का डिस्क्रिएशन भी खत्म हो जाए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए मेरा एक और निवेदन होगा, एक सुझाव होगा कि यहां के स्टाफ को और ज्यादा संवेदनशील बनाने के लिए निरन्तर उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाये जाएं। चाहे दो दिन, तीन दिन के रिफ्रेशर कोर्सेज स्टाफ और डाक्टर्स दोनों के लगने चाहिए। जहां तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मैन पावर का सवाल है, माननीय राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ अच्छी तरह जानते हैं कि यहां ट्रांसफर पोस्टिंग की सबसे बड़ी समस्या इतने

(श्री के. सी. चौधरी)

वर्षों से चलती आयी है। मेरा निवेदन होगा कि ट्रांसपेरेंट पालिसी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बना दी जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए।

श्री अध्यक्ष : आ गये आपके सब सजेशन्स।

श्री के. सी. चौधरी : खास तौर पर इस वाले मामले में बहुत ज्यादा तकलीफ है।

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष के भी माननीय सदस्य बोलने वाले बहुत हैं।

श्री के. सी. चौधरी : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस वर्ष के या आगामी वर्ष के लिए जो बजट प्रस्ताव पेश किये गये हैं, उसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, परमात्मा की प्रतिमा के सामने हजारों, लाखों लोग चावल भी चढ़ाते हैं, नारियल भी चढ़ाते हैं, फल भी चढ़ाते हैं, मिठाई भी चढ़ाये हैं। लेकिन परमात्मा उसमें से किसी चीज को, ग्रहण नहीं करता। कहते हैं कि अगर परमात्मा ग्रहण करता है तो मनुष्य के अहंकार को ग्रहण करता है, नाश करता है तो घमण्ड का नाश करता है। शमन करता है तो गर्व का शमन करता है। लोकसभा के चुनाव होने के बाद जिस तरह से हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता के वक्तव्य आते रहे कि मैं किसी भी कीमत पर कांग्रेस को सत्ता में आने नहीं दूंगा, जीते जी सत्ता में नहीं आने दूंगा, तो मैं समझता हूं कि परमात्मा ने राजस्थान की जनता के माध्यम से उस गर्व का शमन पिछले चुनाव में किया, उस अहंकार का नाश किया। हमने हाल ही में विधान सभा के चुनावों में देखा कि वहां इलेक्शन हो रहे थे। जिस तरीके के वक्तव्य चुनाव के दौरान देखे, मैं तो कांग्रेस का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं; हमारे वह साथी जो राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं हैं। जब उनसे भी इस विषय में चर्चा होती थी तो वह लोग आश्चर्य करते क्या बयान आते हैं। अगर राजस्थान की वार्षिक योजना का आकार छोटा किया गया तो मैं अशोक गहलोत का गिरेबान पकड़ लूंगा।

मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे माननीय वित्त मंत्री ने इस बात का उनको कोई मौका नहीं दिया और उन्होंने राजस्थान की आकार से भी बड़ी वार्षिक योजना बनाकर राजस्थान की जनता के सामने पेश की। भारतीय जनता पार्टी का जैसा शासन रहा और प्रतिपक्ष में हमारे साथी सदस्य जिस तरह के आरोप लगातार कांग्रेस पर चालीस साल के राज को लेकर लगाते रहे, खुद के पिछले आठ साल का जिस तरह गुणगान करते रहे और यह कहते रहे कि कांग्रेस ने आलू प्याज के मामले में राजस्थान की जनता को गुमराह किया और उन्हें ठगकर वोट ले लिये। इन्होंने कहा कि हम मूल्य आधारित राजनीति करेंगे।

(श्री संयम लोढ़ा)

आठ साल अध्यक्ष महोदय इन्होंने मूल्य आधारित राजनीति की। लोगों से मूल्य लिया और काम किया।

इन्होंने कहा कि हम जमीन से जुडे लोगों को बढावा देंगे और इनके आठ साल के राज में भू-माफिया पनपता रहा और आम आदमी अपनी छत के लिए तरसता रहा। राजस्थान की जनता ने सोनिया गांधी के सक्षम नेतृत्व पर और राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एकजुटता और उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप कांग्रेस को एक बहुत बड़ा बहुमत प्रदान किया और कांग्रेस उस जिम्मेदारी को महसूस कर रही है। पिछले तीन महिने के शासन में कांग्रेस ने यह दिखाया है कि वह किस मजबूती और किस पारदर्शिता के साथ काम करना चाहती है। शायद राजस्थान पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें मन्त्रियों ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने विधायकों को इस बात के निर्देश दिये कि वह सम्पत्ति की घोषणा करें। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि कांग्रेस की नीयत साफ है और पारदर्शिता के साथ वह काम करना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय, लगातार इस बात पर चिन्तन होता रहा है कि मितव्ययता बढ़ाई जाए और खर्चे कम किये जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हम जिलों में भी देखते हैं, संभाग मुख्यालय पर भी देखते हैं और जयपुर में भी देखते हैं, सरकारी अधिकारियों को इतनी बड़ी बड़ी कोठियां रहने के लिए दी गयी हैं। पांच पांच बीघा, सात सात बीघा की। और चार छह लोग उसमें गार्ड के रूप में रहते हैं। और राजस्थान की गरीब जनता का लाखों रुपया इस रूप में बरबाद हो रहा है।

अभी जोधपुर में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति हैं, उनके लिए जिन आवासों का निर्माण हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, पहले से जो बने हुए बंगले हैं उनमें से खाली जमीन को काटकर उनके लिए आवास का निर्माण किया जा रहा है। जब कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी राज्य मन्त्री का दर्जा प्राप्त है। हम विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों को जो सर्वोच्च पद है शिक्षा के क्षेत्र में, और राजस्थान विश्वविद्यालय में अभी सिर्फ छह पद हैं। तीन सौ रुपये हम पेट्रोल अलाऊंस उनको महीने का देते हैं तो कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिए कि सेक्रेटेरियट में बैठे हुए डिप्टी सेक्रेटरी को आप गाड़ी प्रोवाइड कराएं, उनके ऊपर इतना अनाप शनाप धन व्यय करें।

यदि हम राजस्थान की जनता को वाकई यह संदेश देना चाहते हैं कि हम मितव्ययता से काम करना चाहते हैं, फिजूल के खर्चों पर अंकुश लगाना चाहते हैं, तो इन सब पर रोक लगानी चाहिए। और जो संभाग और जिला मुख्यालयों पर यह सात सात बीघा की कोठियां हैं, सारे अधिकारियों को उस कैम्पस में रुकने की व्यवस्था की जा सकती है। और दूसरे जितने भी बड़े प्लाट हैं, उनकी नीलामी की जानी

(श्री संयम लोढ़ा)

चाहिए जिससे करोड़ों रुपया राजस्थान सरकार को प्राप्त होगा और वह विकास में लगाया जा सकेगा।

मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे कस्बे शिवगंज में कालेज की घोषणा की है।

अध्यक्ष महोदय, दो वर्ष पहले शिवगंज कस्बे में कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई मन्त्री, नेता और मिनि चीफ मिनिस्टर कहे जाने वाले जोधपुर संभाग के इनके पदाधिकारी भी मौजूद थे वहां पर।

(18.00 बजे)

वहां पर जनता, मैं भी कार्यक्रम में मौजूद था क्योंकि सामाजिक समारोह था. वहां हमने यह घोषणा करवा दी कि हम एक साल तक खर्चा देंगे और कालेज की बिल्डिंग बना कर देंगे। परन्तु अध्यक्ष महोदय, जब वह दानदाता जयपुर में आये तो उनको नकार दिया गया और तीन साल का खर्चा 84 लाख रुपये कालेज को खोलने के लिए मांगा गया और वह काम नहीं हो सका।

मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बिना किसी तरह का खर्चा लिये शिवगंज में एक कालेज खोलने की घोषणा की। अगर इस बजट के बारे में मैं एक लाइन में कहूं तो यह मानवीयता से ओतप्रोत बजट है जिसमें शिक्षण संस्थाओं का विस्तार किया गया है, चिकित्सा सुविधाओं का इजाफा किया गया है और खास तौर से महिलाओं के लिए वित्त आयोग की स्थापना की गयी है। पिछड़ा वित्त आयोग की स्थापना की गयी है। विधायक कोष की राशि बढ़ायी गयी है।

अभी दो दिन पूर्व चर्चा के दौरान हमारे माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य मोटर व्हीकल पर जो टैक्स की रियायत दी गयी उस पर बड़े जोर-शोर से एतराज कर रहे थे कि उनका गरीबों से बहुत बड़ा लेना देना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल बिक्री कर में जो काजू, बादाम, पिस्ते, ग्रेनाइट, मार्बल इन पर जो रियायत दी गयी थी, क्या वह इन्होंने गरीबों के हक में रियायत दी थी ?

मैं वित्त मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो फार्म 18 'ए' की व्यवस्था की है बिक्री कर के सम्बन्ध में व्यापारियों के लिए, जो दूसरे राज्यों से माल खरीद कर लाते हैं, पिछली सरकार ने पिछले साल इस तरह की व्यवस्था को लागू किया था। लेकिन एक महीने के बाद इस व्यवस्था को वापस लेना पड़ा था। यह व्यवस्था पूरी तरह अव्यवहारिक साबित होगी। व्यापारी आन्दोलन करेंगे।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर पुनर्विचार करें। दूसरा हम

(श्री संयम लोढ़ा)

आपके प्रति और मुख्य मंत्री महोदय के प्रति मैं ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता दिल से बहुत श्रद्धा रखती है, आपका सम्मान करती है। हम नहीं चाहते कि आपको लेकर कोई तरह के अनगंल स्टंट प्रदेश में हों। इसलिए मेहरबानी करके जो व्यवसाय कर आपने लगाया है, आप उसको वापस लेने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रमजान खान। 2 मिनट।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, 1999-2000 के बजट के ऊपर पिछले तीन चार दिन से लगातार चर्चाएं चल रही हैं और माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यगण जिस ढंग से माननीय वित्त मंत्रीजी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वह चाहे बिजली की रेटें बढ़ाने की बाबत, चाहे चुंगी वापस लगाने के बारे में बात हो, चाहे व्यवसाय कर लगाने के बारे में बात हो, चाहे सिंचाई दरें बढ़ाने के बारे में बात हो, हर चीज में वह वाहवाही कर रहे हैं वित्त मंत्रीजी की कि आपने बहुत अच्छा किया। यह बहुत ही गरीबों का कल्याणकारी अल्पसंख्यकों का कल्याणकारी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाति का कल्याणकारी बजट है और वह बजट बहुत ही अच्छा है।

मैं इस बजट का घोर विरोध करता हुआ माननीय सदस्यगणों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। वे यह सोच रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि अब पांच साल तक वापस चुनाव तो लड़ना नहीं। अब चुनाव तो खत्म हो गये। अब मर्जी आये जितना टैक्स लगाओ और मर्जी आये जितना माल जुटाओ। कोई कहने वाला नहीं है। जब साल दो साल रहेंगे, तब वही चुनावी बजट पेश कर देंगे और वाहवाही लूट लेंगे और वापस इलाके में चले जायेंगे।

मगर आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि 6 महीने के बाद ग्राम पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं। को-आपरेटिव के चुनाव होने जा रहे हैं। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि अध्यक्ष महोदय इन पंचायतों के चुनाव में और को-आपरेटिव के चुनाव में जनता आपसे हिसाब पूछेगी कि यह टैक्स हमारे ऊपर किस ढंग से लागू किया। फिर यह आप लोगों का सोचना है। मगर मैं तो इस बजट का विरोध करता हूं।

अब इस बजट में दो बात झलकती हैं अध्यक्ष महोदय, एक तो राजनैतिक भेदभाव और एक वर्ग विशेष भेदभाव इस बजट के अन्दर झांकता है। पहली बात तो मैं निवेदन करना चाहता हूं राजनैतिक भेदभाव के बारे में कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट में जहां नाथद्वारा के तीर्थ स्थान के लिए लिखा है कि यहां पर सैंकड़ों विदेशी पर्यटक आते रहते हैं, इसलिए नाथद्वारा में उचित स्तर की चिकित्सा सुविधा होना आवश्यक है। स्थानीय जनता संसाधनों द्वारा भवन उपकरण उपलब्ध करवायेगी। करवा दिये जाने पर नाथद्वारा को राजकीय चिकित्सालय उच्चकृत कर 200

(श्री रमजान खान)

बिस्तरों का चिकित्सालय क्रमोन्नत कर दिया जायेगा। नाथद्वारा के चिकित्सालय को क्रमोन्नत माननीय वित्त मंत्रीजी कर रहे हैं, इसमें मुझे कोई विरोध नहीं है। नाथद्वारा सही मायने में भी एक बहुत अच्छा धार्मिक स्थल है। पूरे हिन्दुस्तान की हिन्दुओं की आस्थाओं से जुड़ा हुआ धार्मिक स्थल है।

परन्तु अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि तीर्थराज पुष्कर तो विश्व विख्यात तीर्थ स्थल है। देश विख्यात नहीं है। नाथद्वारा तो देश विख्यात है और पुष्कर तो विश्व विख्यात स्थान है। सब तीर्थ स्थलों का गुरु है और वहां पर चिकित्सालयों की इतनी बुरी हालत है।

अध्यक्ष महोदय कि केवल मात्र 30 बिस्तर है वहां पर। और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान इस बजट की किताब में नहीं दिया गया। अच्छा होता कि नाथद्वारा के साथ साथ तीर्थराज पुष्कर के प्राथमिक चिकित्सालयों को भी क्रमोन्नत करने की वित्त मंत्रीजी मेहरबानी करते। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस बजट की किताब के अन्दर 5–6 धार्मिक स्थलों के लिए 20-20 लाख रुपये का प्रावधान किया। उसमें पुष्कर के लिए भी 20 लाख रुपये दिये। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत हृदय से आभारी हूं।

लेकिन वित्त मंत्रीजी पुष्कर तीर्थों का गुरू है। हजारों लोग, तीर्थ यात्री रोज वहां पर आते हैं। 20 लाख रुपये से काम चलने वाला नहीं है। पिछली सरकार ने करोड़ों रुपये तीर्थराज पुष्कर की बहबूदी के लिए दिये हैं। इसलिए कम से कम पुष्कर-राज के लिए तो एक करोड़ का प्रावधान आपके बजट भाषण के अन्दर करें तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा 5 स्थानों पर 20-20 लाख रुपये दिये इसमें कोई बुरी बात नहीं।

मगर आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस बजट की किताब के अन्दर एक भी अल्पसंख्यक समुदाय का एक भी धार्मिक स्थल इसके अन्दर शामिल नहीं किया। एक भी। जो आपके अल्प–संख्यक समुदाय की हितैषी सरकार बनती है, जिसके बलबूते पर आप जीत कर आये हैं, एक भी, एक भी अगर नाममात्र आप करते, तो मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छा का करते।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली सर–कार जिसे आप साम्प्रदायिक सरकार कहा करते हैं, इसका रटन करते हैं इस सरकार ने 1991 में गरीब नवाज की दरगाह शरीफ के लिए 7 करोड़ 60 लाख रुपये दिये। 1995 में नागौर शरीफ की दरगाह के लिए 1 करोड़ रुपये दिये और 1997 में सरवाड़ दरगाह शरीफ के लिए एक करोड़ रुपया दिया। और 1998 में 786 उर्स शरीफ के लिए पिछली सरकार ने जिसे आप साम्प्रदायिक सरकार कहते हैं 16

(श्री रमजान खान)

करोड़ रुपये एक मुश्त दिये ।

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए धार्मिक स्थलों के लिए भी कुछ न कुछ करें । अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : बोल लिये आप ।

श्री रमजान खान : सदन में कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति बोला नहीं है। दो मिनट में मेरी बात खतम करूंगा । इसके अलावा वक्फ बोर्ड का मामला है अध्यक्ष महोदय । माननीय वित्त मंत्रीजी आपने वक्फ बोर्ड के लिए इस किताब के अन्दर एक पैसे का भी प्रावधान नहीं किया। वक्फ बोर्ड का मंत्री अलग, सरकारी महकमा बगैर पैसे कैसे वक्फ बोर्ड चलेगा यह बात मेरी समझ में नहीं आती । इसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग के अन्दर जो आपने प्रकोष्ठ गठन करने की बात की है अल्पसंख्यकों के लिए, इसके लिए तो आप बहुत मुबारकबाद के पात्र हैं ।

परन्तु आप विचार करिये कि इसके लिए जो धन का प्रावधान आपने तीन करोड़ रुपये किया है, अब 50 लाख की आबादी राजस्थान के अन्दर तीन करोड़ का प्रावधान। कैसे आप उनके धन्धे खुलवा कर के अल्पसंख्यकों को देंगे ? प्रति अल्पसंख्यक 6 रुपये हिस्से में आते हैं । इसलिए इस राशि को भी आप बढ़ाने की कृपा करें ।

इसके अलावा एक आखरी बात कह कर मेरी बात समाप्त करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि यह जो आपने प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोलने की बात कही है, यह बहुत ही अच्छी बात है । और यह 12 सौ रुपये में आप अंशदान देकर के मास्टर वहां रखोगे, यह तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि, जो अच्छी बात हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। आपके 10 हजार रुपये जो मास्टर लेता है, उससे अच्छा पढायेंगे इसमें कोई दो राय नहीं। परन्तु उसमें 619 मदरसे आपने शामिल किये हैं और 619 मदरसे करीब करीब सभी शहरी क्षेत्रों में आते हैं। और यह पूरा का पूरा प्रावधान आपने ग्राम पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया है ।

अब आप विचार कर लीजिए यह किताब इसके अंदर पूरक अनुदान दिया है तो पंचायतों की और ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं किया । अब आप हाथ हिला दें तो बहुत अच्छी बात है । 619 मदरसों के अन्दर भी जिस ढंग से आप प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोल रहे हैं..

श्री चन्दन मल बैद (वित्त मंत्री) : शिक्षा संस्थाएं भी लिखा है । उसमे मान्यता प्राप्त संस्थाएं लिखा है । मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पंचायतें और मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं ।

श्री रमजान खान : शहरी एरिया थोड़ा आप मिला लेतें तो उसमें मेरे को गलतफहमी नहीं होती ।

श्री चन्दन मल बैद : लिखा हुआ है उसमें ।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार ।

श्री रमजान खान : जैसे ही आप प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोलें । 12 सौ रुपये तनख्वाह के .. (व्यवधान) मैं इस बजट का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय इस 1999 के बजट के अनुमानों का समर्थन करते हुए मैं अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान्यवर अध्यक्ष महोदय....

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपने माननीय सदस्य धन्यवाद ही धन्यवाद दिये इतने सारे। फिर बजट का विरोध क्यों कर रहे हो ।

श्री श्रवण कुमार : 1999 के बजट में माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने पुराने अनुभव का राजस्थान सरकार को जो फायदा दिया है और स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए एक हजार से 1250 रुपये किया है; इसके लिए मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 6127 करोड़ का कर्जा जो कांग्रेस सरकार के टाइम में था, बी.जे.पी. के टाइम में 23533 करोड़ हुआ ।

अब आपने जो नये वित्तीय वर्ष की योजना 5022 करोड़ की रखी है, जो यह 23.15 प्रतिशत से अधिक है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो उत्पादन बढ़ोतरी; रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बिजली, सिचाई को प्राथमिकता देने की योजना का मुख्य लक्ष्य रखा है, इससे सिद्ध होता है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पारदर्शी, संवेदनशील सरकार देने का जो पक्का इरादा किया था, वह उस पर कायम हैं ।

मैं मान्यवर वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि पर इस वर्ष 278 करोड़ की जो राशि रखी है, यह बहुत कम है । क्योंकि 75 परसेंट जनता गांवों में रहती है । आपने कृषि जैसी महत्वपूर्ण योजना पर जो रखा है, यह केवल मात्र ऊंट के मुंह में जीरा है । आपने 20,000 रुपये किसानों को फव्वारों के सेंट्स पर अनुदान देने की जो प्रक्रिया रखी है, यह भी मात्र ऊंट के मुंह में जीरा है। क्योंकि पानी का जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है और किसान पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है । पानी की महती आवश्यकता को देखते हुए ड्रिपिंग सिस्टम जो आप लागू करना चाहते हैं और फव्वारों को जो महत्व देना चाहते हैं; उससे 20,000 से किसान का काम नहीं चल सकता है ।

इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसान की इस आवश्यकता को देखते हुए कम से कम 50,000 रुपये फव्वारा सेंट्स पर अनुदान देने का जो लक्ष्य रखा है; इसको बढ़ाया जाए जिससे किसानों को फायदा मिल सके । राजकीय व स्वैच्छिक नर्सरीज खोली जाएं और किसानों को इस सम्बन्ध में विशेष प्रशिक्षण दिया जाए जिससे ड्रिप सिंचाई का जो

(श्री श्रवण कुमार)

दुरुपयोग है, उसका सदुपयोग किया जाए। और इस सम्बन्ध में जगह–जगह गांवों में प्रशिक्षण दिलवाकर प्रत्येक किसान को टूलकिट वितरित कराये जाएं जिससे किसान अपना काम स्वयं कर सकें।

झुंझुनूं जिला एक किसान प्रधान जिला है जहां बिजली की महती आवश्यकता है और जहां बिजली की आवश्यकता है तो वहां पानी के बगैर बिजली की कोई आवश्यकता नहीं मानी जाती है। वहां सरसों चना, हर फसल अन्य जिलों से ज्यादा पैदा होती है। कुओं से तो वहां कृषि उपज मंडियां डी क्लास की हैं, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं वहां बी क्लास की कम से कम 2-3 मंडियां हों जिससे किसान को अधिक फायदा मिल सके। और आपने जगह-जगह सिंचाई की जो अव्यवस्था हो रही है, एनीकट्स लगाकर पानी का स्तर ऊंचा लाने के लिये प्रयास किये जाएं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पंचायत राज की बात आयी। पंचायत राज में आपने जो जिला प्रमुख को अध्यक्ष बनाकर पंचायत राज को सुदृढ़ किया है, इस पर मेरा एक सुझाव है कि आपके मंत्रिमंडल में जो केबिनेट का एक फैसला हुआ है कि प्राइमरी स्कूलों के साथ में मिडिल स्कूलों को दिया जाएगा, यह आपने 88 में दिया था जिसका रिजल्ट बड़ा खराब रहा है। और 88 में अध्यापकों की सर्विस बुक खो गयी थी वह आज तक नहीं मिली।

किसान, गरीब किसानों के बेटे गांव में पढ़ते हैं। अच्छे करोड़पतियों के बेटे तो दिल्ली और बम्बई में जाकर पढ़ते है, यहां इंगलिश स्कूल में पढ़ते हैं। तो गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा ...यह जो

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मिडिल स्कूल आप प्राइमरी स्कूलों के साथ दे रहे हो, उससे राजनीतिकरण हो जाएगा और इस तरह अन्याय हो जाएगा कि शिक्षा के नाम से चिढ़ हो जाएगी। मैं इसका विरोध भी करता हूं कि प्राइमरी स्कूलों के साथ जो मिडिल स्कूल दी जाएगी, इससे गरीब किसानों का, गरीब लोगों का तो बहुत बड़ा अहित होगा।

पंचायतों का जो आपने फाइव टायर किया था यह भी असफल हो गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि थ्री टायर करके पंचायत को सुदृढ़ किया जाए। जिला परिषद का सदस्य पंचायत का सदस्य नहीं है। पंचायत समिति का सदस्य वह पंचायत का सदस्य नहीं है। वह मीटिंग में नहीं आ सकता। इस तरह की अव्यवस्था को देखते हुए पुनः थ्री टायर करके पंचायत को सुदृढ़ किया जाए। राजस्थान....

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल सिंगारिया।

श्री श्रवण कुमार : एक बार रुको तो सही। शिक्षा की बात तो आयी ही नहीं है। राजस्थान सरकार में जो..(व्यवधान) बी.जे.पी. की सरकार ने पांच साल में शिक्षा को बेचा, चिकित्सा को बेचा और

(श्री श्रवण कुमार)

सड़कों को तो खो ही दिया। मैं तो पूरे पांच साल एम. एल. ए. रहा। मुझे मालुम नहीं कि गुलाबचन्द जी कटारिया ने एक स्कूल दी। मैं धन्यवाद दूंगा चन्दन मल जी को, जो 400 स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक करने का लक्ष्य रखा और 200 का सीनियर करने का रखा। जिससे गांवों में बोलने लायक तो रह गये। इन्होंने तो पांच लाख रुपये देने का सीनियर....

श्री अध्यक्ष : आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री बाबूलाल सिगारिया।

श्री श्रवण कुमार : एक और रह गया, बहुत महत्वपूर्ण है। सड़कों का रह गया। मैं चन्दन मलजी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि तेल के भाव बढ़ गये और साथ में आपने भी सड़कों को तो तोड़ ही दिया था।

टायरों का जो आपने 8 परसेंट से 13 परसेंट किया, यह बहुत बड़ा अन्याय किया। ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो गया है और ट्रांसपोर्टेशन के महंगे होने का नुकसान किसान को हो रहा है। जो मकान बनायेगा तो बजरी मंगायेगा, पत्थर मंगायेगा, सब कामों में किसानों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। 8 परसेंट से 13 परसेंट किया है इसको पुनः 8 परसेंट किया जाए। इससे किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा।

बिजली की छीजत की जो आपने बात

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कही..बिजली में जो छीजत हो रही है, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा इस छीजत को ठीक करवाएं और गांवों में कम से कम पांच हार्स पावर तक की मोटरों का जो यह पारदर्शी सरकार आयी है, किसान का जो पैसा बढ़ा रहे हो, कम से कम यह नहीं बढ़ाओ। इस गरीब किसान ने आपको राजस्थान में आज अन्न का बहुत बड़ा भण्डार पैदा करके दिया और अगर आप किसानों का भला करोगे तो बहुत बड़ा भला होगा। इस तरह यह क्रिकेट के ऊपर पैसा खर्च करते हो। यह पैसा क्रिकेट वालों से हटाओ और आज किसान को बिजली देकर देश को आगे बढ़ाओ।

पूर्व सरकार ने पी.पी.ओ. पर हस्ताक्षर करवा करके ऐसे-ऐसे लोगों को बेच दिया जिसने करोड़ों रुपये कमा लिये। मैं वित्त मंत्रीजी से, बिजली मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पूर्व सरकार की तरह....

श्री अध्यक्ष : ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर दिया आपने। आगाह कर दिया। श्री बाबूलाल सिगारिया।

श्री श्रवण कुमार : आप हस्ताक्षर करवा करके हटवा मत देना। नयी इकाई पैदा करके पावर प्रोजेक्ट लगवा करके किसानों को बिजली दें, जिससे राजस्थान की जनता को एक राहत मिले और....

श्री अध्यक्ष : बैठें-बैठें। आप बैठिये... (व्यवधान) बैठिये।

श्री श्रवण कुमार : दिक्कत उठानी

(श्री श्रवण कुमार)

नहीं पड़े। और उस पारदर्शी सरकार को; हमारे मुख्य मंत्रीजी किसान के बेटे हैं, पहली बार राजस्थान में किसान का बेटा मुख्य मंत्री बना है। इससे किसानों को ज्यादा हक है कि किसान का बेटा मुख्य-मंत्री बनते ही हमारे राजस्थान में बिजली की रेट बहुत सस्ती हुई है। और आप एक करोड़ रुपया प्रतिदिन का खर्च करके तो बिजली का हाहाकार मचता था, बी.जे.पी. के राज में गोलियां चलती थीं, हम लोगों को लाठियां खानी पड़ती थीं, मुख्य मंत्री जी ने अबकी बार मालूम नहीं होने दिया। हमें यह नहीं मालूम होने दिया कि बिजली का समय भी आता है क्या।

मैं रामसिंह जी विश्नोई, पी.एच.ई.डी. मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस तरह बिजली मंत्री जी ने तीन महीने हमारे सुख शांति से निकलवाये हैं, उसी तरह पानी वाले मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि हमें कहीं लाठी नहीं खानी पड़े और खाली मटके हमारे सिर नहीं फूटे। आप भी पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से करें। और जो नकली मोटर हैं, पी.एच.ई.डी. विभाग में खरीदी जा रही हैं, उस पर अंकुश लगवाएं। असली मोटरें खरीद करके आपके कर्मचारियों को सुदृढ़ रूप से काम करने के लिए इन्स्ट्रक्शन दें कि वह तीन महीने तक जागरूक रहें और किसान; जो गरीब लोग पानी के लिए तरसते हैं, उनको पानी दें। और हमारे मुख्य मंत्रीजी का सपना साकार करें और पारदर्शी सरकार का जो सपना है, वह सही करें।

मैं पुनः चन्दन मल जी को अपने 52 से लेकर 99 तक के एक्सपीरियंस का राजस्थान सरकार को जो उन्होंने नमूना दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पर मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की तरफ आपकी दोनों नजरें खुली रहनी चाहिए। हर समय चूरू के वित्त मंत्री बनते हैं कहीं चूरू इन्हें डुबो मत देना। धन्यवाद जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, बैठिये आप। स्टोप लाइन। वित्त मंत्री जी का उत्तर प्रारम्भ करना है।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय नेता आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अन्दर कांग्रेस राज की स्थापना हुई। उसके अन्तर्गत पहला बजट सन् 1999-2000 का जो प्रस्तुत किया गया, वह जन कल्याण के हिसाब से बनाया गया। इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। इस बजट के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है उसके लिए पूर्व में जो छात्रवृत्ति दी जाती थी, जो बीस साल से नहीं बढ़ायी गयी, वह इस बजट के अन्दर बढ़ायी गयी। कांग्रेस सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है।

मैं उसके अन्दर सुझाव रखना चाहूंगा कि जहां अनुसूचित जाति को राहत दी गयी है, वहां पर कांग्रेस राज के अन्दर अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को पूर्ण

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

सुरक्षा मिले, उनके हितों की रक्षा हो; उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20-11-97 की पालना करवाने एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16-9-98 को रद्द करवाने बाबत।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केन्द्र और राजस्थान सरकार ने अपने अधीन समस्त विभागों, उपक्रमों और निकायों को विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए रिक्तियां आधारित रोस्टर प्रणाली के आधार पर नयी रिक्ती आधारित रोस्टर प्रणाली लागू कर दी थी। आर के. सब्बरवाल बनाम पंजाब राज्य तथा अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ में नयी रिक्तियां आधारित रोस्टर प्रणाली के अन्तर्गत दो मूलभूत सिद्धांत प्रतिपादित किये थे कि आरक्षित वर्गो को सभी समूहों में निर्धारित आरक्षण प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय लेकिन यह प्रतिनिधित्व संवर्ग...

श्री अध्यक्ष : आप क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री बाबूलाल सिंगारिया : जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं हो, एस.सी. के खिलाफ जो यह फैसला हुआ, मैं यह चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार यह रद्द करवाए और एस.सी. को पूर्ण सहायता प्रदान करें।

सूचना

बीकानेर के चिड़ियाघरों में काले हिरणों को मारे जाने की घटना को लेकर विश्नोई समाज के साधु-संतों का धरना

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, काले हिरणों के बारे में जो सुबह चर्चा चल रही थी, उसके बारे में वन्य जीव प्रेमी जो हैं उनके आज भी साधु सन्त वहां पर धरने पर बैठे हैं।

मुख्य मंत्री महोदय उस समय विराजमान नहीं थे। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया उससे सदन के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। मैं आपके मार्फत मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई आयोग गठित करें या इस तरह की उच्च जांच करा दें ताकि लोगों को....

श्री अध्यक्ष : चर्चा हो चुकी है। बड़े लम्बे समय तक चर्चा हो चुकी है।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह मामला केवल विश्नोई समाज का ही नहीं है यह पूरा सदन भी आपकी इन भावनाओं में अपने आपको शामिल करता है।

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आज भी साधु-संत,...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई विषय नहीं है।

श्री हीरालाल विश्नोई : आज भी साधु समाज के लोग वहां पर धरने पर बैठे हैं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, यह पूरा सदन जीव प्रेमी है। इसमें ना केवल विश्नोई समाज का है, मैं माननीय मंत्री

(श्री राजेन्द्र पारीक)

महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी हाई लेवल आफिसर से, जो डिविजनल कमिश्नर रैंक के अधिकारी हो, उनसे इस बात की इन्क्वायरी करा लें....(व्यवधान) ताकि पूरा सदन इस बात से आश्वस्त होगा कि जो कुछ भी घटना घटी है उसमें न्याय होगा....(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : लोगों में दहशत है। उसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय किसी उच्च अधिकारी से इसकी जांच करा लें। कोई डिविजनल कमिश्नर रैंक अधिकारी इसकी जांच कर लें। यह मामला केवल विश्नोई समाज का नहीं है। बल्कि पूरा सदन भी विश्नोई समाज की भावनाओं में अपने आपको सम्मिलित करता है। तो किसी डिविजनल कमिश्नर रैंक के अधिकारी से इसकी जांच करवाई जाये माननीय मंत्री महोदय से इस बात की मांग करते हैं हम सब।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने जवाब दे दिया....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह तो मुख्य मंत्री जी का ध्यानाकर्षित कर रहे हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई : मुख्य मंत्रीजी से हम न्याय चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी के जवाब को तो सदन सुन ही चुका है.... (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इनको तो जो जवाब देना था, दे दिया। हम इसकी उच्च स्तर पर जांच कराना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें, माननीय सदस्य। चर्चा हो गयी।

श्री हीरालाल विश्नोई: चर्चा हो गयी। उस टाइम मुख्य मंत्री जी नहीं थे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य पर चर्चा हो गयी। अब दुबारा क्या उठा रहे हैं आप ?

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी उस टाइम विराज नहीं रहे थे और मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया उससे कोई माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं और आज भी लोग वहां पर धरने पर बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय विश्नोई जी, मंत्रीजी बोल रहे हैं कुछ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, माननीय सदस्य। मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिये तो सही।

श्री भगराज चौधरी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण) : अध्यक्ष महोदय; सदन के दोनों तरफ के माननीय सदस्यों

(श्री भगराज चौधरी)

द्वारा इस संबंध में जो बीकानेर पार्क में हिरणों को कुत्तों द्वारा मारे जाने की घटना के बारे में विभागीय अधिकारियों द्वारा अन्य किसी निष्पक्ष बड़े अधिकारी द्वारा जांच कराने की जो मांग की है। मैंने इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय से वार्ता की है और वार्ता के पश्चात मैं अपने बीकानेर डिविजनल कमिश्नर के द्वारा इस घटना के बारे में जांच करके एक महीने में रिपोर्ट देने की घोषणा करता हूं और आदेश देता हूं।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री अध्यक्ष : अब आ गयी बात, आ गयी। वित्त मंत्री जी।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री चन्दन मल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा 26 तारीख को बजट पेश करते वक्त मैंने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान के साथ याद किया था और उनकी सम्मान मानदेय राशि को एक हजार से बढ़ाकर 1250 किया था। मैं आज यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सम्मान मानदेय राशि 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया जाये।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि किसी स्वतंत्रता सेनानी के स्वर्गवास के बाद उन के परिवार को जो उन पर निर्भर हो या उनकी विधवा को यह राशि, उतनी ही राशि, उसी दिन से जिलाधीश की जिम्मेवारी को लेकर के उसी दिन से उनको यह राशि स्वीकृत हो जाये। उसी दिन से उन को मिलनी शुरु हो जाये और किसी दूसरी चीज की प्रक्रिया उसके लिये पूरी नहीं करनी पड़े।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अभी उनको चिकित्सा के लिये सालाना 3 हजार रुपये की पुनर्भरण राशि मंजूर की हुई है, उसको बढ़ा कर के 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति कर दी जाये। वैसे विशेष बीमारियों के वक्त में उनको विशेष धनराशि देने का प्रावधान तो है ही। और माननीय मुख्य मंत्री जी के कोष में ढाई करोड़ रुपये का हमने इस साल जो प्रावधान किया है। और इतना ही प्रावधान भारत सरकार की तरफ से जो आने वाला है। और कुल मिलाकर 5 करोड़ का प्रावधान हो जायेगा। इन लोगों के लिए उसमें भी काफी राहत हो सकती है। तो कोई विशेष बीमारियां होंगी तो माननीय मुख्य मंत्रीजी के कोष से इनको सहायता दी जा सकेगी। यह भी रख रहा हूं। मैंने यह उचित समझा कि स्वर्ण जयन्ति वर्ष के वक्त में जब मैंने अपना बजट उसी बात से शुरू किया था तो आज बहस का जवाब देते वक्त भी मैं इसी बात से अपनी शुरूआत करूं।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट को जो मैंने स्वर्ण जयन्ति वर्ष के उपलक्ष में पेश किया है, उस वक्त प्रायः सदस्यों ने खासकर मेरी तरफ बैठने वाले सदस्यों ने कई बार तालियां बजाकर उसका स्वागत किया।

(श्री चन्दन मल बैद)

मुझे खुशी इस बात की है कि प्रतिपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी कई बार तालियां बजाकर के कई प्रावधानों का स्वागत किया। एक बार तो ऐसा भी आया कि प्रतिपक्ष के सारे ही माननीय सदस्यों ने इस बजट के प्रस्ताव का स्वागत किया। मैं उनका भी बहुत आभारी हूं। मेरी तरफ बैठने वाले सदस्यों का भी बहुत आभारी हूं कि इन्होंने इस तरह से उसका स्वागत किया।

मेरी तरफ बैठने वाले सदस्यों ने तो बजट में बहस के दौरान बजट को अच्छा बताया ही, प्रशंसा भी की, बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव भी दिये। प्रतिपक्ष में बैठने वाले सदस्यों ने भी बहुत अच्छे विचार प्रकट किये। अच्छे सुझाव भी दिये, आलोचना भी की। उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

इस बात का मुझे पूरा अहसास है कि जो सबसे बड़ी आलोचना इस बजट की हुई है वह यह है कि पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया था और जो मैंने आलोचना की थी कि आपने राजस्व घाटा बढ़ा दिया है। आपने कर्जा बढ़ा दिया है। आपके ब्याज की राशि बहुत बड़ी हुई है और आपको राजस्व खर्चे को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। वह मैंने जो आलोचना की थी। विपक्ष के सदस्यों का यह कहना है कि मैंने जो आलोचना की थी, उन्हीं रास्तों पर मैं भी चल पड़ा। और मैंने जो बजट पेश किया है उसमें भी राजस्व घाटा इतना ज्यादा है कि उस राजस्व खर्चों को पूरा करने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। यानि पूंजी खाता जो है, उससे पैसा लेकर के राजस्व घाटे को पूरा करना पड़ रहा है। कर्ज की राशि भी जो पहले 23 हजार थी वह अब 28 हजार हो गयी। और जो ब्याज की राशि थी वह भी बढ़कर 2243 करोड़ रुपये से 2682 करोड़ रुपये हो गयी। मैं मानता हूं कि यह जो आंकड़े उन्होंने दिये, जो बातें कहीं, वह सही हैं। मैंने जो आलोचना की थी, वह भी उचित थी और आपने जो आलोचना की वह भी उचित है।

लेकिन मैं यह मानता हूं, इस बात को कि मेरी तरफ बैठने वाले सदस्यों को तो इस बात का विश्वास है कि जो विषम वित्तीय परिस्थितियों में हमनें इस सारी चीज को संभाला है उसको हम ठीक करेंगे। उनको विश्वास है इस बात का और थोड़ा धैर्य भी है। लेकिन विपक्ष में बैठने वाले, प्रतिपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों को यह बड़ी उतावली है इस बात की कि खराब वित्तीय स्थिति को इस वित्त मंत्री ने 4 महीने में ही सुधार क्यों नहीं दिया। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे साथ बैठने वालों को जितना मेरे ऊपर विश्वास है, उससे ज्यादा विश्वास प्रतिपक्ष में बैठने वालों को मेरे ऊपर है। वह यह समझते हैं कि मैं दो साल में ही सुधार सकता हूं। यह समझते हैं तो उनका यह विश्वास मेरे ऊपर है कि 4 महीने में इसको सुधार देना चाहिए था। इस विश्वास के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। उन्होंने कहा है कि आपने जिस विषम परिस्थिति में इस राजस्थान को छोड़ा है,

(श्री चन्दन मल बैद)

अभी-अभी मुझे एक ब्रह्म ऋषि की तरफ से एक आशीर्वाद मिला है, 100 वर्ष जीने का। 100 वर्ष तो मैं नहीं जीना चाहता, लेकिन अगर मैं 5 साल जिन्दा रह गया तो यह आपको करके दिखाऊंगा, राजस्व घाटे को राजस्व बचत में बदल कर दिखाऊंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : आप जो काम कर रहे हैं, वह बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसलिए आपकी उम्र बढ़ गई है, आप 10 साल जिन्दा रहेंगे।

श्री चन्दन मल बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 7 दिसम्बर को वित्त विभाग का भार सम्भाला था। भार सम्भालते ही मेरी समझ में आ गया था कि मैं बहुत बड़े कर्ज और ब्याज और घाटे के भंवरजाल में फंस गया हूं। मैंने उसी समय 11 दिसम्बर को ही भारत के वित्त मंत्री को पत्र लिखा। मैंने उनको कहा है कि यह मेरी ही स्थिति नहीं है। पांचवें वेतन आयोग के कारण से देश के सारे प्रदेशों की एक ही स्थिति है। सब राजस्व घाटे के बहुत बड़े बोझ के नीचे दबे हुए हैं, हम सब राज्य राजस्व घाटे के बहुत बड़े बोझ से दबे हुए हैं। हमको रोज रिजर्व बैंक की तरफ से ओवरड्राफ्ट के लैटर, जिन्हें मैं लव लैटर कहता हूं, वे लव लैटर मिलते रहते हैं। अगर सारे स्टेट्स में से चार-पांच के भी पेमेंट बंद हो गए, हम लोगों की इज्जत अगर चली गई तो भारत सरकार की इज्जत कहां कायम रहेगी।

इसलिए मेहरबानी करके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में सभी वित्त मंत्रियों की एक बैठक बुलाई जाए। और बैठक बुलाकर इस बात पर विचार किया जाए कि किस तरह से हम सारे देश की वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। आज जरूरत है इस बात की कि हम एक आम सहमति बनाएं। अगर हम आम सहमति नहीं बनाते हैं तो आपस में होड़ से एक दूसरे का नुकसान करते हैं। आज कोई व्यापारी या उद्योगपति पंजाब के पास जाता है तो कहता है कि हरियाणा मुझे इतनी रियायत दे रहा है, आप कितनी रियायत दे रहे हैं। हरियाणा उससे ज्यादा देता है तो राजस्थान के पास जाता है कि हरियाणा मुझे इतनी रियायत दे रहा है, आप कितनी दे रहे हैं। इस कम्पीटिशन से नुकसान किसका होता है, प्रदेश की जनता का होता है, हिन्दुस्तान की जनता का होता है। इस तरह से हम आपस में रेट वार चलाते हैं और वह रेट वार अभी तक चल रहा है।

मैंने मोटर व्हीकल पर टैक्स 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया। इस लिए किया कि दिल्ली में 4 प्रतिशत था। लोग दिल्ली से मोटर लेकर आ जाते थे और मेरा सारा का सारा टैक्स चला जाता था। मैंने उसे 4 प्रतिशत किया। किन्तु अध्यक्ष महोदय, उन्होंने 2 प्रतिशत कर दिया मेरे करते ही। यह जो रेट वार चल रहा है, मैं चाहता था कि हम सब मिल करके बैठें और इस तरह की व्यवस्था बनाएं कि हमको कितनी सुविधा किसको देनी है और किस तरह से देनी है। किस तरह से हमारी सैल टैक्स की रेट और

(श्री चन्दन मल बैद)

दूसरी रेट्स हैं, उनकी क्या फ्लोर रेट्स तय करनी है।

अभी सूरतगढ़ में नॉर्दन जोन कौंसिल की मीटिंग हुई, उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी भी मौजूद थे। हमने सबने यह तय किया कि इन सारी 15 चीजों पर हमारी फ्लोर रेट्स एक हो, उससे नीचे हम नहीं जाएंगे, ऊपर चाहे कितने भी चले जाएं। दिल्ली भी उसमें शामिल था। 10 चीजों पर तो हमारी फ्लोर रेट्स आ गईं, 5 चीजों पर मैंने रोक रखा था माननीय मुख्य मंत्रीजी की इजाजत से, कि देखते हैं कि दूसरे स्टेट क्या करते हैं। आटोमोबाइल पर हमारी फ्लोर रेट थी 10 प्रतिशत। मैंने उसे 6 प्रतिशत से 4 प्रतिशत करके देखना चाहा, उन्होंने दो प्रतिशत कर दिया।

मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को इस बात के लिए लिखा कि मेहरबानी करके आप इस तरह की मीटिंग बुलाइए और इस बात को तय कीजिए। आज पंजाब अगर किसानों को फ्री बिजली देता है तो हरियाणा को देनी ही पड़ेगी। हरियाणा देता है तो राजस्थान को देनी ही पड़ेगी।

अगर हम इसी तरह से अपने बिजली बोर्डों को घाटे में लाते चले जाएंगे तो जिन लोगों को बिजली मिली हुई है, वे तो सुविधा ले लेंगे लेकिन जिन नए लोगों को बिजली देना चाहते हैं, उनका क्या होगा? अगर हमारा बिजली बोर्ड घाटे में चला जाता है हजारों करोड़ रुपए के तो वह न तो विस्तार कर सकता है, न ही हम नई बिजली योजनाएं लगा सकते हैं। जिन लोगों को बिजली आज तक नहीं मिली है, उनका क्या होगा?

इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इस तरह की योजनाएं बनाएं इस तरह की सहमति लें सारे देश में, और सहमति लेकर हम सब एक राय लें लेंगे तो मैं समझता हूं कि एक दूसरे के प्रति नाराजगी नहीं होगी। पंजाब फ्री बिजली देता है, हरियाणा की सरकार के प्रति हरियाणा के किसानों की नाराजगी होती है। हरियाणा फ्री बिजली देता है तो राजस्थान की सरकार के प्रति राजस्थान के किसानों की नाराजगी होती है। तमिलनाडू फ्री बिजली देता है तो आन्ध्रप्रदेश के किसानों से आंध्रप्रदेश सरकार को और कर्नाटक को परेशानी होती है। इस वास्ते मैंने उन को लिखा कि इस तरह से काम कीजिए।

दूसरा मैंने उनको यह भी लिखा कि मेहरबानी करके इस तरह का काम कीजिए आज हमारे ऊपर पांचवे वेतन आयोग के कारण इतना कर्जा बढ़ गया है कि भारत सरकार का, और उसका ब्याज इतना बढ़ गया है कि हमारा राजस्व खाता घाटे में चला गया। सारे स्टेट्स का यही हाल है।

अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपको थोड़े से आंकड़े पेश करूंगा। वैसे उनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इससे आपको मालूम पड़ेगा कि सारे स्टेट्स की क्या

(श्री चन्दन मल वैद)

हालत है। मैंने कहा कि कम से कम इसको आप कुछ वर्षों के लिए, कुछ दिनों के लिए स्केटर कर दीजिए, री-शिड्यूल कर दीजिए जिससे कि हम लोग सांस ले सकें, जिससे कि हम अपने वित्तीय तरीकों में सुधार कर सकें। यह मैंने सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स को लिखा है। मैंने लिखा है कि मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को लिखें जिससे कि हम सब की लॉबी बना करके उन पर एक प्रेशर पड़े। प्रेशर पड़ने के कारण से हमको सुविधा मिल सके।

मुझे खुशी है कि बहुत से वित्त मंत्रियों ने मुझे पत्र लिख कर इस बात के लिए खुशी जाहिर की है कि आपने अच्छा किया कि हम सब लोग मिल करके इस बात को उठाएं और रखें। मैंने यह भी उनको लिखा कि इलेवंथ फाइनेंस कमीशन आ रहा है। उसके सामने हम लोग सब मिल करके इस बात को रखें कि पांचवे वेतन आयोग के कारण से हमारे सब स्टेट्स की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। और टेंथ फाइनेंस कमीशन को मालूम था कि पांचवा वेतन आयोग आने वाला है और उसका भार सब स्टेट्स पर पड़ने वाला है। उसके बावजूद भी उन्होंने इसका कोई प्रोविजन नहीं किया तो कम से कम हम इलेवंथ फाइनेंस कमीशन को यह बात कहें कि उन्होंने इस पर विचार नहीं किया। आप इस पर विचार कीजिए। और हमारे ऊपर जो कर्ज बढ़ गए हैं भारत सरकार का, और हमको जो इतना ब्याज चुकाना पड़ रहा है, इसके कारण से हमारा राजस्व खाता बराबर घाटे में जा रहा है। राजस्व खर्च पूरा करने के लिए, रोजमर्रा के खर्च पूरे करने के लिए हमको कर्जा लेना पड़ रहा है। तो यह बहुत विषम स्थिति बन रही है। इस वास्ते आप फाइनेंस कमीशन को इस बारे में अपनी बात कहिए।

मुझे खुशी है कि जब इंटर स्टेट कौंसिल की मीटिंग हुई तो उसमें हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को वहां रखा। उसकी बड़ी प्रशंसा हुई। और इसी तरह नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की मीटिंग हुई, उसमें भी कम्यूनिस्ट प्रदेशों और कांग्रेस प्रदेशों ने और दूसरे प्रदेशों ने, हम सबने मिलकर इस बात को रखा। तो इस बात को उन्हें मानना पड़ा कि हम शोर्ट टर्म में आपको कुछ राहत दे रहे हैं। उस समय उन्होंने दो तरह कि राहत दी। दो तरह की राहत यह दी कि एक तो हमारा वेज एण्ड मीन्स एडवांसेज हैं, उनको बढा दिया। राजस्थान का वेज एण्ड मीन्स एडवांस 138 करोड़ रुपए है, उसको बढ़ाकर 238 करोड़ रुपए कर दिया तो हमको 100 करोड़ रुपए एलबो स्पेस मिल गया। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि, उसी दिन यह भी फैसला हुआ एन.डी.सी. की मीटिंग में कि 31 मार्च को जो ओवर ड्राफ्ट स्टेट्स के हैं, उनको ओवर लुक कर दिया जाएगा। हमको उस मीटिंग से दो चीजें बहुत भारी प्राप्त हुईं।

तीसरी बात यह हुई कि एक सब कमेटी बना दी गई। उसमें हमारे मुख्य मंत्रीजी भी हैं। उस सब कमेटी की मीटिंग 20 मार्च को हुई, जिसमें यह तय हुआ कि

(श्री चन्दन मल बैद)

सारे स्टेट्स की वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारा जाए, उसके लिए, मीडियम टर्म के लिए क्या उपाय किए जाएं उसके लिए एक कमेटी बनायी जाए। वह कमेटी यह होगी कि भारत सरकार के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरी और जिस स्टेट के बारे में विचार करना हो, उस स्टेट के फाइनेंस सेक्रेटरी, तीनों की एक कमेटी बने और वह इस बात पर विचार करे कि इस स्टेट की वित्तीय स्थिति क्या है और उस स्टेट की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए क्या प्रयत्न किए हैं। इन दोनों बातों को देखकर उन्हें पैकेज दिया जाए।

जो मैंने अपने बजट भाषण में कहा है 1200 करोड़ रुपये का जो पिछले साल का घाटा अपूरित मैं छोड़ रहा हूं, उसका मतलब यही है कि हमको कोई न कोई पैकेज मिलने वाला है। इस वास्ते उस घाटे को पूरा करने के लिए किसी पर कोई बोझा लादना नहीं चाहता। अगर 1200 करोड़ का पैकेज मुझे मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 1200 करोड़ का नहीं मिलता, कुछ कम मिलता है तो उसको पूरा करने के लिए मितव्ययता के द्वारा, खर्च कम करके हम कोशिश करेंगे और वो कोशिश करके इसको ठीक करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 1200 करोड़ के घाटे को कम करने के लिए टैक्स तो नहीं लगाएंगे?

श्री चन्दन मल बैद : उसके लिए मैंने आठ सप्ताह का समय लिया है। आठ सप्ताह में वह फैसला कर देंगे। हमने उनको लिख दिया है कि हमने अपना बजट पेश कर दिया। बजट की कापी दोनों को भेज दी। सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन को भेज दी और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी को भेज दी। हमने उनको यह भी बता दिया कि हमने अपनी स्थिति सुधारने के लिए क्या प्रयत्न किया और अब आप हमको क्या पैकेज देना चाहते हैं। मैं समझता हूं हमारे जो प्रयत्न हैं, उन प्रयत्नों से मैं इस बात को जानता हूं लोगों पर बोझा बढ़ना है। लेकिन उसके साथ राजस्थान की वित्तीय स्थिति सुधारने में हमको बहुत सहायता भी मिलेगी, ऐसा मैं समझता हूं और आगे चलकर इसका बड़ा भारी फायदा होगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने इस बात को देखा होगा कि इस सारी विषय परिस्थिति के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में जितनी बढ़ोतरी इस साल करने का प्रस्ताव किया गया है उतनी बढ़ोतरी का प्रस्ताव या करना राजस्थान के 50 साल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पिछले 10 साल में चिकित्सा के क्षेत्र में जितनी बढ़ोतरी की गई है, जितने सुधार के प्रस्ताव किये गये हैं उतने आज तक 10 साल में नहीं हुए।

अभी एक माननीय सदस्य ने, जो झुंझुनूं से आती हैं उन्होंने यह कहा कि आप यह इस वास्ते कर रहे हो कि आपको इस साल में लोक सभा के चुनाव जीतने हैं। और लोकसभा के चुनाव नहीं हो तो

(श्री चन्दन मल बैद)

अगले साल क्या करोगे । मैं उन माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि अभी मैं यह बताऊंगा कि वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए मैं और क्या-क्या कार्यवाही कर रहा हूं । उन कार्यवाहियों का नतीजा, जिसकी मुझे उम्मीद है कि तीन-चार महीने में आयेगा, और साल के अंत में बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट तब तक आ जाएगी । तब तो जितनी बढ़ोतरी मैंने इस साल शिक्षा, चिकित्सा और समाज कल्याण विभाग में की है, उससे ज्यादा बढ़ोतरी अगले साल के लिए करूंगा । और अगर मेरी स्थिति यही रही, इससे नहीं सुधरी, मैं दोनों बातें कहना चाहता हूं । क्योंकि कल को लोग कहेंगे कि आप तो इफ एण्ड बट लगा रहे हो, तो कम से कम जितनी बढ़ोतरी इस साल मैंने की है उतनी बढ़ोतरी तो अगले साल जरूर करूंगा ।

मुझे इस बात का संतोष है कि शिक्षा के क्षेत्र में 50 साल में जितनी बढ़ोतरी नहीं हुई, उतनी बढ़ोतरी इस बजट में की गई है । मैं बूढ़ा आदमी हूं, लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी जवान हैं । रात के 9 बजे से 12 बजे तक, कल ही रात को मेरी इनसे काफी लम्बी चर्चा हुई । इन्होंने कहा कि आपने जो कुछ किया है, उससे आपको संतोष हो सकता है, अभी तक मुझे पूरा संतोष नहीं है । यह ये चाहते हैं कि हमारे जितने प्राथमिक विद्यालय है, उनमें अगर विद्यार्थियों की संख्या उच्च प्राथमिक विद्यालय के लायक है तो उसको उच्च प्राथमिक विद्यालय में धीरे-धीरे उच्चीकृत किया जाए सारे विद्यालयों को । यह उनकी मंशा है । उनकी यह भी मंशा है कि हर पंचायत में अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो माध्यमिक स्तर का उच्चीकृत होने के लायक है, तो उसको निश्चित रूप से उच्चीकृत किया जाए । और हर पंचायत समिति में जितने उच्च माध्यमिक विद्यालय होने चाहिए, जिससे उस पंचायत समिति के विद्यार्थियों को इधर-उधर भटकना न पड़े, नजदीक शिक्षा मिल जाए ।

श्री जगत सिंह दायमा : आप ऐसा करने जा रहे हैं क्या ?

श्री जगमाल सिंह यादव : ऐसा कर रहे हैं क्या आप ?

श्री चन्दन मल बैद : मेरी बात सुनिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं यह नहीं कह रहा हूं, मुख्य मंत्रीजी की मंशा है । मुख्य मंत्रीजी गांव के विकास के लिए सोचते हैं । और आपने कह दिया कि एक माध्यमिक शाला एक पंचायत में होनी चाहिए । घोषणा कर रहे हैं क्या ? जो चीज है ही नहीं उसको काहे को कह रहे हैं ?

श्री जगत सिंह दायमा : चाहत तो जाने किस-किस की है, घोषणा करो ।

श्री जगमाल सिंह यादव : मुख्य मंत्री जी की मंशा तो गांव-गांव में कालेज खोलने की है । आप घोषणा कर रहे हैं क्या ?

(श्री जगमाल सिंह यादव)

घोषणा करो तो हम तो दोनों हाथों से ताली बजा दें।

श्री चन्दन मल बैद : देखिए, आप ताली बजाते हैं या नहीं बजाते हैं इस बात के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि मुख्य मंत्री जी की इच्छा है, और मैं मुख्य मंत्री जी की इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा लेकिन एक दिन में यह काम नहीं हो सकता, इसमें कई दिन लगेंगे। लेकिन यह एक ऐसी इच्छा है, जिस इच्छा के होने के बाद हमारी अशिक्षा का जो अंधकार है, देहातों में फैला हुआ है, वो बिलकुल दूर हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, 16 हजार शिक्षाकर्मी स्कूल जो हम खोलने की बात कर रहे हैं, उसके बारे में कई संदेह प्रकट किए जा रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 16 हजार शिक्षाकर्मी स्कूल हैं या 16 हजार और इस तरह के स्कूल हैं, यह थोड़ा स्पष्ट कर दो।

श्री चन्दन मल बैद : शिक्षा केन्द्र कहिए, शिक्षाकर्मी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। आप और कोई नाम देना चाहें तो दे दीजिये, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इन दोनों में मूलभूत अन्तर है, दोनों की वर्किंग में मूलभूत अन्तर है। शिक्षाकर्मी स्कूल का अपना एक अलग सैट-अप है। अगर आप शिक्षाकर्मी स्कूल के रूप में खोल रहे हैं, जैसे पहले चल रहे हैं तो बहुत स्वागत योग्य है। और अगर आप इसको केवल शिक्षा केन्द्र खोलकर आपकी कोई अड्डे बनाने की इच्छा हो तो फिर आपकी मंशा, जैसा आप जानें। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अड्डे तो आपने बनाए।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका वैसे ही संदेह दूर कर रहा था। आज स्थिति यह है कि किसी प्राथमिक स्कूल में या उच्च प्राथमिक स्कूल में जो देहातों में अध्यापक लगे हुए हैं, वहां अध्यापक नहीं जा रहे हैं और हमारे प्राथमिक विद्यालय खाली पड़े हुए हैं। आप भी देहातों में घूमते हैं अध्यक्ष महोदय, हम सब देहातों में घूमते हैं। शिकायत यही आती है कि माननीय विधायक महोदय, आपने स्कूल तो खोल दिए, अध्यापक नहीं आते हैं। महीने में दो दिन आता है, हाजरी लगाकर चला जाता है।

इस वास्ते मध्य प्रदेश स्टाइल पर, जिसका गुणगान यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में किया है, उस स्टाइल पर हमने यह सोचा कि उन ढाणियों में, उन मजरों में जहां पर दो-चार ढाणियों को मिलाकर 40 बच्चे इकट्ठे हो जाएं, मैंने कहा कि मकान का प्रबन्ध हो जाए, भवन का प्रबंध हो जाए, इसका मतलब यह नहीं कि मकान बना दें। आप झोंपड़ी में बैठा दें। वहां का लड़का लें, ग्राम पंचायत लें,

(श्री चन्दन मल बैद)

हम नहीं लें, वहीं का लड़का लें, लड़की लें; विधवा हो, परित्यक्ता हो, वहीं का हो; कम से कम आठ क्लास पास हो। यह मैंने नहीं कहा कि बी.ए. पास होगा तो नहीं लेंगे या मैट्रिक पास होगा तो नहीं लेंगे। कम से कम तीन घण्टे, चार घण्टे वह पढ़ाएगा। अपने घर का काम भी करेगा, वहीं रहेगा तो वह स्कूल चलेगी।

अभी एक माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि वो 10 हजार रुपये महीने पाने वाले शिक्षक के स्कूल से ज्यादा अच्छी स्कूल होगी, क्योंकि वह वहीं रहेगा, पढ़ाएगा; लड़के वहीं के रहने वाले होंगे, उन्हीं के भतीजे होंगे, भाई होंगे, अच्छी पढ़ाई होगी। यह मैं नहीं कहता कि 16 हजार एक साथ खोली जाएंगी। लेकिन जितनी भी खोली जाएंगी वो हमारे काम की होंगी। और हमने यह भी तय किया है कि जितनी स्कूल खुलेंगे उन सारे स्कूलों के लिए साज-सामान के लिए, ब्लेकबोर्ड के लिए, कुर्सी के लिए, टेबल के लिए, टाटपट्टी के लिए हम आठ हजार रुपये एक मुश्त देंगे। और उसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान हमने रखा है। यह नहीं कि हमने उसके लिए प्रावधान नहीं रखा है, उसके लिए हमने 25 करोड़ का प्रावधान रखा है।

अभी पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे 629 जो रिकोग्नाइज्ड मदरसे चल रहे हैं, उनको भी हम दो टीचर, अगर 40 लड़कों से ज्यादा हैं तो दो अध्यापक देंगे इसी स्केल पर। कहीं भी हो, उनको भी दो टीचर देंगे और 8000 रुपए उनको भी हम साज सामान के लिए देंगे।

(18.50 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और यही नहीं और कोई रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन संस्था चाहे शहर में हो, चाहे देहात में इस तरह की स्कूल चलाती होगी, उसको भी हम इसी स्केल पर उसी हिसाब से पैसा देंगे। एक माननीय सदस्य ने कहा कि 1200 रुपए तो बड़े कम है। अगर आपकी मिनिमम वेजेज बढ़ जाएंगी, अगर मिनिमम वेज बढ़ जाएगी उसको 25से गुणा करके उतना ही पैसा हम टीचर को दे देंगे। मिनिमम वेजेज तो 25 दिन के हिसाब से गिनी जाती है। हम भी 25 से गुणा करके मिनिमम वेजेज से उसको उतना पैसा दे देंगे। तो सवाल यह है कि हम चाहते यह हैं कि हम अपने बच्चों को कम से कम ऐसी शिक्षा दे सकें और हर प्राथमिक स्कूल को एक उच्च प्राथमिक स्कूल में उच्चीकृत कर सकें, हर पंचायत में एक हाई स्कूल हम दे सकें, माध्यमिक स्कूल दे सकें, और हर पंचायत समिति में इतनी उच्च माध्यमिक विद्यालय हम दे सकें, जिससे हमारे बच्चों को इधर उधर नहीं घूमना पड़े; यह हमारा लक्ष्य है। हम इसको पूरा करना चाहते हैं। और अगर इस साल 1000 मिडिल स्कूल, 400 हाई स्कूल और 200 अपर सैकण्डरी स्कूल दी हैं तो अगर मेरी

(श्री चन्दन मल बैद)

आर्थिक स्थिति की सेहत यही रही, इतनी तो मैं दूंगा ही। सुधरी, तो चुनाव हो या नहीं, इससे ज्यादा दूंगा। यह मैं आपसे वादा करता हूं। वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए एक उपाय मैंने आपको बताया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को पत्र लिखा है इण्टर स्टेट कांऊसिल और नेशनल डवलपमेंट कांऊसिल में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रश्न को जोर से उठाया। उसका कुछ नतीजा हमारे सामने आया है।

दूसरी बात यह कि 11 वां वित्त आयोग, जो कि 10-11 मई को राजस्थान में आने वाला है, उसके सामने अपना मेरोरेन्डम पेश करेंगे। और मैंने अपने भाषण में यह निवेदन भी किया है, माननीय सदस्य भी सुझाव दें, उन सुझावों को लेकर हम उनके सुझावों को भी अपने साथ सम्मिलित करें और वित्त आयोग से हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सहायता राजस्थान सरकार को मिल सके। देखिए, मेरी बात सुनिये। मुझे इस बात का अनुभव है कि पहले भी जब वित्त आयोग आया था तो मैं वित्त मंत्री था और मैंने हर स्टेट्स को लिखा था। और मैंने वित्त आयोग को कहा था कि हमारे कर्जों को, ब्याज को आप रीशिड्यूल कीजिए। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उसको रीशिड्यूल किया था। और राज्य सरकार को, देश के स्टेट्स को जबरदस्त फायदा हुआ था। मुझे भरोसा है इस बात का।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी के बोलने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कुछ सवाल पूछने हैं, उतना मौका देते हुए आप समय को बढ़ाएं।

श्री चन्दन मल बैद : अभी अप्रोप्रियेशन बिल आएगा, उसमें आपको बोलने का मौका मिलेगा, उस समय मैं जवाब दूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : परम्परा तो आज तक यही रही है कि आपकी रिप्लाई पर 1-2 प्रश्न सदस्य पूछना चाहें तो उनका उत्तर दिया जाता है। अब अगर आप उसको तोड़ना चाहते हैं तो आप..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री जी।

श्री जगत सिंह दायमा : आप तो 50 लाख कर दीजिए कोई सवाल नहीं करेंगे हम, एम.एल.एज. को। (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : माननीय सदस्यों ने, कईयों ने आलोचना की उनका जवाब तो मैं दे रहा हूं। एक बात मैं कहना भूल गया था। मेरे जैसे बुड्ढे आदमी के लिए बड़े संतोष की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री चन्दन मल बैद : विधान सभा में काफी सदस्य नये आये हैं, मैंने उनके भाषण सुने हैं, मैंने सारे सदस्यों के भाषण सुने हैं। बड़े संतोष और गर्व के साथ कह सकता हूं कि मुझे यह बात बहुत पसंद आई कि उनके भाषण बड़े रचनात्मक थे। इससे कम से कम यह संतोष मन में होता है कि आने वाला वक्त राजस्थान के लिए अच्छा है, सुनहरा है। क्योंकि 70 माननीय सदस्य नये आये हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। उन सब के भाषण सुने। मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि हम बुड्ढे लोगों से ज्यादा वे रचनात्मक विचार रखते हैं। अपने प्रदेश की बहबूदी प्रगति और विकास की खातिर ज्यादा चिंतित हैं। यह जानकर मुझे बड़ी खुशी है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। (व्यवधान)

तीसरा, जो मैं इस स्थिति को सुधारने के लिए करना चाहता हूं, वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए, वह यह कि बहुत से असेट्स हैं जो यूं ही पड़े हुए हैं। 3 लाख 57 हजार हैक्टेयर भूमि इंदिरा गांधी नहर से हमने सिंचाई के लिए तैयार कर दी, आवंटन नहीं हुआ। मैं किसी का कसूर नहीं बताना चाहता, किसी की आलोचना करने के लिए मैं खड़ा नहीं हूं। वस्तुस्थिति का जिक्र कर रहा हूं। उसका आवंटन नहीं हुआ। हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरती, वह नहीं सुधरी। देश में खाद्यान्नों का, तिलहन का, उत्पादन होता, वह नहीं हुआ। देश के धन में कमी रही। किसानों की स्थिति सुधरती वह नहीं सुधरी। राज्य को राजस्व आता, वह नहीं आया।

हमने यह तय किया है कि 3 लाख 57 हजार हैक्टेयर जमीन जो अभी हुई है उसके चक प्लान बन रहे हैं, बहुत से बन गए हैं। उनके नाले और खाले जल्दी बनें। कुछ के बन गए हैं। हम उनका अभियान चलाकर आवंटन करेंगे। विशेष आवंटन भी करेंगे, साधारण आवंटन भी करेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी, खाद्यान्नों की उपज बढ़ेगी। राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और हमको पैसा आयेगा। और इस साल फिर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 50 हजार हैक्टेयर हम और सिंचाई के लिए खोलेंगे, यह क्रम करीब-करीब कई सालों तक चलेगा। इससे राज्य की आमदनी भी बढ़ेगी, राज्य के खजाने में पैसा भी आएगा और उत्पादन भी बढेगा। किसानों की हालत भी सुधरेगी यह हमने तय किया है। (व्यवधान)

मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। आपकी कृपा है, मेरे लिए छोड़ गए हैं। मेरा दूसरों का बुरा .... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : वित्त मंत्री जी, या तो आप इसको बेचकर खुर्द-बुर्द करेंगे या एस.टी.,एस.सी. और जो पूर्व सैनिक हैं और ओ.बी.सी. हैं (व्यवधान) उनके लिए फ्री अलाटमेंट करेंगे। फ्री अलाटमेंट करने का इरादा है क्या ?

श्री चन्दन मल बैद : उसके लिए नियम बने हुए हैं। नियम आपने बनाये हैं, मैंने उन नियमों को बदला नहीं है। हमने जो आवंटन की मात्रा तय की है, जो राशि आवंटन के लिए तय की है जो नियम आपने बनाये हैं उन नियमों को, उन राशियों और उन प्रतिशत के आधार पर हम करेंगे। इस वास्ते आप मेरी आलोचना नहीं कर सकते। आलोचना करनी हो तो मैं ही आपकी करूंगा।

(19.00 बजे)

श्री अमराराम (धोद) : मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। मैं तो बैदजी से इतना ही कह रहा हूं कि जब इनकी उन नीतियों और नियमों के कारण राजस्थान की जनता ने इनकी सरकार बदल दी तो क्या आप उन नियमों को नहीं बदलेंगे ?

श्री चन्दन मल बैद : जरूरत होगी तो कर लेंगे। अभी आवंटन तो करने दीजिये मुझे।

दूसरी बात मैंने देखी है वह यह है कि बहुत से लोगों ने कृषि भूमि पर मकान बना लिये हैं। उन्होंने उसको रिहायसी जमीन में बदल लिया है। वह परेशान हैं और हमारा राजस्व चला गया। वे परेशान इस बात से हैं कि उनके पास पट्टा नहीं है और हम इस वास्ते परेशान हैं कि मकान तो उनके हम तोड़ नहीं सकते। तो क्यों नहीं उनका कनवर्जन करके उनको तो हक दे दें और हम खजाने में कुछ पैसा ले लें। तो हमने राजस्व मंत्रीजी, अरबन डवलपमेंट मिनिस्टर और मैंने, तीनों ने बैठकर यह बात की कि क्यों न इस काम को हम करें जिससे लोगों की तकलीफें दूर हो जाए और हमारे खजाने में, नगर-पालिकाओं के खजाने में, नगर परिषदों के खजाने में, नगर निगमों के खजाने में भी कुछ पैसे आयें जिससे कि कुछ प्रगति के और विकास के, जहां वे मकान बने हैं, वहां काम हो सके। तो हमने यह तय किया है। इससे जनता भी खुश और हम भी खुश।

तो यह तीन बात तो मैंने बता दीं। चौथा काम जो मैं करना चाहता हूं और कर रहा हूं, खर्चा कम करने के लिए आफिशियल और नान आफिशियल लोगों की एक कमेटी बना दी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के खेतों में बने हुए मकानों को तोड़ने की कह रहे हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री चन्दन मल बैद : यह शहरों की बात हो रही है, माननीय सदस्य।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : शहरी क्षेत्र में जिनकी कृषि भूमि है उसकी पूछ रहा हूं मैं।

श्री चन्दन मल बैद : तोड़ने की बात नहीं है, उनसे पैसे लेकर कन्वर्जन करने की बात कह रहा हूं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : पैसे ले लो; पैसा लेणो तो थारो काम है।

श्री चन्दन मल बैद : इकोनामिक कमेटी बना दी है और वह इकोनामिक कमेटी जो हमको सुझाव दे रही है, उसके अनुसार दो काम तो हमने कर लिये हैं। एक तो टैक्स ट्रिब्यूनल को हमने भंग कर दिया और एक आवास विकास संस्थान का भी हमने समापन कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास आगे रिपोर्ट आती जाएगी, बहुत से खर्चे जो अनुपयोगी थे, बहुत-सी संस्थाएं जो अनुपयोगी थीं, बहुत सी पी.यूसीज. पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग जो अनुपयोगी हो गयी थीं, उनको हम बन्द करेंगे और बन्द करके खर्चे को हम कम करेंगे।

अभी 11 हजार कर्मचारियों का रिटायरमेंट हुआ तो एक दिन यहां पर प्रतिपक्ष के लोगों ने काफी इस बात के लिए कहा। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि 11 हजार या और भी साल के दौरान 11 हजार या 15 हजार कर्मचारी रिटायर होंगे तो हम उनके पदों को खतम नहीं करेंगे। लेकिन सिंचाई विभाग में 11 चीफ इंजीनियर आपने बढ़ा दिये। क्या 11 के 11 चीफ इंजीनियर रख लें हम? उनमें से 7 इंजीनियर रिटायर हो गये हैं। क्या हम यहां बैठकर यह सोचें नहीं कि हम सातों इंजीनियरों को रखें या नहीं रखें? आवश्यकता है या नहीं है? 7 चीफ इंजीनियर 7-7 एडिशनल चीफ इंजीनियर होते हैं, 7 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होते हैं, कितने एग्जीक्यूटिव इंजीनीयर, कितने उनके गाड़ी-घोड़े होते है; कितना टेलीफोन का खर्चा होता है, कितना उनका स्टाफ होता है। इन खर्चों को रखना जरूरी है या नहीं है, यह सोचना चाहिए।

केवल एक आदमी को प्रमोशन देने के लिए चीफ इंजीनियर की पोस्ट क्रियेट कर दें; हम यह नहीं कर सकते। इस वास्ते मुख्य मंत्रीजी ने मंत्री मण्डल के पांच सदस्यों की एक कमेटी बनायी है, वह कमेटी उस चीज को देख रही है। एक मीटिंग उसकी तीन तारीख को हो चुकी है और एक मीटिंग कल साढे बारह बजे विधान सभा के परिसर में होने वाली है। हम बराबर रोजाना इस बात को देख रहे हैं; देखेंगे, हर विभाग को जांचेगे और जांचकर देखेंगे कि जितने लोग रिटायर हुए हैं, उन लोगों में से कितने लोगों के पद तो हमको पदोन्नति से भरने है और कितनों को नहीं भरना है। चीफ इंजीनियर बनाने से अन-एंप्लायमेंट दूर नहीं होता है।

डा. किरोड़ी लाल : पुलिस में चार डी जी क्यों बनाये ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : बनाये तो आप ने हैं।

श्री चन्दन मल बैद : अब एम्प्लायमेंट की बात होती है कि जवानों को हम एम्प्लायमेंट नहीं दे रहे हैं। 16 हजार में से मान

(श्री चन्दन मल बैद)

लीजिये 10 हजार स्कूल भी खुल जाते हैं और एक में दो टीचर या एक टीचर आते हैं तो 20 हजार लोगों को एम्प्लायमेंट मिला या नहीं मिला ? हम हर पंचायत में ग्रामसेवक रखेंगे, एम्प्लायमेंट मिला या नहीं मिला ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, माननीय कटा–रिया जी, प्लीज।

श्री चन्दन मल बैद : आप भाषण के तारतम्य को मत तोड़िये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने 3 हजार ग्राम सेवक या सचिव लगाने की बात की है लेकिन रुपये 5 करोड़ रखे हैं। इसका मतलब यह है कि 1400 रुपये से ज्यादा उसको महीने का नहीं मिल सकता है। क्या यह सही बात है ?

श्री चन्दन मल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा वाक्य खतम होने के बाद पूछें। मेरा तारतम्य यों ही खतम कर देंगे तो मैं कोई बात कहना चाहता हूं, वह कैसे कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

डा. चन्द्रभान : आप विश्वास रखें, सब होगा। धैर्य रखें आप।

श्री चन्दन मल बैद : अब ग्राम सेवक के पद भरे जाएंगे, स्कूलों की 16 हजार की हम कह रहे हैं। अगर 10 हजार पोस्टें भी भरी जाएंगी, एक हजार मिडल स्कूल खुलेंगे, 400 माध्यमिक विद्यालय खुलेंगे, 200 उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलेंगे; 100 आयुर्वेदिक विद्यालय खुलेंगे, 50 यूनानी विद्यालय खुलेंगे, प्राइमरी सैण्टर्स खुलेंगे, पशु चिकित्सालय खुलेंगे। यह सारे काम जो होंगे उनसे क्या एम्प्लायमेंट नहीं मिलेगा ? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि साल भर में जितने लोग रिटायर होंगे उनसे ज्यादा हम लोगों को एम्प्लायमेंट देंगे। यह मैं आपसे वादा करता हूं।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : शिक्षा विभाग में 5 हजार तो भर्ती कर चुके हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : 37 हजार लोगों के लिए कहा है कि 37 हजार लोगों को रोजगार देंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मान–नीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी, मैं यह कह रहा था कि आपने आवास विकास संस्थान को खतम करने की घोषणा कर दी। लेकिन उसके जो साढ़े 6 सौ कर्म-चारी हैं, चार महीने से उनको वेतन नहीं मिल रहा है। उनकी भूखें मरने जैसी स्थिति हो रही है, उनको कहां एडजस्ट कर रहे हैं ? कहां खपा रहे हैं ? उसका तो कुछ बताना चाहिए।

श्री चन्दन मल बैद : आपको जितनी चिन्ता है उससे ज्यादा चिंता मुझे और

(श्री चन्दन मल बैद)

मुख्य मंत्रीजी को है। हम सब का इंतजाम कर रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस विषय में आप मेरे चैम्बर में मिल लें।

श्री चन्दन मल बैद : आज ही सुबह हमने इसके बारे में बात की है।

थोड़ी देर पहले मैं यह जिक्र कर रहा था कि हमारे राजस्व खाते में घाटा है। दूसरे स्टेट्स का जितनों का मैं बजट मंगा सका हूं; उन स्टेट्स में राजस्व खाते में घाटा कितना है, वह बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में 6930 करोड़ रुपये का राजस्व खाते में घाटा इस साल में है। पश्चिमी बंगाल में 7603 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र में 7972 करोड़ रुपये, और तमिलनाडु में 2632 करोड़ रुपये का राजस्व खाते में घाटा है।

मध्य प्रदेश का 1782 करोड़, राजस्थान का 3000 में से ए.आर.एम. निकाली है, 2629 करोड़ रुपये। अब मैं आलोचना के लिहाज से नहीं, कुछ पैरामीटर्स, क्योंकि हमारे माननीय सदस्य मेरे सामने बैठे हैं; आपके निर्वाचन क्षेत्र का नाम मुझे याद नहीं है, बामनवास, उन्होंने कुछ आंकड़े बहुत जल्दी जल्दी दिये थे और प्रगति बताई थी। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं।

मैं तो केवल माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि किस वित्तीय स्थिति में हम इस समय खड़े हुए हैं और कहां से उछलकर हमको आगे पहुंचना है। इसलिए मुझे आपकी मदद मिल सके और मैं बता सकूं आपको कि इस स्थिति से मुझे निकलकर आगे बढ़ना है.... (व्यवधान) सकल घरेलू उत्पाद 1998-99 में 57765 करोड़ था। इस साल एस्टीमेटेड है 62097 करोड़ सकल घरेलू उत्पाद है। रेवेन्यू डेफिसिट पिछले साल था 2933 करोड़ 45 लाख, 45 लाख को मैं एक बार नहीं बोल रहा हूं, इस साल रहेगा 2629 करोड़ 50 लाख। इसमें ऐसे फिगर्स भी आयेंगे जिसमें मैं नीचे हूं।

लेकिन मैं फिगर्स इस बात के वास्ते नहीं दे रहा हूं कि मैं आपकी आलोचना करूं या मेरी आलोचना करूं। यह फिगर्स इस बात के वास्ते दे रहा हूं कि आपको यह मालूम हो जाये सदन को कि हम किस विषम स्थिति में खड़े हुए हैं, हमको कैसे आगे चलना है।

फिस्कल डेफिसिट पिछले साल था 9162 करोड़ 50 लाख। इस साल का फिस्कल डेफिसिट है 6960 करोड़ 29 लाख। फिस्कल डेफिसिट हमारे सकल घरेलू उत्पाद का कितना पर्सेन्ट था, पिछले साल था 15.80%, इस साल है 11.20%. रेवेन्यू एक्सपेंडीचर पिछले साल था 11771 करोड़ 55 लाख, इस साल है 13556 करोड़ 76 लाख इंटरेस्ट पेमेंट था पिछले साल 2243 करोड़ 43 लाख, इस साल है 2682 करोड़ 83 लाख ज्यादा है। तभी फिगर्स बता रहा हूं कि ज्यादा है।

मैं यह क्रिटिसिज्म के लिए नहीं कह रहा हूं। फिस्कल स्ट्रेस इसको कहते हैं

(श्री चन्दन मल बैंद)

कि 17 %. से ज्यादा होता है उसे फिस्कल स्ट्रेस होता है, जो होना चाहिए, Interest payment as percentage of revenue expenditure, उसको फिस्कल स्ट्रेस कहते हैं, जिसको टैंथ फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि 17 %. से ज्यादा है तो फिस्कल स्ट्रेस है। एक तरह से कर्जे का भवर जाल है। पिछले साल था 19.05, इस साल है 19.78। पिछले साल से ज्यादा हो गया है इस साल। और पर केपिटा इन्कम 1997-98 में थी 2306, इस साल तो हो ही नहीं सकती और पिछले साल थी 2275 रुपये मतलब पिछले साल हमारी केपिटा इन्कम 31 रुपये कम हुई है। इकोनोमिक ग्रो, आल इण्डिया फिगर्स है 5.8 %. और हमारा फिगर है, .087 %. मैं कोई आलोचना के लिहाज से नहीं कह रहा हूं।

मैं इस वास्ते कह रहा हूं कि हम यहां इस स्थिति में खड़े हुए हैं, इससे हमको छलांग लगानी है और आप सब लोगों का सहयोग रहा, और आप सब लोगों ने मदद की, और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से, जैसाकि मैंने आपको बताया, हम जो प्रयत्न कर रहे हैं भारत सरकार के मार्फत से, इलेवन्थ फाइनेंस कमीशन के मार्फत से, हमारी इन्दिरा गांधी नहर की जमीन बेचकर, कन्वर्जन आफ लैण्ड करके, हमारी इकोनोमी को करके, हमारे एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन (ए.आर.एम.) को करके, हम जो अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मुझे यह विश्वास हो रहा है कि चाहे यह कितने कड़वे कदम हों, लेकिन इन कदमों से आखिर हमें इस स्थिति से अपने आपको उभारना ही होगा। कहां तक हम सोफ्ट-सोफ्ट करके काम करते रहें, आखिर कभी तो, किसी आदमी को तो कोई कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे।

अगर हम नहीं उठायेंगे, चाहे आप उठायें, चाहे मैं उठाऊं, चाहे इधर वाले उठाये, चाहें उधर वाले उठाये, कोई न कोई तो कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। यदि ये कड़े कदम नहीं उठायेंगे तो कहां से स्कूलें खुलेंगी, कहां से अस्पतालों की दशा सुधरेगी, कहां से सड़कों की दशा सुधरेगी। सड़कों की मरम्मत के लिए हर साल 95 करोड़ रुपये देते थे, मैंने इस साल उसको 191 करोड़ दिया। डबल किया।

सड़कों की हालत आप भी कहते हैं खराब है, इधर भी कहते है खराब है। मैंने इनसे कहा है कि इतने पैसा दे रहा हूं कि आप सड़कों की अच्छी तरह से, कम से कम सारी सड़कों पर पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, मरम्मत के लिए कम से कम कोई चुनकर सड़कें ऐसी बनाओ, उनको उच्चीकृत बनाओ, ऐसा क्वालिफिकेशन करो कि वह नई सड़क की तरह हो जाये। तो यह कब होगा, कैसे होगा।

एक तरफ हम यह भी चाहते हैं कि हमारे वृद्धों को, वृद्धाओं को, अपंगों को, समाज कल्याण के हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के जो लोग हैं, उनकी छात्रवृति हम बढ़ायें। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि गाड़िया लुहार, जिनको आज तक किसी ने नहीं संभाला, उनको हमें सम्भालना है,

(श्री चन्दन मल बैद)

उनको भी हम यह छात्रवृत्ति दें। एक तरफ हम यह चाहते हैं कि ओ.बी.सी. जो है; उनके लिए भी कुछ काम करें, उनके लिए भी कोई नियम बनायें ।

एक तरफ तो हम यह चाहते हैं कि हमारे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके लिए निगम बनायें । अभी तीन करोड़ की आप बात कर रहे थे, तीन करोड़ तो कोरपस है, इसी के मार्फत हम ज्यादा पैसा भारत सरकार से लेंगे और भारत सरकार से लेकर उसको बैंकों से, उसके आधार पर बैंको से ऋण लेकर हम हमारे जो दस्तकार हैं, अल्पसंख्यक हैं, दूसरे जो लोग हैं, अल्पसंख्यकों को ऋण देंगे । हमारी गारंटी पर ऋण देंगे तो यह कोई तीन करोड़ रुपये हैं, यह तीन करोड़ नहीं है, यह तीन करोड़ तो 30-40-50-60 करोड़ हो सकते हैं ।

हम यह चाहते हैं कि किस तरीके से लोगों को ज्यादा रोजगार हम दें । हम चाहते हैं कि हमारे जो आज तक के उपेक्षित लोग हैं, जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं दे सके हैं, उनकी तरफ हम ज्यादा ध्यान दे सकें । यह सही बात है कि हमने, हम केवल यह नहीं कह रहे हैं कि हम संवेदनशील हैं, कह ही नहीं रहे हैं । लेकिन हम अपने बर्ताव से साबित करना चाहते हैं कि यह सरकार संवेदनशील है । इसी वास्ते लोगों ने कहा भी है चाहे कितना ही (व्यवधान) चाहे लोगों ने कितनी आलोचना की हो लेकिन उन्होंने यह कहा कि इस बजट में मानवता है । एक आदमी ने कहा है Hard Budget with humane face, मैं जानता हूं कि हार्ड है । मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहा था इस बात को कि यह गालियां मुझे खानी पड़ेंगी ।

लेकिन गालियां किस वास्ते खा रहा हूं, राजस्थान के भले के लिये खा रहा हूं। उन उपेक्षित लोगों के लिए खा रहा हूं जिनकी आज तक किसी ने सुध नहीं ली । उनके लिए खा रहा हूं, उनकी सुध लेने के लिए खा रहा हूं । जौहरी आये थे 2/. टैक्स लगा दिया हमारे ऊपर । मैंने कहा कि तुम दया का काम करते हो, मैं 2/. टैक्स लगाकर क्या करने वाला हूं ? उन वृद्धों को, वृद्धाओं को, अपंगों को, उन लोगों को मैं छात्रवृति दे रहा हूं, उसके लिये मैं आपके ऊपर टैक्स लगा रहा हूं....

श्री रमजान खान : भूतपूर्व सैनिकों का आप थोड़ा जिक्र कर दीजिये, उनका कहीं भी जिक्र आप कर नहीं रहे हैं, उनकी विधवाओं का; उनके कल्याण के लिये.... (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : इसलिये मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि उनके....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री जगत सिंह दायमा : दलित वर्गों का ही कभी कभी नाम ले दिया करो ।

श्री उपाध्यक्ष : लिया ना नाम ।

श्री चन्दन मल बैद : पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य अल्पसंख्यकों के बारे में पूछ रहे हैं क्या (व्यवधान) भूतपूर्व

(श्री चन्दन मल बैद)

सैनिकों के लिये कह रहे हैं । मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । सारे माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सारे काम एक ही साल में हों । वह यह समझते हैं कि बूढ़ा आदमी है, अगले साल क्या पता जिन्दा रहेगा या नहीं रहेगा । लेकिन अभी एक ब्रह्म ऋषि ने मुझे आशीर्वाद दिया है सौ वर्ष का ।

श्री जगत सिंह दायमा : आपको चिन्ता क्या हो रही है ।

श्री चन्दन मल बैद : तो इस वास्ते घबराइये मत । उनका आशीर्वाद फालतू नहीं जायेगा । (व्यवधान) इस वास्ते मेहरबानी करके थोड़ा सा धीरज रखिये ।

श्री श्रवण कुमार : माननीय वित्त मंत्रीजी, हम डेढ़ सौ का दे रहे हैं, प्रत्येक विधायक को बीस की जगह पच्चीस लाख रुपये कर दो । हम डेढ़ सौ वर्ष का दे रहे हैं आपको । बीस लाख का नाम है वह, माननीय वित्त मंत्रीजी । (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : यह तो आशीर्वाद शर्त के साथ दे रहे हैं । मैंने तो बिना शर्त के दिया है, मेरी कोई शर्त नहीं है ।

श्री चन्दन मल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सामाजिक सेवाओं में, समाज कल्याण की सेवाओं में विस्तार से मैंने अपने बजट भाषण में बातें कही हैं । आप कहें तो इनको दोहराऊं, लेकिन दोहरा कर मैं आपको क्यों उसके लिए परेशान करूं । जो बातें मुख्य-मुख्य थीं वह मैंने कह दीं । अब मैंने जो टैक्स लगाये हैं उसके बारे में आपने जो आलोचना की है, उसके बारे में दो-चार शब्द मैं कहना चाहता हूं । एक टैक्स, व्यवसाय कर, इसके बारे में काफी आलोचना की । हां, उसको जजिया कर बताया है । बामनवास के माननीय सदस्य, महाराष्ट्र में किस का राज है ?

डा. चन्द्रभान : इनका ही है, बीजेपी-शिव सेना ।

श्री चन्दन मल बैद : गुजरात में किसका है ? वहां भी यह जजिया कर लगा हुआ है । वहां पर यह जजिया कर उठवा दो, मैं भी यहां से उठा दूंगा । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप तो रहने दो, लेना मत ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जिसको हटाना चाहते हो उनको हटाने में सहायक है यह कर ।

श्री चन्दन मल बैद : वैस्ट बंगाल में भी यह है, त्रिपुरा में भी यह है ।

श्री अमराराम (धोद) : वैस्ट बंगाल में यह कर बड़े व्यवसायियों पर है और जो हम भी चाहते हैं कि बड़ों पर लगायें आप । आप छोटे पर लगा रहे हैं, आप पांच हजार पर लगा रहे हैं ।

श्री चन्दन मल बैद : मेरी बात सुनें।

श्री अमराराम (धोद) : आपने एक एक्ट दिया है पांच हजार जिनकी इनकम है उस पर लगायेंगे। लगाइये जो एयर कन्डीशनर में बैठते हैं। लगाइये उन पर जो कारखाने के मालिक हैं....

श्री चन्दन मल बैद : धोद से आने वाले माननीय सदस्य, थोड़ा सा धीरज रखिये, थोड़ा सा धीरज रखिये।

श्री जगत सिंह दायमा : जो छोटे-छोटे वकील हैं...

श्री अमराराम (धोद) : जिनके पास पैसा है उन से लीजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : जो छोटे-छोटे वकील हैं, शुरुआत में ही अपने उसमें..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : तो काम कैसे होगा फिर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरी बात सुन लीजिये उनकी।

श्री जनार्दन गहलोत : जो गुण्डागर्दी करते हैं उन पर भी टैक्स लगा दीजिये साहब।

डा. किरोड़ी लाल : आप अगर हमारे पदचिन्हों पर चल रहे हैं तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर; आर्डर।

श्री चन्दन मल बैद : बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य; थोड़ा सा धीरज रखिये।

श्री उपाध्यक्ष : पूरी बात सुन लीजिये पहले।

श्री चन्दन मल बैद : हमने जो व्यवसाय कर लगाया है; उसके बारे में नया नोटिफिकेशन निकल चुका; आपने नहीं देखा होगा। और उसको भी मैं थोड़ा सा और अमेण्ड कर रहा हूं। यह कर रहा हूं कि पांच हजार रुपये की इनकम और इनकम टैक्स देने वाला हो, उस पर यह टैक्स लगेगा। दोनों बातें होनी चाहिए। पांच हजार रुपये की इनकम हो महीने की, और इनकम टैक्स पेयी हो। असेसी के बजाय पेयी हो। पांच हजार की इनकम और इनकम टैक्स पेयी हो, उस पर यह टैक्स लगेगा; बाकी पर नहीं लगेगा। (व्यवधान) मन्थली। एक यह एतराज आ रहा है कि इनसपेक्टर लोग जाकर के करेंगे। मैं कह रहा हूं कि सेल्फ असेसमेंट कीजिये आप। आप ही कहिये कि मेरे ऊपर यह टैक्स लगना चाहिए और हमारे पास पैसा जमा करा दीजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : फिर उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा काटने के बाद ?

श्री चन्दन मल बैद : नहीं, इनकम टैक्स जो देते हैं उन्हीं से मैं लूंगा, दूसरे से नहीं लूंगा।

श्री जबत सिंह दायमा : बात तो वही है, डबल-डबल मार हो गई न ।

श्री चन्दन मल बैद : और यह टैक्स एक जगह लगेगा । अगर कोई पांच जगह व्यापार कर रहा है तो पांच जगह टैक्स नहीं लगेगा । एक जगह एक ही कैपेसिटी में लगेगा । कोई आदमी वकालत भी करता है और मान लीजिये चार्टर्ड अकाउन्टेंट भी है; एडवोकेट भी है या दूसरा कोई काम भी करता है, एक ही टैक्स लगेगा ।

श्री जगमाल सिंह यादव : वित्त मंत्री जी, एक मिनट । एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि पांच हजार रुपये जिसकी मासिक आमदनी हो और जैसे मकान से आमदनी हो, स्टैण्डर्ड डिडक्शन करके इनकम टैक्स पे नहीं करता और केवल रिटर्न फाइल करता है तो उस पर...

श्री चन्दन मल बैद : नहीं लगेगा । मैंने कह दिया न, इनकम टैक्स पे करता हो और पांच हजार की आमदनी हो तो ही लगेगा ।

श्री जगमाल सिंह यादव : यानि जो ज्यादा होगा उसी पर लगेगा ।

श्री चन्दन मल बैद : दोनों चीजें पूरी होनी चाहिये । इनकम टैक्स पे करता हो और पांच हजार की आमदनी हो, दोनों शर्तें पूरी होंगी, तभी लगेगा ।

श्री जगमाल सिंह यादव : यानि पांच हजार की आमदनी हो और यदि इनकम टैक्स नहीं पे करे तो नहीं लगेगा ।

श्री चन्दन मल बैद : नहीं लगेगा ।

श्री मदन दिलावर : मतलब ईमानदारों पर ही लगेगा यह टैक्स । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री चन्दन मल बैद : सिंचाई शुल्क के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने काफी आपत्ति की । मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं । सन 82 में सिंचाई शुल्क बढ़ाया गया था । अब 99 हो गया । 17 साल में सिंचाई, जो हमारे साधन हैं; उनके संधारण और उनके रख-रखाव पर कितना गुना खर्चा बढ़ गया । कुल सिंचाई क्षेत्र, कुल जो रकबा है, मैंने कुछ फिगर निकाले हैं, हो सकता है यह एक्जेक्ट न हो, यह मोटे-मोटे हैं, कुल रकबा राजस्थान का 212 लाख हैक्टेयर है । इसमें इरिगेटेड ऐरिया है 55 लाख 88 हजार हैक्टेयर । कैनाल इरिगेशन होती है 24 लाख हैक्टेयर में । कुछ 11 प्रतिशत में कैनाल इरिगेशन होती है । टैंक इरिगेशन एक प्रतिशत में, ट्यूबवैल इरिगेशन चार प्रतिशत में, वेल इरिगेशन 15 प्रतिशत में; इस तरह से यह इरिगेशन होती है । 11 प्रतिशत किसान कैनाल से इरिगेशन करते हैं ।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब संधारण का, रख-रखाव का खर्चा आज के दिन 25 प्रतिशत भी हम नहीं दे पा रहे हैं, 75 प्रतिशत संधारण का, रख-रखाव का खर्चा कंसोलिडेटेड फंड आफ राजस्थान से दिया जाता है, वह किस पर पड़ता है ?

(श्री चन्दन मल बैद)

वह इन किसानों पर पड़ता है जो या तो कुए से सिंचाई कर रहे हैं या सिंचाई कर ही नहीं रहे हैं। वह उन किसानों पर पड़ता है जिन्होंने इन सिंचाई के साधनों के दर्शन भी नहीं किये हैं।

जिन्होंने इंदिरा गांधी नहर भी नहीं देखी है, माही भी नहीं देखी है, भाखड़ा भी नहीं देखा है और चम्बल भी नहीं देखी है। अलवर के, भरतपुर के, सवाई माधोपुर के, झुंझुनूं के, चूरू के, सीकर के किसानों का क्या कसूर है, कि वह उन लोगों के लिए टैक्स दे..(व्यवधान) फायदा उनको हो रहा है, जमीन की कीमत उनकी बढ़ी है, उत्पादन उनका बढ़ा है। हमने साधन बनाये उसमें हजारों करोड़ रुपये हमने खर्च किये है, वह हम बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हमारी इकोनोमिक कंडीशन अच्छी हो प्रदेश की। उस पर जो ब्याज लग रहा है वह भी हम दे रहे हैं क्योंकि हमारी इकोनोमिक कंडीशन अच्छी हो।

लेकिन जो किसान उन साधनों के अच्छे होने के कारण से इनकी जमीनों की कीमत बढ़ गई, जहां गंगानगर की जमीन सौ रुपये बीघे में कोई पूछता नहीं था, आज लाख रुपये बीघे में मिलती नहीं है,.....

श्री खेतसिंह राठौड़ : पांच लाख।

श्री चन्दन मल बैद : मैं लाख रुपये में नहीं कह रहा हूं। उन लोगों की जो आमदनी बढ़ी, जो जमीन की कीमत बढ़ी, उसका खामियाजा बामनवास के माननीय सदस्य के लोग क्यों भरे...

श्री राधेश्याम गंगानगर : वह किसी का क्या अहसान है, पानी का बहाव इधर था। बड़ी मुश्किलों से टीलों को काट-काट के, बड़े-बड़े टीले थे....

श्री चन्दन मल बैद : राधेश्याम जी, ठीक है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : उन लोगों ने बड़ा परिश्रम किया है। लोगों ने अपनी जान निछावर की है तब जाकर गंगानगर बना है।

श्री चन्दन मल बैद : बहुत ठीक है। मैं मानता हूं। तभी तो आपके परिश्रम करने के कारण से ही तो दो हजार करोड़ रुपये आज इंदिरा गांधी नहर पर हमने खर्च किये हैं। दो हजार करोड़ रुपये इन्दिरा गांधी नहर पर हमने खर्च किये, आपके परिश्रम के लिये ही तो। (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : ..(व्यवधान)... सिंचाई की दरें कम करें। कंवरसेन लिफ्ट नहर की सिंचाई दरें कम करें।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : ..(व्यवधान)... इस पर सहानुभूतिपूर्वक आपको विचार करना चाहिए। देखिये वित्त मंत्री साहब, ये तो सरासर गलत है। इस बात पर तो आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करिये। क्यों कि उनको मिलता क्या है ? गेहूं का भाव आज पांच सौ रुपये क्विंटल हो रहा है,

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

और आपका नरमा हो नहीं रहा है। हजार रुपये, बारह सौ रुपये; और वह ही दवाइयों का सारा मामला उससे साफ हो जाता है।

श्री चन्दन मल बैद : माननीय सदस्या; दो हजार रुपये....

श्रीमती सुचित्रा आर्य : ....किसान तो गरीब का गरीब ही रह गया। इस पर तो साहब आप सहानुभूतिपूर्वक फैसला कीजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ..(व्यवधान) ..तीन साल से नरमा कमपा हो नहीं रहा है। किसान रो रहा है और कर्जे में.... (व्यवधान)...

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : कंवरसेन लिफ्ट की सिंचाई की दरें कम करें।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : ये तो बहुत चिन्ता का विषय है। यह तो गंगानगर और हनुमानगढ़ वालों के लिए क्या, बीकानेर वालों के लिए यह तो साहब आपको वापस लेना चाहिए। आपको सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या; आर्डर प्लीज।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय वित्त मंत्री जी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप का सब्जैक्ट ही नहीं है तो भी बोल रहे हैं आप।

श्री जनार्दन गहलोत : कैसे सब्जैक्ट नहीं है ? सब्जैक्ट हमारा इस बात का है...

श्री चन्दन मल बैद : मुझे सहानुभूति है 11%; किसानों के साथ मुझे सहानुभूति 89% किसानों के साथ भी है। मैं वित्त मंत्री केवल बीकानेर डिवीजन का नहीं हूं, राजस्थान का हूं। सवाईमाधोपुर; अलवर; भरतपुर, झुंझुनूं; डूंगरपुर, चूरू....

श्री राधेश्याम गंगानगर : गंगानगर के भी तो हैं।

श्री चन्दन मल बैद : ये लोग भी यह आशा करके बैठे हुए हैं कि वित्त मंत्री ने उनको बहबूदी के लिए हमसे यह पैसा वसूल कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा था आज बिजली की सुविधा मुझे मिली हुई है। मुझे बिजली की सुविधा से मेरी उपज बढ़ी है, मेरी जमीन का दाम बढ़ा है। और मैं यह चाहता हूं कि मैं पैसा नहीं दूं, कम दूं और यह बिजली का विस्तार नहीं हो, तो उन लोगों, जिनके पास बिजली नहीं पहुंची है। आज 30 हजार, वे कह रहे थे 6 लाख कुएं के 6 लाख आवेदन पड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि 6 लाख आवेदनों को हम दें; लेकिन... (व्यवधान).... ठीक है।

श्री अमराराम (धोद) :..(व्यवधान) आपके दरें बढ़ाने से मिल जाएंगे क्या ? आप जब भी बढ़ाते हैं, यह हर सरकार कहती हैं। मंत्रीजी जब टैक्स बढ़ाते हैं तो;

(श्री अमराराम)

हम उसके लिए बढ़ा रहे हैं, आज हालत यह है कि पांच लाख परिवार राजस्थान से बाहर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भट्टों पर किस तरह से जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। उनकी चिन्ता नहीं है। उनका नाम लेकर के पैसा, जनता पर कर लगाते हैं, लोग मजे करते हैं। पांच लाख परिवार हैं जो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भट्टों पर मजदूरी करके अपनी जिन्दगी किस तरह बिताते हैं।

श्री चन्दन मल बैद : अब आप सवाल पूछिये भाषण क्यों दे रहे हैं? अब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि असीमदास गुप्ता जो सबसे ज्यादा अनुभवी और सबसे ज्यादा पुराने वित्त मंत्री हैं हिन्दुस्तान के सारे स्टेट्स के। मेरी उनसे कई बार चर्चा हुई है और मैंने उनको जो पत्र लिखा है उसके बारे में उन्होंने यह कहा है कि चन्दन मल जी, मैं आपको एक–एक बात से सहमत हूं।

एक माननीय सदस्य : अमराराम जी नहीं हैं न तो।

श्री चन्दन मल बैद : मेरी बात सुनिये। ठहरिये। घबराइये मत अभी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि असीम दास गुप्ता जी जब टैक्स लगाते हैं तो जो आग्र्यूमेंट्स वे देते हैं, वे आग्र्यूमेंट्स आप मुझे ला दीजिये, वे ही आग्र्यूमेंट्स मैं दे दूंगा यहां।

श्री अमराराम (धोद) : आज बंगाल में भूमि सुधार से ज्यादा हिन्दुस्तान का नहीं पूरा, अमर्त्य सेन आज कहता है कि जितना भूमि सुधार बंगाल में लागू हुआ है उतना पूरे देश में कहीं नहीं रहा है। आप लागू करिये। 72 हजार बीघा लिये बैठे हैं।

श्री चन्दन मल बैद : बात उसके बारे में थी आप कहां से कहां पर आ गये। आप कहां से कहां चले गये। वेस्ट बंगाल ..(व्यवधान).. कहां चले गये आप। मैं बात जो कह रहा हूं वह सुनिये आप।

श्री अमराराम (धोद) : वेस्ट बंगाल की बात है तो पूरे प्रदेश की कीजिये न।

श्री चन्दन मल बैद : वेस्ट बंगाल ने जो टैक्स लगाया है। बैठ जाइये। वेस्ट बंगाल में व्यवसाय कर, सुन लीजिये दुबारा, वेस्ट बंगाल में व्यवसाय कर 15 सौ रुपये सेलेरी पाने वालों पर है। मालूम कर लीजिये।

श्री अमराराम (धोद) : यह भी बता दो कि कितना है, पांच रुपये।

श्री चन्दन मल बैद : पांच या 10 है। है कि नहीं?

श्री अमराराम (धोद) : मैं यह बता दूं कि जो फैक्ट्री के मालिक पूरे साल मजदूरी कराने के बाद मजदूरी नहीं देते, उनका रिकार्ड रखने के लिए और आपके यहां पूरे साल रख कर आढोपाल में निकाल दिया कोई अधिकार नहीं है।

श्री चन्दन मल बैद: अब आप कैसे ही घुमाएं। वह खाली उन पर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय वित्त मंत्री महोदय, एक सैकन्ड आप....

श्री चन्दन मल बैद : बैठ जाइये आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राधेश्यामजी। आप मेहरबानी करके डिस्टर्ब मत कीजिये। माननीय सुन लीजिये इसको।

श्री चन्दन मल बैद : बैठ जाइये। आप हर बात में बोलेंगे। मतलब कोई भाषण का काम ही नहीं होने देंगे मेरा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं तो अपनी बात नहीं कह रहा हूं।

श्री चन्दन मल बैद : कह दीजिये बात अपनी। कह चुके आप बात; मेरी भी कहने दीजिये मुझे। देखिये, केवल वे मजदूरों से नहीं ले रहे हैं हर आदमी से ले रहे हैं। जिसकी 15 सौ रुपये तनख्वाह है, 15 सौ रुपये वेतन है और आप हमारा ही विरोध कर रहे है कि हम यह कह रहे हैं कि पांच हजार रुपये वेतन हो, मासिक आय हो, और इन्कम टैक्स देता हो उससे लेगें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं तो आबयाने की बात कर रहा हूं उसको आप 100 % न कीजिये 50 % बढ़ा दीजिये। आपका बजट बहुत बढ़िया है। अब इसकी आवश्यकता है। मैं आपका आभारी हूं लेकिन गंगानगर का किसान मरा हुआ है वह रो रहा है। तीन साल से रो रहा है। आप कृपा करके सौ की बजाय पचास प्रतिशत कर दीजिये। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। ..(व्यवधान)....

श्री चन्दन मल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब यही चाहते हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में..(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : शुगर मिल की चीनी..(व्यवधान)...(अश्रव्य)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र जी।

श्री चन्दन मल बैद : राधेश्याम जी कल जब हम और आप लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे, तब टैक्स की बात हो रही थी। तब मैंने यह कहा कि सारे एम.एल.ए. यह तय कर लें कि हमको एक भी मिडिल स्कूल नहीं चाहिए, एक भी सैकण्डरी स्कूल नहीं चाहिए, एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं चाहिए। एक भी औषधालय नहीं चाहिए। हमारा जो 10 लाख से 20 लाख किया है वह भी वापस रोल बैक कर दो, तो मुझे टैक्स लगाने की क्या जरूरत है। क्यों गालियां खाऊं आपकी... (व्यवधान)...

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैंने आपकी तारीफ की है। आपने बहुत अच्छा बजट दिया है उस क्षेत्र की जनता के लिए केवल सौ परसेंट जो किया है; वह सौ परसेंट

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

अपने को तकलीफ देगा । सौ परसेंट बहुत ज्यादा है आप कृपया इस पर पुनर्विचार कीजिये । मैं आपका आभारी रहूंगा । यह तो मेरी प्रार्थना है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...(व्यवधान)... वित्त मंत्री जी को कुछ न कुछ बढ़ाना जरूर पड़ेगा । आप इस बात का फैसला करके बताइये । मैं यह पूछना चाहता हूं कि कहीं दबाव में आप इस आवपाशी शुल्क को कम तो नहीं कर देंगे। आप लौह पुरुष हो। आप जो फैसला करते हो, उसको लागू करते हो। मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि कहीं ये जो आपने सिंचाई की शुल्कें बढ़ाई हैं कम तो नहीं कर दोगे कहीं दबाव में ?

श्री चन्दन मल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह मेरी और मुख्य मंत्री श्री राय से हो रहा है, आपकी राय से कुछ नहीं हो रहा । आपकी राय से नहीं होगा । हम दोनों की राय से ही होगा ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां तो पूछने का तो अधिकारी हूं ।

डा. किरोड़ी लाल : ...(व्यवधान)... इसलिए आप किसी दबाव में हो तो बता ना साहब । दबाव डाल रहे हैं राधेश्याम जी वगैरह ।

श्री भीमसेन चौधरी : यह कंवरसेन लिफ्ट नहर को चौगुनी सिंचाई दरें कैसे दे पाएंगे । माननीय उपाध्यक्ष जी, कंवरसेन लिफ्ट नहर के काश्तकार चौगुनी सिंचाई दरें कैसे दे पाएंगे ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : ..(व्यवधान) मैंने लाठी खायी हुई है इसलिए कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर ।

एक माननीय सदस्य : सही बात है, पीने का पानी और सब सुविधाएं हो जाएंगी ।

श्री चन्दन मल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से लोग सवाल पूछना चाहते हैं । मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि अभी अप्रोप्रियेशन बिल का वक्त और आने वाला है ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप 20 को 25 कर दीजिये कोई सवाल नहीं पूछेगा ।

श्री चन्दन मल बैद : मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ...(व्यवधान)... आपका लग क्या रहा है उसमें ? माननीय वित्त मंत्री जी, एक मिनट मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पांच लाख रुपये तो अनटाइड फंड से मिल रहे हैं और पांच लाख रुपये 32 जिले 32 काम से मिल रहे हैं । वह 10 लाख रुपये तो आपका उसमें कुछ लग ही नहीं रहा है। आप तो 20 लाख

(श्री राजेन्द्र पारीक)

अलग से करिये और 10 को करिये...30... लाख...30 लाख...।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर ।

श्री चन्दन मल बैद : आप सब लोगों ने मिल कर जो अपनी भावनाएं प्रकट कीं, उनका आदर करते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी का मुझे यह आदेश है कि मैं वह प्रस्ताव करूं कि माननीय सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में खर्च करने की राशि 10 लाख थी, जिसको मैंने 20 लाख किया था अब 25 लाख किया जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 6 अप्रेल, 1999 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 19.40 बजे मंगलवार, दिनांक 6 अप्रेल, 1999 को प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 137 की सूची

विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा जिला बांसवाड़ा में स्वीकृत व संचालित
विभागीय औषधालयों की सूची

क्र.सं.	स्थान औषधालय	क्र.सं.	स्थान औषधालय
	आयुर्वेदिक औषधालय	14.	शेरगढ़
		15.	मोटी टिम्बी
1.	नौगांवा	16.	बागीदोरा
2.	आनन्दपुरी	17.	छापरा
3.	अरथूना	18.	चान्दरवाड़ा
4.	मोटी बस्ती	19.	फलवा
5.	मैना पादर	20.	छाजा
6.	पादरड़ी	21.	पाटिया गलिया
7.	गोपीनाथ का गढा	22.	पीपापुरा
8.	कुंवालिया	23.	सुवाला
9.	रैयाना		
10.	बिलड़ी(गढ़ी)		होम्योपैथिक औषधालय
11.	बिलोदा		
12.	सल्लोपाट	1.	ओरवा
13.	गांगड़ तलाई		

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 139 की सूचना

बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में खनिज चेजा पत्थर के लीज धारकों की सूची

क्र.सं.	नाम पट्टाधारी	क्षेत्र	ग्राम	तहसील	जिला	अवधि
1.	श्री रामकिशन गुर्जर	100 × 100 मी.	मुई	बसवा	दौसा	27-3-90 से 10 वर्ष
2.	श्री राजेन्द्र कुमार	,,	ऊपरेडा	बसवा	दौसा	10-3-98 से 10 वर्ष
3.	श्री प्रहलाद स्वरूप	,,	ऊपरेडा	बसवा	दौसा	10-3-98 से 10 वर्ष

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

फायसागर–खरेकड़ी (अजमेर) सड़क निर्माण प्रकरण

141. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या फायसागर अजमेर से खरेकड़ी सम्पर्क सड़क कृषि उपज मण्डी समिति अजमेर द्वारा बनवाई जा रही है ?

(2) क्या उक्त सड़क मार्ग पर मंडी समिति, अजमेर द्वारा 22.48 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो उक्त राशि से कितने किलोमीटर सड़क पर डामरीकरण करवाया जा चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि मंडी समिति अजमेर ने इस सड़क को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, द्वितीय के माध्यम से दिनांक 11 अगस्त, 1998 को 68.50 लाख का संशोधित प्रस्ताव प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर को भिजवाया है ? यदि हां, तो स्वीकृति अभी तक जारी नहीं होने के क्या कारण रहे हैं ? अब सरकार कब तक स्वीकृति जारी कर इस अपूर्ण सड़क को पूर्ण करवा देगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । सड़क पर डामरीकरण का कार्य नहीं हुआ है ।

(3) जी हां । उक्त प्रकरण विचाराधीन है ।

मुस्लिम त्योहारों पर सूखा दिवस

142. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रदेश में शराब की दुकानें कब–कब बंद रहती है ?

(2) क्या सरकार मुस्लिम त्योहारों व रमजान के महीने भी सूखा दिवस घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में शराब की दुकानें राज्य सरकार द्वारा घोषित शुष्क दिवस पर बन्द रहती हैं । घोषित शुष्क दिवस निम्नानुसार है :—

(आबकारी मंत्री)

1-गणतंत्र दिवस

2-स्वतंत्रता दिवस

3-हरिजन दिवस

4-महावीर जयन्ती

5-कृष्ण जन्माष्टमी

6-गांधी जयन्ती

7-गोकुलभाई भट्ट का जन्मदिन (महाशिवरात्रि)

(2) जी नहीं, क्योंकि उत्तरी एवं पड़ोसी राज्यों में 3 शुष्क दिवस ही (स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस व गांधी जयन्ती) घोषित किये हुए हैं। जिसकी तुलना में राजस्थान में लगभग दुगुने शुष्क दिवस हैं। अतः राज्य में और शुष्क दिवस घोषित करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में राशन सामग्री का वितरण प्रकरण

143. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) खाद्य विभाग ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बी.पी.एल. व ए.पी.एल.लाइन के नागरिकों को सस्ती राशन सामग्री कितनी-कितनी मात्रा व दर पर वितरण हेतु व्यवस्था की है ?

(2) क्या सरकार ने इस संदर्भ में दोनों समूहों के लिए सर्वेक्षण करवाकर राशन कार्ड वितरण की व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) कितना अनाज प्रति व्यक्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलता है ? क्या वह पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो सरकार इस संदर्भ में क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से बी.पी.एल.लाईन के नागरिकों को 10 किलोग्राम खाद्यान्न गेहूं/चावल उपलब्धता के अनुसार अनुदानित दर क्रमशः 3.00 रुपये व 4.00 रुपये प्रति किलोग्राम देने की व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा इन परिवारों को प्रति परिवार प्राथमिकता से 10 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न सामान्य दर क्रमशः गेहूं 7.00 रुपये व चावल 9.70 रु. प्रति किलोग्राम की दर पर देने की व्यवस्था है। ए.पी.एल. लाईन के नागरिकों को सामान्य व चयनित क्षेत्रों में क्रमशः अधिकतम 10 व 15 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट सामान्य वितरण दर गेहूं 7.00 रुपये एवं चावल 9.70 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से वितरण कराये जाने की व्यवस्था है।

(2) जी हां।

(3) भारत सरकार से सार्वजनिक

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 55160 मै. टन गेहूं/चावल का आवंटन प्रतिमाह प्राप्त होता है, जो अनुमानित जनसंख्या के आधार पर प्रतिव्यक्ति लगभग 1.2 किग्रा. होता है। यह आवंटन पर्याप्त नहीं है। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर भारत सरकार से अनुरोध किया जाता रहा है। परिणामतः अतिरिक्त रूप से वर्ष 1998-99 में नवम्बर, दिसम्बर में 25000 मै.टन; मार्च व अप्रेल, 99 के लिए 30000 मै.टन व शेष माहों में 15000 मै.टन गेहूं प्रतिमाह का आवंटन भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

जिला चित्तौड़गढ़ के कृषकों का मुआवजा प्रकरण

144. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत दिनों के दौरान जिला चित्तौड़गढ़ में ओलावृष्टि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देने का विचार रखती है ?

(3) गत तीन वर्षों में जिला चित्तौड़गढ़ में ओलावृष्टि/अनावृष्टि हेतु सरकार ने किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि क्षतिपूर्ति देने के लिए उपलब्ध कराई है ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ से रिपोर्ट विभाग में प्राप्त हो गई है।

(2) ओलावृष्टि से हुई क्षति से प्रभावित कृषकों को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सहायता राशि का वितरण किया जा रहा है।

(3) गत तीन वर्ष 1996, 1997 एवं 1998 में से वर्ष 1997 में 27.49 लाख रुपये की राशि की आर्थिक सहायता प्रभावित काश्तकारों एवं पीड़ित परिवारों को उपलब्ध कराई गई। वर्ष 1996 व वर्ष 1998 में चित्तौड़गढ़ जिले में ओलावृष्टि नहीं हुई। अनावृष्टि होने पर विभिन्न राहत योजनाओं को क्रियान्वित करके प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान की जाती है। क्षतिपूर्ति हेतु राशि नहीं दी जाती है।

कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय गुढा एवं उदयपुरवाटी का भौतिक सत्यापन प्रकरण

145. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1996 से 1998 तक जिला झुंझुनूं में जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय गुढ़ा तथा

(श्री शिवनाथ सिंह)

उदयपुरवाटी के स्टोर का भौतिक सत्यापन कब–कब, किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया तथा क्या अनियमिततायें पाई गई ? निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भौतिक सत्यापन में बहुत-सा सामान नहीं पाया गया तथा न ही उसका कोई हिसाब पाया गया ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1996 से 1998 तक जिला झुंझुनूं में जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय गुढा तथा उदयपुरवाटी के स्टोर का भौतिक सत्यापन दिनांक 4-10-96 से 31-10-96 तक श्री मिश्रीलाल भण्डार सत्यापक एवं 3-12-97 से 15-12-97 तक श्री सत्यनारायण माथुर भंडार सत्यापक, राज.जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धक मण्डल जयपुर द्वारा किया गया। अनियमितताओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट' क' व 'ख' में है।

(2) जी नहीं, भौतिक सत्यापन में मात्र चार पम्प सैट, एक मोटर व 64 किलो ग्राम ताम्बे का तार नहीं पाया गया। 64 किलो ग्राम तार व एक पम्प सैट चोरी चला गया था जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी शेष तीन पम्प सैट व एक मोटर नलकूपों में गिर गये जिन्हें काफी प्रयास के बाद भी निकाले नहीं जा सके।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सपोटरा में प्रस्तावित महाविद्यालय

146. श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार सपोटरा में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय साधनों को देखते हुए सपोटरा में महाविद्यालय प्रारम्भ करने की अभी कोई योजना नहीं है।

करणीसिंह नहर (श्रीगंगानगर) का बिस्तार प्रकरण

147. श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई (सूरतगढ) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला श्री गंगानगर की करणीसिंह नहर को सूरतगढ की झीलों से जोड़ने की एक योजना बनाई गई थी ?

(श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई)

(2) उक्त योजना का कितना कार्य हो चुका है और कितना शेष है ?

(3) उक्त योजना पर कितनी राशि व्यय हुई है एवं कितनी की अब और आवश्यकता है ?

(4) अब सरकार उक्त नहर को कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इस योजना के अन्तर्गत डिप्रेशन नम्बर 16 से पीली बंगा करणीजी नहर को जोड़ने वाली लिंक नहर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

(3) इस योजना पर 171.83 लाख रुपये खर्च हो चुका है । कोई कार्य शेष नहीं है ।

(4) स्वीकृत योजना अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

रसायनशालाओं में निर्मित औषधियों की गुणवत्ता की जांच

148. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में औषध निर्माण हेतु कितनी रसायन शालाएं कार्यरत हैं ? जनवरी, 1998 से फरवरी, 1999 तक इनमें तैयार की गई औषधियों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त रसायनशालाओं में बनाई औषधियां गुणात्मक दृष्टि से जांच के बाद ही राज्य में वितरित की जाती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य के कार्यरत वैद्यों ने अपने यहां प्राप्त औषधियों में से कुछ के लिए घटिया एवं दोषयुक्त होना बताया है? यदि हां, तो कौन–कौनसी औषधि के बारे में एवं उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राज्य में औषध निर्माण हेतु विभागान्तर्गत 4 रसायनशालाएं कार्यरत हैं। जनवरी, 1998 से 28 फरवरी, 1999 तक इन में निर्मित की गई औषधियों की सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" में रख दी गई है ।

(2) विभागीय रसायनशालाओं में औषधियों का निर्माण शास्त्रीय विधि से एवं सुयोग्य तकनीकी स्टाफ की देखरेख में कराया जाता है । राज्य में आयुर्वेदिक ड्रग टेस्टिंग लैब (Ayurved Drug Testing Lab) न होने के कारण मशीन के द्वारा जांच संभव नहीं है लेकिन प्रभारी अधिकारी, रसायनशाला को यह निर्देशित किया हुआ है कि निर्मित औषधि को वितरित करने से पूर्व प्रभारी अधिकारी सहायक प्रभारी एवं सहायक प्रभारी (निर्माण यह प्रमाण पत्र

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

देंगे कि) औषधि निश्चित व निर्धारित प्रक्रिया तथा मापदण्ड के अनुसार सही रूप से निर्मित की गई है।

(3) जी हां। वर्ष 1997 में रसायन शाला, भरतपुर में निर्मित केवल "संजीवनी वटी" के संबंध में इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच पर संजीवनी वटी में निर्माण प्रक्रिया का दोष पाया गया। जिसे वापस रसायनशाला में मंगवाकर पुनः प्रोसिस कराकर औषधालयों को वितरित किया गया है। इस हेतु प्रारम्भिक जांच में प्रभारी अधिकारी एवं सहायक प्रभारी को दोषी पाया गया तथा उन्हें निलम्बित किया जा चुका है, और जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

परिशिष्ट-क

विभागीय रसायनशालाओं द्वारा माह जनवरी, 1998 से 28 फरवरी, 1999 तक निर्मित औषधियों की सूची

क्र.सं.	नाम औषधि	निर्मित मात्रा (किलो में)
1	2	3
1.	तिन्दूक वटी	764.100
2.	विषम ज्वरारि वटी	1421.000
3.	च्यवनप्राश	3133.800
4.	आनन्द भैरव रस	818.500
5.	निशा तैल	595.000
6.	शुद्ध गंधक	294.000
7.	हरड़ चूर्ण	939.750
8.	अर्जुनत्वक चूर्ण	5138.000
9.	अर्क वटी	332.250
10.	गंधक वटी	410.250

1	2	3
11.	हुब्बे हाजिम	749.000
12.	सफूफ हाफिजेदम	130.000
13.	सफूफ इकसिरेजिगर	240.000
14.	सफूफ मुदिर	99.000
15.	सफूफ चुटकी	70.000
16.	लउक बिहृदाना	246.000
17.	तवीख फसानेखून	147.750
18.	जोशांदा	421.900
19.	मरहम सफेद काफूरी	1159.750
20.	रोगने दर्द	154.000
21.	हुब्बे करंजवा	315.000
22.	हुब्बे जिकुनफस	46.750
23.	हुब्बे रसोत	106.000
24.	हुब्बे जिमादस्याह	17.750
25.	हुब्बे कब्बा एतेफाल	14.800
26.	सफूफ तीन	10.250
27.	शर्बत बनफशा	530.500
28.	मरहम नींव	126.000
29.	वेदना नाशक	14619.200
30.	अर्क विशुचिकान्तक	13618.400
31.	कर्पूर रस	326.100
32.	लवंगादि वटी	2599.200
33.	नेत्र बिन्दु	2997.700
34.	गोजिह्वादि क्वाथ	3904.500
35.	रस माणिक्य	408.050
36.	बिभितकी चूर्ण	1423.500
37.	गोक्षरादि चूर्ण	835.000

1	2	3
38.	धायपुष्पादि चूर्ण	792.000
39.	तालिसादि चूर्ण	23835.000
40.	लवणभास्कर चूर्ण	10450.000
41.	जन्मघूटी क्वाथ	5069.000
42.	शतावरी चूर्ण	200.000
43.	अग्नि संदीपन चूर्ण	5377.400
44.	नागकेसर चूर्ण	1992.750
45.	अश्वगंधा चूर्ण	4007.000
46.	गोदिन्ती भस्म	3456.250
47.	शुभ्रा भस्म	573.000
48.	बालसुधा	761.500
49.	कृष्ण मरहम	1230.500
50.	जात्यादि तेल	6639.500
51.	शंख भस्म	807.500
52.	कपर्द भस्म	2104.950
53.	अकीक भस्म	89.500
54.	आमला की चूर्ण	200.00

जयपुर की कालोनियों में सड़क/नाली निर्माण प्रकरण

149. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जयपुर स्थित महेश नगर, भगवती नगर, बाल नगर, सैनी कालोनी प्रथम एवं द्वितीय, कल्याण नगर, टैगोर नगर, कृष्णा नगर आदि कालोनियों में अभी तक सड़कें/नालियां नहीं बनी है ? यदि हां, तो क्यों ? अब सरकार उक्त कालोनियों में सड़कें/नालियां कब तक बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, महेश नगर, भगवती नगर, बाल नगर व सैनी कालोनी प्रथम एवं द्वितीय कल्याण नगर, टैगोर नगर, कृष्णा नगर आदि कालोनियों में अभी तक पूर्ण रूप से सड़क एवं नालियां नहीं बनी हैं। क्योंकि जयपुर विकास प्राधिकरण तकनीकी स्वीकृत कालोनियों में भू-धारियों द्वारा जमा विकास शुल्क की राशि के अनुरूप ही विकास कार्य करवाता है।

उक्त कालोनियों में शेष नालियों का निर्माण पर्याप्त विकास शुल्क जमा होने पर करवा दिये जावेंगे।

राज्य में गैस एवं खनिज तेल का दोहन प्रकरण

150. श्री संयम लोढा (सिरोही) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) राज्य में तेल और गैस की खुदाई कहां-कहां चल रही है तथा उसकी क्या प्रगति है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में शैल कम्पनी द्वारा तेल की खुदाई की जा रही है ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

(3) क्या उक्त जिले में कोल बेड मिथेन तकनीक से गैस दोहन की कोई योजना है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गैस और तेल खुदाई की उक्त योजनाओं से राजस्थान की जनता को लाभान्वित करने के लिए सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) राज्य में तेल एवं गैस के एक्सप्लोरेशन हेतु छिद्रण कार्य जैसलमेर जिले के लोंगोवाला क्षेत्र में तथा बाड़मेर जिले के गुढ़ा-मलानी क्षेत्र में किया जा रहा है। जैसलमेर जिले के लोंगोवाला क्षेत्र में 1705 मीटर गहराई तक एवं बाड़मेर

(राज्य मंत्री, खनिज)

जिले के गुढा-मलानी क्षेत्र में 2240 मीटर गहराई तक छिद्रण कार्य किया जा चुका है।

(2) जी हां। लगभग 1800 से 2000 मीटर तक की गहराई तक की खुदाई में प्राकृतिक गैस के भण्डार एवं तेल के संकेत मिले हैं।

(3) जी हां। वांछित विवरण परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(4) गैस व तेल के पुख्ता भण्डार मिलने पर उनकी मात्रा तथा गुणवता को देखते हुए योजनाएं बनाई जायेगी।

परिशिष्ट "अ"

परियोजना डी.पी.–3

राज्य के बाड़मेर एवं जालौर जिले में अधिक गहराई में उपलब्ध लिग्नाईट भण्डारों से कोल बेड मेथन गैस का दोहन

नवगठित निदेशालय पेट्रोलियम द्वारा राज्य में तेल व गैस अन्वेषण के दौरान किये गये गुरुत्वाकर्षण एवं भूकम्पीय सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है। इन सर्वेक्षणों द्वारा बाड़मेर-सांचोर क्षेत्र में 200 मीटर से 1600 मीटर गहराई में लिग्नाईट की मोटी परतों के विपुल भण्डार होने के संकेत मिले हैं जो करोड़ों टन मात्रा में होने का अनुमान है। इन भण्डारों का दोहन गैसीकरण एवं कोल बेड मेथेन प्रक्रिया से किया जा सकता है।

लिग्नाईट भण्डार जो कि 200 मीटर से 600 मीटर गहराई में उपलब्ध है, का विकास भारत सरकार के उपक्रम गैस अथोरिटी आफ इण्डिया के माध्यम से किया जा रहा है। 600 मीटर से अधिक गहराई में उपलब्ध लिग्नाईट भण्डारों से कोल बेड मेथेन गैस की वाणिज्यिक मात्रा प्राप्त हो सकती है। केम्बे बेसिन गुजरात में कोल बेड मेथेन की उपलब्धता पहले से जांच कर ली गई है तथा यही बेसिन राजस्थान में बाड़मेर-सांचोर तक फैला हुआ है।

पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान द्वारा राजस्थान में कोल बेड मेथेन के विकास

हेतु रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई है। भारत सरकार ने राजस्थान में कोल बेड मेथेन सम्पदा के आंकलन हेतु उत्सुकता दिखलाई है ।

कोल बेड मेथेन के विकास हेतु 3532 वर्ग किमी. क्षेत्र में 7 ब्लाक प्रस्तावित किये गए हैं। इस परियोजना से लगभग 2680 मेगावाट क्षमता से विद्युत उत्पादन की संभावना है अथवा गैस ग्रिड की स्थापना से घरेलू गैस जोधपुर, अजमेर, जयपुर व अन्य शहरों को पाइप लाइन द्वारा सप्लाई की जा सकती है ।

उर्जा उत्पादन हेतु किये गये अनुबन्ध का पुनः निरीक्षण

151. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तत्कालीन सरकार ने ऊर्जा उत्पादन हेतु कोई अप्रवासी भारती व भारतीय वासी से अनुबंध किये थे ? यदि हां, तो कुल कितने अनुबध थे और उससे राज्य में कितनी ऊर्जा उत्पादन होना था ? अनुबंधों की संख्या व किन–किन से हुए मय उत्पादन क्षमता और कब तक स्थापित होने थे का विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) जो 'एम.ओ.यू.' विद्युत मण्डल के और पार्टी से हुए उसकी मूलभूत शर्तें क्या-क्या थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) वर्ष 1994 से 1998 तक इन अनुबंधों के बाद क्या 'विद्युत' का कोई उत्पादन हुआ है ? यदि हां, तो कितने मेगावाट ? परियोजनावार आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार ने इन अनुबंधों का पुनः निरीक्षण करने हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है ? यदि हां, तो इसके कौन-कौन सदस्य हैं और क्या इस कमेटी द्वारा कोई निर्णय कर सिफारिश राज्य सरकार को की है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । तत्कालीन राज्य सरकार ने ऊर्जा उत्पादन हेतु 22 कम्पनियों के साथ कुछ 28 अनुबन्ध किये थे जिनसे 3948.7 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होना था । अनुबन्धों सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई ।

(2) राज्य सरकार व विद्युत मण्डल ने केवल मैसर्स आर.पी.जी. धौलपुर के साथ 700/750 मेगावाट क्षमता के नेपथा

(ऊर्जा मंत्री)

प्राधारित विद्युत संयंत्र के लिये 17-2-1994 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए हैं। एम.ओ.यू. की मुख्य शर्तें परिशिष्ट 'ब' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) इन अनुबन्धों से अभी तक कोई विद्युत उत्पादन शुरू नहीं हुआ है।

(4) जी हां। राज्य सरकार ने इन अनुबन्धों पर पुनः निरीक्षण करने हेतु एक मंत्रिमण्डलीय उपसमिति का गठन राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21-12-1998 व 23-12-1998 के तहत किया था, जिसके निम्न सदस्य हैं:—

1. श्री चन्दनमल बैद माननीय वित्त मंत्री

2. श्रीमती कमला माननीय सिंचाई मंत्री

3. डा. चन्द्रभान माननीय ऊर्जा मंत्री

मंत्रिमण्डलीय उपसमिति ने सिफारिशें राज्य सरकार को दे दी हैं कमेटी की सिफारिशें परिशिष्ट 'स' पर संलग्न हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला सीकर की मण्डियों का 'विक्रय पर्ची' प्रकरण

152. श्री अमराराम (धोद) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला सीकर की सीकर एवं श्री माधोपुर कृषि उपज मण्डी में किसानों का माल मण्डी नियमों के अनुसार विक्रय हो रहा है ?

(2) क्या सभी किसानों को विक्रय पर्ची दी जा रही है तथा भुगतान समय पर हो रहा है ? उसकी देखभाल की वर्तमान में क्या व्यवस्था है ?

(3) क्या कृषक विश्राम गृह किसानों के विश्राम के काम आ रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उतर

(1) जी हां।

(2) जी हां। तथा भुगतान भी समय पर हो रहा है जिसकी देख-रेख की व्यवस्था मण्डी समिति द्वारा की जाती है।

(3) जी हां। किन्तु आमतौर पर किसान अपना माल विक्रय कर उसी दिन अपने घर लौट जाता है।

पोकरण लिफ्ट योजना क्रियान्वयन प्रकरण

153. श्री गोरधन दास (जैसलमेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में पोकरण लिफ्ट योजना का कार्य स्वीकृत है ?

(श्री गोरधन दास)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त परियोजना का स्वरूप बदल कर पोकरण की तरफ न ले जाकर जिला जोधपुर की ओर कर दिया गया है ?

(3) क्या सांकड़ा ब्लाक का पूरा क्षेत्र इस लिफ्ट योजना से सिंचित हो सकता है ? क्या इसकी मूल योजना बनी हुई है ?

(4) क्या सरकार पोकरण लिफ्ट की मूल योजना को क्रियान्वित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, उक्त परियोजना के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। परियोजना का एलाइनमेंट मंत्री मण्डल द्वारा स्वीकृति के अनुसार ही रखा गया है।

(3) जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील के सांकड़ा ब्लाक की पोकरण लिफ्ट से सिंचाई नहीं हो सकती है। पोकरण लिफ्ट ही मूल योजना बनी हुई है जिस में सांकड़ा ब्लाक को सिंचित करने का प्रावधान नहीं रखा गया है।

(4) जी हां, राज्य सरकार द्वारा जून, 83 में राज्य मंत्री मण्डल तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत योजना के तहत पोकरण जलोत्थान योजना को क्रियान्वित करने का विचार रखती है एवं कार्य प्रगति पर है।

जिला जयपुर में घरेलू कुकिंग गैस का व्यवसायिक उपयोग

154. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर एवं जयपुर शहर में घरेलू कुकिंग गैस का व्यवसायिक उपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ? वर्ष 1994 से फरवरी, 1999 तक ऐसे कौन–कौन से मामले पकड़े गये तथा उनमें क्या–क्या कार्यवाही की गई ? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अब तक की गई कार्यवाही से सरकार संतुष्ट है ? यदि हां, तो किस प्रकार से और नहीं, तो इस सम्बन्ध में अब क्या कदम उठाये जायेंगे ?

(3) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने पर विचार किया है कि घरेलू उपयोग के लिये कुकिंग गैस पर जो भारी अनुदान दिया जा रहा है उसका खुले रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) घरेलू कुकिंग गैस के व्यवसायिक

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

उपयोग की समय-समय पर प्राप्त शिकायतों की जांच करवाई जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए व 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। जनवरी, 1994 से फरवरी, 1999 तक जो मामले पकड़े गये तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। राज्य सरकार इस मामले में सजग है। समय-समय पर जांच कराने के परिणामस्वरूप ही विभिन्न मामले बनाये गये हैं।

(3) कुकिंग गैस पर जो भारी अनुदान दिया जा रहा है उसका दुरुपयोग न हो, इस दृष्टि से लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 1993 के तहत एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए व 3/7 के तहत आवश्यक कार्यवाही करने के लिए जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिये हुये हैं और उनके द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की जा रही है।

क्र.सं.	वर्ष	दर्ज मामले	की गई कार्यवाही
1	2	3	4
	1994	कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ	
1.	1995	मै. अग्रवाल केटर्स, शास्त्रीनगर, जयपुर	आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत न्यायालय में इस्तगासा दायर
2.	1995	मै.टिप्सी शाॅपिंग फास्ट फूड सेन्टर; शास्त्रीनगर, जयपुर	आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत न्यायालय में इस्तगासा दायर
3.	1995	मै.सुनील रेस्टोरेन्ट, इन्दिरा भवन, गांधीनगर; जयपुर	आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत न्यायालय में इस्तगासा दायर
4.	1995	मै.खण्डेलवाल रेस्टोरेन्ट, गांधीनगर	आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत न्यायालय में इस्तगासा दायर
5.	1995	मै.स्पेशल शंकर नमकीन भण्डार, गांधीनगर	आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत न्यायालय में इस्तगासा दायर

1	2	3	4
6.	1995	मै.स्पेशल शंकर नमकीन भण्डार; गांधीनगर	आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत न्यायालय में इस्तगासा दायर
7.	1996	मै.राजेन्द्रप्रसाद/मुकटबिहारी, श्री नरेन्द्र प्रसाद/द्वारकाप्रसाद खेड़ी अलवर	एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई
8.	1997	श्री राम स्वीट केटर्स, शास्त्रीनगर; जयपुर	एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई
9.	1997	मै.अम्बर मिष्ठान भंडार, पोलोविक्ट्री; जयपुर	एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई
10.	1997	मै.कानजीस्वीट्स, पोलोविक्ट्री, जयपुर	अनियमितता नहीं पायी गयी
11.	1997	मै. चावला सनेक्स एण्ड स्वीट्स; राजापार्क	अनियमितता नहीं पायी गयी
12.	1997	मै.गोपी क्वालिटी स्वीट्स, राजापार्क	6ए न्यायालय में विचाराधीन

1	2	3	4
13.	1997	मै.आदर्श मिष्ठान भण्डार, जयपुर	6ए न्यायालय में विचाराधीन
14.	1997	मै.न्यू भारत मिष्ठान भंडार, जयपुर	एफ.आई.आर.दर्ज
15.	1997	मै.अमरदीप स्वीट्स, इन्द्रा बाजार, जयपुर	इस्तगासा की कार्यवाही खाद्य-विभाग द्वारा स्थगित
16.	1997	मै.चौधरी रेस्टोरेन्ट, सांगानेर	6ए न्यायालय में विचाराधीन
17.	1997	मै.किरण स्वीट्स, गोपालपुरा	6ए न्यायालय में विचाराधीन

जयपुर महिला होलसेल उपभोक्ता भण्डार में अनियमितताएं

155. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर महिला होलसेल उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड कम्पनी करधनी किन-किन वस्तुओं का व्यापार करती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस भण्डार द्वारा मेडीकल दुकानों के लिये खरीदी जाने वाली दवाइयों के लिये वर्ष 1990 से फरवरी, 1999 तक खुली निविदायें आमंत्रित की गई थी ? यदि नहीं, तो उक्त प्रकरण में क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

(3) उक्त अवधि में उक्त भंडार द्वारा खरीदी गई दवाइयों, सर्जीकल आइटम्स आई. वी. फ्लूड्स कब-कब कितनी–कितनी मात्रा में खरीदा गया प्रत्येक का खरीद मूल्य क्या था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त भण्डार ने जिन थोक व्यापारियों से उक्त आइटम्स जिस दर से खरीदे इससे पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया गया था कि क्या भण्डार द्वारा जिस दर से आइटम्स खरीदे गये हैं उससे कम दर में बाजार में बेचे तो नहीं जा रहे हैं ? यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? यदि नहीं, तो ऐसा नहीं किये जाने के क्या कारण रहे हैं ?

(5) उक्त अवधि में दवा कम्पनियां या थोक विक्रताओं द्वारा दी जाने वाली स्कीम का लाभ क्या भण्डार को प्राप्त हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किस-किस दवा के लिये स्कीम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितना-कितना लाभ प्राप्त नहीं हुआ है ? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

(6) भण्डार को स्कीम का लाभ नहीं मिलने से वर्ष 1990 से फरवरी, 1999 तक कितनी हानि हुई ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर महिला होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि. 'करधनी' द्वारा खाद्य सामग्री, कास्मेटिक, कन्फेक्शनरी, प्लास्टिक, हाऊसहोल्ड, स्टेशनरी, अनियंत्रित कपड़ा, दवाईयां एवं नियन्त्रित सामग्री का व्यापार किया जाता है।

(2) जी नहीं। भण्डार के संचालक मण्डल के निर्णय अनुसार राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा अनुमोदित कंपनियों एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स की सूची को आधार मानकर इस सूची के अनुसार ही दवाईयां क्रय की जाती रही है एवं जो कम्पनियां एवं आईटम्स उपभोक्ता संघ ने अनुमोदित नहीं किये हैं उन आईटम्स की मांग प्राप्त होने पर इसका क्रय संचालक मण्डल द्वारा गठित कमेटी के द्वारा उत्पादनों की गुणवत्ता के

(सहकारिता मंत्री)

आधार पर कम्पनियों अधिकृत स्टाकिस्टों, डिस्ट्रीब्यूटर्स/थोक विक्रेताओं से माल क्रय किया जाता रहा है।

(3) भण्डार द्वारा उक्त अवधि में दवाईयां, सर्जीकल आईटम्स, आई.वी. फ्लूड वर्षवार निम्न प्रकार से खरीदा गया है:—

(राशि लाखों में)

वर्ष	दवाईयां	सर्जीकल आइटम्स	आई.वी.फ्लूड	योग
1989-90	2.70	—	0.01	2.71
1990-91	15.85	0.42	0.81	17.08
1991-92	19.67	1.21	1.58	22.46
1992-93	21.21	2.01	1.31	24.53
1993-94	25.61	3.75	1.47	30.83
1994-95	22.44	1.64	1.39	25.47
1995-96	21.57	2.23	1.59	25.39
1996-97	26.34	2.09	1.13	29.56
1997-98	21.10	2.94	0.78	24.82
1998-99 (फरवरी, 99 तक)	13.23	1.26	0.38	14.87

दवाईयां, फ्लूड एवं सर्जीकल के प्रत्येक आईटम की बिलवार खरीद, तिथि, मात्रा एवं मूल्य का विस्तृत रेकार्ड संधारण करने की प्रणाली भण्डार में प्रचलित नहीं है।

(4) जी हां। भण्डार द्वारा यह सुनिश्चित किये जाने का प्रयास किया जाता है कि जिन थोक विक्रेताओं से माल क्रय किया गया है उनसे खरीद करते समय बिना गुणवत्ता पर समझौता किये हुए माल न्यूनतम दर पर प्राप्त किया जावे। थोक विक्रेताओं द्वारा भण्डार को आपूर्ति किये गये माल के संबंध में भण्डार से कम दर पर माल

(सहकारिता मंत्री)

विक्रय नहीं किया गया है इसको सुनिश्चित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है क्योंकि एक ही थोक विक्रेता/स्टाकिस्ट की अंतिम प्रभावी विक्रय दर सामान्यतः क्रेता की वित्तीय/व्यवहारिक स्थिति को देखकर निर्धारित की जाने की परिपाटी होती है।

(5) जी हां। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभिन्न दवाओं पर प्राप्त स्कीम की राशि का विवरण इस प्रकार है:—

(राशि लाखों में)

वर्ष	स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त राशि	मेडिकल फार्मा.	फ्लूड	सर्जिकल
1989-90	0.01	0.01	—	—
1990-91	0.76	0.25	0.26	0.25
1991-92	0.76	0.27	0.44	0.05
1992-93	1.17	0.61	0.47	0.09
1993-94	1.83	0.89	0.84	0.10
1994-95	1.14	0.52	0.54	0.08
1995-96	1.06	0.54	0.38	0.14
1996-97	0.45	0.40	0.04	0.01
1997-98	0.26	0.25	0.01	—
1998-99 (फरवरी, 99 तक)	0.28	0.27	0.01	—

संस्था में लाभ प्राप्ति के लिये संस्था का प्रबंधन व मुख्य अधिशाषी-अधिकारी उत्तरदायी है।

(6) बिन्दु संख्या 5 में दी गई सूचना के अनुसार प्रत्येक वर्ष में भण्डार द्वारा स्कीम्स का लाभ प्राप्त किया गया है।

जिला सवाई माधोपुर हेतु चम्बल नदी से पेयजल आपूर्ति

156. श्रीमती यास्मीन अबरार (स. माधोपुर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर की दक्षिण सीमा चम्बल नदी बनाती है ? यदि हां, तो उक्त नदी का पानी सवाईमाधोपुर में पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु उपयोग में क्यों नहीं किया जाता है ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में चम्बल नदी से पीने का पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और अब तक इसके लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

(3) चम्बल नदी से प्रदेश के और कौन से हिस्सों में पीने का पानी उपलब्ध कराने की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) जब तक सवाई माधोपुर में चम्बल नदी से पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जायेगा तब तक उक्त क्षेत्र की पेयजल हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, चम्बल नदी सवाईमाधोपुर जिले की दक्षिण सीमा में बहती है । सवाईमाधोपुर शहर के निकट-वर्ती क्षेत्र में पर्याप्त भूजल उपलब्धता के कारण एवं टेक्नोइकोनोमिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये समीपस्थ गांवों में नलकूप निर्माण कर वर्तमान में की गई पेयजल व्यवस्था पर्याप्त है । अतः चम्बल के पानी से योजना नहीं बनाई गई ।

(2) जी नहीं, पानी आवश्यकतानुसार उपलब्ध है इसलिये बड़ी योजना को स्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) जी नहीं । अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(4) सवाईमाधोपुर शहर की वर्ष 2011 तक की जल मांग को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 1996–97 में 524.00 लाख रुपये की पुनर्गठित योजना स्वीकृत करवाई गई है जो निर्माणाधीन है । चम्बल से पानी लाने की आवश्यकता नहीं है ।

राजकीय महाविद्यालय डीग का विज्ञान संकाय प्रकरण

157. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार राजकीय महाविद्यालय डीग (भरतपुर) में विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री अरूण सिंह)

(2) राजकीय महाविद्यालय डीग (भरतपुर) को भवन निर्माण हेतु कब-कब कितनी राशि स्वीकृत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं । राज्य सरकार के सीमित वित्तीय साधनों को देखते हुए अभी इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है ।

(2) राजकीय महाविद्यालय डीग में भवन निर्माण हेतु जो राशि स्वीकृत की गई उसकी सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

परिशिष्ट-1

राजकीय महाविद्यालय डीग (भरतपुर) स्थापना-1977

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	निर्माण कार्य	स्वीकृत राशि	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक	एजेन्सी
1	2	3	4	5	6
1.	1977-78	भवन निर्माण	1.00	जिला कलक्टर, भरतपुर स्पेशल/दि.8-9-1977	पी.ए.
2.	1986-87	चार दीवारी	0.50	एफ20(17) शिक्षा-5/86 दि. 17-10-86	राज्य सरकार
3.	1986-87	साईकिल स्टैंड का निर्माण	0.15	एफ20(17)शिक्षा-5/86 दि.26-6-86	राज्य सरकार
4.	1990-91	दो कक्षा के कमरों का निर्माण	2.00	एफ19(62)शिक्षा-3/90 दि.26-11-90	राज्य सरकार

1	2	3	4	5	6
5.	1993-94	चार दीवारी का निर्माण	0.15	एफ12(65)लेखा/निकाशि/ 77/543दि.28-7-93	कालेज की छात्र निधि कोष से व्यय की अनुमति
6.	1997-98	पुस्तकालय भवन निर्माण	2.50	एफ14(5)शिक्षा-4/92 दिनांक 11-8-97	(अ) यू.जी.सी. 1.25 विकास सहायता (ब) कालेज निधि कोष अस्थाई ऋण की स्वीकृति 1.25
7.	1997-98	पुस्तकालय भवन निर्माण	2.31	एफ7(11)शिक्षा-3/97 दिनांक26-6-97	राज्य सरकार
8.	1999-2000	पुस्तकालय निर्माण	2.25 0.75	राशि देना प्रस्तावित है	यू.जी.सी. 2.25 राज्य सरकार0.75
			11.61		

विधान सभा क्षेत्र डग का एनीकट निर्माण प्रकरण

158. श्री मदन लाल (डग) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) विधान सभा क्षेत्र डग के सागडिया देह में एनीकट कब से प्रस्तावित है और कब तक इसके पूर्ण होने की सम्भावना है ?

(2) प्रस्तावित एनीकट की अनुमानित लागत क्या थी और अब तक इस पर कुल कितना व्यय हो चुका है तथा कितना शेष है ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । कोई एनिकट प्रस्तावित नहीं है ।

(2) सागडिया देह पर कोई एनिकट इस विभाग द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः अब तक कोई व्यय नहीं किया गया है ।

प्रशिक्षित आयुर्वेद नर्सेज का नियुक्ति प्रकरण

159. श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार प्रशिक्षित आयुर्वेद नर्सेज को नियुक्तियां देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) राज्य में ऐसे कुल कितने औषधालय हैं जहां कम्पाउण्डर के पद सृजित नहीं है ? क्या सरकार उक्त औषधालयों में पद सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । नियुक्तियां शीघ्र दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(2) वर्तमान में 323 औषधालयों में नर्स/कम्पाउण्डर के पद सृजित नहीं है । वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात पद भरने की कार्यवाही की जावेगी ।

नगर परिषद् भरतपुर का प्रशासनिक भवन निर्माण प्रकरण

160. श्री आर.पी.शर्मा (भरतपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद भरतपुर द्वारा नया प्रशासनिक भवन बनवाने हेतु वर्ष 1996 में कोई निविदायें आमंत्रित की गई थी ? यदि हां, तो कब कितनी राशि की एवं किस-किस फर्म से निविदायें नगर परिषद को प्राप्त हुई । सरकार द्वारा प्राप्त निविदाओं पर क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री आर. पी. शर्मा)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन निर्माण हेतु ही पुनः वर्ष 1997 में भी निविदायें आमंत्रित की गई ? यदि हां, तो कब व कितनी राशि की तथा किस-किस फर्म की निविदा प्राप्त हुई ?

(3) उक्त भवन के निर्माण की वर्तमान में क्या स्थिति है अभी तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है और उसमें कितना निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? उक्त निर्माण कार्य पर कितना व्यय करना अभी प्रस्तावित है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त भवन निर्माण में हुई अनियमितताओं की कोई जांच जिला प्रशासन भरतपुर द्वारा करवाई गई ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1996-97 में नगर परिषद, भरतपुर के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई।

(2) उक्त भवन निर्माण के लिए वर्ष 1997 में प्रथम बार दिनांक 14-8-97 को रुपये आठ लाख की राशि की निविदा आमंत्रित की गई थी। निम्नलिखित फर्मों से इस कार्य के लिए निविदा प्राप्त हुई:–

1. एस.के.बिल्डर्स
2. गुलाबसिंह आर्य एण्ड सन्स
3. प्रधान क. कंपनी
4. अशोक कुमार अग्रवाल
5. संजय कुमार शर्मा
6. नत्थी लाल

उक्त कार्य पूर्ण होने के बाद प्रशासनिक भवन के विस्तार कार्य के लिए दिनांक 27-12-97 को पुनः रुपये नौ लाख पचास हजार की राशि की निविदा आमंत्रित की गई। जिसमें निम्नलिखित फर्मों से निविदा प्राप्त हुई थी :—

1. गुलाबसिंह आर्य एंड सन्स
2. मै.एस.के.बिल्डर्स
3. प्रधान कन्सट्रक्शन कंपनी
4. नत्थीलाल

(3) उक्त भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी तक इस कार्य पर रुपये चालीस लाख नवासी हजार आठ सौ अस्सी रुपये का व्यय हो चुका है। भवन निर्माण कार्य पर रुपये दो लाख की राशि का भुगतान शेष है। इसके अतिरिक्त फर्नीचर-फिक्चर्स आपूर्ति पर एक लाख अड़सठ हजार रुपये की राशि का व्यय हो चुका है। फर्नीचर आपूर्ति पर पन्द्रह लाख रुपये की राशि और व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी हां। जांच में अनियमितता पाई गई है। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजसमन्द खनन क्षेत्र के आवंटन में अनियमितताएं

161. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खनिज नीति वर्ष 1993 से 1998 के बीच बनाई गई थी ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) खनिज नीति और उसमें किये संशोधनों से किस-किस खनिज की आय में वृद्धि हुई है ? गत पांच वर्ष का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1993-94 से 1998-99 तक राज्य सरकार ने नियमों में क्या-क्या रियायतें किस-किस को किस आधार पर दी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राजस्थान माईनर मिनरल कंसेसन रूलस, 1986 की धारा 65 के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 से 1998-99 तक किस-किस को कहां-कहां किस खनिज का आवंटन किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि संगमरमर की जिन लोगों द्वारा लीज आवेदित की थी ? उन्हें संगमरमर नीति के विरुद्ध बताया गया था ? यदि हां, तो उसी क्षेत्र में किस मारबल नीति के अन्तर्गत उक्त नियम की धारा 65 के आधार पर खनन क्षेत्र सरकार ने आवंटित किये थे ? क्या राजसमन्द क्षेत्र के मोरवड़ आगरिया और अन्य क्षेत्रों के जो आवेदन पत्र खनन क्षेत्रों में दिये थे उनको खनन नीति के अन्तर्गत नहीं मानकर निरस्त किये गये ? क्या उन्हीं क्षेत्रों में खनन नीति के अनुरूप मानकर उक्त नियम की धारा 65 के अन्तर्गत सरकार ने खनन क्षेत्र आवंटित किये थे ? गत पांच वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। सरकार द्वारा खनिज नीति वर्ष 1994 में बनाई गई थी। जिसकी प्रति परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(2) गत पांच वर्षों में विभिन्न खनिजों से प्राप्त आय का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' अनुसार है। संलग्न परिशिष्ट 'ख' में दिये गये आय के आंकड़ों से स्पष्ट है कि कुल आय में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन खनिज नीति के प्रभाव में आने के कारण किसी खनिज विशेष से हुई आय में वृद्धि का आंकलन किया जाना संभव नहीं है।

(3) वर्ष 1993-94 से 1998-99 के बीच राज्य सरकार द्वारा नियमों में रियायत देकर खनन पट्टे स्वीकृत करने की अनुमति दी है, जिसके संबंध में पूर्ण वांछित विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट 'ग' अनुसार है।

(4) प्रश्न के इस भाग का प्रति उत्तर

(राज्य मंत्री, खनिज)

प्रश्न के भाग तीन के उत्तर में सम्मिलित है।

(5) संगमरमर नीति, 1994 घोषित होने के समय जो आवेदन पत्र लंबित थे तथा इस नीति के अनुसार नये क्षेत्रों में डेलिनियेशन करने के पूर्व जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा जो संगमरमर नीति 94 लागू होने की दिनांक तक लम्बित थे वे संगमरमर नीति की धारा 9 के अन्तर्गत अस्वीकृत करने योग्य थे। उन क्षेत्रों में जिन आवेदन पत्रों को स्वीकृत किया गया है उनके आधार पर प्रश्न के भाग तीन के प्रति उत्तर में संलग्न परिशिष्ट 'ग' में दर्शाया गया है। राजसमन्द क्षेत्र में मोर–वड़, आगरिया और अन्य क्षेत्रों के आवेदन पत्रों पर कार्यवाही मारबल नीति एवं अप्रधान खनिज रियायत नियमावली के अन्तर्गत की गई थी, न कि खनिज नीति के अन्तर्गत। हां, नियमावली के नियम 65 के अन्तर्गत नियमों में शिथिलता बरतते हुए संलग्न परिशिष्ट 'ग' के अनुरूप खनन पट्टे स्वीकृत किये गये थे, जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ग' में दिया हुआ है।

(6) राज्य सरकार को नियम, 65 में शिथिलता देने के पूर्ण अधिकार है। जिन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा नियम, 65 में शिथिलता दी गई, उनमें उचित आधार रहा है। अतः प्रकरण में जांच की आवश्यकता नहीं है।

(प्रति एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

162. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम खोरा लाडखानी में 33/11 के.वी. चन्दवाजी में 132 के.वी. गठवाड़ी में 33/11 के.वी. एवं बासणा में 33/11 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा काफी समय से की जा रही है ?

(2) क्या सरकार उक्त स्थानों पर ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम खोरा लाडखानी एवं ग्राम बासणा में 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 5-3-1999 व 13-9-1998 को जारी की जा चुकी है, इन ग्रिड सब स्टेशनों का निर्माण कार्य सब ट्रान्समिशन के 1999--2000 के वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित करना प्रस्तावित है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना सम्भव हो सकेगा। ग्राम गठवाड़ी में 33/11 के.वी. व चन्दवाजी में 132 के.वी. ग्रिड सब

(ऊर्जा मंत्री)

स्टेशन बनाने का प्रस्ताव मंडल के विचाराधीन नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार।

कृषि उपज मण्डी समिति गोविन्दगढ़ (अलवर) का मर्ज प्रकरण

163. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला अलवर के गोविन्दगढ़ कस्बे में पांच वर्ष पूर्व कृषि उपज मण्डी की शाखा थी ? यदि हां, तो उसे समाप्त कर खेडली कृषि उपज मण्डी में क्यों मर्ज किया गया ?

(2) क्या अब सरकार पुनः गोविन्दगढ़ में मण्डी स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, किन्तु आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण दिनांक 13-11-92 को कृषि उपज मण्डी समिति गोविन्दगढ़ को कृषि उपज मण्डी समिति खेड़ली में मर्ज किया गया है।

(2) गोविन्दगढ़ को पृथक मण्डी बनाया जाने हेतु सर्वेक्षण कार्य प्रक्रियाधीन है। निर्धारित मानदण्डों के तहत आने पर पृथक से मण्डी स्थापित किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध प्रकरण

164. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने के पश्चात कितने कर्मचारी/अधिकारी कब-कब सेवानिवृत्त हुए तथा कितने नये पदों का सृजन कर योग्यताधारी बेरोजगारों को नियुक्तियां प्रदान की गई ?

(2) क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग ने परिपत्र जारी कर वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के पदों के सृजन पर प्रतिबंध लगा रखा है तथा सेवानिवृत्ति के साथ ही यह पद समाप्त हो जायें यह निर्णय ले रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने की अधिसूचना दिनांक 31-3-1999 से प्रभावी की गई है। अतः अधिसूचना के आधार पर 31-3-1999 को लगभग 10,900 कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं। नये पदों का सृजन विभागीय आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है। सेवानिवृत्ति से हुए रिक्त पदों तथा नव सृजित पदों को सेवा नियमों के अन्तर्गत पदोन्नति अथवा

(वित्त मंत्री)

सीधी भर्ती से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा भरा जाता है।

(2) जी नहीं।

बैरल पाइंटों का आवंटन

165. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) एवं श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अगस्त, 1998 से नवम्बर, 1998 तक कितने बैरल पाइंट आवंटित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अगस्त, 1998 से नवम्बर, 1998 तक 547 बैरल पाइंट अलाट किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कृषकों को देय मुआवजे में वृद्धि

166. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा–भीम) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा कृषकों को उनकी फसल; वर्षा, ओलावृष्टि, सर्दी व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट होने पर मुआवजा दिया जाता है ? यदि हां; तो मुआवजा देने के क्या मानदण्ड निर्धारित कर रखें हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस देय मुआवजे को और बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना एवं कब तक और नहीं तो क्यों ?

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1996 से फरवरी, 1999 तक कितने कृषकों को फसल नष्ट होने पर मुआवजा दिया गया ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्राकृतिक आपदा राहत के अन्तर्गत ओलावृष्टि से होने वाले फसल नुकसान पर कृषकों को कृषि अनुदान सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। सहायता दिये जाने के मापदण्डों की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट–1)

(2) जी नहीं। सहायता दिये जाने के मापदण्ड भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों की पालना में विभाग द्वारा 25-11-97 को ही निर्धारित किये गये हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1996 से अब तक फसल नष्ट होने पर कृषकों को दी गई सहायता राशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया है। (परिशिष्ट-2)

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 180 की प्रति

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:प.6(220)सा.प्र./1/83पार्ट जयपुर, दिनांक 5 जुलाई 1993

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल उन समस्त शक्तियों का, जो उन्हें इस निमित्त सक्षम बनाती हैं, प्रयोग करते हुए राजस्थान स्वतत्रंता सैनानी सम्मान पेन्शन नियम,1959 में एतदद्वारा निम्न प्रकार संशोधन करते हैं; अर्थात:–

नियम 5 के उपनियम (1) एवं (2) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जावेगा :—

(1) प्रतिकर के रूप में उपयुक्त पेन्शन उन स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों के आश्रितों को स्वीकार की जायेगी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के तहत मृत्यु से पूर्व पेन्शन प्राप्त हो रही थी, या जो स्वतंत्रता सेनानी इन नियमों के तहत पेन्शन पाने के पात्र थे या नियम 3 के खंड (ज) में पेन्शन स्वीकृति की पात्रता रखते थे चाहे उसकी मृत्यु पेन्शन स्वीकृति से पूर्व हुई हो या बाद में।

(2) ऐसे मामलों में सम्मान पेन्शन जिला कलक्टर द्वारा निम्नलिखित को दी जा सकेगी :—

(I) विधवा तथा निराश्रित माता–पिता को आजीवन;

(II) अवयस्क पुत्र; पूर्व मृत पुत्र का अवयस्क पुत्र तथा मृत व्यक्ति का अवयस्क भाई, यदि विद्यार्थी नहीं है तो वयस्क होने तक और यदि विद्यार्थी है तो 24 वर्ष की आयु तक;

(III) पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की विधवा, पूर्व मृत भाई की विधवा; अविवाहित या विधवा बहिन को विवाहित अथवा पुनर्विवाहित होने तक,

परन्तु कोई भी सम्मान पेन्शन प्रथम बार आश्रित को इस नियम के अधीन तब तक स्वीकृत नहीं की जायेगी जब तक कि सरकार के समाधान के लिए यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता है कि मृत व्यक्ति के उस व्यक्ति आश्रित हैं एवं इस निमित्त वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो, परन्तु विधवा को सम्मान पेन्शन उसी दिन से आरम्भ कर दी जायेगी, जिस दिवस को स्वतंत्रता सेनानी का देहावसान हुआ है।

राज्यपाल के आदेश से,

(भागीरथ शर्मा)

शासन विशिष्ट सचिव

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 194 का विवरण

राज्य के डांग क्षेत्र में विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ग्रामों का विवरण

क्र.सं.	जिला	1991 की जनगणनानुसार ग्रामों की संख्या	पाईप्ड/पीएण्डटी योजनायें	हैण्डपम्प योजनायें	क्षेत्रीय योजनायें	टी.एस.एस./ जनता जल योजना	अन्य	योग	विशेष विवरण
1.	करौली	403	32	367	4	—	....	403	....
2.	सवाईमाधोपुर	99	4	66	6	....	....	76	गैर आबाद गांव- 17
3.	बांरा	457	1	453	3	....	....	457	शून्य सर्विस लेवल-- 6
4.	धौलपुर	115	4	106	3	....	2	115	....
	योग	1074	41	992	16	....	2	1051	23

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 198 की प्रति

सेवामें,
श्रीमान श्री कृष्णा सैनी सहाब,
पार्षद चौ. तोपखाना देश,
नगर निगम, जयपुर ।

विषयः– गूंदी का चौक, बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग जयपुर में नलो में पानी बहुत कम दबाव से आता है अतः इसमें दुरस्ती बाबत ।

मान्यवर महोदय,

नम्र निवेदन है कि गूंदी का चौक, बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग, जयपुर चौ. तोपखाना देश जयपुर में पानी बहुत कम आता है। यहां तक कि पहली मंजिल (Ground floor) में भी पानी नहीं आता है जिसके कारण अत्याधिक कठिनाई हो रही है । अतः आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया अपने स्तर से जलदाय विभाग से प्रयास कर पाइप लाइन में कोडा कचरा इत्यादि हो तो उसे ठीक कराकर बड़ी लाइन से जुडवाने का कष्ट करावें ताकि हमें पानी की सुविधा हो सके ।

सादर ।

भवदीय
ह.
अरूण कुमार शर्मा, म.न. 1687 गूंदी का
चौक, बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग, जयपुर ।

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 199 का विवरण

पिछले दो वर्षों में लगाये गये हैण्ड पम्पों की सूची

क्रम.सं.	स्कूल का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत हैण्ड पम्पों की संख्या	लगाये गये हैण्डपम्पों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	रा. प्राथमिक स्कूल–बर	96-97	1	1
2.	,, ,, पाटन	,, ,,	1	1
3.	,, ,, मोहूरा	,, ,,	1	1
4.	,, ,, सोडपुरा	,, ,,	1	1
5.	,, ,, कोतडा(बिराटिया खुर्द)	,, ,,	1	1
6.	,, ,, जैतपुरा	,, ,,	1	1

1	2	3	4	5
7.	रा. प्राथमिक स्कूल सालाकोट (चांग)	96-97	1	1
8.	,, ,, सुमेल	,, ,,	1	1
9.	,, ,, कालबकलां(बना की नाडी)	,, ,,	1	1
10.	,, ,, पचानपुरा (पिपलिया का बाडिया)	,, ,,	1	1
11.	घोलिया (कोट किराना)	,, ,,	1	1
12.	,, ,, कालाकोट	,, ,,	1	1
13.	,, ,, सीरमा	,, ,,	1	1
14.	,, ,, सालरिया बेरा (झूंठा)	,, ,,	1	1

1	2	3	4	5
15.	रा. प्राथमिक स्कूल शिवसागर (बासियां)	96-97	1	1
16.	,, ,, जोगेश्वर (मोहुरा कलां)	,, ,,	1	1
17.	,, ,, रामसागर (देवली कलां)	,, ,,	1	1
18.	,, ,, सादों की प्याउ (कुशलपुरा)	,, ,,	1	1
19.	,, ,, निम्बेडा कलां	,, ,,	1	1
20.	,, ,, पट्टटिया बेरा (निम्बेडा कलां)	,, ,,	1	1
21.	,, ,, बासनी कवियान	,, ,,	1	1
22.	,, ,, बासनी बघवाडिया	,, ,,	1	1
23.	,, ,, शिवसागर (देवली)	,, ,,	1	1

तहसील रायपुर में राज. प्रा. विद्यालय में हैण्डपम्प/नल की सुविधा से नहीं जुड़े विद्यालयों की सूची (शेष रहे)

1. रा.प्रा.विद्यालय रामगढ़ सोडेतान
2. ;, ;; कलालो का बाडिया (चांग)
3. ,; ,; सालीया, पीलपाया
4. ;; ;; लिलरिया कुशालपुरा
5. ;;;, कोलसिह की घूणी, कुशालपुरा
6. ,, ;,नोख(बेरा) कुशालपुरा
7. ;; ;, रामगढ़ ढ़ाणी बाबरा
8. ;, ,,कर्णपुरा सुमेल
9. ;, ,,फतेह खेड़ा झाला को चोकी
10. ;; ,; केसरपुरा (चिताड़)
11. ;;;; हरीसागर (रायपुरा)
12. ;; ;,चावण्डिया खुर्द
13. ;; ,,प्रासन जिलेलाव
14. ;; ;,नाहर खेड़ा (चिताड़)
15. ;; ;,कोलपुरा
16. ,, ;,रामगढ (रायपुर)
17. ;; ;,किराना
18. ;; ,,मैरू खेपड़ा(बासनी ददवाड़िया)
19. ,, ;; मादेलाव ढ़ाणी(रायपुर)

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 206 की सूची

रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्थित सिंचाई बांधों की सूची

क्र.स.	बांध का नाम	किस्म बांध	प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र
1.	हुर्स सरोवर बांध	पेटा काश्त	603 एकड़
2.	नंगला बंजीरका	,, ,,	360 एकड़
3.	मेवछेड़ा	,, ,,	260 एकड़
4.	पिपरोली	,, ,,	150 एकड़
5.	अतरिया	,, ,,	4000 एकड़
			5373 एकड़

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 207 का विवरण

अकाल राहत 1996 के अपूर्ण कार्य विधान सभा क्षेत्र खारची

परिशिष्ट 'अ'

क्र.सं.	कार्य का नाम	पंचायत समिति	वर्ष 1996 के अकाल राहत में स्वीकृत कार्यों का विवरण		कार्य की वर्तमान स्थिति	वर्ष 1998 के अकाल राहत में स्वीकृति का विवरण		वि.वि.
			प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति राशि (लाखों में)		प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति राशि (लाखों में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	फुलाव बांध नहर का मरम्मत कार्य	मा.जं.	715/8-3-96	5.00	अपूर्ण	1390/6-1-99	4.95	कार्य प्रगति पर
2.	जोजावर बाढ बचाव	,,	,,	2.00	,,	551/2-11-98	2.24	है जून, 99 तक
3.	धनला बाढ बचाव	,,	,,	2.00	,,	,,	3.85	पूर्ण कर लिये
4.	मलसा बावडी बेसप्लो	,,	,,	2.50	,,	,,	2.97	जाने की

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	देवली वेसल्ली	मा.जं.	715/8-3-96	5.00	अपूर्ण	551/2-11-98	3.90	सम्भावना है ।
6.	गुड़ा ठाकुरजी बाढ़ बचाव	रानी	1134/21-5-96	2.00	"	"	....	
7.	बिलाड़ा वेसल्ली	"	663/6-5-95	3.00	अपूर्ण	"	....	उक्त कार्य की स्वीकृति वर्ष 1998 के अकाल राहत में प्राप्त नहीं हुई है ।
				21.00			17.81	

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 215 का विवरण

इटावा लघु पन विद्युत योजना (0.5 मेगावाट) पर वर्षवार/मदवार किये गये व्यय का विवरण

वित्तीय वर्ष	व्यय की गई राशि (रुपयों में) लगभग	कार्य जिन पर खर्चा किया गया
1990-91	19,72.600.35	प्लांट एण्ड मशीनरी के टरबाइन जनरेटर इक्विपमेंट भाग एवं अन्य विविध खर्चों।
1991-92	4,395.00	प्लांट एण्ड मशीनरी भाग।
1992-93	17,005.00	प्लांट एंड मशीनरी भाग।
1993-94	25,52,681.06	भूमि/भूमि क्षतिपूर्ति राशि, हाइड्रोलिक कार्य व अन्य प्लांट एण्ड मशीनरी भाग।
1994-95	3,06,056.00	प्लांट एण्ड मशीनरी भाग।
1995-96	3.27,076.96	प्लांट एण्ड मशीनरी भाग तथा विविध खर्चे।

परिशिष्ट "घ"

DECISION OF THE BOARD

(450th meeting of the Board held on 12 & 17-7-96) Item for Decision

450.5 Abandoning Etawa Mini Hydel project and disposal
Sub.No. of the machine Purchased there of.
H&GP.145

In view of the position as brought out in the agenda note, the Board decided to abandon the Etawa Mini Hydel project and to dispose off the equipment already purchased by inviting open tenders by giving the wide publicity in leading News-papers.

By order,
Sd/-
(S.S. Rawat)
Assistant Secretary (S.I)

C.E.(H & GP)

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 216 का विवरण

जिला बांसवाड़ा; डूंगरपुर; चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर के पं. सं. के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण प्रतिशत विवरण

क्र.सं.	पं.स. का नाम	कुल ग्रामों की संख्या	फरवरी 99 तक विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	विद्युतीकृत प्रतिशत
1	2	3	4	5
	जिला बांसवाड़ा			
1.	घाटोल	222	176	79.28
2.	गढ़ी	166	159	95.78
3.	बांसवाड़ा (तलवाड़ा)	221	177	80.09
4.	बागीडोरा	137	113	82.48
5.	सज्जनगढ़	186	136	73.12

1	2	3	4	5
6.	कुशलगढ़	210	189	90.00
7.	पीपलखूंट	197	120	60.91
8.	आनन्दपुरी	123	101	82.11
	जिला डूंगरपुर			
1.	डूंगरपुर	158	148	93.67
2.	सीमलवाड़ा	220	196	89.09
3.	सागवाड़ा	154	148	96.10
4.	आसपुर	144	129	89.58
5.	बिच्छीवाड़ा	174	167	95.98

1	2	3	4	5
	जिला चित्तौड़गढ़			
1.	प्रतापगढ़	353	265	75.07
2.	अरनोद	174	151	86.78
	जिला उदयपुर			
1.	गिर्वा	159	147	92.45
2.	धरियावद	246	205	83.33
3.	झाड़ोल	256	174	67.97
4.	सलूम्बर	233	189	81.12

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 218 का विवरण

जयपुर शहर की गृह निर्माण सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त करने संबंधी सम्पूर्ण विवरण।

क्र.सं.	नाम समिति	प्रशासक नियुक्ति दिनांक	प्रशासक नियुक्त करने के कारण	प्रशासक का पदनाम	चार्ज अधिग्रहण करने की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	बन्धु गृह निर्माण सह.समि. लि. जयपुर	7-7-95	आडिट नहीं कराने के कारण	संयुक्त रजिस्ट्रार सह.स. जयपुर खण्ड जयपुर	7–7–95
2.	म्यूचुअल हाउसिंग को-आप-रेटिव सोसायटी लि. जयपुर	7-7-95	,,	मैनेजर (मेडिकल) कान-फैड, जयपुर	7-7-95
3.	अमृतपुरी भवन निर्माण स.स.लि. जयपुर	7–7–95	,,	परियोजना विकास अधि-कारी राईसेम; जयपुर।	7-7-95
4.	शान्ती नगर गृह निर्माण सह.समि.लि. जयपुर	7-7-95	,,	परियोजना निदेशक (प्रोसे) प्रधान कार्यालय, जयपुर	7-7-96

1	2	3	4	5	6
5.	शंकर भवन निर्माण सह.समि.लि. जयपुर	7-7-95	ऑडिट नहीं कर-वाने के कारण	क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी अपैक्स बैंक जयपुर ।	7-7-95
6.	श्री जनता गृह निर्माण स.स. लि., जयपुर	7–7–95	"	उप रजिस्ट्रार (नियम) प्रधान कार्यालय, जयपुर	7-7-95
7.	गुलाबी नगर	7-7-95	"	क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी सह.समि. जयपुर	7-7-95
8.	अमृतपुरी विकास	7-7-95	"	स्पेशल आडिटर. सह. समि. जयपुर ।	7-7-95
9.	भट्टाबस्ती	7-7-95	"	अधिशाषी अधिकारी सी.सी.बी. जयपुर ।	7-7-95
10.	श्री महावीर भवन	7-7-95	"	सहायक रजिस्ट्रार सह. समि. (ग्रामीण)	7-7-95

1	2	3	4	5	6
11.	सिन्धु नगर गृह निर्माण स.स.लि.जयपुर	10–10-95	आडिट नहीं करवाने के कारण	सहायक रजिस्ट्रार (विधि) प्रधान कार्यालय, जयपुर	12-10-95
12.	महात्मा गांधी ;;	28-10-95	;;	विशेष लेखा परीक्षक सहृ. स. जयपुर	2-11-95
13.	शिवशंकर ;;	15–1-96	,,	अधिशाषी अधिकारी, सी.सी.बी. जयपुर	सूचना प्राप्त नहीं
14.	स्वास्तिक ग्रुप ;;	15-1-96	,,	विशेष लेखा परीक्षक, जयपुर जिला–डेयरी	25-3-96
15.	संयुक्त गृह निर्माण सहृ. स. लि. जयपुर	20–6–95	;;	एम.के.बोहरा एसोसियेट प्रोफेसर राईसेम, जयपुर	21-6-95
16.	जवाहरपुरी गृह निर्माण सहृ.स.लि.जयपुर	6–7–96	;;	उप रजिस्ट्रार (नियम) प्र.का. जयपुर ।	6-7-96

1	2	3	4	5	6
17.	आनन्द भवन निर्माण सह.स.लि. जयपुर	21-8-96	आडिट नहीं करवाने के कारण	अशोक अग्रवाल, उप रजिस्ट्रार सह.स. जयपुर (शहर)	24–8–96
18.	दी पंजाबी रिहेबिलेटेशन हा.को. सोसायटी	21-8-96	स्थाई सम्पत्तियों को खुर्द बुर्द करने के कारण	महाप्रबन्धक सहकारी मुद्रणालय जयपुर	23-8-97
19.	विश्वकर्मा गृह निर्माण सह.स.लि. जयपुर	11-10-96	आडिट नहीं कराने के कारण	संयुक्त रजिस्ट्रार (ट्रेनिंग) प्र.का. जयपुर	29-10-96
20.	माणिक्यपुरी ;;	6-11-96	;;	संयुक्त रजिस्ट्रार (मार्केटिंग) प्र.का. जयपुर	16-12-96
21.	ओमशिवपुरी ;;	26-2-88	आडिट नहीं कराने के एवं गम्भीर अनियमितताओं के कारण	सहायक रजिस्ट्रार (सहकारिता) जे.डी.ए., जयपुर	26-2-88
22.	टैगोर नगर गृह नि.स.स.लि. जयपुर	86/87	आडिट नहीं कराने एवं गम्भीर अनियमितताओं के कारण	प्रबन्ध संचालक रा.स्टेट इण्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव बैंक लि. जयपुर	2-12-97

1	2	3	4	5	6
23.	आदर्श गृह नि.स.स.लि. जयपुर	24-9-80	आडिट नहीं कराने एवं गम्भीर अनियमितताओं के कारण	श्री जीतेन्द्र प्रसाद शर्मा सहायक रजि. सहकारिता प्रकोष्ठ सचिवालय जयपुर	2-7-81
24.	मांकरोठा फेज–1 गृह नि.स.लि. जयपुर	....	गम्भीर अनियमितता के कारण	प्रबन्ध संचालक रा.रा. सह. आवासन संघ लि. जयपुर	7-10-89
25.	मॉडल ग्रुप गृह निर्माण स.स.लि. जयपुर	31-5-97	आडिट नहीं कराने के कारण	उप रजिस्ट्रार (विधि) प्र. का. जयपुर	2-6-97
26.	जयअम्बे गृह ;;	23-6-97	;; ;;	प्रबन्ध संचालक, इन्डस्ट्रीयल को. बैंक लि. जयपुर	24-6-97
27.	लंकापुरी ;; ;;	15-7-97	गम्भीर अनियमितता के कारण	मुख्यकार्यकारी रा.रा.सह. संघ जयपुर	31-3-99
28.	पटेल नगर ;;	13-8-97	;;	उप रजिस्ट्रार (आयोजना) प्र. का. जयपुर	पत्रावली अपील में है ।

1	2	3	4	5	6
29.	श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण स.स. लि. जयपुर	22-9-96	गम्भीर अनियमितताओं के कारण	संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) प्र.का. जयपुर	31-10-96
30.	जय चामुण्डा ;;	15-11-97	;;	सहा.रजिस्ट्रार (उद्योग) प्र.का. जयपुर	19-11-97
31.	बुनियादी विकास;;	12-5-98	चुनाव नहीं कराने एवं गम्भीर अनियमितताओं के कारण	सहायक रजिस्ट्रार (बैंकिंग) प्र.का. जयपुर	18-5-98
32.	जयपुर विकास प्राधिकरण ग्रुप गृह निर्माण स.स. लि. जयपुर	16-6-98	चुनाव नहीं कराने के कारण	उप मुख्य अंकेक्षक प्र.का जयपुर	प्राप्त नहीं
33.	मित्रगृह निर्माण स.स.लि. जयपुर	7-10-79	गम्भीर अनियमितता के कारण	सहा.रजिस्ट्रार (उपभोक्ता) प्र.का,	3-10-97

1	2	3	4	5	6
34.	फोरेस्टव्यू हाऊसिंग को.सो.लि. जयपुर	13-10-98	गम्भीर अनियमितताओं के कारण	उप रजिस्ट्रार जे.डी ए.; जयपुर	31–3–99
35.	शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृह नि.स.स.	13-10-98	;;	उप रजिस्ट्रार (नियम) प्र.का. जयपुर	स्टे
36.	माधव नगर गृह नि.स.स.लि.जयपुर	18-7-98	आडिट नहीं कराने के कारण	उप रजिस्ट्रार (बैंकिंग) प्र.का.	28-7-98

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 223 की सूची

सरकारी महाविद्यालयों की जिलेवार सूची

क्र.सं.	जिला	संचालित महाविद्यालय का नाम	संख्या
1	2	3	4
1.	अजमेर	1. राज.महा.अजमेर 2. राज.महा.किशनगढ़ 3. सं.ध.राज.महा. ब्यावर 4. राज.महा. नसीराबाद 5. राज.महा.केकड़ी 6. राज.महिला महाविद्यालय, अजमेर	6
2.	भीलवाड़ा	1. मा.ला.व.राज.महा. भीलवाड़ा 2. राज.महिला महाविद्यालय, भीलवाड़ा 3. राज.महा शाहपुरा	3
3.	नागौर	1. बांगड़ महाविद्यालय,डीडवाना 2. राज.महा.नागौर 3. राज.महा.मेड़तासिटी 4. राज.महिला महाविद्यालय, नागौर	4
4.	टोंक	1. राज. महा.टोंक 2. राज.महा. मालपुरा 3. राज.महा. देवली 4. राज.महिला महा, टोंक	4
5.	बीकानेर	1. डूंगर महाविद्यालय; बीकानेर	3

1	2	3	4
		2. राज.महारानी सुदर्शन क.महा.बीकानेर	
		3. राज.महा.नोखा	
6.	चूरू	1. राज.महा. सुजानगढ	5
		2. राज. लोहिया महा. चूरू	
		3. राज. महा. रतनगढ	
		4. राज.महिला महा. रतनगढ़	
		5. राज.महा. सरदारशहर	
7.	श्रीगंगानगर	1. चौ.बा.रा.गोदाराराज.महिला महा.श्रीगंगानगर	3
		2. राज.महा.श्रीगंगानगर	
		3. राज.महा.सूरतगढ़	
8.	हनुमानगढ़	1. राज.महा.नोहर	1
9.	बाड़मेर	1. राज.महा.बाड़मेर	4
		2. राज.महिला महा. बाड़मेर	
		3. राज महा. बालोतरा	
		4. राज.महिला महा. बालोतरा	
10.	जैसलमेर	1. एस.बी.के.राज.महा. जैसलमेर	2
		2. राज.महिला महा. जैसलमेर	
11.	जालोर	1. राज.महा.जालोर	2
		2. राज.महा.भीनमाल	
12.	जोधपुर	1. राज.महिला महा.पीपाड़सिटी	1
13.	पाली	1. राज.बांगड़ महा.पाली	2
		2. राज.महिला महा. पाली	

1	2	3	4
14.	सिरोही	1. राज.महा. सिरोही 2. राज.महिला महा.सिरोही 3. राज.महा .आबूरोड़	3
15.	बारां	1. राज.महा.बारां 2. राज.महिला महा.बारां	2
16.	बूंदी	1. राज.महा.बूंदी 2. राज.महिला महा.बूंदी	2
17.	झालावाड़	1. राज.महा.झालावाड़ 2. राज.महिला महा. झालावाड़ 3. राज.महा. भवानी मण्डी	3
18.	करौली	1. राज.महा.करौली 2. राज.महिला महा. करौली 3. राज. महा. हिण्डौनसिटी	3
19.	कोटा	1. राज.महा.कोटा 2. राज.वाणिज्य महा. कोटा 3. राज.जे.डी.बी. महिला महा.कोटा	3
20.	सवाईमाधोपुर	1. राज.महा.सवाइमाधोपुर 2. राज.महिला महा.सवाईमाधोपुर 3. राज.महा. गंगापुरसिटी	3
21.	अलवर	1. गौरी देवी महिला महा. अलवर 2. राज. कला महा. अलवर 3. राज.महा.राजगढ़	7

1	2	3	4
		4. राजर्षि महा.अलवर	
		5. राज.महा. बहरोड़	
		6. राज.महा. बीबीरानी	
		7. राज.महा.गोविन्दगढ़	
22.	भरतपुर	1. एम.एस.जे.महा.भरतपुर	4
		2. रामेश्वरी देवी महिला महा.भरतपुर	
		3. राज.महा.बयाना	
		4. राज.महा. डीग	
23.	दौसा	1. राज.महा. दौसा	3
		2. राज.महा.बांदीकुई	
		3. राज.महिला महा.दौसा	
24.	धौलपुर	1. राज.महा. धौलपुर	1
25.	जयपुर	1. बी.बी.डी. राज. महा. चिमनपुरा	8
		2. राज.महा.कोटपूतली	
		3. आर.एल.सहरिया महा. कालाडेरा	
		4. शाकम्भर राज.महा. सांभरलेक	
		5. राज.महिला महा.शाहपुरा	
		6. राज.महिला महा. कोटपूतली	
		7. स्कूल आफ आर्टस, जयपुर	
		8. राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर	
26.	सीकर	1. राज.महा.नीमकाथाना	3
		2. श्री कल्याण महा. सीकर	
		3. राज.महा.रामगढ़	

1	2	3	4
27.	बांसवाड़ा	1. राज.महा.बांसवाड़ा 2. राज.महा. कुशलगढ़ 3. राज. महिला महा. बांसवाड़ा	3
28.	चित्तौड़गढ़	1. राज.महा.चित्तौडगढ़ 2. राज.महा. प्रतापगढ़ 3. राज.महा.निम्बाहेडा 4. राज.महिला महा. चित्तौड़गढ़ 5. राज.महा.मण्डफिया	5
29.	डूंगरपुर	1. राज.महा. डूंगरपुर 2. राज.महा.सागवाड़ा 3. राज. महिला महा. डूंगरपुर	3
30.	राजसमन्द	1. राज.महा. नाथद्वारा 2. राज.महा. राजसमन्द 3. राज.महिला महा. नाथद्वारा	3
31.	उदयपुर	1. मीरा कन्या महा. उदयपुर 2. राज.महा.सलूम्बर	2
22.	झुन्झुनूं	1. शून्य	शून्य
			101

परिशिष्ट–14

अतरांकित प्रश्न संख्या 224 की प्रति

निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

महाविद्यालय खोलने के मानदंड :–

1. प्रस्तावित स्थान से 30 कि.मी. की परिधि में कोई महाविद्यालय, संचालित न हो।
2. प्रस्तावित स्थान से 20 कि.मी. की परिधि में कम से कम चार सीनियर सैकण्डरी स्कूल संचालित हो।
3. महाविद्यालय, के लिए आवश्यक भवन उपलब्ध हो।
4. प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए उपयुक्त हो।

क्षेत्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यदि कोई दानदाता, स्वयंसेवी संस्था अथवा ट्रस्ट महाविद्यालय खोलना चाहे तथा वह महाविद्यालय का भवन बनाकर तथा महिला महाविद्यालय बनाने के लिए एक वर्ष का आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय तथा सहशिक्षा महाविद्यालय के लिए तीन वर्ष का आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय राज्य कोष में जमा कराने का लिखित में आश्वासन दे तो राज्य सरकार महाविद्यालय प्रारम्भ करने पर विचार कर सकती है।

————